(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] नवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उन्तीसवां दिवस [संख्या–20

मंगलवार,

24 जुलाई, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

सांगानेर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में कल गोलीकाण्ड हुआ। दो माह के अन्दर चार दफा राजस्थान की पुलिस ने निर्दोष नागरिकों के ऊपर गोली चलायी है। मण्डावरी में 9 आदमी मारे गये, सतवाड़ी में 1 आदमी मारा गया और जोधपुर में लोग घायल हुए। यहां पर 6 आदमी गम्भीर रूप से घायल हुए हैं और 3 की हालत बहुत चिन्ताजनक है। आखिर यह सरकार क्या इस राज को लाठी और गोली के ऊपर चलाना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, क्या करना चाहती है आखिर सरकार? इस सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है क्या, अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, कल साढ़े पांच बजे गोली चली। न आपको सूचना दी गयी न सरकार को सूचना दी गयी। सूचना होती तो सरकार की ओर से कल सदन में कम से कम एक वक्तव्य आ सकता था, पूरे तथ्यों से अवगत कराया जा सकता था सदन को। साढ़े सात बजे कल हाउस एडज र्न हुआ और साढ़े पांच बजे वहां गोलीकाण्ड हुआ है। आखिर हो क्या रहा है? न आंसू गैस के गोले वहां छोड़े गये। यहां से किसी को बुलाया जा सकता था सरकार को खबर करके, अगर स्थिति बिगड़ रही थी, लोग धरना दे रहे थे। शान्तिपूर्वक धरना दिया डकैती के खिलाफ कि डकैती हमारी खुली नहीं है। आप धरना देते लोगों पर गोली चला रहे हैं। सतवाड़ी में धरना देते लोगों पर आपने गोली चलायी। अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य है। इसकी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य सरकार की तरफ से....

श्री प्रद्युम्न सिंह : वक्तव्य तो देगी सरकार, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वे निर्दोष लोग थे, जिनके यहां डकैती पड़ी। वे लोग गुहार करने गये, पुकार करने गये। उनके ऊपर गोली चलायी गयी। मेरा तो आपसे निवेदन है कि इस मामले के अन्दर अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से तुरन्त वक्तव्य दिलायें, उसके उपरान्त ही कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद तुरन्त ले लेंगे, प्रश्न काल के तुरन्त बाद वक्तव्य हो जायेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।

श्री नारायण लाल मीणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 जुलाई, 1990)

वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा

213. **श्री नारायणलाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा का गठन कब हुआ और इसके कुल कितने सदस्य हैं तथा इनकी अमानत जमा पूंजी कितनी है ?

(2) उक्त समिति ने कब से कब तक अपना कितना कारोबार किया और उससे कितना लाभ हुआ तथा लाभ की राशि कहां जमा है ?

(3) उक्त समिति के पास कितनी और क्या-क्या चल व अचल सम्पत्ति है ? अचल सम्पत्ति कहां और किसके उपयोग में आ रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त समिति के 7 ट्रक कोयले के स्टॉक को सन् 1982–83 में व्यवस्थापक श्री शम्भुलाल सरपंच मुंगाणा ने बेच दिया ? यदि हां, तो उसकी कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और क्या यह राशि समिति में जमा है ?

(5) उक्त कोयला किस जंगल को कटवाकर तैयार किया गया था ? क्या वह विभाग के स्टॉक रजिस्टर में पूर्व से ही दर्ज था ? यदि नहीं, तो फिर बिना किसी आधार के एक साथ 7 ट्रक यानी करीब 500 क्विण्टल कोयले की टी. पी. कैसे मिल गयी ?

(6) उक्त समिति के लाभांश एवं जमा का वितरण सदस्यों को करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कोयला सरपंच श्री शंभुलाल ग्राम पंचायत मुंगाणा मोजा मुंगाणा ने मोजा बोरदा की चारागाह की भूमि पर से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किये हरे वृक्ष कटवाकर तैयार किया गया था, जिसकी शिकायत पर वर्ष 1978-79 में घरियावद तहसीलदार श्री बिहारीदान ने जांच कर मुंगाणा सरपंच को लाखों रुपये के चारागाह की भूमि पर से हरे वृक्ष काटकर उसके कोयले बनाने का दोषी माना ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा में हुए घपले की किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : (1) वन श्रमिक सहकारी समिति लि. मुंगाणा का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 816/वार्ड पर दिनांक 10-8-1960 को हुआ। इस समिति की 31-3-1990 को सदस्य संख्या 429 है। इस समिति में सदस्यों की अमानतें जमा नहीं हैं। सदस्यों की जमा हिस्सा पूंजी 2615 रुपये है।

(2) समिति से उपलब्ध हुये रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1970–71 से (वर्ष 1971–72 को छोड़कर) वर्ष 1980–81 तक

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

समिति ने दो लाख छः हजार सात सौ पच्चीस रुपये का कारोबार किया है। इस कारोबार से समिति को अड़तालीस हजार सात सौ चार का लाभ इन वर्षों में हुआ है। लाभ की राशि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ में जमा है।

(3) समिति के ऑडिटशुदा सन्तुलन चित्र दिनांक 31-3-1990 के अनुसार निम्न अचल/चल सम्पत्ति बतायी गयी है:–

1. भूमि व भवन कीमत रु. 3400/– ग्राम मुंगाणा में स्वयं की खरीद की है जो समिति के कब्जे में है।

2. भूमि एवं भवन कीमत रुपये 1890/- ग्राम लोदिया समिति में रहन पर है। वर्तमान में समिति के पक्ष में रहन भूमि पर सम्बन्धित काश्तकार ही खेती कर रहे हैं।

3. समिति में चल सम्पत्ति 2399.05 रुपये की है।

(4) समिति के रेकार्ड के अनुसार वर्ष 1982–83 में कोयले की खरीद या बेचान सम्बन्धी कोई इन्द्राज नहीं है।

(5) कोयला जंगल से कटवाकर नहीं बनवाया गया था बल्कि वन श्रमिक सहकारी समिति मुंगाणा के सदस्यों द्वारा निजी आराजियों के पेड़ों या ठूठों को निकाल कर अकाल की स्थिति में कोयला बनाया गया था। मौके पर 430 क्विण्टल कोयला व 40 क्विण्टल चूरी पड़ी होने के कारण निकास हेतु पास वन संरक्षक, पश्चिम वृत्त, उदयपुर द्वारा जारी किये गये।

(6) सहकारी संस्थाओं के लाभांश एवं अन्य जमा राशियों का वितरण सहकारी संस्था अधिनियम, 1965, सहकारी संस्था नियम, 1966 एवं सम्बन्धित वन श्रमिक सहकारी समिति मुंगाणा के उपनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। समिति में 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार 36924.60 रुपये का शुद्ध लाभ है। बकाया की वसूली प्राप्त होने पर ही नियमानुसार लाभांश दिया जा सकता है।

(7) जी हां। तहसीलदार धरियावद द्वारा श्री शंभुलाल सरपंच ग्राम पंचायत मुंगाणा के विरुद्ध दिनांक 10-8-1979 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पारसोला में दर्ज करायी गयी थी, जो मुकदमा संख्या 34/79 धारा 379/447 आई. पी. सी. के अन्तर्गत दर्ज हुई। इस पर तफ्तीश के उपरान्त मामला नहीं बनने पर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 29-1-1980 को दे दी गयी है।

श्री नारायणलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, प्रश्न नम्बर चार में आपने बताया कि समिति के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1982–83 में कोयले की खरीद या बेचान सम्बन्धी कोई इन्द्राज नहीं है। सात ट्रक कोयला था वह कहां गया? क्या व्यवस्थापक के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? प्रश्न नम्बर पांच के उत्तर में बताया कि सदस्यों द्वारा निजी आराजियों के पेड़ों या ठूठों को निकाल कर अकाल की स्थिति में कोयला बनाया गया था। इसके लिए वहां समिति के सदस्यों से पूछताछ करके जांच करायी जायेगी?

[redacted]

(4)

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण प्रकरण की पूरी जांच करवा ली गयी है। मैंने पहले ही बताया कि कोयला जंगल को कटवाकर नहीं बनाया गया बल्कि वन श्रमिक सहकारी समिति मुंगाणा के सदस्यों द्वारा निजी आराजियों के पेड़ों या ठूठों को निकाल कर अकाल की स्थिति में कोयला बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मांगीलाल मेघवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-7-1990)

बूंदी में स्काइट एवं ट्राइसम योजना

326. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन), **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री हुक्माराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या विशिष्ट योजना सगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बूंदी में स्काइट एवं ट्राइसम योजना के तहत वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ?

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र उक्त जिले में कहां-कहां पर किस-किस किस्म के चलाये गये ? प्रत्येक केन्द्र से कितने प्रशिक्षणार्थियों को कितने समय के लिए प्रशिक्षण दिया गया एवं केन्द्रवार कितनी कीतनी राशि व्यय की गयी ?

(3) क्या उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को अनुदान के तौर पर मशीनें एवं अन्य सामान दिया गया ? यदि हां, तो केन्द्रवार कितना.कितना एवं इन पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1)

वर्ष	प्रशिक्षितों की संख्या		
	स्काइट	ट्राइसम	योग
1988–89	77	139	216
1989–90	56	117	173
	133	256	389

(2) ट्राइसम की सूचना परिशिष्ट "अ" एवं स्काइट की सूचना परिशिष्ट "ब" में सलग्न है।

(3) जी हां, ट्राइसम योजनान्तर्गत प्रशिक्षित 256 प्रशिक्षणार्थियों में से 67 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अनुदान के तौर पर टूल किट उपलब्ध कराये गये है, जो निम्नानुसार हैं :–

(श्री सम्पत राम)

क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	ट्रेड का नाम	वर्ष नाम	प्रशिक्षितों की सं. जिनको टूलकिट दिया गया है	टूल किट की राशि
1.	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र कोटा।	हाउस वायरिंग	88-89	2	1000/-
		हैण्ड पम्प	88-89	23	11500/-
		मोटर वाइंडिग	,,	1	500/-
		वेल्डर	88-89	6	3000/-
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बूंदी	हाउस वायरिंग	88-89	9	4383/-
3.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बूंदी	मत्स्य पालक	88-89	6	3000/-
				47	23383/
4.	जिला ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, कोटा	हैण्ड पम्प	89-90	20	10000/-
		वृहत योग		67	33383/-

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि बूंदी जिले में ट्राइसम और स्काइट योजना में फर्जीवाडे के सम्बन्ध में कई स्थानीय लोगों ने और मैंने जो लिखित में दिया है कि यह कार्य चलाये जा रहे हैं, इसकी जानकारी विभाग को है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? दूसरा जिले की कापरेन नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाकर किसी को कोई लाभ नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्योंकि इस तरह से दोनों केन्द्रों पर जानबूझ कर कार्य नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सम्पत राम : देखिए, माननीय सदस्य ने जैसा फरमाया मेरे पास कोई लिखित में ऐसी सूचना नहीं है कि वहां ज्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ हो आप सूचना

(श्री सम्पत राम)

दे रहे हैं मैं इसकी जांच करा लूंगा । कापरेन के मामले में आपने प्रश्न पूछा नहीं व बिल्कुल अलग है ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसमें ले ही नहीं रहे हैं, जान बूझकर के नहीं लिया जा रहा है । इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि वहां कभी समय लेकर पधारें और बूंदी में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनको आप स्वयं देखें तो आपको स्वतः मालूम पड़ जायेगा और आपके समय का नहीं....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दे दिया, व जांच करा लेंगे । **श्री सोनगरा** (अनुपस्थित) **श्री हुकमाराम** (अनुपस्थित) **नेक्स्ट** । श्री परसादी लाल मीणा ।

सवाई माधोपुर जिले में सीलिंग में अवाप्त भूमि

508. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट), **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी), **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) एवं

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम महस्वा में सीलिंग अवाप्त भूमि को गांव के 365 भूमिहीन परिवारों में आवंटन किया गया था ? आवंटियों में अनुसूचित जाति, जनजाति व सवर्णों की सख्या कितनी-कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इन आवंटियों को उक्त भूमि से ग्राम महस्वा के कुछ समाज कंटकों ने खदेड़ दिया है तथा सीमांकन खत्म कर आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आवंटियों द्वारा उक्त भूमि पर पुनः सीमांकन करने व अतिक्रमियों को हटाने बाबत तहसील मुख्यालय पर 17 जून, 1989 से 22 जून, 1989 तक क्रमिक अनशन भी किया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा आवंटियों की क्या मदद की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अतिक्रमियों को निकट भविष्य में उक्त भूमि से हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी हां । आवंटियों में अनुसूचित जाति के 70, अनुसूचित जनजाति के 202 एवं सवर्ण जाति के 93 आवंटी सम्मिलित हैं ।

(2) जी हां । आवंटित भूमि पर ग्राम महस्वा के ही व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है जिसकी तहसीलदार टोडाभीम द्वारा जांच करवाई गई । अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार टोडाभीम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की है जो विचाराधीन है । अतिक्रमियों की सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी है ।

(श्री नत्थी सिंह)

(3) जी हां, । आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा देने हेतु तहसीलदार टोड़ाभीम द्वारा मौके की जांच करवाई जाकर अतिक्रमियों का पता लगाया गया व उनके विरूद्ध राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही जेर. कार है ।

(4) जी हां । अतिक्रमियों को उक्त भूमि से हटाने के लिए उनके खिलाफ राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही पर प्राथमिकता से निर्णय करवाया जाकर पालना की जायेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि अतिक्रमी उसी गांव के लोग हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन अतिक्रमियों का कब से उस जमीन पर अतिक्रमण है ? दूसरा मेरा सवाल है क्या जिस दिन इस जमीन का अलाटमेण्ट हुआ था तो राज्य सरकार ने कोई ऐसा आर्डर दिया था कि फलां खसरा नम्बर का अलाटमेंट नहीं किया जाए और उसके बाद भी उसका अलाटमेण्ट किया । असल विवाद उसी जमीन का है जो राज्य सरकार ने स्टे किया उसके बाद स्टे अलाटमेण्ट कमेटी को दे दिया, उसके बाद अलाटमेंट किया । उसी के कारण से यह सारा झगड़ा पैदा हुआ है । माननीय मंत्री जी आपके उस स्टे आर्डर को अलाटमेंट कमेटी के चेयरमैन ने नहीं माना, गवर्नमेंट आर्डर था, उस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? अतिक्रमियों का कबसे कब्जा हुआ मानते हैं या आवंटियों को अब तक क्यों नहीं कब्जा दिया ? मतलब इस विवाद की जड़ क्या है । के आपने जब रोक लगादी उसके बाद अलाटमेण्ट कर दिया, उनको आज तक कब्जा नहीं दिया । हालत यह है कि गांव में तनाव है, यह बहुत लम्बा विवाद भी है । तो आप इसमें यह स्पष्ट करिए कि क्या यह अलाटमेण्ट बिलकुल सही हुआ ? आपको इसमें यह भी पता लगा होगा कि गैर मुमकीन तालाब की जमीन, तालाब की पाल उन सबका अलाटमेण्ट कर दिया । कितनी जमीन ऐसी है जो नाकाबिले काश्त है उसको भी आपने अलाटमेण्ट कर दिया । यह अलाटमेण्ट कमेटी ने आपाधापी में जो कार्यवाही की है क्या आप इस कार्यवाही को सही मानते हैं या इसके लिए कोई जांच कमेटी बैठायेंगे जिससे लोगों को सही न्याय मिले ? जिनका 40–50 साल से कब्जा है उस जमीन का भी आप अलोटमेण्ट कर देते है जिससे गांव में जगड़ा होता है ।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका सवाल । माननीय मंत्री जी ।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अलाटियों को कब्जा नहीं दे पाये और यह झगड़ा भी पुराना है । यह जमीन महाराज कुमार पृथ्वीसिंह जी की है जो जयपुर रियासत के थे । 15-4-71 को सीलिंग रूल के अंतर्गत जमीन एक्वायर की गई, 1942 बीघा 16 बिस्वा और उसमें से 19-12-75 को सरकार ने इसको कब्जे में लिया। 19-12-75 को इसका आवंटन हुआ और इसका नाजायज कब्जा किया बता दिया कि इसको तो हमने सैल कर दिया, पर्चियां दे

(श्री नत्थी सिंह)

दी, इस तरह होता आया है । 9-8-77 को अतिक्रमियों को हटाने के आदेश नायब तह-सीलदार ने कर दिये। इसके खिलाफ रिट–पिटीशन हुई । हाईकोर्ट में वो 30-10-81 को खारिज हुई । उसके बाद 25-6-82 को पुनः 123 और 30-6-82 को 242 कुल 365 आदमियों को 1755 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसमें अनुसूचित जाति के 70, अनुसूचित जन जाति के 202 एवं 93 अन्य थे । इसके खिलाफ भी रिट हुई जो 4-11-82 को खारिज हुई । इसके उपरान्त फिर 33 मामले थे जिनकी निगरानी अपर जिलाधीश के यहां हुई वह 20-5-83 को खारिज हुई । फिर राजस्व मण्डल में गई और 23-11-84 को वहां से खारिज हुई । उसके बाद एक प्रार्थना–पत्र दिया गया जिसका फैसला 28-2-85 को राजस्व मण्डल द्वारा खारिज किया गया । इस तरह से इस मामले में लगातार मुकदमेबाजी हुई । आपके जमाने का मामला है देते तो दे देते लेकिन आपकी तो यह जो स्थिति है उसके लिए तो हम खेद ही प्रकट कर सकते हैं लेकिन नई सरकार बनने के बाद राजस्व अधिकारियों की पहली मीटिंग 18 अप्रेल, 1990 को हुई उसमें मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीनों के कब्जे नहीं मिले हैं उस विषय में तुरन्त कार्यवाही की जाय। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि 183, यह मैं कह रहा हूं 18 अप्रेल को ये निर्देश दिए गए । 27-6 को 147 मुकदमे दर्ज किए, 2-7-90 को 69 और 18-7-90 को 15 इस तरह से 231 मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें 226 का फैसला हो करके उन्हें बेदखल करने के आदेश दिए जा चुके हैं । 5 केवल पेण्डिंग हैं । जैसा आप कहते हैं यह बात सही है कि उस गांव में बड़ा तनाव है और दोनों तरफ मीणा जाति के लोग हैं, उनको कोई बेदखल करने के लिए जाय तो आज वहां आदमी मरने की स्थिति है इस-लिए राज्य सरकार इस बात के लिए सचेत है कि जिनको आपकी सरकार ने रिकमण्ड किया था जिनको आप कब्जा नहीं दिला पाए उनको सही रूप में कब्जा दिलाया जाए इसके लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा ।

श्री परसादीलाल मीणा : एक प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा आर्डर दिया था कि फलां खसरा नम्बर की इतनी जमीन को अलाटमेंट कमेटी अगले दिन अलाटमेंट नहीं करे, गवर्नमेंट के आर्डर थे और उसके बाद भी अलाटमेंट कर दिया । असल झगड़े की जड़ वह है । आपकी रोक के बाद अलाटमेंट किया उसको आप क्या मानते है ?

श्री अध्यक्ष : उसको अतिक्रमण मान लिया इन्होंने ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आर्डर दिया उसके बाद अलाटमेंट कर दिया ।

श्री नत्थी सिंह : इस पर अनेकों मुकदमे हुए हैं हाईकोर्ट के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा । (अनुपस्थित) श्री कन्हैया लाल । (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल इंदलिया । (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नौखा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह भूमि अनुसूचित

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

जाति और जन जाति के लोगों को अलाटमेंट होने के बाद इन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है ? जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है भूमिहिन अनुसूचित जाति; जनजाति के लोगों को राज्य सरकार द्वारा अलाटमेंट कमेटी द्वारा अलाटमेंट करने के काफी लम्बे अर्से के बाद कब्जा किया गया है और अलांटमेंट जो किया गया उन लोगों को मौके पर कब्जा क्यों नहीं दिया गया था ?

श्री नत्थी सिंह : जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह आपने दूसरी तरह से पूछी है । दोनों का जवाब दे देता हूं । सही स्थिति यह है कि अतिक्रमियों का कब्जा पहले से था ....

श्री परसादीलाल मीणा : कब्जा कब से था ?

श्री नत्थी सिंह : 9-8-75 को इनको बेदखल किया गया । बेदखल करने के बाद फिर कब्जा देने की कार्यवाही की गई । कब्जा तो कागज में दे दिया यह बात सही है लेकिन मौके पर उन्हें कब्जा नहीं करने दिया, स्टे ले आए । परन्तु हम यह कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर उनको कब्जा दे । सब जगह से वह हार चुके हैं हाईकोर्ट से भी, रेवेन्यू बोर्ड से सब जगह से लेकिन अभी तनाव की स्थिति है, तनाव की स्थिति को देखते हुए इस तरह से इनको कब्जा मिल जाए कि यह कोशिश हम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप में ऐसी कमजोरी थी तो आपने उन गरीबों को क्यों फंसाया ?

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दलिया जी । इसी में पूछ रहे हैं । आप बिराजिए । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : श्री इन्दलिया साहब, ये सवाल इनसे पूछिए जिन्होंने अलाटमेंट आर्डर इश्यू किया है, हमसे मत पूछिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी ।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में बताया कि 1975 से अलांटमेंट हुआ 1984 तक विभिन्न अदालतों में स्टे और विभिन्न प्रार्थना–पत्र लगते रहे जिन्होंने 84 में सब कुछ फाइनल होने के बाद 90 तक कब्जा नहीं दिलाया उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? दूसरा, इस बात को स्वतः सरकार हाउस में मान रही है कि उनको कागज पर तो कब्जा दिला दिया लेकिन मौके पर कब्जा नहीं दिलाया तो अलांटमेंट का क्या अर्थ रह गया?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जगमालसिंह यादव : एक सवाल इसी में और है । माननीय मन्त्रीजी अब तो भारत सरकार ने एक और कानून आपके हाथ में दे दिया है एस.सी./एस.टी. प्रोटेक्शन एक्ट, 1989 जिसमें बाकायदा इसको अपराध घोषित किया गया है । आप इसमें सिविल कार्यवाही न करके उस एक्ट में कार्यवाही करने का क्या सरकार निर्देश देगी ?

श्री नत्थी सिंह : आप यह कह रहे हैं कि अलाटमेंट का क्या हुआ, यह तो हाईकोर्ट में यह फैसला हुआ है कि अलाटमेंट

(10)

(श्री नत्थी सिंह)

बिलकुल सही और नियमानुकूल था । अलाटमेंट सही है

यह आपकी बात सही है कि अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया 1984 के बाद भी रेवेन्यू बोर्ड तक केसेज गए हैं । हमने तो 18 अप्रेल, 1990 को पहली कान्फ्रेन्स जो रेवेन्यू आफिसर्स की हुई उसके बाद एक्शन इनिशियेट किया है 231 (2) और 183 (बी) के तहत बेदखल करने के आदेश हो चुके हैं, 5 रह गए हैं वह भी जल्दी ही हो जायेंगे । आपने जो कहा है वह बात आपकी सही है हम इसका दूसरा एक तरीका है वह भी इस्तेमाल करेंगे, काम में लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द । आप बिराजें ।

श्री जगमालसिंह यादव : 1990 तक जिन्होंने नहीं दिये उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री नत्थी सिंह : मुकदमें बाजी चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री फुलचन्द जी ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं मान रहे हैं कि अलाटमेण्ट के बाद में भी लगातार अतिक्रमण होता है तो क्या काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) और 91 के तहत जो कार्यवाही में विलम्ब होता है उसकी वजह से सारे अतिक्रमण बढ़ते हैं तो क्या आप दुबारा संशोधन करेंगे कि 91 और 183 (बी) कार्यवाही तुरन्त रूप से हो ताकि अतिक्रमण की कार्यवाही रूक सके ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री नत्थी सिंह : जहां तक संशोधन करने का प्रश्न है वह तो सभी सम्मानीय सदस्यों से पत्र के द्वारा निवेदन किया है कि जो संशोधन कानूनों में चाहते हैं वह जल्दी से संशोधन हो सकें, वह संशोधन करेंगे, परन्तु इस केस में यह स्थिति नहीं है । उसमें 15-4 को आदेश दिये और 27-6 से कार्यवाही शुरू हुई अब तक 226 में फैसला हुआ है, 5 रह गए हैं उनमें भी फैसला हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 509 । कृषि मंत्रीजी । Then Let them end to it. (व्यवधान) हो गया । अब आप जिद्द मत करिए । आप हाउस में और सवाल भी आने दीजिए और भी सवाल हैं । दिस इज नाट दी ओनली क्वेश्चन । अब आप बिराजें ।.... मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।.... बहुत शान्त शब्दों में कह रहा हूं कि आपको अलाऊ नहीं करूंगा । आप बिराजें ।

सब–यार्ड सीकरी की आय

509. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि ऊपज मण्डी समिति, नगर के सब-यार्ड सीकरी की गत पांच वर्षों की प्रति वर्ष मण्डी शुल्क एवं अन्य आय क्या रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मण्डी समिति के कर्मचारी ही मण्डी की कम आय होने के दोषी हैं ? यदि नहीं, तो अन्य क्या कारण है ? नगर पालिका सीकरी की एक वर्ष की

(श्री सम्पतसिंह)

चुंगी आय एवं कृषि मण्डी शुल्क की आय का तुलनात्मक ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति नगर सब यार्ड सीकरी की गत 5 वर्षों की मण्डी शुल्क एवम् अन्य आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि लाखों में)

वर्ष	मण्डी शुल्क	अनुज्ञापत्र शुल्क	अन्य आय
1985–86	2.956	0.004	0.034
1986–87	5.028	0.013	0.143
1987–88	3.514	0.011	0.176
1988–89	4.668	0·018	0.061
1989–90	3.976	0.014	0.022

(2) थोड़ा संशोधन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986–87 की अपेक्षा आगामी वर्षों में गौण मण्डी यार्ड सीकरी की मण्डी शुल्क की आय में गिरावट आयी। आय में आई गिरावट के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी कि आय में कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कमी आई है या अन्य कोई कारण रहे हैं। ग्राम पंचायत सीकरी व गौण मण्डी यार्ड सीकरी का वर्ष 1989–90 की आय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ग्राम पंचायत सीकरी की आय	गौण मण्डी सीकरी की आय
1989–90	0·309	3·976

श्री सम्पतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्रीजी ने फरमाया हर वर्ष आमदनी में फ्लेक्चूएशन रहा है और कुल मिलाकर आपके उत्तर से ही जाहिर होता है कि जो आपने मण्डी यार्ड और कृषि उपज मण्डी के कर्मचारी होते है, जो जिम्मेदार होते हैं उन्हीं की वजह से यह सब कुछ हुआ है जबकि हमारी राय में 15 लाख रुपये सालाना इस कृषि उपज मण्डी यार्ड के सब यार्ड की आमदनी होती है एपारक्समेटली। यह बोर्डर टाउन है और वहां इतनी न्यूनतम आमदनी आपकी नौकरशाही दिखा रही है तो फिर इस कृषि उपज मंडी के कन्सेप्शन के क्या मायने रहे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह जानकारी करना चाहता हूं कि पूरे पिछले 5 वर्षों में तो हम कुछ नहीं कर पाये और भविष्य में भी अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, मंत्रीजी कृपया यह बताने की कोशिश करें चूंगी की आमदनी भी कम हो रही है, कृषि उपज मण्डी की आमदनी भी कम हो रही है और कुल मिलाकर 2-4, 2-4 लाख के बीच में आमदनी हो रही है, इतनी ही उनकी रिश्वत लेने की औकात होती है और वह इसमें आपके डर से कमी नहीं ला रहे हैं और न उनको वहां समाज का कोई डर है। आपने खण्ड 2 में जवाब दिया है कि

(श्री सम्पतसिंह)

इसके लिए नौकरशाही जिम्मेदार नहीं है। कृपया यह बताने की कोशिश करें....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह संशोधन कर दिया है उन्होंने, जी नहीं, काट दिया है उन्होंने।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने संशोधन किया है, जी नहीं काट दिया है। और मैंने कहा है कि कर्मचारियों की लापरवाही से भी आमदनी कम हो सकती है।

श्री सम्पतसिंह : लापरवाही नहीं अपराधिक जिस तरह से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिस तरह से वह कर रहे हैं, हमारे देखते-देखते, इंजीनियर्स के देखते-देखते वहां सारी बेईमानियां होती हैं, न जन-प्रतिनिधि कुछ कर सकता है, न उच्च अधिकारी कुछ कर सकते हैं न सरकार कुछ कर सकती है। एक-एक कर्मचारी 5 साल से ऊपर वहां जमा हुआ बैठा है। यह पूरा कृषि उपज मण्डी का कंसेप्ट उनकी निजी आय के लिए खोला गया है ऐसा प्रतीत होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से दृढता से विनती करूंगा कि क्या वह इसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाने की कृपा करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मण्डी की जितनी आय होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, उसकी चोरी या दुरुपयोग उसमें होता है और इस सम्बन्ध में एक शिकायत 7-6-90 को भी मिली है, उसकी मैं जांच करवा रहा हूं। उसके बाद में जो भी कोई अधिकारी या जो भी कर्मचारी इसके अन्दर दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। इसके साथ-साथ जो कर्मचारी वहां पर 4-4, 5-5 साल से लगे हुए हैं उनका कहीं स्थानान्तरण नहीं किये जाने की वजह से वहां पर अगर चोरी हो रही है और वह भी उसमें लिप्त हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सम्पतसिंह : जांच तो आपने पहले भी पूरी करा ली उनकी, नगर कृषि उपज मण्डी यार्ड 10 पर्सेन्ट, 20 पर्सेन्ट से फिर 40 पर्सेन्ट तक के कमीशन पर वह यार्ड अधूरा बना खड़ा है जो वह 4 साल, 3 साल पहले शुरू हो जाता। निश्चित रूप मन्त्री जी मैं जानकारी चाह रहा हूं, आपकी जानकारी में यह है या नहीं कि कृषि उपज मंडी यार्ड की आमदनी की वहां की नौकरशाही कितनी लूट कर रही है इसके बारे में जितनी जल्दी हो सके कृपया व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया। देख लेना। नेक्स्ट।

श्री जितेन्द्र सिंह।

जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम

510. **श्री जितेन्द्रसिंह** (जैसलमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई तथा किन-किन मदों पर 31 मार्च, 1990 तक कितनी राशि खर्च की गई ?

(श्री जितेन्द्रसिंह)

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कार्य अधूरे रहे हैं और अब इस कार्य हेतु कितनी राशि की और आवश्यकता है ?

(3) उक्त योजनान्तर्गत जैसलमेर जिले में डी.डी.पी. की कितनी राशि प्राप्त हुई व किस मद में कितनी-कितनी खर्च की गई ?

(4) क्या सरकार मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, क्यों ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1989-90 में आवंटित की गई राशि एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ")

(2) अधूरे रहे कार्यों व इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वांछित राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।
(परिशिष्ट "ब")

(3) जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम (डी डी पी) के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में प्राप्त राशि तथा उसके विरुद्ध व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ")

(4) जी नहीं । भारत सरकार के निर्देशानुसार मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य नहीं करवाया जा सकता ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री जितेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं माननीय मन्त्रीजी को सूचित करना चाहता हूं कि जो मदवार परिशिष्ट "अ" मुझे दिया गया है वह पूर्णतया असंतोषजनक है, 4 करोड़ 92 लाख 48 हजार रुपये की धनराशि में से 1 करोड़ 99 लाख 70 हजार रुपये अन्य विविध कार्यों के खर्चे का विवरण प्रस्तुत किया गया है, मिसलेनियस एक्सपेण्डीचर का वह सेटिसफेक्शन आंसर नहीं है और यह कोई मदवार व्यय का विवरण ही नहीं है ।

दूसरा, जल संसाधन विकास को प्राथमिकता नहीं दी गयी है आवंटित राशि 1 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपये के अनुपात में केवल 77 लाख 20 हजार रुपये खर्च किये गये हैं जबकि जल संसाधन विकास प्राथमिकता के आधार पर उस जिले में होने चाहिए थे । तीसरा, जो वन विकास के लिये 2 करोड़ 10 लाख 98 हजार रुपये खर्च किये गये हैं उनमें गम्भीर अनियमिततायें हुई हैं । जैसलमेर जिले में पिछले 3 वर्षों में करीब 13 करोड़ रुपये की धनराशि वन विकास के लिए व्यय हुई है और 1 वर्ष में मरु विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं, इसमें फर्जी मस्टररोल रखे जाते हैं, वास्तविकता में मजदूरों की संख्या आन दी साइट 25 पर्सेन्ट होती है और मस्टररोल साइट पर रखे नहीं जाते हैं, अधिकारी डायरी में हाजरियां लिखते हैं और जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वह देर रात में किया जाता है शाम को होता नहीं हैं । इसमें छोटे-छोटे बच्चों के भी गलत नाम लिखकर व्यय किया गया है । इस कार्यक्रम की आप सफलता

(79)

(श्री जितेन्द्रसिंह)

देखें तो राज्य सरकार की इतनी बड़ी धनराशि के अनुपात में मुश्किल से सफलता 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक तो माननीय मन्त्री महोदय, यह अन्य विविध कार्य पर इतनी बड़ी धनराशि का व्यय तो नहीं है। क्या आप सन्तुष्ट हैं जो उत्तर आपको दिया गया है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने इतनी बड़ी धनराशि किसमें खर्च करी, इसका विवरण तो सदन के पटल पर रखें। यह तो बिल्कुल असन्तोषजनक उत्तर है। दो करोड़ रुपये का कोई विवरण ही नहीं है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनियमितता, गलत पेमेण्ट होने का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह तो इनक्वायरी का विषय है। इतने बड़े पैमाने पर यह काम होते हैं यह मैं जानता हूं। सूचनाएं मिलती हैं पहले भी और आज भी कि मस्टर-रोल में कहीं न कहीं, कोई न कोई गड़बड़ होती है, इसको स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। लेकिन यह काम सरकार के प्रयत्न से ही ठीक नहीं होगा, जनता को भी जागरूक होकर इस पर कण्ट्रोल करने की क्षमता रखनी होगी। नहीं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में यह कभी सम्भव नहीं होगा कि जो रुपया हम भेजते हैं वह बेनीफिशरीज को 100 प्रतिशत मिल जाए, यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम जागरूक हों। अकेला प्रशासन यह काम नहीं कर सकेगा, यह तो असम्भव है लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी से, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हटना चाहती। माननीय सदस्य यदि कोई फैक्ट्स नोटिस में लायेंगे जैसा कि उन्होंने फरमाया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। आवश्यक समझेंगे तो और भी तरीके हो सकते हैं। मैं स्वयं भी उनके साथ चला जाऊंगा, जैसलमेर गये बहुत दिन हो गये, वह भी ठीक रहेगा।

जहां तक इस रुपये को खर्च करने का प्रश्न है, यह ऐसा है 1989–90 के दौरान आवंटित राशि विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण, मदवार विवरण शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं। आवंटन हुआ था भूमि विकास, भू-संरक्षण 71.53 लाख जिसमें 62.85 लाख खर्च हुआ। जल संसाधन विकास 117·60 जिसमें 77·20 लाख खर्च हुआ। वन विकास 196·72 जिसमें से 210·98 खर्च हुआ। अन्य विविध कार्य 74·57 लाख आवंटित था जिसमें 109·97 खर्चा हुआ। परियोजना व्यय 32·40 जिसमें खर्चा हुआ 31·48 इस तरीके से खर्चा हुआ। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से खर्चा अगर नहीं हो पाया होगा तो प्रयत्न यह किया जाएगा कि इस को जो बाकी बची है उसको खर्च किया जाये और जो अधूरे काम पड़े रह गए हैं, उन कामों को पूरा किया जाए। मैंने आज से दो दिन पहले ही इस प्रकार के आदेश हमारे विभागीय सचिव को दिए हैं कि वह इस मामले को गहराई से देखे और जो कुछ कमी है उसको पूरा करे, अधूरे काम हैं उनको भी पूरा करने की व्यवस्था करें।

श्री जितेन्द्र सिंह : मेरा प्रश्न था, एक तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि अन्य विविध कार्यों में जो बजट एलोकेशन था उसको बढ़ा दिया गया है और अनुपात की राशि से ज्यादा खर्च की गई है। उसके डिटेल्स आपको जिला विकास ग्रामीण अभिकरण

(श्री जितेन्द्रसिंह)

ने प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसलिए यह उत्तर अपूर्ण है। दूसरा मेरा निवेदन था कि जल संसाधन विकास, जो इस जिले की प्राथमिकता है उस पर 1 करोड़ 17 लाख की जगह उसका बजट आपने कहा कि 77 लाख रुपये खर्च कर दिए, तो क्या यह उचित है ? इसका कोई जस्टिफिकेशन जिला प्रशासन या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दे सकता है क्या ? आपने सदन के पटल पर यह मिसलिनियस एक्सपेण्डिचर यह कोई हेड थोड़े ही होता है, दो-दो करोड़ का बजट की 20 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाती है, उसको आप मिसलिनियस एक्सपेण्डीचर, अन्य विविध कार्य करके राइट आफ कर देना चाहते हैं। आप सन्तुष्ट हैं क्या ? आप स्वयं देखिए। Are you satisfied with this answer ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, डेजर्ट डवलपमेंट और ड्राट प्रान एरिया प्रोग्राम के ऊपर करोड़ों रुपये का पिछले बीस सालों में व्यय हुआ है। क्या राज्य सरकार किसी एक योजना को लेकर इस सदन की समिति द्वारा जांच कराने का विचार रखती है कि यह योजनायें कितनी फलीभूत हुई ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, पहले तो राज्य सरकार को यह प्रयत्न कर लेने दें जैसा कि माननीय श्री पूनमचन्द जी ने फरमाया है। अगर यह आवश्यक हुआ तो इस प्रश्न के ऊपर भी विचार किया जा सकता है कि हम कुछ पब्लिक मैन, जिनमें विधायक भी हो सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं उनकी कमेटी द्वारा किसी सर्वे सेण्टर के आधार पर सर्वे करा लें ताकि हमको पता लग जाए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सर्वे नहीं, जो कार्य हुए हैं पिछले बीस वर्षों में, उनकी आप सदन की किसी समिति से जांच करवाइए कि यह प्रोग्राम सफल रहे हैं या उनके क्या परिणाम निकले हैं ? यह आपके सामने आने चाहिए।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अभी मोटे रूप से आपका क्या अनुभव है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं रहे हैं। मेरा यह अनुभव है और आपका भी है। अरबों रूपये खर्च हुए हैं लेकिन जिस तरह की योजनायें बननी चाहिए थी और जितने इसके परिणाम जनता के सामने उसके हित में आने चाहिए थे उतने नहीं आये हैं।

श्री सम्पतराम : यह सत्य बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर खां।

श्री कुबेर खां (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस तरह से अपने प्रदेश में मरु विकास है, मांडा विकास योजना है, मेवात विकास बोर्ड है, क्या किसी खास स्कीम को या किसी जिले को या किसी बोर्ड को राज्य सरकार इस बार खतम करने जा रही है ? अगर खतम करने नहीं जा रही है तो क्या मेवात विकास बोर्ड में इस साल सरकार कुछ पैसा आवंटित करेगी, उन कार्यों के लिए जो अधूरे पड़े हैं या नये प्रपोजल्स आये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दहिया ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार मरु विकास कार्यक्रम का पुनरावलोकन करने का इरादा रखती है ? पंचायत समितियों की मांग के आधार पर कार्य को करवाने का कार्यक्रम बनायेगी, यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह जी विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, डी. पी. ए. पी. जिलों के अन्दर जो धनराशि केन्द्र सरकार से अलाट होती है उसकी जानकारी विधायक, सांसद और प्रधान को दी नहीं जाती है और वह पैसा खर्च कर देते हैं इसीलिए यह प्रोग्राम फैल हुए । बाकी प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम हैं । यह जो मरू विकास कार्यक्रम है इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो उस क्षेत्र के हित में नहीं है । लेकिन उसकी जानकारी समय पर जब यह पैसा अलाट होता है उस समय दो–तीन महीने पहले मीटिंग करके अगर यह पैसा किस मद में किस तरह से खर्च किया जाए, इस तरह की जानकारी अगर देते हैं तब तो इसका कोई उपयोग होगा । अप्रेल–मई में तो जाकर यह पैसा अलाट होता है, जून-जुलाई में मीटिंग बुलाते हैं उसके बाद दो–तीन महीने बचते हैं उस समय यह पैसा पूरा खर्च नहीं होकर 15–20 प्रतिशत ही पैसे खर्च होतेहैं और पूरे पैसे लैप्स हो जाते हैं । इसलिए जिस तरह से इस प्रोग्राम का उपयोग होना चाहिए, वह सही उपयोग नहीं हो पाता ।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम ।

श्री बिरदाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, इस मरू विकास के तहत नागौर जिले के अन्दर जो टांके बनाए गए हैं वह ज्यादातर बरसात में गिर पड़े हैं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों की यह मांग आई है कि जो यह टांके बन रहे हैं वह अपनी जमीन के अन्दर नहीं बनाकर के ऊपर टांके बनाए जा रहे हैं । क्या राज्य सरकार उस पर पुनरावलोकन करके उसको वापस जमीन के अन्दर नहीं बनाकर काश्तकार का खेत उसके ऊपर या ऊपर का टांका बनाने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न तो अलग है । अलग से पूछा जाता तो मैं इसका जवाब देता । जहां तक माननीय सदस्यों ने यह सवाल पूछा है कि यह तो अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सत्य बात है कि आज के दिन जो रकम, जिन–जिन कार्यक्रमों में जिस अनुपात में खर्च होनी चाहिए वह नहीं हो पाती । कोई न कोई कमी रह जाती है । जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, चिन्ता हमारी भी है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी दो सवालों का जवाब दे दीजिए । एक तो श्री विश्नोई जी ने यह पूछा है कि क्या इसकी जांच करवाएंगे ? दूसरा, उन्होंने यह पूछा है कि आप जब रुपये अलाट करते हैं तो उसकी जानकारी विधायकों को या जो सम्बन्धित लोग हैं उनको मिलती नहीं है इसलिए उनको जानकारी देने की कोई व्यवस्था हो ताकि खर्चा पूरा हो । वह भी देखें ।

श्री सम्पतराम : जिला अभिकरण को जो रुपया अलाट होता है भारत सरकार से हमारी स्टेट से, अब तो शत प्रतिशत भारत सरकार देती है। उस रुपये की इत्तला जब अभिकरण को दी जाती है और जिला प्रमुख भी होता है और भी कई माननीय सदस्य शायद उसके मेम्बर होते होंगे। वही एक एजेन्सी है जिसको खबर दी जाती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : करोड़ों रुपये जो हर साल देते हैं उसका उपयोग सही ढंग से नहीं होता है, तो वह आपकी जानकारी में होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह बताया ना कि जिला अभिकरण के सदस्य हैं आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : जो खर्चा करते हैं वह बता दें आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मरु विकास कार्यक्रम में जो पैसा खर्च होता है उसमें कुछ टारगेट्स दिये हुये हैं वन विकास में इतना, जल संसाधन में इतना, इसमें जो कुछ खर्च होता है उसका फिजिकल वैरिफिकेशन होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी ने यही तो बात कही थी।

श्री जितेन्द्र सिंह : दो करोड़ रुपये जो अन्य विविध कार्यों में खर्च हुये आप उसका विवरण सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह (प्रश्न संख्या 334)। (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)।

श्री विनोद कुमार।

उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता

511. **श्री विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) एवं **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता कब-कब से कौन-कौन कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिवक्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व कौन-कौन अधिवक्ता हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार डा. भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में किसी अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिवक्ता को राजस्थान उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री शान्ति लाल चपलोत) : (1) सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी अधिवक्ता कार्यरत नहीं है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(3) आवश्यकता पड़ने पर इस पर विचार किया जायेगा। अगर कोई भी

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिवक्ता मिल जायेगा उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने जो अपने उत्तर में सूची संलग्न की है उसके मुताबिक वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति का अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत नहीं है जबकि सभी जगह अनुसूचित जाति और जनजाति को प्राथमिकता दी जाती है। मैं मंत्रीजी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कोटा इस मामले में विशेष हैं इसलिए कोई बात नहीं कह सकता! इसमें लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी का भी प्रार्थना पत्र आयेगा तो हम उसको लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : अध्यक्षजी, अनुसूचित जाति का कोई भी अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। जोधपुर में तैयार है लोगों ने-कोशिश की लेकिन जान-बूझकर उनको नहीं लिया है। यह बात सही नहीं है कि कोई उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैं माननीय सदस्यों को और सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सदन के कोई भी माननीय सदस्य किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति का अधिवक्ता, जिसको इस पद पर नियुक्त किया जाना उचित है, की जानकारी देंगे तो सरकार निश्चित रूप से उसकी नियुक्ति का प्रयत्न करेगी।

श्री अमीन खां : मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री इन्द्रसिंह पूनिया। (प्रश्न संख्या 386) (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर जिले के क्षतिग्रस्त बांध

512. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में गत वर्षों में अतिवृष्टि के कारण पंचायतों के तालाब जो टूट गये थे, के सम्बन्ध में पंचायतों एवं पंचायत समितियों ने बांधों को पुन: बांधे जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये थे? यदि हां, तो क्या उक्त तालाबों की स्वीकृति दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार इन तालाबों को बांधने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) जी हां, जिला डूंगरपुर के जो तालाब

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

क्षतिग्रस्त हो गये थे उनकी मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

(2) जी हां। बहुत से तालाबों की मरम्मत तो करवा दी गई है, शेष का कार्य बरसात के बाद हाथ में लिया जायेगा।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने खण्ड 1 में यह उत्तर दिया है कि जो भी तालाब क्षतिग्रस्त हो गये थे उनकी स्वीकृति दे दी गई है। यह बिल्कुल असत्य है अगर सही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि चराटन फला वसी, पंचायत वसी, डगुना फला वसी, पंचायत वसी, समोता फला, कोलखंडा पंचायत कोलखंडा, केशरपुरा वसी पंचायत, मोदरा खदूरिया ग्रामदानी गांव, खजूरिया ग्रामदानी ग्राम, डूंगरपुर पंचायत समिति के तालाब हैं इनकी स्वीकृति दी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतवार अलग लिस्ट दी गई है। इसमें जिनमें स्वीकृति दी गई है और पंचायत समिति सीमलवाड़ा में 31 तालाबों के लिए 11 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

श्री नाथूराम अहारी : मैं जो बता रहा हूं उन तालाबों में से किसी की मंजूरी हुई। डूंगरपुर पंचायत समिति में ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : डूंगरपुर पंचायत समिति में 26 तालाबों के लिए 4.65 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

श्री नाथूराम अहारी : आपने किये होंगे लेकिन मैं जो बता रहा हूं उनमें से कोई एक भी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह तो वह तय करेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : मेरा प्रश्न यह है कि मंजूरी नहीं दी गई है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मैं पढ़ कर बता देता हूं। ददोडिया तालाब 20 हजार, पालीदरा तालाब 20 हजार, लोतारिया तालाब 20 हजार, न्याय तालाब 25 हजार, घोलकावाला तालाब 35 हजार, बिलीवासा तालाब 25 हजार, बादेला तालाब, 10 हजार, अनियां तालाब 25 हजार, विपला तालाब 15 हजार, रिजवावाला तालाब 10 हजार, मण्डावर वाला तालाब 10 हजार सामड़ी वाला तालाब 10 हजार, धमाला तालाब 10 हजार, दरावाला तालाब 15 हजार, हीरावाला तालाब 10 हजार, घाणी तालाब 50 हजार, गरडा तालाब 10 हजार, सुतारिया तालाब 10 हजार, ओमरियावाला तालाब 15 हजार, नारंगगिया तालाब 20 हजार, माताजी वाला तालाब 20 हजार।

श्री अध्यक्ष : आपके आये कि नहीं यह तो बताइये।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं आये। एक भी नहीं आया। आते तो मैं कहता ही क्यों ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : सतु तालाब 20 हजार, गंगनाला तालाब 20 हजार, हुडकी वाला तालाब 20 हजार, मुहुडा तालाब 20 हजार।

(20)

श्री अध्यक्ष : अब भी कोई नहीं आया।

श्री नाथूराम अहारी : उनमें से कोई नहीं आया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले की और उदयपुर डिवीजन की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहां की जमीन बिल्कुल ढलू है। पहाड़ों के बीच है। अगर थोड़ा-सा तालाब छोटा भी हो और पानी उसमें ज्यादा भर गया, टूट गया तो सारी की सारी जमीन बरबाद हो जाती है। प्रस्ताव देने के बावजूद भी इन तालाबों की स्वीकृति नहीं दी गई। उन्हें नहीं बांधा गया। इसमें जितनी जमीन पहाड़ी जमीन जो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। उस जमीन का सत्यानाश हो गया फिर अभी जो बरसात हुई इससे भी काफी नुकसान हुआ और आगे भी होने वाला है। मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि इन तालाबों की स्वीकृति, बरसात के बाद जितना हो गया, हो गया लेकिन आज भी इनकी स्वीकृति करके इन्हें बांधने की मन्शा रखते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरेलाल सिंह खर्रा : अध्यक्षजी, सदस्य लिस्ट देंगे तो उन पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट श्री प्रभुराम गरासिया।

थाना पिंडवाड़ा में दर्ज मामला

513. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री विजय सिंह पुत्र श्री विषमसिंह राव ग्राम बसंतगढ़ तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही की पत्नी श्रीमती कुसुम को 17 मार्च, 1990 को करीब 27 हजार रुपये के जेवरात व दो बच्चों के साथ देवा पुत्र गमना, रामा तथा उसकी मां ने फरार कर दिया ?

(2) क्या यह भी सही कि श्री विजय सिंह ने पुलिस थाना पिंडवाड़ा में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई ? यदि हां, तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद श्रीमती कुसुम को बरामद क्यों नहीं किया और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) सरकार श्रीमती कुसुम को कब तक मय जेवरात बरामद कर उसके पति को सौंप देगी ?

एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सम्पतराम): (1) यह सही है कि श्री विजयसिंह पुत्र बिरमदेव राव निवासी बसन्तगढ़ थाना सरूपगंज जिला सिरोही की पत्नि कुसुम उसका लड़का श्रवण उम्र करीब 8 वर्ष व लड़की मीना उम्र करीब 6 वर्ष दिनांक 17.3.90 से बसंतगढ़ से लापता है जिनके सम्बन्ध में दिनांक 19.3.90 को श्री विजयसिंह उर्फ चम्पालाल ने गुमशुदा की रिपोर्ट थाना पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में दर्ज करवाई थी। दिनांक 7.4.90 को श्री विजयसिंह ने पिण्डवाड़ा थाने पर लिखित में रिपोर्ट पेश की कि कुसुम घर से दो हजार रुपये व गहने भी लेकर गई है जिनकी कुल कीमत उसने नहीं बताई। उसने अपनी रिपोर्ट में देवाराम पुत्र गमना

(श्री सम्पत राम)

भील साकिन बसन्तगढ़ व सरूपगंज के इब्राहिम खां मकरानी ने मिल कर बहला फुसला कर उसकी औरत को मय गहनों के फरार करने का सन्देह किया था। जिस पर पिंडवाड़ा थाने में मुकदमा नं. 53/90 दिनांक 7.4.90 धारा 366, 380 भा. दं. सं. मे दर्ज किया गया। घटना थाना सरूपगंज के क्षेत्राधिकार की होने से मुकदमें की प्रथम सूचना अनुसंधान हेतु थाना सरूपगंज भेज दी गई। अनुसंधान सभी सम्बन्धित लोगों से किया गया। सिरोही जिले में विभिन्न स्थानों पर व गुजरात में भी कुसुम व उसके बच्चों की तलाश की गई किन्तु कहीं कोई पता नहीं चला।

(2) श्री विजय सिंह ने पुलिस थाना पिंडवाड़ा में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर मुकदमा नं. 53/90 दिनांक 7.4.90 धारा 366, 380 भा. दं. सं. में दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् कुसुम की तलाश हेतु अथक प्रयत्न किये। उसकी सिरोही जिले व गुजरात में भी तलाश की गई। किन्तु कुसुम का कहीं कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस कुसुम की तलाश हेतु भरसक प्रयत्न कर रही है।

(3) अनुसंधान अभी जारी है।

श्री प्रभुराम गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवाराम गमनाजी भील साकिन बसन्तगढ़ व सरूपगंज के इब्राहीम खां मकरानी इसको बहला-फुसला कर ले गये। इनके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी। मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाओ।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को मैंने काफी डिटेल में देखा है और स्थानीय पुलिस से भी यह जानकारी करने की कोशिश की गई है कि यह औरत अब तक बरामद क्यों नहीं हुई ? कारण यह है कि आपस में जहां रिश्ता हुआ है उन दोनों का, बिरमदेव का, इसका जो साला है वह उसका बहनोई भी है और दूसरा जो मुकदमा दायर करता है वह भी उसका साला है। इसकी बहिन उसको ब्याही, उसकी बहिन इसको ब्याही है। इनके आपस में झगड़े हैं। 6 साल से वह लड़की गई नहीं। काफी तलाश की लेकिन वह लापता है। आपने जिन-जिन नामों का संकेत दिया है इनके अलावा और भी बहुत से नाम हैं। लेकिन यह सारी तफ्तीश मैंने देखी है, सारी मेरे पास है, सारी मैंने जानकारी की है। कहीं ऐसा मालूम होता है कि बजाय उसको फुसला कर ले जाने के यह ही किसी को फुसलाकर नहीं ले गई हो। ऐसा कण्डक्ट इनका प्रिवियस रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं का मामला

22

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है। हंसने की बात नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि रिपोर्ट नामजद दर्ज की गई है, मन्त्री महोदय ने माना है तो मैं चाहूंगी कि उस बेवा और मकराणी के खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? दूसरा, मेरा यह कहना है कि इस मामले में सरकार को गुमराह किया जा रहा है। वहां के डीवाई. एस. पी. जानबूझकर मामले को ढील दे रहे हैं। वहां के लोगों को पूरा विश्वास है कि विजयसिंह की पत्नि एवं बच्चों को राजस्थान की सीमा पार गुजरात में या तो छिपा कर रखा है या उन्हें बेच दिया गया है। मैं सरकार से चाहूंगी कि कुसुम और उनके बच्चों को ढूंढकर लाने की कोई पुख्ता व्यवस्था करने का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि यह नाम से रिपोर्ट दर्ज हुई है। यह मैंने कहीं कबूल नहीं किया कि मुल्जिम हैं। मुल्जिम हैं, लेकिन जब तक वह औरत बरामद नहीं होती है तब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : महिलाओं का मामला है, महिलायें बोलेंगी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : जब उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है उनके बारे में क्या कार्यवाही की, वह कहां हैं, उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं श्रीमती तारा भण्डारी और श्रीमती उजला अरोड़ा आप से ज्यादा सक्षम है। वह आपसे ज्यादा सक्षम है। (व्यवधान) उन्हें वकालत करने की जरूरत नहीं है। वह आप से भी ज्यादा सक्षम है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, दोनों ही अपराधी खुले घूम रहे हैं। बार-बार एस. पी., डीवाई. एस. पी. और प्रशासन से मिल रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि इनको रिमाण्ड पर लेओ और इनकी जांच करो। प्रशासन ढील दे रहा है, पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्रीमती उजला अरोड़ा, अब थोड़ा उनको बोलने दीजिये। हां, आप बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की जो मानसिकता बना दी गई है महिलाओं की स्थिति के बारे में—

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : माननीय सदस्या का कहना है कि प्रशासन जो है वह दुशासन होता जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने कहा, यह पुलिस की मानसिकता को जाहिर करता है, उन्होंने कहा कि कहीं वह तो किसी को भगाकर नहीं ले गई। मैं समझती हूं कि इस तरह से एक महिला की परेशानी को सही रूप से न समझकर आप गलत ढंग से उसको यहां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्याख्यायित कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि तात्कालिक रूप से पुलिस को निर्देश करें कि वह महिला को वापस लायें और नामजद रिपोर्ट की गई है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। माननीय मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि वह अपने नजरिये को बदलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही आपसे निवेदन किया कि इसमें इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर भी एक से अधिक बदले जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आप किसी भी तरह से महिलाओं को अपने जवाब से सन्तुष्ट करिये।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, हर महिला तो सन्तुष्ट होती नहीं है, जो सन्तुष्ट होना चाहे, हो जाय, नहीं हो, नहीं हो। लेकिन मैं राज्य सरकार की तरफ से यह पूर्ण कोशिश करूंगा इसको बरामद करने की....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई जवाब नहीं है।

श्री सम्पत राम : कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह कह रही हैं कि नामजद मुल्जिम घूम रहे हैं उनके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री सम्पत राम : यह बिल्कुल सही बात नहीं है जिनकी आपस में नाराजगी है सुनिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं सरकार से यह चाहूंगी कि एक सप्ताह के अन्दर, यह आश्वासन दें और जवाब दें कि जल्दी से जल्दी उसको बरामद किया जायगा। यह मन्त्री महोदय का कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आश्वासन दे दो आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह कोई जवाब है क्या मन्त्री महोदय का? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो हमारे बारे में मजाक उड़ाई उन शब्दों को वापस लें कम से कम। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, दो बात की व्यवस्था की जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महिलाओं के सम्बन्ध में जो शब्द कहे उन शब्दों को वापस लें।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह व्यवस्था की जाय कि जो नामजद आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके रिमाण्ड पर लिया जाय और विजयसिंह की पत्नी को ढूंढने की पुख्ता कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। महिलाओं के बीच आपको अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, ऐसा जाहिर होता हैं कि माननीय सदस्यगण इस मामले में काफी चिन्तित हैं, मैं भी उनसे ज्यादा चिन्तित हूं : (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये प्लीज । श्रीमती उजलाजी अब आप सुनिये ।

श्री सम्पत राम : आप किसी अधिकारी का नाम बता दें, मैं यह जांच उनको दे दूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलये ठीक है । नेक्स्ट श्री मांगीलाल मेघवाल ।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : इनको कैसे दे देंगे जांच, यह तो आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्रीजी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह जांच थानवी साहब को दे दीजिये, मैं नाम बताती हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बता देना नाम । (व्यवधान) श्रीमती उजलाजी, बैठिये आप

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह जांच थानवी साहब को दे दीजिये ।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सन्तुष्ट हैं क्या ? नाम बता दें और यह जांच दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : हां, कर देंगे । हाउस में आश्वासन दिया है इसलिए मैं सन्तुष्ट हूं ।

श्री जगमालसिंह यादव : क्या नाम बतायेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलाओं को गैर जिम्मेदार समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मांगीलाल मेघवाल ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-7-90)

बून्दी जिले में पैकेज आफ प्रोग्राम से सुविधायें

200. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बून्दी जिले में पैकेज आफ प्रोग्राम के तहत नवयुवकों एवं युवतियों को प्रशिक्षण, अनुदान एवं ऋण सुविधा मुहैया करवाई गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 व 1989-90 में कहां-कहां पर किन-किन को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ? सूची मयनाम पिता, स्थान, कार्य का प्रकार एवं देय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रोग्राम के तहत कापरेन नगर में पिछले पांच वर्षों में वर्षवार किन-किन को क्या-क्या सुविधायें प्रदान करवाई गई ? सूची वर्ष वार नाम, पिता, जाति, देयराशि, प्रशिक्षण का प्रकार सहित सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दनलाल मिगलानी) : (1) राजस्थान अनुसूचित

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

जाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित पैकेज आफ प्रोग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के नवयुवकों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगम के द्वारा अनुदान एवं बैंकों के द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बून्दी जिले में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की सूची नगरपालिकावार मय पिता का नाम, जाति उद्देश्य, अनुदान तथा ऋण की राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मांगीलाल मेघवाल : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, मैंने विशेषकर कापरेन के बारे में पूछा है इसमें जो बून्दी जिले के आंकड़े हैं–बून्दी में 88-89 में 39 लोग, 89-90 में 51 लोग, लाखेरी में 88-89 में 24, 89-90 में 28, नैनवा में 39 और 34। इसी क्रम में 85-86, 86-87 और 87-88 के कापरेन नगर में 27 और 20, उसके बाद में न जाने कौनसा अधिकारी वहां कापरेन में बिठा रखा है जो जानकर ऐसे लोगों का, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि इनको सरकार बाध्य करे। ऐसे बैंक के मैनेजर जो जानबूझकर गरीब लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं और उनको पीड़ित कर रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोन दिया जाय और उनको सहूलियत दी जाय, यही मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। आश्वासन दें।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी त्रुटि कहीं बैंक द्वारा या अधिकारियों द्वारा पाई जाती है उसके लिए माननीय सदस्य जो भी जानकारी देंगे उस पर पूरी तरह विचार करके उसको पूरा किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जितने चयनित लोगों के फार्म लिये गये उनके टारगेट पूरे नहीं किये गये क्या टारगेट पूरे नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। जरा व्यवस्था सुन लीजिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आपने किनारे लाकर लटका दिया।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूं, 12 बज गई।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले भी आपने 201 स्थगित किया था।

(26)

श्री अध्यक्ष : मैं तो बहुत जल्दी कर रहा था मगर यह महिलायें बीच में आ गई, मैं क्या करूंगा (व्यवधान) आप बैठिये ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-7-90)

राहत कार्यों के ठेके में अनियमितता

334. **श्री मनोहर सिंह इन्दा** (शेरगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सी. डी. देवल के विरुद्ध विभाग में अकाल राहत कार्यों के ठेके में घपले करने की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) इस मामले में जांच करवाई गई थी । जांच में आक्षेप सिद्ध नहीं पाए गए ।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–5 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-7-90)

गिरदावर एवं पटवारियों की मुख्यालयों पर उपस्थिति

368. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि गिरदावरी एवं पटवारी अपने-अपने हल्कों में मुख्यालयों पर ही जनता को मिलेंगे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की पूर्णतः पालना होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या चूरू जिले में सक्षम अधिकारियों द्वारा वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि में उक्त कर्मचारियों के मुख्यालयों का कभी निरीक्षण किया ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी ने कब-कब ? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्यालय छोड़ने अथवा अनुपस्थित रहने की कोई शिकायत उक्त अवधि के दौरान जिलाधीश चूरू को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार भविष्य में चूरू जिले के जिलाधीश को स्पष्ट निर्देश जारी करेगी कि उक्त कर्मचारी मुख्यालयों पर ही जनता को उपलब्ध हों ?

उत्तर

(1) जी, हां । गिरदावर तथा पटवारियों के लिये अपने अपने हल्कों में मुख्यालय

(राजस्व मंत्री)

पर ही रहने के स्पष्ट निर्देश है। किन्तु राजकीय कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति से मुख्यालय छोड सकते है। सामान्यतया इन आदेशों की पालना होती है।

(2) जी, हां। चूरू जिले से सक्षम अधिकारियों द्वारा वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि में गिरदावरों एवं पटवारियों के मुख्यालयों का जो निरीक्षण किया गया है उसका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन बहुत अधिक संख्या में होने के कारण प्रतियां तैयार नहीं किए जा सके है।

(3) जी, हां। उक्त अवधि में जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्यालय छोडने या अनुपस्थित रहने के मामले ध्यान में आये है उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) जी, हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति

898. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय एवं जयपुर शहर के अन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत कितने छात्रों को वर्ष 1980-81 से अब तक कितनी-कितनी राशि छात्रावास को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई ? वर्षवार कालेजों के छात्रों की सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) छात्रावास की छात्रवृत्ति किस आधार पर दी जाती थी ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में भी सभी छात्रों को छात्रावास की छात्रवृत्ति दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में छात्रावास की छात्रवृत्ति या छात्रावासों में नहीं रहने वाले छात्रों को इस एवज में कुछ राशि देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) छात्रों की वर्षवार संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार के आदेशों के सम्बन्धित उद्धरण परिशिष्ट-2 संलग्न हैं।

(3) जिन छात्रों के आवेदन-पत्र उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं, उन सभी छात्रों को छात्रावास की छात्रवृति दी जा रही हैं।

(4) यह छात्रवृति भारत सरकार के द्वारा विनियमित नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। जब तक उनमें संशोधन भारत सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, तब तक छात्रावासों में नहीं रहने वाले छात्रों को इस एवज में कोई राशि नहीं दी जा सकती।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम सभा अनादरा सिरोही द्वारा भूमि का बेचान

899. **श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्राम सभा अनादरा सिरोही को कृषि भूमि एवं आबादी भूमि के बेचान आदि के अधिकार दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(2) यदि हां, तो इन भूमियों के रजिस्ट्रेशन की ऑडिट करने हेतु पंजीयन विभाग सक्षम है ? यदि हां, तो सिरोही जिले की अनादरा ग्राम सभा के पंजीयन संबंधी कार्य की कितनी बार ऑडिट की गई ? ऑडिट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की ऑडिट कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ग्राम सभा अध्यक्षों को पंजीयन सबंधी अधिकार हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की अनियमितता करने वाले अध्यक्ष के विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सिरोही जिले के अनादरा ग्रामदानी ग्राम को ग्रामदान से बाहर करने हेतु कार्यवाही लम्बे समय से लम्बित है ? यदि हां, तो कब से और क्यो ?

(6) क्या यह सही है कि नियमों में ग्रामदानी ग्राम से बाहर करने हेतु 50 प्रतिशत से अधिक दावेदारों द्वारा विकल्प देने पर ग्रामदानी ग्राम से बाहर करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो एसे ग्रामदानी ग्रामों को बाहर करने हेतु दावेदारों की जांच करने की सूची कौन उपलब्ध कराता है ?

(7) क्या ग्रामदानी ग्रामों में अध्यक्षों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की रोकथाम हेतु सरकार कोई ठोस कदम उठा रही हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(8) क्या सरकार इन ग्रामों में प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी, नहीं राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 के तहत ग्रामदान व्यवस्था बनायी गयी है तथा इसके ऑडिट का कार्य ग्राम सभा द्वारा कराया जाता है।

(4) जी, नहीं। किसी भी प्रकार की अनियमितता करने पर अध्यक्ष ग्राम सभा के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ग्रामसभा को है।

(5) जी, हां। ग्रामदानी ग्राम अनादरा को ग्रामदान से बाहर करने हेतु दिनांक 15-1-86 से कार्यवाही विचाराधीन है उप खण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा जांच की जा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(6) जी, हां। राजस्थान ग्रामसभा अधिनियम 1971, की धारा 37 (क) के तहत जांच की जाती है तथा कलक्टर के यहां विकल्प पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।

(7) राज्य सरकार के ध्यान में मामला आने पर कार्यवाही की जा सकती है।

(8) जी नहीं।

प्री. आर. ए. एस. परीक्षा

900. **श्री सांवर लाल (भिनाय):** क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस वर्ष की आर. ए. एस. प्रीलिमिनरी प्ररीक्षा समय पर करवाई जा रही है? क्या गत वर्ष के परीक्षा परिणाम नहीं आने से इस परीक्षा में देरी की सम्भावना है?

(2) क्या सरकार आर. ए. एस. में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के बारे में सोच रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा माह जुलाई, 1990 में आयोजित की जानी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से अब यह परीक्षा सितम्बर, 90 में लिये जाने की सम्भावना है। गत वर्ष की परीक्षा के परिणाम नहीं आना इस परीक्षा में देरी का कारण नहीं है।

(2) यह नीतिगत प्रश्न है जो राज्य सरकार के ध्यान में है।

जयपुर जिले में देवस्थान के मंदिर

901. **श्री राम किशोर सैनी (बांदीकुई):** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में कौन-कौन से मंदिर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल कितने मन्दिर हैं जिनमें से कितनों का ट्रस्ट कायम है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में देवस्थान विभाग, द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के अन्तर्गत राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी एवं राजकीय आत्मा निर्भर श्रेणी के मंदिर है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार, सुपुर्दगी श्रेणी एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के कोई मंदिर नहीं है। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व सिकराय के पंजीकृत ट्रस्टस की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपलाद (परबतसर) में पशु चिकित्सालय

902. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव पीपलाद तहसील परबतसर जिला नागौर में पशु चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पीपलाद ग्राम पंचायत मुख्यालय है एवं चारों ओर छोटे-छोटे गांवों एवं ढाणियों में पशु संख्या काफी मात्रा में है जबकि पशु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सा हेतु पीपलाद की जनता को 10–12 किलोमीटर दूर परबतसर जाकर पशु चिकित्सा करानी पड़ती है अथवा परबतसर जाकर डाक्टर/कम्पाउण्डर को बुलाकर लाना पड़ता है जिससे जनता का समय और धन दोनों ही खर्च होते हैं तथा कई बार तो चिकित्सा के अभाव में पशु मर जाते हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार पशु संख्या और जनता की सुविधा हेतु गांव पीपलाद में पशु उप चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांव पीपलाद तहसील परबतसर जिला नागौर में पृथक से पशु चिकित्सा संस्था नहीं है ।

(2) ग्राम पीपलाद पंचायत मुख्यालय हैं, आस-पास के छोटे गांव व ढाणियों की पशु संख्या पृथक से उपलब्ध नहीं है । प्रश्न के प्रथम भाग में उत्तर आ गया है ।

(3) जी नहीं, पीपलाद से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अजमेर जिले (किशनगढ़ तहसील) का पशु चिकित्सालय करकेड़ी स्थित है । यह सही नहीं है कि चिकित्सा के अभाव में पशु मरे हैं । विभाग की जानकारी में पशु मरने की सूचना नहीं हैं ।

(4) इस वर्ष अभी नवीन पशु संस्था खोलने का प्रस्ताव इस वर्ष के योजना में विचाराधीन नहीं है ।

खटकड़ (बून्दी) में मूर्ति की चोरी

903. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के गेन्डोली पुलिस थाना क्षेत्र में खटकड़ स्थित श्री धूधलेश्वर महादेव की विशाल चमत्कारी मूर्ति चोरी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त चोरी की जांच गुप्तचर विभाग शाखा द्वारा करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस चोरी प्रकरण में बून्दी स्थित सर्किट हाऊस में दो दिन आगे एवं पीछे के दिनों में रुके विदेशी, अधिकारी राजनैतिक एवं अन्य व्यक्तियों के बारे में विभाग ने जानकारी की थी ? यदि हां, तो इन दिनों में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(पांचों की तिथियों को) मय नाम पद सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि नहीं, तो क्यों ? इसके क्या कारण रहे ? क्या भविष्य में इस पर कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्थानीय ग्रामवासियों ने अपने बयानों में बताया है कि उक्त चोरी के एक दो दिन पहले इस मन्दिर पर एक स्थानीय राजनेता पूर्व में रहे अधिकारी एवं एक विदेशी व्यक्ति को देखा गया था एवं रात्रि विश्राम भी किया था ? यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें। ये कौन व्यक्ति थे ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 10-7-87 को श्री घुघलेश्वर महादेव की मूर्ति चोरी गई थी।

(2) जी हां। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। चोरी प्रकरण में बून्दी स्थित सर्किट हाऊस में दो दिन आगे एवं पीछे रुके विदेशी, अधिकारी, राजनैतिक एवं अन्य व्यक्तियों के बारे में विभाग ने कोई जानकारी नहीं ली थी। खटकड़ स्थित आश्रम में जो 5 व्यक्ति रुके थे, उसकी सूची संलग्न है।

(4) उक्त प्रकरण में राज्य अपराध शाखा द्वारा बाद अन्वेषण दिनांक 18-4-90 को अन्तिम प्रतिवेदन (अदम पता) दिया जा चुका है। अगर कोई महत्वपूर्ण सुराग चोरी के बारे में लगेगा तो मामला पुनः खोला जावेगा।

(5) जी हां। उन व्यक्तियों से अनुसंधान किया गया मगर मूर्ति चोरी के बारे में कोई पता नहीं चल सका। व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट—7 देखें)

पंचायत समिति आमेर/झोटवाड़ा में समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम

904. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर द्वारा अनुदानित कौन-कौन सी संस्थाओं के कौन-कौन से कार्यक्रम पंचायत समिति, आमेर एवं झोटवाड़ा क्षेत्र में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कार्यक्रमों को चलाने में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का कोई सहयोग लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बोर्ड ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जो केवल कागजों में कार्यक्रम चलाकर वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रही है ?

(श्री गोपीराम जाट)

(4) क्या यह भी सही है कि बोर्ड द्वारा अनुदानित बहुत सी संस्थाओं ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर द्वारा ट्राईसम योजना अन्तर्गत जो अनियमिततायें हुई है उसमें भी अनुदान प्राप्त किया था ?

(5) क्या बोर्ड ऐसी अनुदानित संस्थाओं के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से संस्था के कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लेती है और बगैर कार्यक्रम चलाये ही अनुदान की राशि बोर्ड द्वारा प्राप्त कर ली जाती है ?

(6) बोर्ड द्वारा जो ऋण/अनुदान उक्त संस्थाओं को प्रदान किया गया है और जो क्रियाशील नहीं है, उसे वसूल करने हेतु बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति आमेर एवं कोटपुतली क्षेत्र में राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :—

1. प्रौढ़ महिलाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

2. बाल अवकाश शिविर

3. वार्षिक अनुदान कार्यक्रम

4. पोषाहार कार्यक्रम

5. शिशु पालना गृह कार्यक्रम

6. सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम एवं डैयरी योजना

7. निर्धन एवं ग्रामीण महिला जागरूकता प्रसार योजना

(स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची संलग्न है।)

(2) जी नहीं। केन्द्रीय बोर्ड से प्रायोजित अनुदानित कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल कागजों पर कार्यक्रम चला रही किसी भी संस्था को बोर्ड द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(4) जी हां। निम्न छः संस्थाओं ने जो ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के ट्राईसम के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया था के बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदानित थी :—

1. नेशनल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल, 196–रामकालोनी, हसनपुरा, जयपुर

2. अनिल पूर्व प्रवेशिका संस्कृत बाल विद्यालय समिति, एन. बी. सी. के सामने, हटवाड़ा, हसनपुरा, जयपुर

3. मंजुला शिक्षा समिति, पांच-सन्तोष सागर, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

4. जनता एकेडमी समिति, 79–इन्द्रपुरी कालोनी, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

5. योगेश बाल शिक्षा समिति, सन्तोष नगर, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर

6. नरेन्द्र मान्टेश्वरी शिक्षा समिति, निमोद (जिला नागौर)

(5) बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुदानित संस्थाओं के कार्यक्रम की रिपोर्ट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा बिना

(समाज कल्याण मन्त्री)

कार्यक्रम संचालन के बोर्ड द्वारा किसी संस्था को अनुदान नहीं दिया जाता है।

(6) बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार दिये गये ऋण/अनुदान को वापिस लौटाने हेतु बोर्ड द्वारा उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सरपंच पीपसीया (घरियावद) द्वारा पौध-रोपण

905. **श्री नारायण लाल** (लसाडिया): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में घरियावद तहसील के पीपसीया ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आराजी नं. 741 की चरागाह भूमि पर लगाये गये प्लान्टेशन में कितने पौधे लगाये गये हैं ?

(2) उक्त भूमि पर खाई खोद खड्डे खोद कर पौधे लगाने में ग्राम पंचायत पीपसीया द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) ग्राम पीपसीया के ही कतिपय लोगों द्वारा वहां के वर्तमान सरपंच एवं हल्का पटवारी की मिलीभगत से उक्त प्लांटेशन नष्ट करने की जनता की शिकायत पर जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार घरियावद् से कराई गई जांच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये एवं उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) घरियावद तहसील के पिपसिया ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आ. न. 741 की चरागाह भूमि पर लगाये गये प्लान्टेशन पर कुल 17000 पौधे लगाये गये।

(2) उक्त भूमि पर खड्डे खोदकर पौधे लगाने एवं चारों तरफ ट्रेन्च खोदने पर ग्राम पंचायत पिपसिया द्वारा कुल 66391/– रु. की राशि व्यय की गई थी।

(3) नायब तहसीलदार घरियावद की जांच रिपोर्ट के अनुसार मोजा पिपसिया की चारागाह आराजी नं. 741 में श्री धूलिया पिता लालिया मागा, जगमत पिता कालू मीणा को दोषी पाया गया जिनके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है।

मालगांव (सिरोही) में भू-अतिक्रमण

906. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों की आबादी हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्तावानुसार मांग करने पर भूमि आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(2) क्या ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिए बिना अवैध कब्जे की भूमि निःशुल्क आवंटित की जा सकती है ? यदि नहीं, तो ऐसी अवैध कब्जे शुदा भूमि को निःशुल्क आवंटन कर राजस्व आय का नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(3) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के मालगांव में गत दो वर्ष पूर्व आबादी प्रयोजनार्थ ऐसी भूमि एस. डी. ओ. सिरोही द्वारा सशर्त आवंटित की गई थी, उक्त भूमि एस. सी./एस. टी, एवं गरीब तबके के व्यक्ति को आवंटित की जायेगी ? यदि हां, तो कब एवं किन-किन व्यक्तियों को की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ऐसी भूमि पूर्व सरपंच ने स्वयं अपने एव अपने चहेते व्यक्तियों के नाम आवंटित करदी ? यदि हां, तो ऐसे अवैध पट्टे जारी करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इन पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उनकी मांग के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 सपठित धारा 102ए के तहत भूमि का आवंटन किया जाता है।

(2) जी. नहीं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना अवैध कब्जे की भूमि निःशुल्क आवंटन नहीं की जाती है यदि किसी अवैध कब्जे शुदा भूमि को निःशुल्क आवंटन करने पर राजस्व आय का नुकसान होता है तो ऐसे सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, हां।.सिरोही जिले के "माल-गाव" में गत दो वर्ष पूर्व आबादी प्रयोजनार्थ मौजों मालगांव के ग्रा. ख. न. 54 कुल रकबा 7.17 बीघा किस्म आखरी भूमि में से 2.17 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या स्टेनों/88/1403 दिनांक 2–5–88 द्वारा सशर्त आवंटित की गई थी उक्त भूमि का आवंटन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेघरबार लोगों को नियमानुसार किया जावेगा, जिसमें अ. जा./जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी। परन्तु ग्राम पंचायत ने इस ख. नं. में किसी भी अ. जा./जनजाति व अन्य गरीब व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया।

(4) जी, हां। इस मामले में कोई अधिकारी वर्ग दोषी नहीं है। बल्कि श्री भैरमल पूर्व सरपंच स्वयं दोषी है। पूर्व सरपंच द्वारा जारी पट्टे पंचायत अधिनियम धारा 21(8) के विपरीत जारी होने से की इस मामले में पट्टे निरस्तीकरण हेतु रिवीजन/निगरानी पेश करने के लिये आदेश/निर्देश जारी कर दिये हैं।

डूंगरपुर थाने के ए. एस. आई. द्वारा बलात्कार

907. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में डूंगरपुर थाने के ए. एस. आई. मानसिह द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रकरण प्रकाश में आया ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई ?

(2) यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(3) यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अब कब तक उक्त कार्यवाही कर दोषी के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अपराध संख्या 82/90 धारा 366, 342, 376 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध का अनुसंधान जारी है।

(3) अपराध पंजीबद्ध हो चुका है और अन्वेषणाधीन है। अनुसंधान के नतीजे के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

मानटाऊन सवाई माधोपुर में आन्दोलनकारियों पर मुकदमे

908. **श्रीअमृतलाल (बाली)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर में 30 अगस्त, 1989 को आन्दोलनकारियों पर कितने मुकदमे थाना मानटाऊन में दर्ज हुये थे तथा उन मुकदमों की क्या स्थिति है ?

(2) क्या तत्कालीन सरकार ने 30 अगस्त, 1989 को भारतबंद आन्दोलन के मुकदमों को वापिस लेने का निर्णय लिया था ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान सरकार उक्त मुकदमों को वापिस लेने की इच्छुक है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सीमेन्ट फैक्ट्री आन्दोलन के दौरान सन् 1988-89 में सवाई माधोपुर जिले व जयपुर में आन्दोलनकारियों के विरुद्ध कितने मुकदमे बने तथा उनकी क्या स्थिति है ?

(4) क्या सरकार सीमेन्ट फैक्ट्री आन्दोलन के दौरान के सन् 1988-89 में बने जिला सवाई माधोपुर व जयपुर थानों में बने मुकदमों को वापिस लेना चाहती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर में दिनांक 30-8-89 को आन्दोलनकारियों पर कुल 2 मुकदमें थाना मान टाऊन में दर्ज हुए, दोनों ही मुकदमों का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं। वापिस लेने के संबंध में मुकदमों की प्रकृति एवं गुण-अवगुणता के आधार पर राज्य सरकार जिला कलेक्टरों की सिफारिश के अनुसार शीघ्र ही निर्णय लेगी।

(3) सीमेन्ट फैक्ट्री के आन्दोलन के दौरान कुल मुकदमें निम्न प्रकार दर्ज हुए—
जिला जयपुर—3 जिला सवाई माधोपुर—2

उक्त मुकदमों की स्थिति निम्न प्रकार है—

जिला जयपुर—तीनों ही मुकदमें न्यायालय में वास्ते तलबी मुल्जिमान हेतु विचाराधीन हैं।

जिला सवाई माधोपुर—1. बाद अन्वेषण मुकदमें का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन हैं।

कुल 74 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें से 46 के विरुद्ध चालान पेश किया गया है जो न्यायालय में

(श्री गृहमंत्री)

विचाराधीन हैं तथा शेष 28 अभियुक्तों के विरुद्ध 173(8) प्र. सं. की कार्यवाही की जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर एवं दर्ज मुकदमों की प्रकृति एव गुण–अवगुणता के आधार पर राज्य सरकार इन मुकदमों को वापिस लेने के संबंध में निर्णय लेंगी।

कम्प्यूटर आपरेटर के पद

909. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24–9–1989 को आज्ञा सं. एफ., 44(42) प्लान/कम्प/89 के द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये? मय नाम सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों हेतु जो साक्षात्कार लिए गए उनके चयन में धांधलियां हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धांधलियों की जांच करायेगी?

(3) उक्त पदों हेतु कितने रिक्त पदों की पूर्ति की गई एवं चयनित व्यक्तियों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में अब कम्प्यूटर आपरेटर के विभाग में कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें अब कब तक भरा जायेगा?

(5) क्या भविष्य में नये पदों का सृजन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विभाग की आज्ञा सं. 44 (42) प्लान/कम्प्यूटर/89 दिनांक 24-6-89 द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। कुल 566 व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। नाम सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त पदों हेतु 20 रिक्त पदों की पूर्ति की गई एवं चयनित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(4) वर्तमान में कम्प्यूटर आपरेटर के विभिन्न विभाग के 12 पद (6 अनु. जाति एवं 6 अनु. जन जाति) के रिक्त हैं। उक्त पदों के भरने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(5) नये पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग की मंजूरी पर आवश्यकता अनुसार समय-समय पर किया जाता है अतः इस स्थिति में आवेदन पत्र कब तक आमंत्रित किये जावेगे। इसकी अवधि बताना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलादीन इंस्टेंट लाटरी

910. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या स्टेट लाटरीज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अल्लादीन इंस्टेंट लाटरी का भण्डाफोड़ पत्रकार महेश झालानी ने किया था ? यदि हां, तो इसके बाद राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा किसे दोषी माना ?

(2) इस भण्डाफोड़ के बाद भी क्या राज्य में दीगर राज्यों की इस्टेंट लाटरियां बिक रही हैं ? यदि हां, तो उनको प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

अल्लादीन इन्स्टेन्ट लाटरी के प्रथम ड्रा के समय श्री महेश झालानी अल्लादीन इन्स्टेंट लाटरी के टिकिट लेकर आये तथा ड्रा हेतु निर्णायक समिति के सदस्यों को शिकायत की कि टिकिट के नम्बर जो कि रसायन से ढके हुए होते हैं टिकिट के पीछे की तरफ से पढ़े जा सकते हैं जिससे बेईमानी होने का अंदेशा है । इस शिकायत से निर्णायक समिति के सदस्य सहमत नहीं हुए क्योंकि इन टिकटों की ड्रा से पहिले ही श्रीराम इन्स्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च देहली से जांच हो चुकी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट से भी यही तथ्य सामने था कि लाटरी टिकिटों पर अंकित नम्बर नहीं दिख रहे थे एवं कोटिंग लगे नम्बर बिना कोटिंग हटाये नहीं पढ़े जा सकते थे ।

(2) इस समय राजस्थान में अन्य राज्यों की हीरा–पन्ना इन्स्टेंट विजयलक्ष्मी इन्स्टेंट, भूटान इन्स्टेंट आदि लाटरियां चल रही है । भारत के संविधान के तहत व्यापार एवं माल का स्वतन्त्र आदान-प्रदान करने का सबको अधिकार है एवं इसी अधिकार के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में भी व्यापार किया जाता है व माल भेजा जाता है । यदि राजस्थान सरकार अन्य राज्यों के लाटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दे तो इसके फलस्वरूप राजस्थान राज्य की लाटरी के टिकटों की बिक्री पर भी अन्य राज्यों में प्रतिबन्ध लगाने की सम्भावना हो जाती है ।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार दूसरे राज्यों की इन्स्टेंट लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल विचार नहीं करती ।

बस्सी तहसील में सवर्णों द्वारा भू-अतिक्रमण

911. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर जिले की बस्सी तहसील में स्वर्णकारों ने अनुसूचित जनजाति की काश्त की जमीनों पर अनुचित तरीके से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किन-किन की जमीनों पर काबिज काश्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम दयालपुरा में ख. नं. 38 पर जो अनुसूचित जाति की खातेदारी में है लेकिन सवर्ण जाति के लोग बलपूर्वक उक्त कृषक खातेदार को जोतने नहीं देते ? यदि हां तो उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि ख. नं. 38 पर ए. डी. जे. अजमेर के निकटतम

(श्री दयाराम परमार)

परिवार का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार बस्सी तहसील के अनुसूचित जाति के कृषकों के हितों की रक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक उन्हें उनकी भूमि पर कब्जा दिला देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खातेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का भूमि पर कब्जा होने की जानकारी का श्रोत खसरा गिरदावरी है किन्तु खसरा गिरदावरी में वर्तमान काश्त करने वाले कृषक का नाम नहीं लिखा जाता, जिससे यह जानकारी नहीं है कि तहसील बस्सी जिला जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने अनुचित तरीके से कब्जा कर रखा है।

(2) यह सही है कि ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के ख. नं. 38 की खातेदारी सर्वश्री मंगलिया, काल्या, ग्या, पि. मन्ना हिस्सा बराबर जाति कोली, निवासी दयालपुरा के नाम जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित है किन्तु संवत् 2030 की ख. गिरदावरी के अनुसार भूमि पर कब्जा श्री लक्ष्मीनारायण व श्रीनारायण पि. हनूता का होना अंकित है। लेकिन यह जानकारी नहीं है कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति बलपूर्वक उक्त खातेदार को भूमि जोतने नहीं देता। जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी की नकल (फोटो प्रति) संलग्न है।

(3) यह जानकारी नहीं है कि ख. नं. 38 पर दयालपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर पर एडीशनल डिस्टिक्ट जज अजमेर के निकटतम परिवार का कब्जा है। यदि अनुसूचित जाति खातेदारी की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कोई अतिक्रमण है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(4) अनुसूचित जाति के कृषकों के हितों की रक्षा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रावधान है। उक्त सारे प्रकरण की मौके की जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं तथा उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष का पद

912. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष का चुनाव तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है तथा वह अधिक से अधिक दो कार्यकाल तक उक्त पद को धारित कर सकता है ? यदि हां, तो किस नियम व उप नियम के अनुसार ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामदान संशोधित नियम 1981 के नियम 15 के

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अनुसार एक व्यक्ति तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् पुनः आगामी तीन वर्ष के लिए बिना चुनाव कराये रह सकता है और इसके पश्चात् भी वही व्यक्ति पुनः चुनाव कराये बिना अध्यक्ष पद पर निरन्तर चलता रहेगा या तीन वर्ष तक यह रह सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि तीन वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर भी वह व्यक्ति निरन्तर अध्यक्ष रहं सकता है ? यदि हां, तो कितने वर्ष तक ? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की अन्तादरा ग्रामदानी ग्राम के चुनाव 1983 के पश्चात् इसी नियम के अनुसार नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो अब कब तक चुनाव कराये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान ग्रामदान नियम 1971 के नियम 45 के अनुसार कार्यपालिका समिति के सदस्यों-अध्यक्ष सहित की कार्यकाल अवधि तीन वर्ष है परन्तु शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद को क्रमागत दो कार्यकालों से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता।

(2) उपरोक्तानुसार कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद को क्रमागत दो कार्यकालों से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता।

(3) उपरोक्तानुसार एक व्यक्ति दो कार्यकाल तक ही अध्यक्ष पद धारण कर सकता है। नियम विरुद्ध पद धारण करने के मामलों में अध्यक्ष ग्रामदान बोर्ड कार्यवाही करने में सक्षम है।

(4) जी हां, चुनाव शीघ्र करने हेतु अध्यक्ष ग्रामदान बोर्ड को लिखा जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 913 (स्थगित)

कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति जालौर

914. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जालौर जिले में कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति के पंजीयन की सिफारिश तत्कालीन जिलाधीश ने की थी ?

(3) क्या यह सही है कि कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपेक्षा हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी को 25 बीघा जमीन बेची है ?

(4) क्या यह सही है कि जिस समय कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति ने जालौर में भूमि क्रय की तब समिति का कार्य क्षेत्र जालौर क्षेत्र था ?

(5) क्या यह सही है कि इस भूमि क्रय-विक्रय में रजिस्ट्रार की विशेष भूमिका रही है ?

(6) क्या सरकार उपरोक्त भूमि सौदे के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की भूमिका के सम्बन्ध में जांच का इरादा रखती है ?

(40)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तत्कालीन जिलाधीश जालौर ने दिनांक 23/26 अप्रेल 83 को एक पत्र सहायक रजिस्ट्रार, जालौर को लिखा था कि प्रस्तावित कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति लि. बाकरारोड का सहकारिता विभाग द्वारा यदि पंजीयन किया जाता है तो पंजीयन के बाद उल्लेखित समिति द्वारा जालौर तहसील में क्रय की जाने वाली कृषि भूमि को नियमानुसार आबादी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति लि., बाकरारोड ने 29000·00 वर्गगज आवासीय भूमि राजस्थान को. आपरेटिव हाऊसिंग फाईनेंस सोसायटी लि. जयपुर को बेची है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं,

(6) जब तक प्रथम दृष्टया इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध न हो तब तक जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम टहला (अलवर) के सरपंच द्वारा अनियमितताएं

915. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) :-क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत टहला पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) के सरपंच का पिछले वर्षों में हुये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त होना पाया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरपच के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु विकास अधिकारी राजगढ़ को निर्देशित किया गया है।

नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति जोधपुर

916. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) :-क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति जोधपुर में पंजीकृत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जून माह में आयोजित शिविरों के सम्बन्ध में नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति को लेकर अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति को अनावश्यक सहयोग देने के कारण संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति का बोर्ड कभी भंग हुआ है ?

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

(6) क्या यह सही है कि बोर्ड भंग करने के कारण तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार को निलम्बित किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

अतारांकित प्रश्न संख्या 917
(स्थगित)

नान्दोली चान्दावत ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग

918. श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) :–क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र की नान्दोली चान्दावत ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पूर्णदास के खिलाफ वर्ष 1981 से 1988 तक की कालावधि में पद का दुरुपयोग करने व सरकारी राशि के गबन की शिकायत पर राज्य सरकार ने पूर्णदास को निलम्बित किया था ?

(2) क्या उक्त सरपंच नान्दोली चान्दावता के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है ? यदि हां तो उसकी जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

(3) क्या श्री पूर्णदास के खिलाफ सहकारी, पंचायत राशि व अकाल राहत की राशि के दुरुपयोग बाबत जिला कलेक्टर नागौर ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब व पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच श्री पूर्णदास को दिनांक 20-8-83 को निलम्बित किया था।

(2) जी हां। कलेक्टर से जांच रिपोर्ट दिनांक 22-7-90 को ही प्राप्त हुई है जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(3) जी हां। उप जिला विकास अधिकारी नागौर ने दिनांक 28-4-83 को विकास अधिकारी मकराना को मुकदमा पुलिस में दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया था। पंचायत के आडिट रिपोर्ट के अभाव में पुलिस द्वारा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है।

जयपुर जिले के निलम्बित प्रधान, एवं सरपंच

919. श्री शंभुदयाल बडगुर्जर (केकड़ी) :–क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च 1990 के बाद जयपुर जिले में कितने प्रधान, सरपंच अथवा पंचों को निलम्बित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिला में निलम्बित किये गये सरपंचों के विरुद्ध क्या आरोप थे ? क्या जयसिंह पुरा खोर के सरपंच ग्यारसी

(श्री शंभुदयाल बड़गुर्जर)

लाल को भी निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उनका चार्ज किस तिथि को किसे दिलाया गया ?

(3) क्या जयसिंह पुरा खोर के सरपच ने अभी तक अपना चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां तो क्यों ? उन्हें निलम्बित किस तिथि को किया था ?

(4) निलम्बन के बाद चार्ज नहीं दिलाये जाने का क्या कारण था ? किस अधिकारी द्वारा आदेश की पालना में विलम्ब किया गया ?

उत्तर

(1) मार्च 1990 के बाद जयपुर जिले में किसी प्रधान को निलम्बित नहीं किया गया है दो सरपंच, एक उप सरपंच एवं 4 पंचों को इस अवधि में निलम्बित किया गया है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित हैं। श्री ग्यारसी लाल सरपंच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर को दिनांक 8-6-90 को निलम्बित किया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश पर स्थगन हो जाने के कारण उनसे चार्ज नहीं दिलवाया गया है।

(3) इसका उत्तर भाग [2] में दिया जा चुका हैं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8-6-90 द्वारा निलंबित किया गया था।

(4) तहसीलदार जयपुर का चार्ज दिलाने के निर्देश दिये गये लेकिन चार्ज दिलाये जाने की कार्यवाही में तहसीलदार जयपुर के कार्यालय से जारी नोटिसों की समय पर तामील नहीं होने, जनगणना कार्य एवं इस कार्य से सम्बन्धित मीटिंगों में एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण तथा माननीय उच्च न्यायालय से निलम्बिन आदेश पर स्थगन होने के कारण चार्ज नहीं दिलाया जा सका।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

रायसिंह नगर तहसील में अस्थाई भू–आवंटन

920. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंह नगर) :–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले की रायसिहनगर तहसील में कितने बीघा कृषि भूमि अस्थाई आवंटन पर है, व कब से है ? यह भूमि पुख्ता आवंटित क्यों नहीं की जा रही है ? अब पुख्ता आवंटन कब तक की जावेगी ?

(2) क्या सरकार राज. उपनिवेशन जनहित में गंगानगर क्षेत्र में कृषि भूमि स्थाई आवंटन नियम, 1965 में "भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषा में संशोधन करने का विचार कर रही है यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) 21, 021 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन पर है। यह भूमि सन्. 1960 के पश्चात् से अस्थाई आवंटन होती आ रही है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की हुई है तथा इस अपील में निर्णय उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण

921. श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जिन्सें मुख्य मण्डी प्रांगणों में ही बेचने के लिए कोई प्रशिक्षण किसानों के लिए नहीं चलाने से अनपढ़ किसानों को अपनी कृषि जिन्सें मजबूरी में ग्रामिण बिचौलियों को बेचने से मण्डी टैक्स की आय कम होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुख्य मण्डी यार्डों में ही कृषि जिन्सें बेचने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों के बिचौलियों को खत्म करके किसानों को मण्डी समितियों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कैसे और कब ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समय-समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2) किसानों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य दिलवाये जाने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा व्यवसायिक वर्गीकरण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविर लगाये जाकर 1453 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रचार शाखा द्वारा समय-समय पर ग्रामीण गोष्ठियों, फिल्म प्रदर्शन, मेलों में प्रदर्शनियां, समाचार पत्रों, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों से किसानों को अपनी उपज नियमित मंडियों में बेचने हेतु प्रेरित किया जाता है। वर्ष 89-90 एवं 90-91 [जून तक] किसानों को नियमित मंडी व्यवस्था अपनाने के लिए निम्न क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रम अपनाये गये :—

क्र.सं.	कार्यक्रम	वर्ष 89-90	वर्ष 90-91 [जून तक]
1.	प्रदर्शनी	53	9
2.	फिल्म प्रदर्शन	58	17
3.	दूरदर्शन कार्यक्रम	11	6
4.	आकाशवाणी कार्यक्रम	34	11
5.	किसान गोष्ठियां	12	11

ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रायपुर (पाली)

922. श्री हीरासिंह चौहान [रायपुर] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रायपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रायपुर जिला-पाली द्वारा वर्ष 1972–1973 में ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव पर एक डीजल आयल इंजन खरीदा गया ? यदि हां, तो उक्त इंजन की कीमत क्या थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इंजन खरीद बाबत विभाग द्वारा धारा 74 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया जाकर निर्णत किया गया ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मामले में सम्बन्धित सभी दोषी व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया ? यदि हां, तो कब-कब एवं किस प्रकार ?

(श्री हीरासिंह चौहान)

(4) क्या उक्त इंजन की खरीद राशि एवं निर्णय में दर्शाई गई राशि बराबर है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आडिट नोट की प्रति सदन को मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त इंजन खरीद के बाद की इस संस्था की कार्यकारिणी द्वारा खरीद की मूल भावना के अनुरूप कार्य किया गया ? यदि हां, तो क्या निर्धारित तरीके से इंजन को किराये आदि पर चलाया गया अथवा इंजन चालू हालत में था तो इसे बेच कर संस्था की राशि क्यों नहीं प्राप्त की गई ?

(6) यदि इंजन का कोई उपयोग उक्त संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा नहीं किया गया तो क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त कार्यकारिणी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त इंजन का खरीद मूल्य 5,000/– रुपये था।

(2) जी, हां। निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–अ)

(3) विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, पाली द्वारा दोषी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया गया है। श्री गौतमचन्द अध्यक्ष समिति को नोटिस वास्ते तामिल जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 27. 11. 79 के प्रेषित किया गया है। जिसका उत्तर उनसे दिनांक 16-1-80 को न्यायालय विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, पाली को प्राप्त हुआ है। श्री जोराराम सदस्य प्रबन्धकारिणी का स्वर्गवास हो गया अतएव सर्वश्री जोराराम की पत्नि एवं शेष पदाधिकारीगण श्री मांगीलाल, श्री गंगाराम, श्री सम्पतराम, श्री चुन्नीलाल एवं श्री तुलसीराम को यद्यपि नोटिस की प्रति दिनांक 17-12-79 को मकान पर चस्पा करवाकर तामिल होना बताया गया है किन्तु तारीख तामिली नहीं पाई जाती।

(4) जी नहीं। आडिट रिपोर्ट में इंजन की खरीद 5,000/– रुपये बताई गई है जबकि विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-2-81 में इंजन खरीद की राशि 7,000/– रुपये बताई गई है। आडिट रिपोर्ट की अंश प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट–ब

(5) जी नहीं। समिति की पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा इस इंजन को 1,000/– रुपये में बेच दिया गया। इसकी पुष्टि साधारण सभा दिनांक 19-11-81 में की गई। यह भी निर्णय लिया गया है कि शेष राशि भू. पू. प्रबन्धकारिणी से वसूली करने की कार्यवाही की जाये।

(6) जी हां। संस्था की कार्यकारिणी के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 में केस दर्ज कर निर्णय पारित किया गया एवं वसूली हेतु कुर्की वारन्ट जारी किये गये। वसूली की कार्यवाही जारी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा जिले में चोरी, डकैती, बलात्कार के मुकदमे

923. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले 3 वर्षों में चोरी, डकैती, बलात्कार एवं हत्याओं के कितने मामले थानों में दर्ज हुये ? किन-किन मामलों का अदालतों में चालान पेश किया गया ?

(2) भीलवाड़ा जिले में उक्त अपराधों के किस-किस थाना क्षेत्र में कितने-कितने अपराध हुये इसका अलग-अलग विवरण व सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(3) तीन वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किस-किस व कितने-कितने पुलिस कर्मचारियों का अदालतों में चालान पेश किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले तीन वर्षों (1987–88–89) में घटित चोरी, डकैती, बलात्कार एवं हत्याओं के स्थानों में दर्ज अपराधों एवं इन मामलों का न्यायालय में चालान बाबत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में भीलवाड़ा जिले में किसी भी पुलिस कर्मचारी का चालान भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आसपुरा से कुचामन सड़क

924. श्री बिरदा राम (मकराना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वर्ष 1989–90 में विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम आसपुरा से कुचामन सिटी, ग्राम मनाना से घानणावा, मकराना बोरावड़ में कृषि मण्डी कुचामन से सड़क की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सड़कों की स्वीकृति पुनः करवा कर कार्य चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उपरोक्त सड़कों को निरस्त करके कोई दूसरी सड़कें स्वीकृत की है ? यदि की हैं तो कब व किस जगह से किस जगह तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण स्वीकृति निरस्त की गई हैं।

(3) मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक होने तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(4) जी नहीं।

जवाजा के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

925. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या पंचायत समिति जवाजा के प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जांच चल रही है ?

(2) यह सही है कि प्रधान के खिलाफ पूर्व में (जबकि वे सरपंच थे) भी अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और तत्कालीन सरकार ने उन प्रकरणों को दबा दिया ? क्या उन प्रकरणों की पुनः जांच करने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जवाजा पंचायत समिति में आर.ए.एस. विकास अधिकारी ही कार्यरत रहते हैं ? किन कारणों से नान आर.ए.एस. अधिकारी पंचायत समिति में कार्यरत हैं ?

(4) क्या यह यही है कि प्रधान ने अपने न्यस्त हितो के कारण उस विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के विरुद्ध स्वयं स्टे लिया ? अब सरकार उस विकास अधिकारी को वहां से स्थानांतरित कर रही है या नहीं ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रधान व विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान शिक्षक संघ, जवाजा शाखा अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के नये आरोप लगाये हैं ? क्या सरकार उनकी जांच करवा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अकाल राहत कार्य में भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की जांच करवाई गई थी, जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27-6-85 द्वारा इन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए इनके विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। उन प्रकरणों की पुनः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) यह सही नहीं है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किसी पंचायत समिति में आर.ए.एस. अथवा भिन्न अधिकारी पदस्थापित करती है।

(4) यह सही है कि प्रधान पंचायत-समिति जवाजा द्वारा विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया था। यह स्थगन उन्होंने पंचायत समिति की साधारण सभा के कोरम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुरूप लिया है। स्थगन की दशा में विकास अधिकारी का स्थानान्तरण संभव नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(6) राज्य सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है अतः जाच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में अर्दली प्रथा

926. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) विभाग में कुल कितने पुलिसकर्मी कार्यरत हैं ? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें । पुलिस कर्मियों की जिलेवार कितनी-कितनी कमी है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग में अनेक पुलिस कर्मी अर्दली का काम करते हैं ? राज्य में अधिकारीवार कितने अर्दली किन-किन अधिकारियों के पास कार्यरत हैं ? जिलेवार अर्दली पुलिसकर्मियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रशासनिक व्यय में कटौती करते समय क्या अर्दली की संख्या कम कर थानों में पुलिस की कमी को दूर करने का इरादा है ?

(4) पुलिस कर्मियों को अर्दली के रूप में कार्य कराना क्या आप उचित मानते हैं ?

(5) अधिकारियों के कार्यों में सहायता देने हेतु सहायता कर्मचारी प्रतिस्थापित कर अर्दली प्रथा को क्या आप समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभाग में कुल पुलिस कर्मियों की संख्या 51580 है, जिनमें से 153 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, 361 राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी एवं 51066 अधीनस्थ सेवा के अधिकारी है । इन 51066 में 481 पुलिस निरीक्षक, 2284 उप निरीक्षक, 2289 सहायक उप निरीक्षक, 6269 हैड कानि. एवं 39743 कानिस्टेबिल हैं । जिलेवार उप निरीक्षको, सहायक उप निरीक्षको, हैड कानिस्टेबिलों एवं कानिस्टेबिलों की संख्या संलग्न परिशिष्ट "क" में है जिसमें जिलेवार कमी भी दर्शा दी गई है ।

नोट:–परिशिष्ट "क" में नफरी केवल जिलों की ही अंकित की गई है । इसके अलावा पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में भी पुलिस कर्मी कार्यरत है ।

(2) जी हां । राज्य में अधिकारी के पद के अनुसार अर्दलियों की संख्या निर्धारित की हुई है । जो निम्नानुसार है :–

पद	हैड कानि.	कानि.
पुलिस महानिरीक्षक	1	2
उप महानिरीक्षक पुलिस	1	2
पुलिस अधीक्षक	–	3
उप अधीक्षक पुलिस	–	2
पुलिस निरीक्षक	–	1

जिलेवार अर्दली पुलिस कर्मियों की संख्या परिशिष्ट "ख" में अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गई है,

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । पुलिस कर्मियों से अर्दली के रूप में निम्न कार्य लिया जाता है:–

(1) जब भी अधिकारी से मिलने के लिए अथवा शिकायत करने के लिये बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उनको अटेण्ड करना ।

(2) विशेष रूप से अधिकारी की अनुपस्थिति में टेलीफोन अटेण्ड करना व आवश्यकतानुसार संतोषजनक उत्तर उपलब्ध कराना तथा यहामार्ग दर्शन देना कि इस सम्बंध में आप अमुक अधिकारी से सम्पर्क करने का कष्ट करें ।

(3) अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशानुसार टेलीफोन के माध्यम से संदेश भिजवाना ।

48

(गृह मंत्री)

(4) समीप स्थित अधीनस्थ कार्यालयों को संदेश एवं आवश्यक पत्रादि पहुंचाना है।

(5) फील्ड वर्क के दौरान अधिकारी के साथ उपस्थित रहना ताकि किसी भी अवस्था में उनको सहयोग एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

(6) अधिकारियों की वर्दी का रख रखाव एवं हथियारों को स्वच्छ व उपयोगी अवस्था में रखना।

(7) कार्यालय के कार्य को ठीक प्रकार से चलाये जाने के लिए कार्यालय एवं स्वागत कक्ष को साफ सुथरा रखना।

(5) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि भूमि का विशेष आवंटन

927. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 10 जनवरी, 1987 से अब तक इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कब-कब व कितनी-कितनी भूमि विशेष आवंटन के दौरान आवंटित की गई ? जिलेवार व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विशेष आवंटन से राजकोष में अच्छी आय हुई है ? यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

(3) क्या सरकार विशेष आवंटन कार्यक्रम को जारी रखने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 37,387,38 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। जिलेवार एवं तहसीलवार सूची "क" एवं "ख" संलग्न है।

(2) जी हां। 771.12 लाख रुपयें की आय हुई है।

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा सदस्यों के लिए सरकारी वाहन व्यवस्था

928. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार इसकी आवश्यकता महसूस करती है कि अधिकारियों की भांती विधान सभा के सदस्यों के लिए भी उनके जनप्रतिनिधित्व उत्तरदायित्वों के वहन के लिये सरकारी वाहनों की व्यवस्था की जाय ?

(2) यदि हां, तो सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सरकार के सक्षम इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीमावर्ती जिलों में पुलिस दूर संचार व्यवस्था

929. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिलों के लिये पुलिस बल हेतु नये पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो पुलिस दूर संचार के भी पद सृजित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय में सीमावर्ती जिले (श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर) के पुलिस दूर संचार शाखा हेतु वर्तमान में नये पद सृजित करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन चल रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या वर्तमान हालात के अनुरूप पुलिस दूर संचार शाखा का कार्य अधिक नहीं है ? यदि हां. तो क्या नये पद सृजित किये गये अथवा नहीं ? इस विषय में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिलों के पुलिस थानों, बोर्डर इन्टेलीजेंस पोस्टस एवं टास्क फोर्स के नये पद सृजित करने के प्रस्ताव पुलिस विभाग से प्राप्त हुये थे जिस पर राज्य सरकार ने कुछ नये पद सृजित कर दिये थे। उन प्रस्तावों के साथ पुलिस दूरसंचार के लिये नये पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) इन सीमावर्ती जिलों के लिये पुलिस दूरसंचार के लिये नये पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इन पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

(3) गत वर्षों की अपेक्षा अब पुलिस दूरसंचार शाखा का कार्य अधिक हो गया है। जिसके लिये पुलिस दूरसंचार की पुनर्गठन योजना को नवीन व्यय प्रस्ताव में सम्मिलित कर राज्य सरकार को भिजवाने का मामला पुलिस विभाग में विचाराधीन है।

राजस्थान पुलिस सेवा के पदों की भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण कोटा

930. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कुल कितने आरक्षक एवं मुख्य आरक्षक हैं ? इनमें से एस. सी./एस.टी. के क्रमशः कितने आरक्षक एवं मुख्य आरक्षक हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में मुख्य आरक्षक के पदों पर एस. सी /एस. टी को 28% आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पूरी नहीं की जाती है और पदों पर सामान्य वर्ग से पूर्ति कर ली जाती है ?

(3) क्या अब सरकार पिछले बैकलाग को 28% आरक्षण के आधार पर भरने हेतु आवश्यकता होने पर नियमों में संशोधन

(श्री रामनारायण बैरवा)

कर भर्ती हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का मानस बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस में कानिस्टेबिल की कुल संख्या 39743 है। इनमें एस. सी. के आरक्षक 4683 व एस. टी. के 4015 आरक्षक है मुख्य आरक्षक 6269 है, जिनमें एस. सी. 482 व एस. टी. 540 मुख्य आरक्षक हैं।

(2) जी नहीं। मुख्य आरक्षकों के पद पर सामान्य वर्ग का एस.सी/एस टी वर्ग में योग्य पात्र पूर्ण प्रयासो के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं होने की दशा मे ही अवसर दिया जाता है। आरक्षित कोटे के शेष पदों को अगले तीन वर्ष के लिए केरी फार्वर्ड किया जाता है।

(3) जी नहीं। बेकलॉग को पदोन्नति से भरने के लिये एस. सी. व एस. टी. वर्ग के योग्य पात्रों से ही भरने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, व भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

राज्य में भू-संरक्षण कार्य योजना

931. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में भू-संरक्षण कार्य के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई तथा इसमें कितने कृषक लाभान्वित हुये व खर्च की गई राशि के अनुपात में कितना उत्पादन बढ़ा ?

(2) क्या खर्च की गई राशि उत्पादन के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिये योजना उचित हैं ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में भू-संरक्षण शाखा द्वारा समस्त योजनाओं में कुल रु 4457.27 लाख रुपये के कार्य किये जिससे करीब 97882 कृषक लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय जलग्रहण योजनाओं में किये गये फसल कटाई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि भू-संरक्षण कार्य किये गये क्षेत्रों में फसल उत्पादन 21 प्रतिशत से 238 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

(2) जी हां।

बूंदी जिले में सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता के प्रकरण

932. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बूंदी जिले में विगत 5 वर्षों में भूतपूर्व एवं वर्तमान सरपंचों के विरुद्ध गबन, अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग के मामले विभाग के सामने आये हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनों के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत, मामले का प्रकार राशि एवं अब तक की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों में पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध एवं कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(3) क्या उक्त प्रकरणों में सरपंचों को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो किन-किन को व कब-कब ? सूची नाम, तिथि व कारण सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । विगत पांच वर्षों में 6 भूतपूर्व सरपंच एवं 31 वर्तमान सरपंचों के विरुद्ध गबन, अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग के मामले विभाग के सामने आये हैं । विस्तृत सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । उक्त प्रकरणों में से 5 सरपंचों के विरुद्ध गबन के 6 आरोप हैं जिनमें से पांच प्रकरणों में पुलिस थानों में एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है एवं एक प्रकरण में मामला दर्ज करने हेतु पुलिस विभाग को लिखा जा रहा हैं । सूची संलग्न है । (सूची परिशिष्ट अ में)

(3) जी हां । उक्त प्रकरणों में से एक प्रकरण में सरपंच को निलम्बित किया गया है (सूची परिशिष्ट ब में संलग्न है) ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में जिला भू-संरक्षण अधिकारियों के पद

933. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि विभाग की भू-संरक्षण योजना में जिला भू-संरक्षण अधिकारी पद पर राज्य भर में कितने अधिकारी 5 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं ?

(2) जयपुर जिले में जिला भू-संरक्षण अधिकारी को समय-समय पर बदले जाने के क्या कारण हैं ? सन् 1985 के बाद कार्यरत रहे जिला भू-संरक्षण अधिकारी, जयपुर का अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग में भू-संरक्षण योजना में जिला भू-संरक्षण अधिकारी पद पर राज्य भर में कुल 38 अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें 5 वर्ष से अधिक अवधि से कोई अधिकारी कार्यरत नहीं हैं । 20 अधिकारी 2 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत है, जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) जयपुर जिले में जिला भू-संरक्षण अधिकारी समय-समय पर प्रशासनिक दृष्टि से तथा जनहित में बदले गए हैं । सन् 1985 के बाद कार्यरत रहे जिला भू-संरक्षण अधिकारी, जयपुर की अवधि सहित सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

बी. एन. के भण्डार ब्यावर के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रकरण

934. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बी. एन. के भण्डार, ब्यावर के अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितताओं व

52

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ? यदि हां, तो क्या जांच चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उपभोक्ता भण्डार के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों के बावजूद उपभोक्ता भण्डार की सलाहकार समिति में उसे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया ? क्या यह उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्ति को तुरन्त हटाने का इरादा रखती है या नहीं ?

(3) क्या उक्त भण्डार के विरुद्ध सन् 1988 में तत्कालीन सरकार ने 'पशु आहार' से सम्बन्धित जांच को रोक दिया है ? क्या अब उस प्रकरण की जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त भण्डार के शेयर होल्डरों सदस्यों को पासबुक व सदस्यता प्रमाण पत्र जारी हुए हैं ? यदि नहीं, तो इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या यह सही है कि संचालक मण्डल भंग होने के बावजूद निवर्तमान अध्यक्ष उपभोक्ता भण्डार के कार्यों में दखल दे रहे हैं तथा जनरल मैनेजर उन्हें दखल देने से रोकने में असमर्थ हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का इरादा रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भण्डार के तत्कालीन प्रशासक ने अपने स्व विवेक से भण्डार के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये सलाहकार समिति में अन्य व्यक्तियों के साथ भूतपूर्व अध्यक्ष को भी मनोनीत किया था। जब तक वे जांच में दोषी नहीं पाये जावें तब तक सलाहकार समिति में उनको मनोनीत करने में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 12-7-90 की अनुपालना में श्री बालकिशन राठी दिनांक 14-7-90 से अध्यक्ष का कार्य करने लगे हैं।

(3) जी, नहीं। जांच कार्यवाही चालू है।

(4) सदस्यों को पास बुक व सदस्यता पत्र जारी करने का कोई प्रावधान उपनियमों में नहीं है हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। सदस्यों के हिस्सा प्रमाण पत्र भण्डार में तैयार है जो अब जारी किये जा रहे हैं।

(5) जी नहीं।

प्रशासन में अपव्यय को रोकने हेतु समिति का गठन

935. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद):** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विधान सभा में दिनांक 27-3-1990 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 'प्रशासन में अपव्यय रोकने हेतु माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या उक्त समिति ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(3) इन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं

(3) क्योंकि अभी तक कोई सिफारिश नहीं की गई है अतः मंजूर करने अथवा न करने का प्रश्न नहीं उठता।

नीति निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा निर्मित योजनाएं

936. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या मुख्य मंत्री (नीति निर्धारण प्रकोष्ठ) यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार के नीति निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा अन्त्योदय, काम के बदले अनाज व भगीरथ योजनाओं के अतिरिक्त और कौन-कौन सी योजनाएं बनाने की नीति निर्धारित की गई है?

(2) प्रत्येक योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) विभागीय योजना की नीति निर्धारण करने का काम सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा उन्हें आवश्यक सहयोग दिया जाता है। भगीरथ योजना कृषि विभाग द्वारा लागू की गई है।

पुलिस अधीक्षक श्री मधुकर टण्डन के विरुद्ध जांच

937. **श्री राजेन्द्र कुमार (सीकर), एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या मुख्य मंत्री (भ्रष्टाचार निरोधक) यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पूर्व में अजमेर में पद स्थापित पुलिस अधीक्षक श्री मधुकर टण्डन के विरुद्ध कोई जांच मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसमें एक मारूति वाहन में बड़ी रकम अजमेर से कानपुर भेजने की बात कही गई है?

(2) उक्त जांच का क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) ऐसी कोई जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

होमगार्डों का वेतन

938. **श्री सालिगराम (बयाना), एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वर्तमान में होमगार्डों को ड्यूटी पर लगाये गये दिनों के लिये उन्हें दिया जा रहा वेतन अत्यन्त कम है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव राज्य सरकार को भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जावेगा?

उत्तर

(1 एवं 2) वर्तमान में राज्य सरकार ने दिनांक 7–11–1989 से होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता 20 रूपये प्रति सदस्य प्रतिदिन की दर से स्वीकृत किया हुआ है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 1-1-1988 से भत्ते की दर 22 रूपये प्रति सदस्य प्रति दिन निर्धारित की हुई है। राज्य सरकार ने शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता 20 रूपये से बढ़ाकर 22 रूपये किये जाने का निर्णय ले लिया है। जिसकी घोषणा इसी बजट सत्र में कर दी गयी है।

भू-संरक्षण योजनान्तर्गत कृषि पर्यवेक्षकों के पद

939. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू), **श्री दिलसुखराय** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस समय कृषि विभाग के पास भू-संरक्षण योजना में पर्यवेक्षक प्रशिक्षित हैं ?

(2) इस समय भू-संरक्षण योजना में कितने कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित है और कहां-कहां ?

(3) इस समय भू-संरक्षण योजना में कितने अप्रशिक्षित कृषि पर्यवेक्षक कार्य कर रहे हैं और क्यों ?

(4) भू-संरक्षण योजना में अप्रशिक्षित षिकृ पर्यवेक्षकों से ही कार्य करवाना है तो जूनियर स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर (भू-संरक्षण) जोधपुर को बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भू-संरक्षण योजना में वर्तमान में कृषि विभाग में 245 पद सृजित हैं एवं इसका विस्तृत विवरण साथ में संलग्न है।

(3) वर्तमान में कृषि विभाग के भू-संरक्षण योजना में 39 कृषि पर्यवेक्षक ऐसे हैं जो भू-संरक्षण में तो अप्रशिक्षित हैं, परन्तु इन्हें भू-संरक्षण कार्यों का दीर्घकाल का अनुभव होने के कारण इनके द्वारा कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।

(4) जी, नहीं, प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द किये जाने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जूनियर स्टाफ ट्रेनिंग सेन्टर (भू-संरक्षण), जोधपुर में अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

बांदीकुई क्षेत्र में एनिकट का निर्माण

940. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भू-संरक्षण की जयपुर इकाई द्वारा बांदीकुई के मुई ग्राम में कोई एनिकट बनाने का प्रस्ताव था ?

(2) क्या इसके लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

(3) क्या उसी नाले में अन्य जगह पर एनिकट बनाने का कोई निवेदन ग्रामपंचायत

(श्री रामकिशोर सैनी)

मुई से प्राप्त हुआ है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) परियोजना प्रतिवेदन बनाकर इस एनिकट को कब आरम्भ तथा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। ग्राम पंचायत मुई से उसी स्थान पर एनिकट बनाने हेतु दिनांक 19–2–90 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जिस स्थान का चयन इस विभाग द्वारा किया गया था, वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा एनिकट का निर्माण करवा दिया गया है।

इस नाले का रिकनेसेन्स (सर्वे) करने पर एनिकट निर्माण हेतु अन्य कोई स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः इस नाले पर और एनिकट बनाना सम्भव नहीं है।

(4) जी, नहीं। इस विभाग द्वारा चयनित स्थान पर सिंचाई विभाग द्वारा एनिकट निर्माण कर दिया गया है। अन्य कोई स्थान उपयुक्त न होने के कारण कोई परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनाया गया।

क्षेत्र अटरू में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-आवंटन

941. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में 1977 से अब तक अनुसूचित जाति के किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है ?

(2) जिन-जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई उनमें से किन-किन व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में 1977 से अब तक अनुसूचित जाति के कुल 1888 (एक हजार आठ सौ अट्ठासी) व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है। आवंटियों की सूची संलग्न है।

(2) 1888 आवंटियों में से 1857 (एक हजार आठ सौ सत्तावन) आवंटियों को भूमि पर कब्जा दे दिया गया है। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायतें

942. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में बहुत सी फर्जी एवं धोखाधड़ी करने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों में एक जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर भी है ?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त समिति ने कहां-कहां, किस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किस से कितनी-कितनी राशि की जमीन क्रय की और किस-किस को किस-किस कीमत पर प्लाट काटकर बेची ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने सस्ती दर पर जमीन क्रय करके ऊंची कीमत पर बेची तथा मालिकों को जमीन की कीमत भी पूरी अदा नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को उक्त के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन शिकायतों की जांच की ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने आमेर रोड़ जयपुर पर पाण्ड्याजी के जैन मन्दिर के पास खसरा नं. 225 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 226 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं. 227 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, कुल 2 बीघा 19 बिस्वा जमीन नारायण दास महन्त बलदेव जी मन्दिर जयपुर से वर्ष 1973 में क्रय की थी, जिसका सौदा 70,000 में हुआ जिसमें से केवल चालीस हजार का भुगतान हुआ और तीस हजार रुपये का अभी तक समिति ने भुगतान नहीं किया ?

(6) क्या सरकार ऐसी समितियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर पार्टी को भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, समिति के शिविर दिनांक 22–5–90 की रिपोर्ट के आधार पर यह समिति धोखाधड़ी करने वाली समितियों में से एक है।

(2) समिति वर्तमान में अवसायनाधीन है। समिति के भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा समिति का रेकार्ड अवसायक को नहीं संभलवाया गया है। इसके कारण समिति ने कहां-कहां से किस-किस से कितनी-कितनी राशि की जमीन क्रय की और किस-किस को किस-किस कीमत पर प्लाट काटकर बेचा, की सूचना उपलब्ध करवाना जब तक रेकार्ड अवसायक को नहीं मिल जावें, संभव नहीं है। इस हेतु विभिन्न थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विभाग/अवसायक द्वारा दर्ज करवायी जा चुकी है। अनुसंधान कार्य जारी हैं।

(3) उपरोक्त कारणों से फिलहाल चाही गई सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं हैं।

(4) जी हां, समिति के शिविर दिनांक 22–5–90 को एवं विभाग में शिकायतें समिति के विरुद्ध कब्जा नहीं देना, पट्टा नहीं देना, राशि प्राप्त करने पर भी रसीद नहीं देना एवं एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी करना इत्यादि प्रकृति की प्राप्त हुई है, परन्तु रेकार्ड के अभाव में इनकी जांच करवाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(5) समिति में लगाये गए शिविर दिनांक 22–5–90 में इस तरह के किसी मामले की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई

(सहकारिता मन्त्री)

है। यद्यपि एक शिकायत इस मामले की विभाग में प्राप्त हुई थी, परन्तु शिकायतों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होने और समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। यदि ऐसा कोई मामला है, तो समिति का रेकार्ड उपलब्ध होने के उपरान्त ही वांछित कार्यवाही सम्भव है।

(6) सरकार समिति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु कृत संकल्प है और विभाग/अवसायक द्वारा तीन एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी है। जहां तक वर्णित पार्टी को भुगतान करवाने का प्रश्न है यह मामला समिति के रेकार्ड के उपलब्ध होने के उपरान्त ही जैसी भी स्थिति होगी तदनुसार निपटाया जाना सम्भव होगा।

व्यवस्थापक सहकारी समिति, केकड़ी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

943. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड केकड़ी के व्यवस्थापक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं ?

(2) क्या उक्त सोसाइटी के संचालक मण्डल के चुनाव किये जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोपी व्यक्तियों को संचालक मण्डल के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ?

(4) क्या उक्त सोसाइटी को नियन्त्रित मूल्य के गेहूं, शक्कर इत्यादि का आवंटन प्रारम्भ कर दिया है ?

(5) यदि नहीं तो, क्या सरकार उक्त सोसाइटी पर प्रशासक नियुक्त कर सार्वजनिक वितरण सामग्री का वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां।

(3) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत निर्णय हो जाने अथवा अधिनियम व नियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्योग्यता होने पर ही सदस्य निर्वाचन में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित होते हैं।

(4) जी, नहीं।

(5) समिति में प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। सार्वजनिक उपभोक्ता सामग्री का वितरण समिति के माध्यम से कराये जाने बाबत कार्यवाही चल रही है।

सहकारी बैंकों में अंकेक्षण आपत्ति

944. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी बैंकों के खातों में कुल असन्तुलन कितने करोड़ रुपयों का है ? बैंकवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) सहकारी बैंकों में ऑडिट रिपोर्ट व अन्य केसेज के आधार पर गबन

(श्री सालिग राम)

(मिस अप्रोप्रियेशन) कितने करोड़ रुपयों का है ? बैंक वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारी बैंकों में अंकेक्षण आपत्तियों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ? बैंक वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों का समितियों पर और समितियों का सदस्यों पर बकाया ऋण राशि में विषम असन्तुलन है। इसी प्रकार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों पर बकाया और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सदस्यों पर बकाया ऋण राशि में विषम असन्तुलन हैं। सब बैंकों की राशि मिलाकर यह असन्तुलन की राशि लगभग 64 करोड़ रुपये हैं। बैंकवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई। (परिशिष्ट "अ")

(2) सहकारी बैंकों में गबन या मिसएप्रोप्रियेशन के मामलों में कुल राशि 40.72 लाख रुपये (अर्थात् 0.41 करोड़ रुपये) हैं। बैंकवार, वर्षवार (गत 3 वर्षों की) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"ब")

(3) सहकारी बैंकों में अंकेक्षण आपत्ति के अनुसार कुल राशि 208.66 लाख रुपये (अर्थात् 2.09 करोड़ रुपये) अन्तर्ग्रस्त हैं। बैंकवार, वर्षवार (गत 3 वर्षों की) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट–"स")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर जिले के जमवारामगढ़ कस्बे में छात्रावास

945. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन), **श्री किशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व), **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन), **श्री निर्भयलाल** (रूपवास), एवं **श्री हुकमाराम** (सिवाना) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के जमवारामगढ़ कस्बे में विभाग द्वारा कोई छात्रावास संचालित है ? यदि हां, तो किस वर्ष से किस योजना के तहत किसके द्वारा किस भवन में संचालित किया गया ? संचालन वर्ष से मार्च 1990 तक भवन किराये की कितनी राशि प्रति वर्ष अदा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मार्च, 1990 में इस छात्रावास के भवन किराये बाबत राजस्थान के सांसद द्वारा मुख्य मन्त्री जी को की गयी शिकायत प्रदेश के किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के दोषी सहायक निदेशक, जयपुर को निलम्बित कर मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज करा दिया गया है ? यदि हां, तो निलम्बन आदेश एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज कराये गये मुकदमे की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दोषी पाये जाने पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1986-87 से अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार गुप्ता के भवन में किराये पर संचालित किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 से मार्च, 1990 तक भवन किराये की राशि अदा नहीं की गई है।

(2) जी हां। तत्कालीन सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग जयपुर को नियमानुसार आरोप पत्र दिया जाकर जांच शुरू की गयी जो विचाराधीन है।

(3) जी हां।

ट्राइसम योजना का संचालन

946. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में उद्योग प्रसार अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां गत दो वर्ष पूर्व समाप्त हो जाने से "ट्राइसम योजना" के संचालन में विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसका कोई तकनीकी अधिकारी पंचायत समिति में नहीं रहा है ?

(2) क्या उद्योग विभाग के सहयोग बिना उक्त योजना का सफल संचालन संभव नहीं है ? क्या सरकार ट्राइसम योजना में उद्योग प्रसार अधिकारियों की सेवाएं लेने का विचार रखती है ? इस हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से "ट्राइसम योजना" का कोई धणी धोरी नहीं रहा है, न तो प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था हो रही है और न ही ट्राइसम ट्रेंड को टूल किट व साधन उपलब्ध कराये गये हैं, अनुदेशक/अनुदेशिकाओं तथा प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान भी नहीं हुआ है ? सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उद्योग प्रसार अधिकारी का पद समाप्त होने के बाद ट्राइसम योजना के संचालन पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इस पद का कार्य खादी एवं ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी या अन्य प्रसार अधिकारियों से लिया जा रहा है।

(2) उद्योग प्रसार अधिकारी के बिना भी ट्राइसम योजना का संचालन किया जा रहा है। केवल ट्राइसम योजना के लिए ही उद्योग प्रसार अधिकारियों की सेवायें लेने का अभी कोई विषय विचाराधीन नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि गत दो वर्षों से ट्राइसम योजना का कोई धणी-धोरी नहीं रहा है। ट्राइसम योजना खादी एवं ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी एवं अन्य प्रसार अधिकारियों के सहयोग से सम्पन्न की जा रही है। प्रशिक्षणार्थियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, टूलकिट व साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अनुदेशक/अनुदेशिकाओं तथा प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर भुगतान किया जाता है। जहां कहीं विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अभिकरण के सहायक परियोजना अधिकारी, उद्योग एवं जिला उद्योग केन्द्र में कार्यरत उद्योग अधिकारियों की सेवायें ली जा रही हैं।

(60)

सहकारी क्षेत्र में चलने वाली स्पिनिंग मिल्स

947. **श्री किशनगोपाल कोगटा(मसूदा):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी क्षेत्र में चलने वाली तीन प्रमुख स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ एवं गंगापुर की सितम्बर 1989 से मार्च, 1990 की तुलना में अप्रेल, 1990 से जून 1990 तक की मासिक लाभांश एवं उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति क्या रही ?

(2) क्या पूर्व के महीनों की तुलना में इन मिलों ने अपने लाभ में वृद्धि की है ?

(3) क्या लाभ की दर घटी है ?

(4) क्या सरकार उन कारणों को दूर किये जाने की कोई कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) तीनों सहकारी मिलों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है—

मिल का नाम	सितम्बर 89 से90 की औसत		मार्च, अप्रेल 90 से जून 90 की औसत	
	मासिक उत्पादन	मासिक लाभ	मासिक उत्पादन	मासिक लाभ
	लाख कि. ग्रा.	लाख	लाख कि. ग्रा.	लाख
1. गंगापुर को. ऑ. स्पिनिंग मिल्स लि., गंगापुर	4.23	15.64	4.52	23.84
2. राज. को. ऑ. स्पि. मिल्स लि., गुलाबपुरा	4.65	22.82	4.56	20.29
3. गंगानगर सह. स्पि. मिल्स लि., हनुमानगढ़	3.62	18.30	3.79	26.23

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। गंगानगर एवं गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स ने अपने लाभ में वृद्धि की है। किन्तु राजस्थान को. आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा के लाभ में कमी आई है।

(3) जी हां, गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल्स के लाभ की दर घटी हैं।

(4) राजस्थान को. आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा के लाभ की दर में कमी का कारण विद्युत की अनुलब्धता से तकुओं के कम उपयोग होने से उत्पादन में कमी आना हैं। जिसे दूर करने के लिए मिल अपने स्रोतों से एक डीजल जनरेटर सैट 1450 के. वी. का स्थापित कर रही हैं।

बून्दी जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन प्रकरण

948. श्री रामनारायण बैरवा (नैनवां): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी जाती है? इन पर कितना व्यय सरकार प्रतिवर्ष वहन करती है?

(2) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन प्रकरण विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बून्दी निवासी श्री रंगलाल अग्रवाल, श्री सूरज जी दीक्षित, श्री गुल मोहम्मदजी स्वतन्त्रता सेनानी की परिभाषा में आते हैं? यदि हां, तो उनके पेन्शन प्रकरण अब तक स्वीकार क्यों नहीं किए गये? क्या उनके पेन्शन प्रकरण स्वीकृत करने का राज्य सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में 15 स्वतन्त्रता सेनानियों/आश्रितों को पेन्शन दी जा रही है। इन पर सरकार प्रति वर्ष 81,000/ रु. वहन करती है।

(2) बून्दी जिले का कोई पेन्शन प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। इनको पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है। स्वीकृति आदेश दिनांक 16-7-90 को जारी किये जा चुके हैं।

स्थगित प्रश्न

(दि. 10-7-90)

अतारांकित प्रश्न संख्या 366 (स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 372 (स्थगित)

(12 जुलाई, 1990)

नहर निर्माण में प्रयुक्त ईंटों में घपला

473. श्री हजारी लाल (खेतड़ी), एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों में 'बाइइस' के नाम से कोई गड़बड़ी हो रही है? क्या इसकी जानकारी दिनांक 27-3-87 को राजस्थान विधान सभा में दी गई थी?

(2) यदि हां, तो इस सूचना के आधार पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 27-3-87 को जो जानकारी विधान सभा में दी गई थी उसमें ईंटों में 'वाइड्स' के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

2 प्रश्न नहीं उठता।

(11 जुलाई, 1990)

ग्राम मण्डोर में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

404. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील के मण्डोर ग्राम के खसरा संख्या 929 की 1 बीघा 9 बिस्वा क्षेत्रफल की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में कृषि विभाग के नाम दर्ज है, जो वर्तमान समय में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर को, कृषि विभाग द्वारा कृषि परीक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु प्रदान की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खसरा संख्या 929 की भूमि पर दो वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक श्री मानसिंह देवड़ा एवं उनके पुत्रों ने अपने ट्यूबवेल से पाइप द्वारा पानी लाकर वर्ष 1988–89 में जीरा एवं 1989-90 में मिर्ची की नाजायज फसल ली है ?

(3) भविष्य में उपरोक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध खेती नहीं होने देने हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) यह आंशिक रूप से सही है कि श्री मानसिंह देवड़ा एवं उनके पुत्रों ने इस भूमि का नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट महामन्दिर थाना जोधपुर में लिखवाई गई। वर्ष 1989–90 में इस भूमि पर कुछ फसलें उनके द्वारा ली गई।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा इस अतिक्रमण को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किये गये है। एस. डी. एम. कोर्ट जोधपुर में यह मुकदमा चल रहा है। फैसला अभी होना शेष है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 464 (स्थगित)

ग्राम चौकड़िया (पाली) की गोचर भूमि

466. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील मारवाड़ जंक्शन के ग्राम चौकड़िया में गत बन्दोबस्त में गांवाई गोचर दर्ज था ? यदि हां, तो कौन-कौन से खसरे व कितना-कितना रकबा था ?

(2) क्या प्रश्न के भाग (1) में दर्ज भूमि को हाल बन्दोबस्त के दौरान भी गोचर ही दर्ज किया ? यदि नहीं, तो उक्त भूमि के हाल बन्दोबस्त के दौरान क्या-क्या

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

नम्बर कायम हुए व क्या-क्या रकबा बना व उसका किसके नाम इन्द्राज किया व क्यों ?

(3) हाल बन्दोबस्त में ग्राम चौकड़िया की गोचर में कौन-कौन सी भूमि दर्ज है व उसके गत बन्दोबस्त में क्या इन्द्राज थे व यह परिवर्तन किसने किया व किस आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या बन्दोबस्त में इस तरह का परिवर्तन करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन गलत आदेशों से हुए इन्द्राज को दुरुस्त करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम चौकड़िया तहसील (मारवाड़ जंक्शन) में गत बन्दोबस्त में खसरा नं. 191 क्षेत्रफल 37 बीघा 15 विस्वा व खसरा नं. 195 क्षेत्रफल 87 बीघा 10 विस्वा कुल 125 बीघा 8 विस्वा (गन्टरी जरीब 132 फुट से) गोचर भूमि थी।

(2) गत बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 191 तथा खसरा नम्बर 195 के क्षेत्रफल 37 बीघा 15 बिस्वा व 87 बीघा 10 बिस्वा के हाल बन्दोबस्त में जो खसरा नम्बर बने व हाल बन्दोबस्त में जो किस्म जमीन दर्ज की गई तथा जिस-जिस के नाम इन्द्राज किया गया उनका विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

(3) हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2029 से 2048 में ग्राम चौकड़िया की गोचर भूमि की प्रविष्टियां, गत बन्दोबस्त में इनका इन्द्राज व इनमें परिवर्तन का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। यह परिवर्तन ए. आर. ओ. जोधपुर पार्टी संख्या 3 के आदेश दिनांक 5–12–74 के द्वारा हुआ है जिसकी प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। इस मामले की जांच कराई जायेगी कि क्या इस प्रकार का परिवर्तन नियमानुसार है या नहीं। त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार सुधार की कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल की श्मशान भूमि

496. श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल में रेवेन्यू रिकार्ड में कितनी श्मशान भूमि दर्ज है ? खसरा नम्बर व क्षेत्रफल सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दर्ज श्मशान भूमि पर आबादी बस गई है और उनका श्मशान कार्य में उपयोग नहीं हो रहा ? जहां आबादी बस गई है उनका खसरा नम्बर व रकबा का विवरण सदन की मेज पर रखें

(3) वर्तमान में कौन कौनसी खसरा भूमि श्मशान के काम आ रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार आबादी के बीच आई श्मशान भूमि को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल में रेवेन्यू रिकार्ड में कुल 90 बीघा 01 बिस्वा

64

(राजस्व मंत्री)

भूमि श्मशान में दर्ज है। जिसका विवरण खसरा नम्बर व क्षेत्रफल सहित (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जी नही। राजस्व रेकार्ड में दर्ज सम्पूर्ण श्मशान भूमि पर आबादी नहीं बसी है बल्कि कुछ खसरा नम्बरान पर आबादी बस जाने से इन खसरा नम्बरान की भूमि श्मशान के काम में नहीं आ रही है। विवरण (परिशिष्ट "ख") सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल के निम्न खसरा नम्बरान की भूमि श्मशान के काम में ली जा रही है :-

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	1048	6 बीघा 3 बिस्वा
2.	1537	6 बीघा 5 बिस्वा
3.	1568	3 बीघा 0 बिस्वा
4.	2382	3 बीघा 0 बिस्वा
	योग :	17 बीघा 8 बिस्वा

(4) वर्तमान में श्मशान भूमि अन्यत्र स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

(13 जुलाई, 1990)

भीनमाल में कृषक विश्राम गृह

520. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी भीनमाल में किसानों के ठहरने हेतु कृषक विश्राम गृह है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों

(2) अब कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विश्राम गृह हेतु सामग्री क्रय की गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि कृषक विश्राम गृह हेतु खरीद की गई सामग्री यथा चारपाई, बिस्तर, बर्तन आदि का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो किसानों को सुविधा से वंचित रखने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(5) क्या सरकार उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह सही है कि मण्डी कार्यालय का उपयोग सचिव, मण्डी समिति अपने आवास हेतु कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और उनमें आवास का किराया कब से बकाया है और कितना ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मंडी समिति, भीनमाल में वर्ष 1983 से किसानो के ठहरने हेतु कृषक विश्राम गृह बना हुआ हैं।

(2) वर्ष 1983 से ही कृषक विश्राम गृह की व्यवस्था चालू हैं।

(कृषि मंत्री)

(3) जी हां। कृषक विश्राम गृह हेतु खरीदी गयी सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.सं	सामग्री का नाम	मात्रा	क्रय की तिथि
1.	बिस्तर मय खोली	10	24-4-83
2.	तकिया खोली	6	24-6-85
3.	चकला बेलन	2	14-11-83
4.	इलैट्रिक केतली	1	12-7-85
5.	देगची	1	10-11-83
6.	तवा लोहे का	1	10-11-83

(4) कृषक विश्राम गृह हेतु खरीदी गयी सामग्री के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन कृषक विश्राम गृह को निवास बनाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच करवाई जा रही है।

(5) जांच उपरान्त दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

(6) कार्यालय के ऊपर के दो कमरों का उपयोग प्रशासक, मंडी समिति की स्वीकृति से सचिव अपने निवास के लिए कर रहे थे। उक्त कमरों का किराया दिनांक 1-9-83 से 30-6-90 तक मंडी कोष में जमा कराया गया है तथा किराया बकाया नहीं है।

सिवाना क्षेत्र में विकास कार्य

533. **श्री हुक्माराम** (सिवाना), व **श्री मनोहर सिंह इन्दा** (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कितनी पंचायतों में विकास कार्य चल रहे हैं तथा कितने नये कार्यों की और स्वीकृति दी गई है ?

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना में सभी 27 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य चल रहे हैं। वर्ष 1990-91 में माह अप्रेल से जून, 1990 की अवधि में कुल 73 नवीन कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

(2) ये कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की सम्भावना है।

(16 जुलाई, 1990)

कृषि ज्ञान केन्द्र

596. **श्री अजयसिंह** (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर "कृषि ज्ञान केन्द्र" की स्थापना की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले के अनपढ़ किसानों को उन्नत कृषि ज्ञान देने के लिए ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में हजारों बीघा बेकार पड़ी सरकारी जमीन पर जहां स्टाफ क्वार्टर मय कुएं के उपलब्ध हैं, अविलम्ब

(श्री अजयसिंह)

"कृषि ज्ञान केन्द्र" खोलने की स्वीकृति दिलाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली से पेशकश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नीतिनुसार एक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की ही स्वीकृति देय होती है। वर्तमान में सीकर जिले के फतेहपुर शहर में पहले से ही कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। पलसाना फार्म में फलों के पौधे की नर्सरी स्थापित करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है अतः कृषि ज्ञान केन्द्र की स्थापना करने की सिफारिश करना सम्भव नहीं होगा।

(17 जुलाई, 1990)

प्रतापगढ़ क्षेत्र में सेटलमेंट विभाग द्वारा घपले

611. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा घपले किये गये हैं, और तत्संदर्भ में प्रतापगढ़ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे भी दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि हां, तो क्या सेटलमेन्ट के समय भूमि गलत इन्द्राज की गयी एवं रेवेन्यू रिकार्ड में गलत इन्द्राज किया गया ?

(3) सरकार गलतियों को दुरस्त करने के लिए क्या कर रही है ? क्या इस हेतु अलग से अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में सैटलमेन्ट कार्य के दौरान अनियमिताएं हुई हैं। इन त्रुटियों की दुरूस्ती के लिए उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के मार्गदर्शन में एक सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, एक निरीक्षक एवं चार भू-मापक लगाकर जांच कराई गई। ज्ञात त्रुटियों की दुरुस्ती हेतु गांवों में विशेष शिविर लगाये जाकर कृषकों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। कुल 1182 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 772 का उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष 410 विचाराधीन हैं। निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "अ" पर तथा शेष लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'ब" पर है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) अधिकतर मामलों में गलतियों की दुरुस्ती कर दी गई है। शेष विचाराधीन गलतियों की दुरुस्तियों हेतु उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ को शीघ्र निस्तारण हेतु

(राजस्व मंत्री]

निर्देश दिये जा चुके हैं। अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत केन्द्रों में सड़क निर्माण

631. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1977 से अब तक किन-किन पंचायत केन्द्रों को सड़कों से जोड़ दिया गया है? जिलेवार व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने पंचायत केन्द्र शेष हैं और उनको जोड़ने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 4 में दर्शाई गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के ग्रामों की सरकारी भूमि

653. **श्री खंगार सिंह** (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) पाली जिले की सोजत तहसील के ग्राम (1) अटवड़ा, (2) बागावास (3) सोजत चक–1 व सोजत चक–2, चडावल में गत बन्दोबस्त में कितनी-कितनी भूमि किस-किस खसरे की सरकारी खाते में यानी सिवाय चक भूमि दर्ज थी?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई भूमि में से हाल बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा किस-किस गांव में किस-किस खसरे की कितनी-कितनी भूमि निजी खाते में दर्ज की गई व तहसीलदारों ने उन गलत खातेदारी के इन्द्राज को दुरुस्त कराने के कब-कब व क्या-क्या प्रयास किये व नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सिवाय चक की भूमि गलत रूप से निजी खाते में खातेदारी अधिकार देने की जानकारी जनता द्वारा दी जाने पर भी तहसीलदार ने जान-बूझकर अपने दायित्व को नहीं निभाया? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

(4) क्या सरकार प्रश्न के भाग (1) में बताई आराजी को पुनः सिवाय चक में दर्ज कराएगी व बन्दोबस्त के गैर कानूनी इन्द्राज को दुरुस्त कराएगी?

उत्तर

(1) तहसील सोजत के गत बन्दोबस्त में ग्राम अटवडा में कुल खसरा किता 184 कुल भूमि 8185 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम बागावास में कुल खसरा किता 262 कुल भूमि 2081 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम सोजत चक–1 में कुल खसरा किता 193

68

(राजस्व मंत्री)

कुल भूमि 5334 बीघा 11 बिस्वा, ग्राम सोजत चक–2 में कुल खसरा किता 106 कुल भूमि 1246 बीघा 1 बिस्वा एवं ग्राम चंडावल में कुल खसरा किता 115 कुल भूमि 1200 बीघा 13 बिस्वा सिवाय चक थी। ग्रामवार खसरा नं. व क्षेत्रफल की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत खसरा नं. से बने नये खसरा नं. को निजी खाते में दर्ज किये जाने की ग्रामवार सूची मय क्षेत्रफल व खाते में दर्ज करने का विवरण खातेदार के नाम सहित परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। तहसीलदारों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है।

(3) तहसील सोजत कार्यालय में दिनांक 16–6–90 को ग्रामवासी अटवड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि गत खसरा नं. 577 हाल खसरा नं. 1742 रकबा 0.34 हैक्टेयर जो पूर्व में गैरमुमकिन नाला था, हाल बदोबस्त में जोगा पुत्र रामा सिरवी के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है। इसकी दुरूस्ती हेतु मामला राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं होने से विचाराधीन नहीं है। दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जाएगी।

(4) जी हां। जिन प्रकरणों में कानून के विरुद्ध सिवाय चक भूमि निजी खातों में दर्ज कर दी गई है उसे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही कर उन्हें सिवाय चक दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(12 जुलाई, 1990)

जोधपुर–बाड़मेर राज मार्ग पर स्थित भूमि

657. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर बाड़मेर राजमार्ग के समीप लूणी पचायत समिति के कार्यालय के सामने जोधपुर ग्राम के निम्न खसरों की 500 बीघा भूमि जिसका बाजार मूल्य अनुमानतः 20 करोड़ रुपये है, जमाबन्दी में नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम वर्ष 1983 में आबादी भूमि के रूप में दर्शायी हुई थी, और रेकार्ड के अनुसार इस भूमि का कब्जा भी न्यास के पास था:—"821, 822, 836, 839, 841, 755, 757, 759, 769, 771, 819, 827, 829, 829/1, 751, 831, 834, 823, 807, 820, 760, 764, 772, 762, 838, 805 व 817"

(2) क्या यह सही है कि बाद में उक्त भूमि के पट्टे राजस्थान भू राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम,

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

1981 के अन्तर्गत अवैध रूप से जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो इन पट्टों के संबंध में निम्न सूचनाएं अलग-अलग सदन की मेज पर रखें:—

(क) पट्टे का क्रमांक व दिनांक

(ख) पट्टे की भूमि का खसरा व क्षेत्रफल

(ग) पट्टाधारी का नाम व पता

(घ) पट्टेधारी के वकील का नाम यदि हो, तो ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवैध कार्यवाही में राजस्व विभाग व नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकारियों का हाथ है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त अवैध पट्टे कब तक निरस्त किये जाएंगे एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) प्रश्न में वर्णित भूमि पूर्व में तत्कालीन जोधपुर राज्य में शिकारखाना के नाम से प्रसिद्ध थी जिनके खसरा नंबर 75, 771/2, 751/4, 759, 769, 771, 734, 740, 730, 736, 747, ए, 747 बी व 723 ए कुल रकबा 5368.08 बीघा जो पुरानी व नई तलीया क्षेत्र के थे। जिला कलक्टर, जोधपुर कार्यालय के आदेश संख्या राजस्व/परि./70 दिनांक 28-5-70 अनुसार इन समस्त भूमियों में जारी किये गये खातेदारी हकूक के पट्टे निरस्त करने के आदेश दिये गये थे। इस आदेश अनुसार इस क्षेत्र में वर्णित समस्त खातेदारी के आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की गई। दिनांक 3-3-78 को 46 खसरान की भूमि का आवंटन आबादी परिवर्तन हेतु नगर सुधार न्यास जोधपुर को किया गया जिनमें उक्त खसरा नंबर 751 के 23 मिन खसरे जिनके नंबर क्रमशः 43, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 829.751/1, 830, 831, 832, 832/751/1, 833, 834, 836, 836/751/1, 837, 838, 839, व 841 की कुल 316.09 बीघा, इसी प्रकार खसरा नंबर 769, 771 के मिन नंबर क्रमशः 809, 810, 811, 812, 813, 813/771/769 के मिन नंबर 805, 806 व खसरा नंबर 760 के मिन खसरे 814, 815 व 816 एवं खसरा नंबर 755, 757, 759, 764, 772, 770, 762 व 817 की कुल भूमि 455.10 बीघा भूमि है। इस भूमि का कब्जा नगर सुधार न्यास, जोधपुर को दिनांक 19-4-78 को सुपुर्द किया गया। प्रश्न में वर्णित खसरा नंबर 841, 709 व 877 की भूमि न्यास को नहीं दी गई।

(2) उक्त सभी भूमियों में से राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के तहत खसरा नंबर 819/751, 827/751, 751/43, 759/771, 805/769, 769 एवं 828/751 में रूपान्तरण की कार्यवाही हेतु कुल 397 मामले प्राप्त हुए। उनमें से

(राजस्व मन्त्री)

53 मामले खारिज किये तथा 49 मामले उप खण्ड अधिकारी (भू.रु.) जोधपुर की अदालत में पैण्डिंग हैं। उक्त रूपान्तरित किये जाने हेतु जो खसरान दिखाये हैं उनमें खसरा नंबर 829/751, 829/1/751, 759, 8 9/751 व 751/43 की भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने का आदेश एवं न्यास को आवंटन का आदेश राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 2-3-84 अनुसार निरस्त किया, तथा सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 608 दिनांक 22-10-83 अनुसार खसरा नंबर 771, 770, 805/769 व 813/7 की भूमि में रूपान्तरण किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना दर्शाया है। माह नवम्बर, 89 में उक्त अनापत्ति पत्र संदिग्ध होना नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 9-11-89 द्वारा बताया जिसके कारण जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर के पत्र संख्या 1780-81 दिनांक 12-4-90 अनुसार न्यास को आवंटित समस्त भूमि जो रूपान्तरित हो चुकी है उनमें अपील/रेफरेन्स किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये। अब तक कुल 295 अपीलें अपीलेट अदालत में पेश की गई हैं, जिनमें से 34 अपीलें खसरा नंबर 771 व 805/769 से सम्बन्धित निर्णित हुई हैं, जिनमें से सम्बन्धित आवेदकों को किये गए रूपान्तरण उचित माने हैं तथा इन्हीं खसरान में आवेदक के हक में रूपान्तरण करने के आदेश भी पारित करने के निर्देश दिये गए। निर्णित अपीलों में भी रेफरेन्स की कार्यवाही की जा रही है। अपर मुंसिफ न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 18-5-87 में खसरा न. 769 पर न्यास का कब्जा नहीं माना है, तथा इस पर काबिज आवेदक को बेदखल नहीं करने हेतु न्यास को निर्देश दिए हैं। उक्त विवादित खसरान से सम्बन्धित कुछ दीवानी प्रकरण अदालतों में विचाराधीन हैं।

रूपान्तरित की गई भूमि में से खसरा न. 828/751, 827/751, 819/751, 759,828/1/751 में खातेदारी अधिकार भी विभिन्न व्यक्तियों ने अदालतों से प्राप्त किये हैं। नगर सुधार न्यास, जोधपुर की ओर से खसरा न. 751/43 में दिनांक 30-12-88 को रूपान्तरित आदेश निरस्त किये जाने हेतु 11 रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। उनमें से एस.बी. सिविल रिट याचिका 626/90 न्यास बनाम राज्य सरकार व अन्य उच्च न्यायालय में दायर की है उसमें खसरा न. 751/43 की भूमि के बारे में आदेश दिनांक 5-2-90 पारित किया गया है। उक्त स्थिति अनुसार यह मामला सबजुडिस है तथा मूल पत्रावलियां अपीलेट अदालत में होने से प्रत्येक पट्टावाइज सूचना देना कठिन है।

(3) यह मामला अपीलेट अदालत व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से सबजुडिस है ऐसी स्थिति में कोई टिप्पणी दिया जाना उचित नहीं है।

(4) अपीलेट अदालत व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्रवर समिति का गठन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1990 को सदन द्वारा प्रवर समिति को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त प्रवर समिति के सदस्य निम्नांकित प्रस्तावित हैं :—माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री, सभापति, माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल, भारतीय जनता पार्टी, सदस्य, माननीय श्री रमाकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, सदस्य, माननीय श्री हीरालाल आर्य, भारतीय जनता पार्टी, सदस्य, माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा, भारतीय जनता पार्टी, सदस्य, माननीय श्री सांवरलाल, जनता दल, सदस्य, माननीय श्री रामनारायण विश्नोई, जनता दल,सदस्य, माननीय श्री सम्पत सिंह, जनता, दल सदस्य, माननीय डा. जितेन्द्र सिंह, जनता, दल सदस्य, माननीय श्री परसराम मदेरणा, कांग्रेस (आई), माननीय श्री हीरालाल देवपुरा कांग्रेस (आई), माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस (आई) एवं माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास कांग्रेस(आई), सदस्य। क्या सदन की इसमें सहमति है।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों पर सहमति दी गई ?

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री रामनारायण वर्मा, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दरड़की थाना सपोटरा में डाकुओं द्वारा की गई लूट-पाट व हत्याओं के सम्बन्ध में।

2. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में अध्ययनरत राजस्थान मूल के 25 छात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में।

3. श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति के आधार व आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

4. श्री रामस्वरूप मीणा, श्री लक्ष्मी लाल, श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से मतपेटियों को कुओं में डालने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

5. श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर की सड़कों को पूरा कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

1. श्री हरिदेव जोशी, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री परसादी लाल एवं श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर कस्बे में पुलिस

(72)

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में। स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से अभी तुरन्त बाद में वक्तव्य दिया जा रहा है। माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण चाहने की अनुमति होगी।

2. श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री गोविन्द सिंह, श्री रामस्वरूप मीणा, श्रीमती रमा पायलट, श्री जुबेर खान, श्री रामनारायण वर्मा, श्री बी. डी. कल्ला, श्री लक्ष्मीलाल, श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के गांव त्रिशुलिया में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के सम्बन्ध में। स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस प्रकरण में अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी. आई. डी. (सीबी) कोटा द्वारा किया जा रहा है तथा साथ ही अतिरिक्त जिलाधीश, बूंदी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत जांच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्य किसी तथ्य के बारे में चर्चा करने से अनुसंधान पर प्रभाव पड़ जाता है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्या श्रीमती रमा पायलट को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले की पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

2. श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले में महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

4. श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य विधान सभा की ओर से सुतर खाना, हरिजन बस्ती, घाटगेट की समस्याओं के सम्बन्ध में।

5. श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटोल तहसील की अधूरी सड़कों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से भाखड़ा गंग नहर से किसानों को पूरा पानी दिलवाने के सम्बन्ध में।

7. श्री महेन्द्र कुमार परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से संयुक्त निदेशक, शिक्षा, जयपुर द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में।

8. श्री अमृत लाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारवा गांव में नर बलि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की सड़क एवं पानी की निकासी की समस्या के सम्बन्ध में।

10. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासियों एवं

(श्री अध्यक्ष)

कृषकों के अधूरे कुओं को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

11. श्री मनोहर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से शेरगढ़ तहसील में पुलिस उप अधीक्षक व थानेदार के आतंक के सम्बन्ध में।

12. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद्, सीकर के अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में।

13. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली विद्युत सहकारी समिति की विफलता के सम्बन्ध में।

14. श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेरोजगार इंजीनियर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में।

15. श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा नगरपालिका की आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में।

16. डा. उज्जला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय अस्थायी प्रोफेसरों को स्थायी करने के सम्बन्ध में।

17. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर में किये जा रहे नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में।

18. श्री मदन मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कामां विधान सभा क्षेत्र के 21 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में।

19. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

20. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिवगंज कृषि उपज मण्डी की समस्याओं के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़), श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री मदनलाल सैनी, श्री रतनाराम चौधरी, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री हीरालाल इन्दौरा, श्री फूलचन्द गुर्जर, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री मदन दिलावर, श्री रामनारायण वर्मा, श्री रतनलाल, श्री जीतमल जैन, श्री बी. डी. कल्ला, एवं श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रस्तुत सभी 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया है तथा इन्हें राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु भिजवाया जाएगा। गृह मन्त्री जी।

(नियम 295 के तहत पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : और यह निर्देश दे दिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : हमारे क्षेत्र में उस वक्त जो गम्भीर स्थिति

(74)

(श्री रतना राम चौधरी)

थी मैं उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था । कृपया मुझको 295 में बोलने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई बाकी नहीं छोड़ा है सबके जवाब मिल जाएंगे । आप पहले बोलना चाहते हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले स्टेटमेंट""

श्री हरिदेव जोशी (विपक्ष के नेता) : आपने फरमाया था पहले स्टेटमेंट देंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोलना चाहें तो बोल लें ।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, पहले उनका स्टेटमेंट आ जाने दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम ढेलावास थाना सांगानेर में पुलिस द्वारा गोली चलाना

श्री सम्पत राम (गृहमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18-7-90 को थाना सांगानेर के ग्राम ढेलावास के खेमाराम के घर पर 6 बदमाशों द्वारा हथियारों से लैस होकर लूट की वारदात की गई जिसमें कुल 15 हजार रुपये का माल चोरी गया बताया । इस रिपोर्ट पर थाना सांगानेर में मुकदमा नम्बर 234/90 धारा 458, 380 ताजिराते हिन्द दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ की गई और केस की तफतीश हेतु विभिन्न पार्टियां बनाई । जिला टौंक, जयपुर ग्रामीण व सांगानेर थाने के कुछ गांवों में विशेष पुलिस दल भेजे गये ताकि बदमाशों का जल्दी सुराग मिल सके । इस केस में कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले भी थे । उपर्युक्त घटना के विरोध में दिनांक 23-7-90 को प्रातः ढेलावास व उसके आस-पास के कुछ ग्रामीण लोगों द्वारा धरने का कार्यक्रम बनाया गया । बताए गए कार्यक्रमानुसार उन्हें अपना धरना सुबह चार बजे प्रारम्भ करना था लेकिन चार बजे नहीं आकर करीब दो सौ ग्रामवासी छः टैक्टर ट्रालियों व अन्य साधनों के साथ शाम करीब साढ़े पांच बजे शंकर लाल मीणा, राजेन्द्र कुम्बज, जयराम वगैरह के नेतृत्व में सांगानेर थाने के बाहर आये । इनको गेट पर रोका गया और इनके मुखियाओं के साथ डिप्टी सुपरिटेन्डेंट ने वार्ता प्रारम्भ की । इसी दौरान जो छ. ट्रैक्टर ट्रालियों में भर कर लोग आये थे उनको इन लोगों ने टौंक रोड, मालपुरा रोड और एयरफोर्स रोड़ पर आड़े लगाकर रास्ता रुकवा दिया । बातचीत के दौरान डीवाई. एस. पी. ने प्रदर्शनकारियों को समझाया कि पुलिस हर सम्भव प्रयास कर रही है । इसके बाद ये मुखिया लोग थाने के बाहर भीड़ में गये और लोगों से बातचीत की । तब तक वहां पर करीब हजार बारह सौ लोग इकट्ठे हो चुके थे । इन सबने थाने के अन्दर जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की । इससे पूर्व भी शुरू में आते ही इस भीड़ के नेताओं ने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था । पुलिस ने इनको थाने के अन्दर आने से रोका व बाहर खदेड़ा । इसके साथ ही भारी पथराव प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कर दिया । जिससे डीवाई. एस. पी. सुन्दरलाल के सिर पर गम्भीर चोट आई ।

(श्री सम्पत राम)

इनको लहुलूहान देखकर थाने के कुछ कर्मचारियों ने इनको थाने के अन्दर ले जाना चाहा ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन भीड़ ने भारी पथराव कर उन तीन कांस्टेबलों को भी चोट पहुंचाई। बमुश्किल डीवाई. एस पी. व उन तीन कांस्टेबलों को जीप में बैठाकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। भीड़ पुनः थाने के अन्दर घुस गई और संतरी की राइफल खोसने का प्रयास किया। क्योंकि पथराव बहुत भारी हो रहा था इसलिए लठीचार्ज करवाना सम्भव नहीं था। एस. एच. ओ. ने भीड़ को गैरकानूनी करार दिया और उसे फौरन बिखर जाने की चेतावनी दी। इसके बावजूद भीड़ नहीं बिखरी तो एस. एच. ओ. के आदेश से तीन कांस्टेबलों द्वारा बीसगोली फर्दन-फर्दन चलाई गई। एक बार भीड़ पीछे हटी लेकिन फिर थाने के दक्षिण की दीवार से अन्दर आने का प्रयास किया। इस पर एस. एच. ओ. ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिये जो गोली किसी के नहीं लगकर तीनों गोलियां थाने की दीवार पर लगीं। इस पर भीड़ थोड़ी पीछे हटी लेकिन पुनः संगठित होकर ट्रैफिक जाम की वजह से वहां खड़ी बसों व ट्रकों पर पथराव शुरु कर दिया और बहुत सारी गाड़ियों के कांच तोड़ दिये व अन्य प्रकार का नुकसान पहुंचाया। भीड़ में से किसी ने हल्ला किया कि पेट्रोल लाकर थाने को आग लगाओ और कुछ लोग पास ही पेट्रोल पम्प की तरफ भागे। इस गैरकानूनी भीड़ द्वारा जन धन को अत्यधिक नुकसान का अन्देशा होने की वजह से एस. एच. ओ. ने पुनः गोली चलाने का आदेश दिया व साथ ही आदेश दिया कि गोली बलवाइयों की टांगों की तरफ ही चलाई जाय ताकि बलवाइयों का कम से कम नुकसान हो सके। इस पर दस चक्र गोली चलाई गई जिससे 6 लोगों की टांगों पर चोटें आईं और एक के पेट पर गोली लगी। इस पर भीड़ बिखरने लगी और जाती हुई भीड़ ने भी खड़ी गाड़ियों पर पथराव किया और सब्जी आदि दुकानों का सामान बिखेर दिया। पुलिस ने पीछा कर 28 व्यक्तियो को जाब्ता फौजदारी के अन्दर गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटना क्रम में 16 पुलिसकर्मियों के, सात पब्लिक वालों के चोटें आई हैं और थाने की खिड़कियां, दरवाजे, टेलीफोन, वायरलैस को भारी नुकसान पहुंचा है। थाना सांगानेर पर मुकदमा 240/90 धारा 147, 48, 49, 332, 353, 336, 360 ताजिराते हिन्द डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वर्तमान में अस्पताल में सात पब्लिक व एक पुलिसकर्मी भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। जिलाधीश जयपुर द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। सांगानेर कस्बे में धारा 144 जाब्ता फौजदारी लागू की गई है। वर्तमान में वहां शान्ति है व दुकानें आदि खुली हैं।

श्री अध्यक्ष माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी : (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय मंत्री महोदय, आपके स्टेटमेन्ट से कई बातें स्पष्ट नहीं होती हुई मालूम पड़ती हैं। आप कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि एफ आई. आर. से क्या मालूम पड़ता है? एफ. आई. आर. क्या है?

श्री सम्पत राम : किन की एफ. आई. आर. ?

श्री हरिदेव जोशी : एक ही जो केस हुआ है उसकी एफ. आई. आर. क्या है ?

श्री सम्पत राम : कौन-सा केस ?

श्री हरिदेव जोशी : डकैती वाले केस की एफ. आई. आर. क्या है ?

श्री अध्यक्ष : जब तक वह एफ. आई. आर. मंगायें तब तक आप और आगे बढ़ें।

श्री हरिदेव जोशी : यह जो लाठी चलाने का, गोली चलाने का वकुआ हुआ वह कितने बजे हुआ ?

आपके पास यह सूचना नहीं है ?

श्री सम्पतराम : आप बिराजें। आप विरोधी पक्ष के नेता हैं आप खड़े हैं तो किस की हिम्मत है खड़ा हो जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे पास उस केस की एफ. आई. आर. है जो डाके का केस है। यही माननीय जोशी जी ने पूछा है। सेवा में श्रीमान इंचार्ज साहब थाना सांगानेर। निवेदन है कि आज रात को मेरे घर के बाहर मैं सो रहा था। करीब रात के 1.30-2 बजे छः आदमी आये और मेरे को उठाकर कहा कि रोटी खायेंगे। मैं उठा, मेरी औरत को उठाया। हम दोनों को बालू के घर ले आये और बालू और लालू की औरत को भी जगा लाये। हमारी औरतों के हाथ पांव बांध बांध कर धमकी देकर एक सिडासी व लोहे की चेन से हाथ पैर के चांदी के कड़े निकाल लिये और मेरे दोनों कानों की सोने की मुर्की निकाल लीं और मेरी औरत के कानों के बाले, पत्ते और गले के सोने के दौला ले गये। बालू के घर में बमई में से और ओवरी में से भी निकाल कर ले गये जिनमें सोने की मूर्तियां भी थीं। दो हजार रुपये भी थे। हम सबको बालू के घर में बन्द करके चले गये कि तुल चिल्लाओगे तो घर में आग लगा देंगे। प्रार्थी—खेम राज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें कार्यवाही पुलिस पढ़ो आप। एफ. आई. आर. के नीचे कार्यवाही पुलिस पढ़ो। (व्यवधान)

श्री सम्पत राम : कार्यवाही का जवाब तो मैं ही दूंगा।

श्री अध्यक्ष : व्यासजी, मैं एक-एक का नाम बोलूंगा। आपके नेता बोल रहे हैं। मैं समझता हूं जोशी जी आपसे ज्यादा समझते हैं। तो जो कुछ भी इनको पूछना होगा पूछ लेंगे। फिर आपका नम्बर आयेगा तो आप भी पूछ लेना।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पत राम : इस पुलिस की कार्यवाही का मैंने यहां पर कहा कि टौंक भी पार्टी गई, जयपुर रूरल में गई, सांगानेर के इलाके में गई और कुछ सुराग भी मिले हैं जो यहां पर डिसक्लोज करना मैं उचित नहीं समझूंगा। पुलिस तो बाकायदा इसकी जांच करने में लगी हुई थी। लेकिन यह संभव हो जाता है कि कभी अचानक पकड़ में आ जाएं और कभी नहीं भी होता।

श्री हरिदेव जोशी : किन्हीं लोगों को थाने में बुलाया गया और रखा गया ?

श्री सम्पत राम : जब तक कोई पक्के सबूत न हो जाएं तब तक थाने में बुलाने से कोई लाभ नहीं होता है । कोई सुराग ऐसा मिले जिससे उनका उस डाके में शामिल होना पाया जाए....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप कुछ व्यवस्था समझते हैं, ? आपके नेता बोल रहे हैं ।

श्री हरिसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आप नेता को नहीं मानते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बैठा दीजिये नेता को । जोशी जी, ये व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं । फरमाइये ।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने एफ. आई. आर. पढ़ने के लिये बताने के लिये कहा था । और एफ.आई.आर. यहां अधूरी पढ़कर सुनाई गई है । आप व्यवस्था देंगे । जो पुलिस की कार्यवाही नीचे लिखी जाती है, That is part of the F. I. R.

श्री दिग्विजय सिंह : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कैसे व्यवस्था नहीं है ? एफ. आई. आर. इनकम्प्लीट है, साहब । कार्यवाही पुलिस is the part of F I.R. इसी में आयेगा और वह पढ़ना पड़ेगा मंत्री जी को ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी सन्तुष्ट हो गये, उन्होंने पढ़ी । सवाल इनका था ? अब और पूछ लेंगे । आपको किसने रोका है ? वह पूछ लेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने तो एवाइड किया है मगर मैंने एडीशनली पूछ लिया है कि आपकी पुलिस की कार्यवाही क्या हुई । एफ. आई. आर. के ऊपर, पुलिस का नोट क्या है, तफ्तीश के लिये कैसे क्या प्रोसीड किया गया है, किस सैक्शन के तहत आपने केस दर्ज किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होगा, माननीय सदस्य जो एक-दो जानकारी करना चाहें, कर लें । जानकारी सब दे दी जायेगी, कुछ भी छुपाई नहीं जायेगी । माननीय जोशी जी पूछ रहे हैं वह तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया कि मुकदमा बनाया गया, अमुक अमुक धारा के अन्तर्गत बनाया गया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्री जी, आप तो समझते हैं । इमीजियेटली जब एफ. आई. आर. दर्ज होती है तो जो एफ. आई. आर. दर्ज करता है वह नीचे कार्यवाही पुलिस लिखता है और तब एफ.आई.आर. कम्प्लीट होती है. It is part of F.I.R. अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. इनकम्पलीट पढ़ी है । अगर मान लो कोई आफेन्स नहीं भी बनता है तो वह नीचे कार्यवाही पुलिस में लिखता है क्या आफेंस बना है, क्या नहीं बना है । वह पढ़ना पड़ेगा आपको । कैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ? It is part of F. I. R.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब वह पहले दिन से ही गड़बड़ शुरू हो गई । जो 395 में डकैती में केस कायम होना चाहिये था वह उन्होंने 458,380 में केस कायम किया है । यह उसी दिन से गड़बड़ शुरू की अन्यथा यह नौबत ही नहीं आती । पुलिस ने लापरवाही बरती और इसके अन्दर कोई रुचि नहीं ली । तभी तो वे लोग वहां शांतिपूर्ण धरना देने आये । तभी माननीय मंत्री महोदय कार्यवाही पुलिस का वृत्तांत पढ़ कर नहीं सुना रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एफ. आई. आर. का पार्ट है । एफ. आई. आर. हाउस की टेबल पर रखवायें, साहब ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : क्या जोशी जी ने समाप्त कर दिया ? अभी जोशी जी बोल रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे संतोष नहीं हुआ है । मुझे आपके उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ है । आप पुराने मंत्री रहे हुए हैं । हमने आपको उस जमाने में देखा है मंत्री के तौर पर इस सदन में बोलते हुए जब आप बहुत कम उम्र के थे । सुखाडिया जी की मिनिस्ट्री के अन्दर लम्बा कुर्ता, काली जाकेट पहन करके और अपनी बात को आप यहां कहते थे अपनी अदा से । तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप किसी चीज को चबा करके नहीं बल्कि यह बतायेंगे कि क्या पुलिस ने पहले डकैती मानी और फिर इसको चोरी के अन्दर बदला ?

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बार-बार यह प्रश्न उठाया और खास तौर से आदरणीय जोशी जी ने भी उठाया कि पुलिस कार्यवाही की वजह से काफी चिन्तित रहे । नीचे पुलिस कार्यवाही यह है कि प्रमाणित किया जाता है कि तहरीरी रिपोर्ट श्री खेमा राम पुत्र श्री कल्याण जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी नई कोटी मीणों की ढाणी और श्री बाबू लाल पुत्र शेखर मीणा निवासी मीणों की ढाणी की गई, पढ़कई सुनाई गई, सही मानी गई । मजमून रिपोर्ट के मध्य विभिन्न धारा 458, 380 आई. पी. सी. को बखूब होना पाया जाता है । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : 458 और 380 का मतलब क्या होता है ? (व्यवधान) 380 किस बात की ? जिस औरत के जबरदस्ती गहने उतार लिये गये, वह चोरी किस बात की ? (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मंत्री महोदय, क्योंकि आप तो वकील भी हैं, आप जानते हैं इन सारी बारीकियों को । आप थोड़ा-सा जो आपका स्टेटमेन्ट है उसमें और पुलिस की रिपोर्ट में कोई फर्क पाते हैं ?

श्री नत्थी सिंह : क्रास एकजामिनेशन थोड़े ही हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रक्रिया तय कर लीजिये । आपको जितने सवाल पूछने हैं एक साथ पूछ लीजिये, ये एक साथ जवाब दे देंगे । यदि कोई बात रह गयी....

श्री हरिदेव जोशी : यह बड़ा डिफिकल्ट है । वे क्या कहते हैं, उसके आधार पर ही तो प्रश्न करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इसलिए जितने प्रश्न हैं आपके, एक साथ पूछ लीजिये, वे सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। प्लीज। फिर उसमें कोई बात बाकी रह जाय तो आप दुबारा पूछ लीजिये। हां, आ। यही करिये। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय मंत्री महोदय, पहले एक धारा के अन्दर और फिर दूसरी धारा के अन्दर कार्यवाही क्यों की गई? क्यों बदला गया इसको? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं बतलाया गया? तीसरी चीज यह है कि जब बकुए के दिन यानी गोली चलने के दिन आये उसके पहले उन्होंने कोई रिप्रजेन्टेशन दिया था क्या? अर्थात् उन्हें यह सन्देह था कि पुलिस ठीक से कार्यवाही नहीं कर रही है तो बाद में लोगों ने, डेलीगेशन ने, जाकर के अपनी मांग रखी थी क्या एस. पी. के पास में? और एस. पी. ने उन्हें आश्वासन दिया था क्या कि हम जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही करेंगे और आपके सामने रखेंगे? इसके बाद में भी जब उनको सन्तोष नहीं हुआ तो ट्रेक्टर ट्रोली में आकर के उन्होंने वहां पर एक धरना देने की बात कही। कहा यह जाता है कि डी. वाई. एस. पी. ने समझाया और उस पर लोग रवाना होने लगे। इसी बीच में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कब तो लोग आये और कब उन्होंने पुलिस हैड क्वार्टर से कान्टेक्ट किया। सांगानेर हवाई अड्डे के पास में है, सेंसिटिव प्लेस है। वायरलैस से जुड़ा हुआ है। शहर का एक प्रकार से हिस्सा है तो कितना समय लगा शहर से कान्टेक्ट करने में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। हां, आप विराजिये। आप जवाब दीजिये।

श्री सम्पत राम : एक प्रश्न तो, अध्यक्ष महोदय, यह आया कि पहले जब स्टेटमेन्ट दिया, उसमें दूसरी धारा बताई गई और यह पुलिस तहरीर में जो कार्यवाही की गई है, एफ. आई. आर. में इसको अलग बताया गया है। यह सत्य नहीं है। इसके बाद में आपने यह कहा कि वहां से वायरलैस से जल्दी कान्टेक्ट क्यों नहीं किया गया, बहुत वाजिब प्रश्न है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वहां तो हालत यह पैदा हो गई थी कि पुलिस का कोई सिपाही या अफसर वहां से बाहर ही नहीं निकल सकता था। सारे टेलीफोन तोड़ दिये गये थे। वायरलैस सैट भी काम नहीं कर रहा था। कोई चीज वहां पर रही नहीं। बिजली भी वहां से उड़ा दी गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ऐसी हालत में कान्टेक्ट करना क्या, जो कुछ खबर मिली थी उसके जरिये और स्वतः वहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के आफिसर्स आये थे। उन्होंने आकर वहां पर सारा मामला देखा लेकिन इसके पहले ही जो गोली चलना-चलाना था, वह हो चुका था।

श्री हरिदेव जोशी : आपका यह कहना फैक्ट से परे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : क्या फैक्ट से परे है?

श्री हरिदेव जोशी : फैक्ट्स से परे यह है कि लोगों ने पहले कोई पहल नहीं की। घटना यह है कि जब डकैती का मामला दर्ज कर लिया गया, चोरी का इलजाम लगाया गया तो पुलिस को चोरी और डकैती में फर्क करना चाहिये। आप बता दीजिये कि चोरी थी या डकैती थी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो एफ. आई. आर. में दर्ज है, वह ही है।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. से मजमून सिद्ध होता है।

श्री हरिदेव जोशी : एफ. आई. आर. में जो विक्टिम्स हैं उन्होंने दफा दर्ज नहीं किये हैं एफ. आई. आर. में तो पुलिस ने दफा दर्ज किये हैं। पुलिस ने दफा दर्ज किया है तो घर में आकर के घुस करके और इस प्रकार के हथियारबन्द लोग आ गये हैं और यह कह रहे हैं यह चोरी है या डकैती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे क्या फर्क पड़ता है ? फेक्ट्स हैं । जो उन्होंने लिख कर दिये, एफ. आई. आर. में फेक्ट्स लिख दिये....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय ने अभी एक प्रश्न उठाया कि चूंकि पुलिस पर इस बात की... माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने इस बात की शंका आपके सामने की और पुलिस को इस बात की शंका थी कि जिस मामले में डकैती हुई, रात को डकैती डाली गई और पुलिस ने उसको चोरी के अन्दर तब्दील कर दिया, उसका डकैती केस दर्ज नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मौके पर..

श्री भैरोंसिंह शेखावत यह गांव वालों की शिकायत है या आपकी शिकायत है ? गांव वालों की शिकायत तो इस पैम्फलेट में है। कोई शिकायत नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गांव वालों की शिकायत से मतलब नहीं है। नेता महोदय, गांव वालों का सम्बन्ध है । जो फेक्चुअल पोजीशन है उससे मतलब है । आखिर कानून के अन्दर जिस ढंग से आप तब्दीली कर रहे हैं कि जिस मामले में केस दर्ज होना चाहिये था, उसमें केस दर्ज नहीं हुआ और पुलिस के ऊपर शंका थी इसलिए वहां पर उन्होंने कुछ दिन पहले जयपुर रूरल के एस. पी. को एक ज्ञापन दिया था।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये पहले। मुझे तो आप इस मामले में लीगल नाइसेटी देना चाहते हैं तो बहस दूसरे तरीके से कराऊं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात को सुन लीजिये । ऐसा है कि पहले आप जो तथ्य हैं तथ्य रखिये। अब चोरी में या डकैती में क्या अन्तर होता है, यह लीगल नाइसेटी है। सुनिये, सुनिये । (व्यवधान) पहले मेरी बात तो सुनिये आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पहले हमारी बात तो आ जाने दीजिये । फिर आप जो व्यवस्था देंगे, बात आ जाने दीजिये। अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस पर बहस कराऊं। मैं पूछ रहा हूं यदि आप इस पर बहस कराना चाहते हैं कि चोरी में और डकैती में क्या अन्तर है तब तो मैं इस पर बहस करा दूंगा। जो आप कह रहे हैं, उस

(श्री अध्यक्ष)

पर बहस करा दूंगा । चोरी क्या होती है, डकैती क्या है । दोनों तरफ वकील बैठे हैं । आप बहस करा लेंगे, मैं सुन लूंगा और यदि आप इस आकरेन्स पर जा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इस आकरेन्स की ओरिजिन पर जा रहे हैं कि साहब आकरेन्स क्यों हुई, इसकी ओरिजिन कहां हैं तो फिर आप तथ्यों पर आइये, आप तथ्य बातें करिये । इसमें फिर आप सेक्शन्स पर मत अड़िये क्योंकि यह सेक्शन का मामला है, वो वकील अपने आप बता देंगे । अब आप तथ्य बोलिये (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : फेक्चुअलस जानना इसलिए जरूरी है कि यह घटना हुई क्यों ? आखिर चोरी, वारदातें होती रहती है, डकैती भी होती है लेकिन नीयत इससे साफ होती है, मालूम था पुलिस को कि किन लोगों ने चोरी डकैती की है, इसलिए जो डकैती का केस बनता है वह उन्होंने 380 में बनाया । यहीं से तो शुरूआत होती है अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना पड़ता है कि नीयत का सवाल है । इसलिए यह चीज तो सामने आएगी । फैक्टस के साथ यह सारी चीजें आएगी । एफ. आई. आर. इतनी क्लियर है । जिस एफ. आई. आर. को 380 में केस दर्ज कर दिया, उस एफ. आई. आर. को कोई भी सब इन्सपेक्टर नहीं कह सकता कि यह 380 का केस है । स्ट्रेट वे वह 395 का केस बनता है । फिर 380 का केस कैसे दर्ज किया गया ? यहीं तो मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी गड़बड़ी की गई है । जान बूझकर की गई है क्योंकि उन लोगों को बचाना चाहते थे और यही कारण था कि लोग नाराज होकर के पुलिस स्टेशन पर आये (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था जैसाकि अभी माननीय देवपुराजी ने इस बात का जिक्र किया, उसका सन्दर्भ इसलिए आवश्यक है कि पुलिस के जिनके कम्प्लेन्टस को यह शिकायत की थी कि शायद पुलिस कार्यवाही करेगी या नहीं, यह शंका थी और इसी शंका को लेकर के वे एस पी. रूरल से मिले और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया । ज्ञापन देने के बाद में उनको यह कहा गया कि हम जल्दी तफ्तीश कर रहे हैं । उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर उन ग्रामवासियों ने 36 घण्टे का अल्टीमेटम दिया कि 36 घण्टे के बाद कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे । तब यह मामला इसलिए पैदा हुआ कि उन्होंने धरना देने के लिए एक योजना बनाई । यह बात पुलिस को पहले से मालूम थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, शान्तिपूर्वक तरीके से चार ट्रैक्टर ट्रोली में वे लोग आये । पहले वहां गांव के लोग केवल मात्र 4 ट्रैक्टर ट्रोली में थे । और टोटल उनकी संख्या 200–250 से ज्यादा नहीं थी । माननीय मंत्री महोदय स्वयं कह रहे हैं कि सीधे ही पहले वह थाने में घुसते हुए चले गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं स्वयं मौके पर वहां पर कम से कम 5–6 लोगों से मिल कर आया हूं अभी, मुझे अच्छी तरह से मालुम है, उन्होंने शांतिपूर्वक स्टेज लगाया है माइक लगाया है, बाकायदा वहां भाषण हुए हैं आप जिस शंकर मीणा और जयराम मीणा की बात कह रहे हैं

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उन्होंने वहां पर भाषण दिये हैं। सही मायने में चौराहे पर ऐसी नहीं है कोई पहली बार मीटिंग हुई हो । कई बार, मंत्री महोदय, वहां पर सभाएं अलग-अलग विभिन्न तौर पर होती रही हैं पहले भी । इसलिये थाने सामने उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर मीटिंग की और उसमें लोगों ने भाषण दिये । भाषण देने के बाद नेचुरली है कि दो सौ, ढाई सौ लोग कुल थे लेकिन रास्ता आने जाने वालों का बहुत था, बसें वहां से कई आ रही थी, कई गाड़ियां आ रही थी वह भी रुक गई, वह भीड़ में देखने के लिये रुक गई कई लोग इस तीज के मेले पर....

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने यह वाक्या अपनी आंखों से देखा ? यानी चश्मदीद गवाह थे आप या हियर से कह रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कोई बात है, आप चश्मदीद होकर आते हैं सब जने । बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : सम्पतरामजी ने आंखों से देखा है क्या ?

श्री सम्पत सिंह : यह कानून के ज्ञाता हैं, सुनी सुनाई बात को ऐसे कहेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : आप जो बात बोलते हैं, सब चश्मदीद गवाह होते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आंखों देखी बोलते हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : बेकार में इसको उलझाओ मत आप ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप क्या चाहते हैं हम चश्मदीद गवाह होते उसके ।

श्री सम्पत सिंह : मैं आप से पूछ रहा हूं...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, आसन से क्यों पूछ रहे हैं ? ऐसा है न तो प्रत्यक्षदर्शी मंत्रीजी हैं । मंत्रीजी जो जवाब दे रहे हैं वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उनको भी तथ्यों की जानकारी सरकार ने दी है वह तथ्यों की जानकारी है । हम पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, पब्लिक ने हमको दी है । हमें इसका फैसला करना है । पब्लिक के नुमाइन्दे हम हैं, हमको वहां की जनता ने जो मामले सामने रखे हैं उनको हम रख रहे हैं । मंत्री महोदय भी मौके पर नहीं थे, उनको सरकार ने तथ्य दिये हैं वह बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मैं एक जानकारी चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री सम्पत सिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी चाह रहा हूं, भारतीय.... (व्यवधान) आप ऐसे डरा देंगे मुझे । आप ऐसे डरा देंगे मुझे ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हां हां, मैं बता रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं। आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पाइन्ट आफ आर्डर बोले ही नहीं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : सदन का समय आप जाया कर रहे हैं, आपके पास कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : हां, तो आप अपनी बात कहिये

श्री अध्यक्ष : बोलें तो सही वह क्या पाइन्ट आफ आर्डर है। आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ? आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना वजह उत्तेजित हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी जानकारी चाह रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी बोले ही नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये आप। जानकारी आप उनसे अलग से लेना।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने तो दीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जानकारी वह अलग से भी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है, सुन तो लो पहले आप। नहीं होगा तो कह दूंगा नहीं है। सुन तो लो पहले आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मौजूद नहीं थे, बहुत से मसले उठाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर आपका। आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर सुनिये।

श्री सम्पत सिंह : हो सकता है, मैं आपकी बात की ताईद करूं लेकिन पेशेन्स तो रखिये।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य धाराप्रवाह यह कह रहे हैं कि सांगानेर थाने के सामने यह हुआ। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने यह वाकिया अपनी आंखों से देखा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठिये। आप बोलिये, जनार्दन सिंहजी बोलिये। आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर ही नही समझते हो क्या ?

श्री सम्पत सिंह : इसलिये मैं कह रहा हूं एक पंक्ति में मेरी समस्या पूरी हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : आप चश्मदीद गवाह हैं क्या ? उसमें अगर चश्मदीद गवाह थे तो बताइये ।

श्री सम्पत सिंह : एक पंक्ति में मेरी बात पूरी हो रही है । इसकी तफ्तीश होगी, यह मामला सबजुडिस भी होगा, इसलिये वह गार्डेड लैंग्वेज रखें माननीय सदस्य; जिससे मुस्तगिस और मुल्जिम दोनों के साथ में प्रभाव नहीं पड़े । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । आप बैठिये प्लीज । बोलिये जनार्दन सिंह जी ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था माननीय मन्त्री महोदय को, वह करीब पांच बजे की घटना है । दौलावास गांव से जब वह आये, चार ट्रैक्टर ट्राली में कुल आये । उन्होंने आकर वहां मंच लगाया । मंच लगा कर वहां पर भाषण दिये । जिन बातों का मंत्रीमहोदय ने जिक्र किया, शंकर मीणा और जयराम मीणा ने भाषण भी दिये । सही मायने में उस समय तक कोई ऐसी वारदात वहां नहीं थी । लोगों ने भाषण दिये । लेकिन चूंकि वह एक मैन रास्ता है जिसमें टोंक से आने वाली और जयपुर से जाने वाली दोनों तरफ से बसें चलती हैं । एक और भी, अध्यक्ष महोदय, यह था कि तीज का त्यौहार आज है तो लोग गांवों से बसों में तीज का मेला देखने के लिये भी आ रहे थे । स्थिति यह है कि कई लोग जो गांवों से आते हैं वह एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज देखने वालों की बसें भी थीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बसों के अन्दर जाकर कुछ लोग हवाई जहाज देखने वाले भी थे, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सही मायने में इस वारदात के लिये केवल मात्र दो सौ-ढाई सौ लोग आये थे जो अपनी मूल बात कहना चाहते थे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सिजारा लेकर आये होंगे, माननीय सदस्य ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पब्लिक मीटिंग अच्छी तरह से हो गई तो एक बात यह हुई, उसके बाद यह कहा, वहां के डीवाई.एस.पी. ने यह इत्तला कराई कि भाई, आपका कोई ज्ञापन हो तो आप हमारे पास भेज दीजिये या आप आकर बात कर लीजिये । तो तथ्य सही मायने में यह हैं । उसके बाद प्रतिनिधि मंडल गया है । उस पब्लिक मीटिंग को करने के बाद बाकायदा प्रतिनिधि मंडल गया है । उस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस को एक ज्ञापन दिया है । पुलिस को ज्ञापन देकर जब वह वापस लौटने लगे तब तक कोई वहां पर वारदात नहीं थी, कोई ऐसी घटना नहीं थी और न कोई प्लान्ड वे में पत्थर ट्राली में भर कर लेकर गये थे । कोई पत्थर पहले ले जाये नहीं गये थे । तो ऐसी स्थिति के अन्दर जब वहां पर ज्ञापन देकर लौटने लगे उस समय तक तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । लेकिन अचानक आर.ए.सी. पहुंची वहां

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

पर आर.ए.सी. ज्यों ही वहां पहुंचती है, ज्यों ही यह लोग बाहर निकल रहे थे उस समय आर. ए. सी. ने पहुंचते ही न तो कोई देखा और उतरते ही वहां पर उन्होंने लाठी-चार्ज करके पूरी पब्लिक को मारना शुरू कर दिया। सही मायने में पब्लिक को मारना शुरू कर दिया। जो शांतिपूर्वक ज्ञापन देकर बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और ऐसा लाठीचार्ज हुआ कि शायद आसपास से जाने वाली बसों के जो लोग दर्शक थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। नतीजा यह हुआ कि वहां पर त्राहि त्राहि मच गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पुलिस ने यह वर्णन दिया, बहुत पत्थर फेंके गये। यह बात सही है 10-20 पत्थर जरूर पड़े हैं। क्योंकि उस चौराहे का सर्कल है उस पर ज्यादा पत्थर थे ही नहीं। वहां का ट्रैफिक ऐसा है, एयरपोर्ट जाने के लिये वी. आई. पी. का रास्ता है। वहां पर पत्थर मिलेंगे कहां से? रोजाना मतलब पुलिस वहां पर रहती है और वी. आई. पी. रोज एयरपोर्ट से आते हैं। वहां पत्थर कोई पड़े हुए नहीं थे लेकिन दस बीस पत्थर जरूर वहां पर पड़े थे। तो वहां पर कुछ लोगों ने वह पत्थर फेंक दिये। पत्थर फेंकते ही नतीजा क्या हुआ कि बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके बाद, लेकिन पुलिस ने एकदम से इस बात के लिये फायरिंग के आदेश दे दिये और वहां पर फायरिंग चालू हो गई। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि थाने की दीवार पर तीन लगीं। माननीय मन्त्री महोदय, आप जाकर वहां मुआयना देखिये, वहां पर सैंकड़ों के बीच में अभी गोलियों के निशान लगे हुए हैं, मैं देख कर आया हूं। एक सैंकड़े के अन्दर तो गोली बाईपास कर गई है दीवार के ऊपर। गोली वहां चली है, खाली थाने पर नहीं। चौराहे से लेकर दायीं तरफ सांगानेर की तरफ जाने वाले पुल के पहले तक दुकानें जहां हैं वहां तक फायरिंग हुई है। उसके बाद आगे पैट्रोल पम्प के आगे तक गौशाला के पहले तक फायरिंग करने के लिये पुलिस भागी है और वहां तक फायरिंग हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ अखबारों में वर्णन दिया कि कलक्टर और एस. पी. के जाने के बाद फायरिंग का आर्डर हुआ है। यह भी बिल्कुल गलत....

श्री सम्पत राम : यह किसने कहा है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कलक्टर और एस.पी. सवा आठ बजे पहुंचे हैं जबकि फायरिंग साढ़े छह बजे हो गयी। कलक्टर और एस. पी. बाद में पहुंचे हैं और फायरिंग पहले हो गई।

श्री सम्पत राम : यह किसने कहा है, यह तो मैंने स्वीकार किया है पहले ही।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : चलिये आपने स्वीकार किया तो....

श्री सम्पत राम : और आप अगर मौके पर गये थे सारा देखा तो 15-20 ही पत्थर थे कि और ज्यादा हैं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सही मायने में अभी तो वहां थाने वालों....

श्री सम्पत राम : नहीं-नहीं, आप देख कर आये थे तो चलो इसी को मान लेंगे, वहां 15-20 पत्थर थे कि ज्यादा हैं? आप मौके पर होकर आये हो, कम से कम यह तो बता दीजिये।

(86)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज की तारीख में तो वहां सड़क पर एक भी पत्थर नहीं है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, सात लोगों के मामूली चोटें आई....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि केवल मात्र सात लोगों के मामूली चोटें आई। जबकि सही मायने में इमरजेंसी के अन्दर बाहर लिस्ट टंगी हुई है, वहां पर दस लोग अभी भर्ती हैं। दस आदमियों में से एक पुलिस के डी.वाई.एस.पी. सुन्दरलाल, बाबूलाल और कैलाश हास्पिटल में कोमा में पड़े हैं। भरतलाल 2-डी और ग्यारसीलाल 3-डी में है। गंगासहाय, 13 साल का बच्चा जे. के. लोन में भर्ती है। दिनेशसिंह, शम्भूसिंह और चौथमल ओ. पी. डी. में भर्ती है। इनके अलावा और लोगों के भी लगी है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। किसी के कहीं, किसी के कहीं लगी है। कई दुकानदारों के लगी है और बोलवा में कई लोग प्राइवेट डिस्पेन्सरी में, मंगलराम मीणा प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पुलिस की दहशत से भाग गये। किसी के आंख पर और किसी के सिर में लगी है और गोली से बचने के लिए वह भागे और कई लोग आज भी हास्पिटल में गये नहीं और प्राइवेट इलाज के लिए घूम रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना हुई सो हुई उसके बाद इस प्रकार की वारदात में जब लोग गोलियां लगने के बाद नीचे गिर गये। वहां के दुकानदार सही मायने में क्योंकि तीज का त्यौहार है, हर आदमी मिठाई बेचने में लगा हुआ है। उस चौराहे पर कम से कम सौ-सवा सौ दुकानें हैं जिनमें दुकानदार अपना धन्धा कर रहे थे, जिनका वारदात से कोई लेना देना नहीं। जब यह फायरिंग हुई और जो-जो लोग नीचे गिर गये। हा हाकार मचा तो गोलियों की आवाज सुनकर दुकानदार बाहर आये और नीचे गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए निकले तो फिर पुलिस ने फायरिंग किया। यही नहीं, सारी घटना होने के बाद सारे दुकानदार डर के मारे अपना-अपना शटर जिन्होंने गिरा दिया, पुलिस ने उसके बाद हर शटर को खोल कर लोगों को बुरी तरह से मारा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस गोलीकाण्ड में घायल हुए लोगों में से कई एस. एम. एस. हास्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन उसके बाद जिन दुकानदारों के साथ चोट हुई है जिनकी दुकानों के शटर खुलवा कर निकाला गया उनमें रामकरण महरवाल, खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार, दुकान के अन्दर शटर खोल कर बैठे थे इनको बाहर निकाल कर पीटा गया और उसके बाद मिठाइयां पुलिस ने लूट ली। इसी प्रकार प्रभुनारायण मीणा, चाय वाले को जो भट्टी सरका कर शटर खींच रहा था, उसको भी इसी ढंग से पीटा गया। इसी प्रकार गोपाल जांगिड़ को दुकान से बाहर निकाल कर पीटा गया। रामसहाय नाम का जो सब्जी की दूकान लगा कर बैठता है, उसका नौकर और वह दोनों बैठे थे। उसके नौकर को

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

पकड़ कर पुलिस वाले मारते-मारते थाने में ले गये। इसी प्रकार सैनी ढाबा, वहां पर भोजनालय है, उसका मालिक काउण्टर पर बैठा हुआ था उसको काउण्टर से घसीटते हुए थाने में ले गये। इसी प्रकार थाने के बिल्कुल सामने गोविन्द किराना स्टोर है उसके मालिक भगवानसहाय को बुरी तरह लाठियों से मारा और दुकान का सामान पुलिस वाले लूट ले गये। इसी प्रकार राधा सोनी नाई की छोटी सी दूकान लेकर बैठा है उसके पैर में चोटें आई हैं, मैं खुद देख कर आया हूं। इसी प्रकार ईश्वरलाल तेली....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे वह सीन याद आ रहा है जब जयपुर में चुनावों के दौरान सरेआम लोगों की दूकानें लूटी गईं। सरेआम लोगों को पीटा गया। शटर खोल-खोल कर तोड़े गये। मुझे वह भी याद है.... (व्यवधान) राजा मानसिंह को गोलियों से भून दिया गया, मुझे वह भी याद है। मुझे क्या याद दिलाते हो....मैं आप लोगों की अकर्मण्यता का ताण्डव देख चुकी हूं। मैंने देखा है सारी सरकार कहीं नहीं थी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था इसी प्रकार ठेला लगा कर सब्जी बेचने वाला आदमी ईश्वरलाल तेली जो सब्जी के साथ ठेले पर नारियल बेचता था। उसके पास, वह कह रहा था, 80 नारियल थे। वह ठेला लेकर जाने लगा तो ठेले पर लाठियां मार-मार कर, उसके भी पैरों में चोटें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दुकानों में जो लोग थे वहां पर वह डर के मारे भाग गये और पुलिस ने खुले-आम मिठाइयां खाई, घेवर खाये यहां तक कि उन्होंने वहां पर गल्ले लूटे। मन्त्री महोदय, लोग वहां पर अपने गल्ले वैसे के वैसे छोड़ गये उनके गल्ले लूटे गये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन है।

श्री चन्दनमल बैद : पाइंट ऑफ क्लेरीफिकेशन से किसी बोलने वाले को रोक नहीं सकते।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइंट ऑफ क्लेरीफिकेशन यह है कि माननीय सदस्य जो तथ्य रख रहे हैं वह इस मामले की गम्भीरता को समाप्त करने जा रहे हैं। इसलिए कि कभी तो कहते हैं कि तीज के मेले में आ रहे थे। कभी कहते हैं, 15-20 पत्थर थे। जो मौके की स्थिति है उसमें यह डिफरेंट बयान देकर के इस प्रश्न की गम्भीरता को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्टेटमेंट के बाद आप एक नहीं बीस प्रश्न पूछें लेकिन आप इस तरह के तथ्य नहीं रखें जिससे इसकी गम्भीरता समाप्त हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट तो असत्य का पुलिन्दा है। यह और कुछ है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं जो तथ्य बोल रहा हूं इसमें सदन के नेता महोदय मेरे साथ चलें और

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मेरे बयान से मिला लें। इसमें अगर एक भी असत्य साबित हो जाय तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी करूं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं, माननीय सैनी जी बोल रहे हैं। आपकी बात पूरी हो गई ना? चुनौती के साथ पूरी नहीं हुई अभी?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार वहां के दुकानदारों का गल्ला लूटा गया, उनको पीटा गया। लोगों ने अपनी लिस्ट बना कर दी हैं। वहां के गोविन्द सहाय पुरोहित की दुकान लूटी गई उसने बाकायदा लिस्ट दी है अध्यक्ष महोदय, उसके 20 किलो घेवर, 20 किलो बर्फी, 10 किलो बेसन के लड्डू, 8 किलो दाल के लड्डू, 15 किलो दाना, 5 किलो जलेबी लूट कर ले गये। वहां पुलिस वालों ने जिस प्रकार से नंगा नाच किया, एक साथ लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और तीज के एक दिन पहले दुकानों की सारी मिठाइयां लूट ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये। और लोग बोलने वाले हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, यह रोज हो रहा है, राजस्थान के इतिहास में पिछले दो महीने में कितनी घटनाएं हो गई। अगर सरकार ने यही फैसला कर लिया कि पुलिस के माध्यम से जनता को लुटवाने का काम और पीटने का काम करे। राजनैतिक तौर पर जनतन्त्र में कोई छोटा सा प्रदर्शन करे तो निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने की बात करें। ऐसी सरकार को अगर यही काम करना है। राजस्थान की जनता को यह सरकार गोलियों से पिटवाना चाहती है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करना चाहूंगा कि तत्काल वहां के एस. एच. ओ. सुरेश कुमार तेली को निलम्बित करे वहां गोलीकाण्ड में जो भी लोग थे उनकी न्यायिक जांच करवाई जाय।

एक बात और कहना चाहूंगा कि वहां एक जुम्मा नाम का रोडवेज का ड्राईवर है जो हिस्ट्रीशीटर है। वहां उसके 2–4 केस पहले हो गये माननीय मन्त्री महोदय, मैं जो तथ्य बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3-4 मुकदमे उसके ऊपर हैं उनकी वजह से आज जुम्मा नाम का वह आदमी पुलिस का दलाल हो गया है और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है, पुलिस ने एक बन्दूक इस जुम्मा नामक आदमी को दे दी जो सांगानेर रोडवेज का कर्मचारी है, सी.टी.एस. की बस चलाता है और उसके ऊपर 3–4 मुकदमे हैं। वह पुलिस से मिला हुआ है। बन्दूक पुलिस वालों ने जुम्मा नामक व्यक्ति को दी और इस व्यक्ति ने जनता पर फायरिंग की।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये। श्री राजेन्द्र पारीक नहीं बोलेंगे? श्री ईश्वर लाल सैनी। आप बोलिये ना। आपका हो गया है। श्री राजेन्द्र कुमार। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++पुलिस की जो लोगों को पीटा और लड्डू भी खाये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी कहीं पर भी वाक्या होता है तो इसको इस प्रकार से टाल दिया जाता है कि आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न क्या होते हैं, रटे-रटाये प्रश्न होते हैं ? क्या मजिस्ट्रेट से इजाजत ली थी गोली चलाने से पहले ? क्या....।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कायदा है, मैं कायदे की बात कह रहा हूं, आप सवाल पूछिये या कोई नये तथ्य हों तो बताइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यही तो निवेदन कर रहा हूं कि कहीं पर भी इस तरह का गोलीकाण्ड होता है तो उसमें रटी-रटाई कुछ बातें निश्चित हो जाती हैं। क्या गोली चलाने से पूर्व इजाजत ली गई थी मजिस्ट्रेट से ?

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछिये, ठीक है।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या गोली चलाने से पहले वहां पर हवाई फायर किया गया था ?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : आपने स्वर्गीय राजा मानसिंह की हत्या करवाने में क्या सरकार से इजाजत ली थी क्या ? आपको सरकार ने इजाजत दी थी क्या ? आपने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिसकी आत्मा दूषित हो चुकी। +++क्या बात करते हैं ऐसी ?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : उसकी बताइये आप पहले। उस वक्त आपकी सरकार थी। आप पहले पूछ लो....।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आप इस केस से मानसिंह जी की तुलना करना चाहती हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में बात नहीं करें, ये बोल रहे है। हां, आप पूछिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आप इसी नाम को सुनाते रहोगे क्या ?

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : आपने इसी तरह से सरकार से इजाजत लेकर गोली चलाई उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हां, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी ऐसे गोलीकाण्ड होते हैं, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। आपके मार्फत जो भी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है, आप इजाजत दे देते है कि आप मात्र प्रश्न कीजिये और प्रश्न क्या है ? बहुत ही रटे हुए प्रश्न हैं। गोली चलाने से....।

श्री अध्यक्ष : हां, सब लिखी लिखाई ही है बात।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(90)

श्री राजेन्द्र पारीक : गोली चलाने से पूर्व वहां पर क्या गैस छोड़ी गई ? गोली चलाने से पूर्व वहां पर क्या भीड़ को चेतावनी दी गई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो हैं जब तक भी पूछे गये हैं इन प्रश्नों का गोलमोल.... ।

श्री अध्यक्ष : आपके पास प्रश्न नहीं है क्या ? मैं आपको प्रश्न के लिए अलाऊ कर रहा हूं । आप प्रश्न पूछिये । प्रश्न की प्रक्रिया पर अपने विचार जब भी कभी और मौका मिले तब व्यक्त कर देना आप । अभी तो आप प्रश्न पूछिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रश्न है कि गोली चलाने से पूर्व चेतावनी दी गई.... ?

श्री अध्यक्ष : हां, ये मत पूछिये, आपको अच्छे नहीं लगते है तो दूसरे पूछिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये सब प्रश्न पूछने के बाद क्या गोली चलाना बन्द हो जायेगा इस सदन में ? आप बराबर.... ।

श्री अध्यक्ष : सदन में कोई गोली नहीं चलती है । सदन में गोली चलाना बन्द है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को गम्भीरता के रूप में लीजिये । ये तो रटे-रटाये प्रश्न हैं कि गोली चलाने से पूर्व यह हुआ था क्या, गोली चलाने से पूर्व यह हुआ था क्या ? यह पुलिस संवेदनशील क्यों नहीं हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय ? रोज इस तरह की घटनायें होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : हो गया सवाल, अब आप बिराजिये । माननीय श्री ईश्वर लाल जी सैनी । अभी और बोलने वाले हैं, माननीय श्री व्यास जी बोलेंगे । आप भी बोलेंगे ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, माननीय करौली से आने वाले सदस्य विस्तृत घटनाक्रम की जानकारी दे चुके हैं । उन्होंने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूं.... ।

श्री अध्यक्ष : हां, तो ये सवाल पूछ रहे हैं.... ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप बात तो सुनिये मेरी, अगर अब इससे किसी को नाइत्तफाकी हो या इससे कोई एग्री नहीं हो तो वह भी अपनी बात कह दे । एक ही बात का रिपीटेशन हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, ये सवाल पूछ रहे है, हां, बोलिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) **:** गम्भीर मामला है इसको बराबर रिपीट करेंगे ।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आशा है कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आप जरूर जवाब दिलवायेंगे । क्या ग्राम डोलावास की ढाणी मीणा वाली में 18-7-90 को पड़ी डकैती के सम्बन्ध में थाना सांगानेर में उन्होंने जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाई यानि कि हिन्दुस्तान के थानों में वह

91

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

डकैती दर्ज होती लेकिन उन्होंने डकैती दर्ज नहीं कर के चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके विरोध में उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। अगर इसकी सूचना प्रशासन को थी तो प्रशासन ने क्या किया ? अगर ऐसी सूचना थी, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ? धारा 144 जो घटना के बाद लगाई गई है, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना थी तो धारा 144 घटना के पहले ही क्यों नहीं लगा दी गई ? क्या यह सही है कि जिला पुलिस अधीक्षक को ग्रामीणों ने पुलिस एवं मुल्जिम में हुई सांठ-गांठ के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया था ? ज्ञापन यदि दिया गया है तो सदन की मेज पर रखें। क्या यह भी सही है की शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के पूर्व ग्रामीणों ने 36 घन्टे के पूर्व नोटिस दिया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 23-7-90 को दोपहर 36 घन्टे की समाप्ति के बाद ही ग्रामवासियों ने केवल सांगानेर थाना गेट के बाहर प्रदर्शन किया था ? जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलक्टर कब और किस समय घटनास्थल पर पहुंचे ? क्या यह सही है कि जिला कलक्टर खुद ने ही हवाई फायर करने के आदेश दिये ? अश्रु गैस या लाठी चार्ज का प्रयोग भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया गया था क्या ? जिला कलक्टर के हवाई फायर के आदेश के विपरीत पुलिस ने अंधाधुंद भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई ? क्या यह सही है कि भागती हुई भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई और जिससे चलते हुये राहगीर भी चपेट में आकर घायल हुये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई अखबार नहीं पढ़े यहां पर।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या घटना के बाद में भी पुलिस वालों ने लूटपाट की ? ठेले वाले दुकानदारों के सामान को लूटा गया ? जख्मी बाबुलाल, घासीराम, कैलाश, भंवरलाल, ग्यारसीलाल और गंगा सहाय उम्र 13 साल, के चोट किस हथियार से आई है ? कितने चक्कर गोली चलाई गई है ? अंतिम प्रश्न यह है, जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक वहां मौजूद थे या नहीं थे ? ए. डी. एम. भी क्या वहां पर मौजूद था और चूंकि इसमें तफ्तीश ए. डी. एम. को दी गई है, जो इस घटनास्थल पर मौजूद था। ये मेरे प्रश्न हैं, कृपया इनका जवाब अवश्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास। सवाल पूछिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : हां, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतनी गैर जिम्मेदारी की बात की है कि थेफ्ट और डकोइटी में क्या फर्क पड़ता है ? आप और हम जानते हैं कि रोबरी होती है, उसके बाद डकोइटी एफ. आई. आर. के लिए काबिल होती है। आपको यह भी पता है कि इसका प्रोसिजर डिफरेंट होता है, इसका पनिशमेंट डिफरेंट प्रोइवाइडेड है। एक सैशन ट्रायल का केस है, एक मुंसिफीकल ट्रायल का केस है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो डकोइटी के केस को थेफ्ट में कन्वर्ट करे। उसको एजीटेट करे। उसको प्रोटेस्ट नहीं करे। आप खुद मानते हैं कि डे वन से बदमाशी हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय। डे वन में जब आपने केस रजिस्टर्ड किया थेफ्ट का। तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

गांव वालों का प्रोटेस्ट करना क्या गैर वाजिब था ? उत्तेजित होना क्या गैर वाजिब था ? 18 से लेकर 23 तारीख तक पांच रोज तक जिस आदमी ने एफ. आई. आर. प्रसाइड की हो, गलती हो सकती है उसकी । लेकिन बदमाशी भी हो सकती है । परन्तु इसके बाद आप बड़े अफसरान ने उसको देखा । उसके अन्दर डकोइटी एड नहीं किया गया है। 395 नहीं लगाया । 380 बदस्तूर चलता रहा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अध्यक्ष महोदय । यह मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वे धरना देने के लिए आने वाले थे । क्यों धरना देने के लिए आने वाले थे ? पुलिस थाने में और कोई मांग के लिए धरना देने के लिए नहीं आने वाले थे । आपने एक तो केस बिगाड़ दिया और केस के अन्दर आपने कार्यवाही नहीं की । +++ पहले से ही स्पष्ट है । इतने बड़े गम्भीर घटनाक्रम में मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा., अध्यक्ष महोदय । लेकिन यह बात सही है कि माननीय मंत्री महोदय, और आपकी सरकार ईसी तरह से डिफेंड करते रहेंगे। कल यह घटना हुई । सरकार से प्रेस ने सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई भी कर्शन कलक्टर, एस. पी. अवेलेबल नहीं थे । एडीशनल एस. पी. थाने के अन्दर अवेलेबल था । सड़क के ऊपर जो घायल लोग थे, उनको उठाने के लिये जो लोग आये, उनके ऊपर फायरिंग किया गया । यही नहीं जब घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनसे मिलने के लिए कोई गया तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहां पर मौके पर जो एस. पी. मौजूद थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है । इस तरह से आप यह पुलिस राज चलाना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं श्री शंकरलाल जिसने एफ. आई. आर. लोज की है, अब यह सवाल पैदा होता है कि सांगानेर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है । हवाई अड्डे के पास में होने के कारण भी महत्वपूर्ण है और राजनैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्री मण्डल की एक सदस्य उनकी तरफ से पेसिफाई की हुई हैं। श्री शंकरलाल वहां पर एक केण्डीडेट थे, जिन्होंने यह एफ. आई. आर. लोज करवाई है। ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके ऊपर आप स्वयं यह समझ सकते हैं कि आखिर 380 क्यों कायम किया और बदस्तूर बनाये रखा । अध्यक्ष महोदय, जब लोगों ने उत्तेजित होकर चार बजे आने के लिए कहा तो आपने तैयारी करली की जब आयेंगे तब निपट लेंगे । आपने कह दिया कि आयेंगे तब निपट लेंगे। खुद माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लोग चार बजे आने वाले थे वे शाम को आये । उनके लिए दिनभर में क्या तैयारी की ? उनसे पेसिफाई करने के लिए आपने क्या समझाने बुझाने के लिए इस तरह से समझाया बुझाया नहीं जाता है कार्यवाही आपने कोन्स्टीट्यूट की हो सब्स्टेंशियल कोई कार्यवाही की हो वह बतायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन और करना चाहता हूं । ठीक है इन्वेस्टीगेशन की स्टेज

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है मैं यह नहीं कहता अध्यक्ष महोदय, आप पुलिस की डायरी देख लीजिए कि क्या है इन्वेस्टीगेशन में लगातार+++हो रही है और पूरी इन्वेस्टीगेशन फंस हो ही नहीं सकती। यह पुलिस इन्वेस्टीगेशन करे, जो एक पार्टी हो गई, यह सम्भव नहीं है। अगर इसका इन्वेस्टीगेशन कराना है, आप समझेंगे, रोज सी. बी. आई. की मांग करते हैं, मांग नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय, हर केस की नौइयत होती है. हर केस की इम्पोर्टेन्स होती है। इसके अन्दर पुलिस भी निश्चित रूप से एक पार्टी है और जब पांच रोज तक उस केस को उन्होंने धारा 395 का नहीं किया, पांच रोज की घटना हो गई, आज तो आप कहते, मंत्रीजी, आज आप हमको चुप कर सकते थे, आप विपक्ष को चुप कर सकते थे, आप खड़े होकर कहते कि इस तरह से धारा 380 का मुकदमा दर्ज किया गया। कल जब घटना हुई, मेरे ध्यान में आया तो मैंने उसको तो ससपैण्ड कर दिया, मुकदमा धारा 395 का कर दिया, सी. आई. डी. क्राइम के अन्दर ट्रांसफर कर दिया, आज विपक्ष चुप होकर बैठ जाता, हम लोग चुप होकर बैठ जाते, कोई बात नहीं कह सकते थे आपके सामने। लेकिन जब यह देखते हैं कि आप ही उसको डिफेन करना चाहते हैं, आप अपने आप को उस इनवेस्टिगेटिंग ऑफीसर से और उस पुलिस से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिसने सांगानेर के अन्दर लोगों पर गोलियां चलाई और कोई पोलिटिकल रीजन से गोलियां चलाई जिसमें कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, डकैती के केस को खराब किया, तो हम निश्चित रूप से आपके ऊपर विश्वास रख कर नहीं चलते। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। आप डायरी मंगवाकर देखें। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो, उनको मुआवजा दिया जाए, दोषी लोगों को सस्पैण्ड किया जाए। कम से कम उसको, जिसने एफ. आई. आर. चौक आउट की है। डायरी से मालूम पड़ेगा, जिस किसी सुपिरियर ऑफिसर ने डायरी देखी है, मैं आधारहीन बात नहीं कहता कि आप किसी भी ऑफीसर को सस्पैण्ड कर दें पर जिस आदमी ने वह डायरी देखी है, इन्वेस्टीगेशन में डइरेक्टली, इनडाइरेक्टली अपने आपको एसोसिएट किया है तो वह निश्चित रूप से गिल्टी है। एक साधारण पुलिस का आदमी भी समझता है कि फैक्ट्स 395 बनाते हैं या नहीं बनाते हैं और मुख्य मंत्रीजी, मैं तो कहता हूं, डिबेट यहीं कन्क्लूड करते हैं, आप खड़े होकर कह दीजिए कि 395 नहीं बनता है। यह आई. पी. सी. पड़ी है और आई. पी. सी. की, जरूरत नहीं, आप समझते हैं इस बात को, खुद जानते हैं। आप यह कह दीजिए कि 395 नहीं बनता है, 380 बनता है; मैं डिबेट यहीं कन्क्लूड कराता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : पुलिस के ऑफीसर रहे हैं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इससे मतलब नहीं है, सीनियर आफिसर रहे या नहीं रहे, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहना चाहता, ऑफिसर रहे या नहीं रहे लेकिन आपका बहुत लम्बा राजनैतिक अनुभव है और प्रशासनिक अनुभव भी आपको है। सब बातों की जानकारी है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(94)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरी स्पष्ट रूप से यह डिमाण्ड है, एक तो इस मैटर की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और यह रोज-रोज सदन के चलते-चलते यह कोई शोभा की, यह अच्छी चीज है क्या ? यह हम करा रहे हैं ? मुख्यमंत्रीजी, आप सोचो तो सही । पहले रोज मण्डावरी काण्ड से चालू हुआ सदन और आज सांगानेर से खत्म करा रहे हैं। यह हम करा रहे हैं ? यह तो मुख्य मंत्रीजी, आपका प्रशासन है जिसकी देन है कि मण्डावरी से आपका सदन चालू हुआ है और आज सांगानेर में फायरिंग के ऊपर जाकर खत्म हो रहा है। इस दरम्यान में कितने मर्डर हो गये, पुलिस कस्टडी में कितने मर्डर हो गए । और मुख्य मंत्रीजी, आप वह दिन क्यों भूल गए जब आप यहां बैठ कर, आप उन्हीं लोगों को, उस व्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मैं मुख्यमंत्रीजी, कभी आपसे अनुरोध नहीं करूंगा कि आप सर्विसेज में डिमोलाइजेशन आने दें या जो भी कोई डिमाण्ड खड़ी हो जाए उसको आप कन्सीडर करें पर कहीं तो जाकर आप रूकें। यह तो आप नहीं मानेंगे, यह आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि सब लोग निर्दोष हैं । हो सकता है हम सब बात कहते हैं उसमें कोई तो सच होगी और हमारे कहने से मत कीजिए, आपकी खुद की आत्मा जहां कहती है, जहां आपकी खुद की कॉमन सेंस कहती है...

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवाल मेरा यह है, मेरी मांग है, सवाल बताया, सवाल मांग है, अध्यक्ष महोदय....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इतना बड़ा यह सवाल है साहब ..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सवाल का तो यह जवाब देंगे ही नहीं । सवाल तो इनसे पूछें जब इन्होंने जवाब दिया नहीं आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए सख्त प्रोटेस्ट करता हूं । एफ. आई. आर. आप देख लीजिए । कार्यवाही पुलिस कोई अलग कागज भी नहीं होता है, पब्लिक डाक्यूमेंट होता है मिनिस्टर साहब, आपने किस आधार के ऊपर एफ.आई.आर. पढ़ करके कार्यवाही पुलिस पढ़ने से मना कर दिया ? चौबीस घंटे के अन्दर कोर्ट के अन्दर एफ आई. आर. जाती है, मैं भी ओब्टेन कर सकता था। आज भी ओब्टेन करके ला सकता था....

श्री सम्पत राम : पढ़ो है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाद में पढ़ो है, इतना जब + + + हुआ, आप सच बताना नहीं चाहते थे...

श्री सम्पत राम : सुनिए, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर देना मेरा काम है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या उत्तर दिया, इतना प्रेसराइज किया आपको..

श्री सम्पत राम : मैं अपने तरीके से सारी इन्फोर्मेशन सदन में दूंगा।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न यह नहीं है मंत्री महोदय, आप यहां पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करने के लिए खड़े हुए हैं..

श्री सम्पत राम : मैं यह अर्ज कर रहा हूं, यह मेरे पास है, इसी में से पढ़ रहा हूं, अलग नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आप यहां पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए थे, रेसिटेशन के लिए नहीं खड़े हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां तो आपने कहां पढ़ा ?

श्री हरिदेव जोशी : आप खड़े हुए थे यहां पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करने के लिए, रेसिटेशन के लिए नहीं खड़े हुए थे।

श्री सम्पत राम : यही तो अर्ज कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि जब यह सांगानेर का मसला है, शंकर लाल वहां पर केन्डीडेट थे, यह महत्वपूर्ण कांस्टीट्वेन्सी है, एक केबिनेट मिनिस्टर की कांस्टीट्वेन्सी है और पुलिस का पाटिशन एटीट्यूट डे वन से है, आज तक है, इस वारदात के बाद में। इसलिए हाऊस की कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इस तरह से नहीं चलने वाला। आप बहुमत में है, राज चलाइए, आपको जनता ने वोट दिया है। पर इसलिए वोट नहीं दिया है कि आप मर्जी आए जहां पर गोली चलवाएं और लोगों को मरवायें। और मुख्यमंत्रीजी (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : गोली नहीं चली है, असत्य बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री अमृत लाल परमार : हटो आप, मेरी जगह यह है, यहां बैठता हूं मैं, हटिए आप, आपने कई काम किए हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री अमृतलाल परमार : आपने कई काम करवाए हैं, क्या बात करते हैं आप.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, व्यासजी, आप बोलिए। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अब...

श्री अमृतलाल परमार : अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत कह रहे हैं, राजनैतिक आधार पर गोली नहीं चली.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठिए अमृतजी..(व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : मैं उन लोगों से मिल कर आया हूं, मेरे साथ दस लोग और थे जो मिल कर आए हैं, यह बात गलत है....

श्री अध्यक्ष : अमृतजी, बिराजिए। आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

96

श्री महावीर प्रसाद जैन : लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य उनको रोक रहे हैं, उनका क्या कर लोगे आप ?

श्री अध्यक्ष : महावीरजी, प्लीज । ऑर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + आप कोई क्वेरीज नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज....

श्री परसादी लाल मीणा : यहां पर इस तरह की बात करते हैं, + + + यह क्या कर रहे हैं यहां आकर....(व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : मेरी यह जगह है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज..

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है..

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + कोई क्वेरीज करो, जो घटना हुई है उसके बारे में बोलो...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : + + + (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : मुझे + + + आ रही है, आप बैठिए। बोलते हैं तो मुझे + + + आ रही है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनसे कहिए कि अपने स्थान पर बैठें।

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्रजी व्यास बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : आप इनको प्यार, मोहब्बत से कह दो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, उनको अपने स्थान पर भेजिए, वह अपने स्थान पर भेजिए, वह अपने स्थान पर से बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाएं

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, उनको अपने स्थान पर भेजिए आप और हमको अनुमति दें बोलने की..

श्री अध्यक्ष : अपनी सीट पर बैठिए, आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अपनी सीट पर बैठाइए उनको, हमको भी स्वीकृति दी जाय, महावीरजी तो चले गए हैं अपने स्थान पर। आपने ठीक किया है, चले गए जगह पर, अपने स्थान पर. .(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्य स्थिति है कि राजस्थान की सरकार तो यह समझती है कि इनको जनता ने वोट देकर सरकार में इसलिए बैठाया है कि शासन तंत्र जो मर्जी आए वह करे, उनको खड़े होकर यहां डिफेन्ड करना है..

श्री चन्दनमल बैद : कि गोली चलाएं

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और भारतीय जनता पार्टी के....

श्री रामस्वरूप मीणा : कहने के बावजूद भी वहां पर बैठे हुए हैं माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कैसे रोक सकते हैं किसी माननीय सदस्य को वहां पर बैठने से+++ ? बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिए। बोलिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह वहां भेज रहे हैं, मतलब क्या है आपको ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बड़ी विडम्बना है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपने बयान का परिचय यहां दे नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना इम्पोर्टेन्ट मसला है और इतने अच्छे वकील और भूतपूर्व होम मिनिस्टर के लड़के हैं, कहते हैं अच्छे वकील हैं....

श्री अध्यक्ष : खुद भी मिनिस्टर हैं, आप बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अच्छी क्वेरीज करिए, उसमें क्या अनियमिततायें हुई हैं, वह बताइए, आपस में लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए महावीरजी। बैठिए, बैठिए.... (व्यवधान) जुबेर खान जी, अब आप काहे के लिए खड़े हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान की सरकार तो यह समझती है कि इनका कर्तव्य यह है कि यहां बैठ कर शासन तंत्र के अन्दर, ब्यूरोक्रेसी के अन्दर या पुलिस में जो गोलियां चलें। गलत काम हों, खड़े होकर उनको यहां डिफेन्ड करना है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जहां भेजा है, सरकार जो कह रही है, हमको हां में हां मिलानी है। विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है, उसका विरोध करना है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर यह नहीं चलेगा......

श्री किशनाराम : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भावनाओं को भड़काने वाली बात कही.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री किशनाराम : पहले भी उन्होंने कहा था कि+++और आज फिर उन्होंने इस तरीके की बात कही है........

श्री अध्यक्ष : वह अब समाप्त कर रहे हैं (व्यवधान) । प्लीज माननीय सदस्य.... । वह समाप्त कर रहे हैं । आप बैठ जायें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रशासनिक मामले को राजनैतिक रंग दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया, बैठिये आप । मैं समाप्त करने के लिए कह रहा हूं । अब आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं । यह कितनी गोलियां चलायेंगे ? गोली चलाकर पूरी जनता को समाप्त करना चाहते हैं ? मैं तो दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा....

श्री अध्यक्ष : मै आपकी बात के लिए कह रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह दमनपूर्ण कार्यवाही समाप्त करने के लिए कहिये, इस सरकार को । हमको समाप्त करने के लिए क्या कहते हो, हम तो समाप्त कर देंगे । यह गोली का राज चलाने के लिए पूरी बात सुनना नहीं चाहते हैं....

श्री जगतसिंह दायमा : यह पुलिस को किसने प्रतिष्ठित बनाया है । उस दिन तो बोल नहीं रहे थे । आज यहां पर बोल रहे हैं । किसने पुलिस को प्रतिष्ठित किया । चालीस साल तक नहीं बोले....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था एक तो इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए.... (व्यवधान) ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप यह पुराना (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनें । दायमा जी सुनिए । मीणा साहब आप बार-बार मत खड़े होइये ।

श्रीजगतसिंह दायमा : कांग्रेस पार्टी इज रेस्पोंसिबिल फोर पुलिस''''(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए । यह बोल रहे हैं । हां बोलिए ।''''फिर आप खड़े हो गये ?''''

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्माननीय—

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सत्ता के लोग चाहते हैं कि गोली का राज चलता रहे तो हम लोग नहीं बोलें तो आप यह व्यवस्था दे दो कि गोली चलाने का अधिकार दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे हैं ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्रीजी उठेंगे अपनी चेयर से और यह कहेंगे कि विरोधी पक्ष वाक आउट करके चला गया''''

श्री जगतसिंह दायमा : हम न्याय करेंगे, यह वायदा है हमारा ।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लुड करिये ।....प्लीज आप कनक्लूड करने दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्माननीय बी. जे. पी. और जनता दल के सदस्यों को यह आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह से गोली राज को सपोर्ट किया तो आज पब्लिक को मार रहे हैं कल आपको भी मारेंगे । आपकी कोई मदद नहीं होगी । आप मिनिस्टरों के यहां + + + (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय ईश्वरलालजी कह रहे थे मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं । यदि मुख्यमंत्रीजी यह समझते हैं कि विपक्ष को यह मौका मिल गया इसलिए विपक्ष भाषण देकर के वाक आउट कर जायेगा तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मुख्यमंत्रीजी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण तो मत रखो कि विपक्ष वाक आउट कर जायेगा, विपक्ष वाक आउट करे या न करे आपको जानकारी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए । विपक्ष से क्या मतलब है ? आपका नैतिक दायित्व है, आपका कानूनी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । श्री हेतरामजी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी मांग सुनें । आप सस्पेण्ड करें इन लोगों को, इनके खिलाफ मुकदमा चलायें । जिसने गोली चलायी उसको सस्पेण्ड करे ।

एक अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल है । एफ. आई. आर. माननीय गृहमंत्रीजी पढ़ नहीं रहे हैं । आपने जो एफ. आई. आर. सब्सिक्वेंटली फायरिंग की है, वह नहीं पढ़ी, वह जरूर पढ़कर सुना दीजिए । पहले यह पढ़कर सुना दीजिए । सवाल उससे पैदा होगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए । श्री हेतरामजी आपने पूछ लिया । वह बता देंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने पुलिस की फायरिंग पर अपना बयान पढ़ा है । मुझे इस बात से बड़ा अफसोस हुआ । मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि मैं एक शब्द नहीं बोला और आप इस तरह की बात कर रहे हैं । उससे लगता है कि आप जो कुछ करेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति से सुनें । आप बोलिए । जैसे आपने शुरू किया वैसे ही बोलें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं बोलूंगा जरूर । पर मैं यह समझता हूं कि पुलिस ने क्या कुछ किया है ? पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चलायी है । लिखा यह गया है कि असामाजिक तत्व हैं । क्या जनता जो गयी थी जेब कतरे थे, स्मग्लर्स थे । गुण्डों का गिरोह था ? जिसका मुकाबला करने में पुलिस ने गोली चला दी । यह आप इस तरह का बयान दे रहे हैं और एक तरफ यह है कि दो पक्ष हो रहे हैं । एक पक्ष उस गोली के पक्ष में है दूसरा उसके खिलाफ में है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

अनेक माननीय सदस्य : हम पक्ष में नहीं हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हेतरामजी आप मुद्दे की बात कहो। जब हम बोलेंगे तो यह बात प्रमाणित हो जायेगी कि हम गोली के पक्ष में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपका स्वागत करूंगा। जो व्यवधान डाल रहे हैं, उनके लिए कहा। मैंने किसी पुलिस वाले का नहीं बताया। क्या आप यह समझते हैं कि''''(व्यवधान)।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। प्लीज माननीय सदस्य। अपोजिशन के लोग यह कहते हैं कि गोली चलाने की आदत हमारी हो गई। मैं यह जानना चाहती हूं कि घना गोली काण्ड भरतपुर में, जयपुर में गोलियां चलायीं, अलवर में यह गोलियां किसने चलायी ? हमने चलायी या आप लोगों ने चलायी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पुरानी बातों को कहकर बचना चाहते हैं....पुरानी घटनाओं की आड़ कब तक लेते रहोगे.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शांति से सुनिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारी बातों को हल्के तरीके से उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उजला जी बैठिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं इस बात को समझता हूं, सत्ता पक्ष की इस तकलीफ को समझता हूं कि सेशन के दौरान, एक महीने की असेम्बली के अन्दर चार बार राजस्थान की जनता पर गोली चल चुकी है और दर्जनों निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि क्या उनके दिमाग में यह बात आयी है कि ये जो पुलिस है जैसा एक साथी ने यहां इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के चालीस साल के शासन में भ्रष्ट हो चुकी है, निश्चित रूप से मुल्जिमों के साथ मिलकर चालीस साल तक इसने राजस्थान की जनता पर जुल्म किया है। इस वजह से इनकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। क्या आप इसको महसूस करते हैं ? अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह चिन्ता करनी चाहिए कि पुलिस भी कभी गलत हो सकती है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि पुलिस ने जो व्यवहार किया है उस सम्बन्ध में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन औरतों के गहने उतारे गये, अखबारों में खबर छपी है उनकी नाक और कानों से जबरदस्ती कांटे उतार लिये गये और उनके चोट भी लगी। क्या यह सत्य है ? क्या पुलिस ने यह देखा है कि जिनका मुकदमा दर्ज किया है चोरी का उनकी औरतों के कांटे जबर-दस्ती उतार लिये गये ?

दूसरा यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह पता लगाया कि धरने वाले चार बजे आ रहे थे और चार बजे के बजाय 13 घण्टे बाद आये ? क्या उससे पहले जिस जगह पर पांच दिन हो गये घटना हुए और जो राजधानी से 6 किलोमीटर दूर पर है यहां से कोई मंत्री गया ? क्य कोई प्रतिनिधि छोटा मोटा मंत्री, 31 मंत्री हैं, क्या किसी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी शिकायत सुनता। पुलिस पर इतना विश्वास करके आपने सोच लिया कि पुलिस ठीक कर रही है।

इसके बाद एक बात यह पूछना चाहूंगा आपने वक्तव्य दिया कि कुछ असामाजिक तत्व वहां पर गये और उन्होंने हमला कर दिया। पत्थर मारे, ईटें तोड़ दी, क्या जिसने लोग, दो सौ लोग गये थे एक वह जितने पूर्व चुनाव लड़ा था, एक उसके साथ वहां का किसान, वह क्या सारे असामाजिक तत्व थे किस रूप में उनको निरूपण कर दिया ?

तीसरी बात यह है–आपने यह कहा कि थानों में घुसने की कोशिश की, रायफल छीन ली, क्या एफ. आई. आर. दर्ज हुई है उसमें मुकदमा 395 में दर्ज किया है, रायफल छीनने का। जो कुछ पुलिस ने लिखकर दे दिया वह आपने पढ़ दिया इस बयान पर मुझे एतराज है। आप पूरी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप इस प्रदेश की पूरी जनता के वोट लेकर आये हैं आप न्याय करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या थी ?

एक बात यह है कि इसमें आपने कहा है कि 16 पुलिस वालों को चोटें आई और जनता को आई 7 को, यानि जिन लोगों के गोली लगी। जनता के वह चोट तो जनता के आ गई, और बाकी पुलिस वालों को, जिनके मामूली खरोंच आ गई, भागते हुए या जाते हुए खरोंच आ गई, उसको आपने दर्ज कर लिया। सोलह साल तक आप लिखते रहे, 20–25 साल तक वही आप लिख रहे हैं, और वही आप दे रहे हैं। आपने एक और बयान दिया है, कि इस मामले में कि पेट्रोल पम्प की तरफ भागे, यह सारा वातावरण नकली लगता है क्या आपने यह दिखा दिया, जनता पेट्रोल पम्प की तरफ भागी ? जैसे पेट्रोल पम्प खुला ही पड़ा है, वहां पर कोई तालाब है, उससे भरकर ले जायेंगे। यानि पेट्रोल पम्प एक तालाब है, और वहां से जो जायेगा, बाल्टी उठाकर ले जायेगा और डालकर थाना जला देंगे, किस तरह की मजाक की बात है। इससे मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से पुलिस पर वह बहुत विश्वास किया है। दूसरे मुझे आपसे कहना है, इस मामले में कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया 307 का। आपने यह पढ़ा कि, मुकदमा नं. 240/90/307 है, पब्लिक के खिलाफ और आपने किनके खिलाफ किया है, जो वहां प्रदर्शन करने आये, जिन्होंने आपसे बातचीत की, जिन लोगों ने डी. एस. पी. से बातचीत की, जिन लोगों ने थानेदार से बातचीत की, जिन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने दरख्वास्तें दीं, आपने उन लोगों का मुकदमा दर्ज किया। मुझे पूरा याद आता है। मैं 20–30 साल इसका भुगतभोगी हूं, यह सारे यही करते रहे, यही काम करते थे कि जो जनता कि शिकायत लेकर आये, उस प्रतिनिधि को जरूर फंसाते थे। मेरा निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, मुख्यमंत्रीजी से, कि इस तरह का काम इस नयी सरकार में नहीं होना चाहिये, कि जो प्रतिनिधि जनता की आवाज लेकर आये, जिसने ठीक है, पत्थर मारे, गड़बड़ की, वह पत्थर का मुकदमा बन गया, जिसने पीटा, पीटने का बन गया और वाकई

(श्री हेतराम बेनीवाल)

307 है, तो 307 का बन गया, क्योंकि यह जो मुकदमा है, पुलिस में अपने को डिफाइन्ड करने के लिए बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे अन्त में एक बात कहनी है कि मजिस्ट्रेट जो है, इतना नजदीक से वाकया हुआ है, गोली चलाने के वक्त कौनसा मजिस्ट्रेट था और किसने आर्डर दिये। लाठीचार्ज का किसने आर्डर दिया। क्योंकि लाठीचार्ज होने के बाद 200 आदमी ठहर नहीं सकते। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर वाकई 200 आदमी थे, यह तो आप भी मानते हैं, और जो वहां गये, करौली से आने वाले माननीय साथी, वह भी मानते हैं कि 200 आदमी थे। अगर 200 आदमियों की भीड़ थी, तो लाठीचार्ज के बाद ठहर नहीं सकती। गांव के लोगों की भीड़ थी, कोई इस तरह से विद्यार्थी या और लोग नहीं थे। उन लोगों की भीड़ को लाठी वाले जरूर भगा सकते थे। मुझे इस बात का शक है कि वहां कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं सिर्फ कहीं पत्थर चले हैं, यह मैं भी मानता हूं कि पत्थर चले होंगे और पत्थर चलने के बाद सीधी टांगों में गोली मारी गई। यह निश्चित है कि राज्य सरकार के उन अधिकारियों ने गोली छाती में नहीं मारी, या ऊपर नहीं चलाई, किसी के लगी नहीं, टांगों में गोली चलाई और सीधी गोली मारी। यह जो घटना है, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं.....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : गोली पैर में लगी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि सारे सत्ता पक्ष के सदस्यों से और विशेष तौर से जनता दल से, कि वह बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। यह तो शोर कर रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप बैठे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इजाजत तो मांग कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हां-हां बिल्कुल। और मैं आपका समर्थन करता हूं इस बात में हम यह कोशिश करें, जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे कोई भी पक्ष रखे, कोई भी वर्ग रखे, उसके साथ पुलिस की डीलिंग करने में बदलाव आये।

(1.25 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

उसकी डीलिंग के तरीके बदलने चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में मुख्यमंत्रीजी. जो पुलिस के अन्दर, सारे राजस्थान के अन्दर जिस तरह के तत्व हैं, एक बात और इस घटना से जाहिर होती है कि कोई न कोई शरारत इस पुलिस में चल रही है। कोई राजनीतिक शरारत नहीं हो सकती, कोई उनकी व्यक्तिगत शरारत होगी, या और कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप तत्काल कोई कदम उठायें, कि क्या वजह है कि छोटे-छोटे पब्लिक इशु पर पुलिस इस कदर तक आ जाती है और ऐसे कदम उठाती है। मैं उम्मीद करता हूं, राजस्थान सरकार इस मामले में उस अधिकारी को दण्ड देगी, जिसने इस तरह के बिल्कुल गलत मुकदमे दर्ज करके उनको उकसाया, वास्तव में यह घटना इस बात की है कि एक मुकदमा जो डाके का था, उसको चोरी का बना दिया

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और उससे जनता में गुस्सा आता था, गुस्सा बढ़ता था, भड़कता था, क्योंकि 5 दिन तक इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और पब्लिक अगर घरने तक आ गई, तो कोई गलत बात नहीं थी। मैं समझता हूं, पब्लिक ने अगर पत्थर भी मारे होंगे, तो ऐसे लोगों को सिवाय पत्थर मारने के मुझे कोई इलाज नहीं लगता है। क्योंकि राज्य सरकार 5 दिन तक सुनवाई नहीं करे, वहां तो पत्थर ही चलेंगे, कुछ नहीं होगा। इस सिलसिले में मुझे आपसे कहना है कि निश्चित तौर से इस बात से नहीं घबरायें कि किसी ने पत्थर मार दिये, या पत्थर मारने से आप इरीटेट हो जायें, सरकार में बैठे हुए लोग भी। यह निश्चित तौर से इसको गहराई से लेंगे, और इस मामले में उन लोगों को सजा देंगे। जिन लोगों ने ख्वामखाह इस मामले को भड़काने की स्थिति पैदा की, उन लोगों को सजा देंगे, मुझे यही कुछ कहना है।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापतिजी मेरा नाम।

श्री सभापति : नाम बोल दिया गया है। सुन लीजिए जरा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एफ. आई. आर. जो.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। कृपया बिराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमें अवसर देंगे!

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई है, वह पढ़ दीजिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाये। आप एफ आई. आर. पढ़ दीजिए ताकि स्थिति का पता चले.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रामस्वरूपजी....

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य.....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जिस प्रकार की घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र....

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक औरत के जेवर उतार कर उसके पैर काटे गये। बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद।

(104)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से चन्द स्वालात पूछना चाहता हूं। नम्बर एक, कि मुकदमा नम्बर 234/90 जो दर्ज हुआ, प्रार्थी ने जो अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दी, जैसा माननीय मंत्रीजी ने अपने स्टेटमैन्ट में यहां सुनाया भी था कि यहां गंडासे से गांव की औरतों के जेवर काटे गये, उनके कानों के जेवर काटे गये, यानि हथियारों के साथ जबरदस्ती ताकत के आधार पर उन्होंने यहां लूट की, यह चीज रिपोर्ट में साफ जाहिर हो गई है, और उसके बाद भी मुकदमा 458 और 380 में, उस पुलिस अधिकारी ने जो ड्यूटी पर तैनात था, उसने दायर किया। ऐसा कब होता है कि जब अपराधी जाकर के अप्रोच करता है और मुकदमे को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। जो 307 का अपराध करता है, वह चाहता है कि मुकदमा 323 में दर्ज हो, जो 376 का अपराध करता है, वह चाहता है कि मुकदमा छेड़खानी का दर्ज हो जाये। इसलिए माननीय मंत्रीजी, जो यह कह रहे हैं कि सांगानेर पुलिस थाना क्षेत्र में और पास के जिले टोंक में भी हमने पुलिस के दल भेजकर, और मुल्जिमों को जिन्होंने डाका डाला, उनकी तलाश करवाई। माननीय मंत्रीजी उस पुलिस अधिकारी को पूछ लीजिए, जिसने रिपोर्ट दर्ज करी कि मुल्जिम कौन है। क्योंकि उसने अप्रोच करके और इस रिपोर्ट को कमजोर बनवाने का काम किया है, नम्बर एक। नम्बर दो, समापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस की दोस्ती भी महंगी होती है और पुलिस की दुश्मनी भी महंगी होती है, पुलिस की तो दोनों ही चीजें महंगी होती हैं। जो लोग इस डकैती के अन्दर न्याय प्राप्त करने के लिए पुलिस से धरने और प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे थे, या धरने का नेतृत्व कर रहे थे, या इस प्रदर्शन में शामिल थे। क्या उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध आपने किया, क्योंकि अब पुलिस उनको नाजायज तौर-तरीके से परेशानी करेगी, उनका हरेसमेण्ट किया जायेगा और उनको गलत मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जायेगी। यही मेरे सवाल हैं, इनका जवाब दिया जाय।

श्री समापति : माननीय श्री जगमाल सिंह।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमको भी दुःख है कोई गलत काम किया है उसका लेकिन आपको दुःख नहीं था। आपके राज में मकराना में, लाडनूं में और दूसरी जगह पुलिस ने गोलियां चलाकर सैंकड़ों लोगों को मारा। तब आप कहां चले गये थे ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय समापति महोदय, सांगानेर थाना क्षेत्र में कल जो कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। मंत्रीजी के जवाब और कांग्रेस(आई) के माननीय सदस्यों के बोलने से स्थिति जो कुछ सामने आयी, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि कल पुलिस ने जो गोली चलायी वह उचित थी या अनुचित थी। यह तो इन्क्वायरी का मैटर है। हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आ गयी हों पुलिस के सामने कि गोली चलाना लाजमी हो गया हो। या ऐसी स्थिति नहीं थी कि गोली चलाना जरूरी हो, यह तो जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी। सारे वाद-विवाद से एक ही प्रश्न सामने आया, जो सभी ने कहा भी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

उसको मेरा रिपीटीशन मानें या और कुछ, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक बात कम से कम तय हो गयी कि यह इंसिडेण्ट 380 और 458 का न होकर 395 का था।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, यहां सदन में बहुत से वकील बैठे हैं। रिपोर्ट कई बार गलती से गलत सैक्शन में दर्ज हो जाती है, लेकिन, पुलिस आफिसर्स और वकील इस बात को जानते हैं कि, दरम्याने तफ्तीश कई बार उस सैक्शन को बदल दिया जाता है। जिस तरह का इंसिडेण्ट हुआ वह 380 का न होकर 395 का था। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से इतनी बार जरूर कहूंगा कि जो धरनार्थी कल आये थे, जिन्होंने प्रदर्शन किया था उनकी दो ही ग्रीवांसेज थीं। एक तो यह कि 395 का जो डकैती का मुकदमा है वह, उनको शंका थी कि पता नहीं पुलिस से सांठगांठ....

श्री सम्पत राम : यह नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप तो सुनिये, सम्पत राम जी। उनको यह शंका जरूर थी कि हमारा मुकदमा जो डकैती का था वह चोरी का क्यों दर्ज किया गया। उनकी दूसरी मांग थी कि मुलजिमों को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ा जाय, ताकि लोगों में जो दहशत है वह दूर हो जाय और लॉ एण्ड आर्डर बना रहे। मुख्य मन्त्री जी, इतनी बात आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि पांच दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें डायरियां नहीं कटी और तफ्तीश भी पांच दिन में हुई। अगर किन्हीं अधिकारियों ने 380 के मुकदमे को जानबूझकर 395 में कन्वर्ट नहीं किया तो वह पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से दोषी हैं जिन्होंने इस केस को बिगाड़ने का काम किया।

दूसरा मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा। मुख्य मन्त्रीजी, जांच तो आप अपनी एजेंसी से जिससे चाहें कराइये, लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बताया कि वहां धरना दिया। माननीय सभापति महोदय, वह धरनार्थी इस बात को भूल गये थे कि देश के आजाद होने के बाद कांग्रेस वालों ने साधारण और शान्तिपूर्वक धरने का अधिकार तो हम से ही छीन लिया था। यह लोग उसी बात की भूल कर गये थे। पुलिस बिगड़ी हुई थी, आदत अभी वही पड़ी है। हमारे बदन पर तो बहुत लाठियां हैं। माननीय सभापति महोदय, वह किसान मुकालते में वहां धरने पर बैठ गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान अभी वहां नहीं गया था। पुलिस की वही आदत है और वह आदत 40 साल की पड़ी हुई है। इन कांग्रेस वालों ने जितने+++

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसी आदत नहीं थी कि चार बार एक महीने में फायरिंग हो जाय, आप क्या बात करते हो? उनको डिफेण्ड करना चाहते हो आप? उनके एक्शन को डिफेण्ड करना चाहते हो आप?

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के मन में प्रतिशोध रहा शुरू-शुरू में, क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर लाठीचार्ज किया था। इसी तरह इन्होंने हम विरोध के लोगों पर किया। यह

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पुलिस को बेलगाम करने का जो काम है, आप सुन लीजिए, पुलिस को बेलगाम करने का काम इन 3–4 महीनों में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने नहीं किया। चार महीने में यह जो इंसिडेण्ट हुए उनकी हम भर्त्सना करते हैं जहां-जहां पुलिस ने अत्याचार किये। लेकिन, माननीय सदस्य, आपको कम से कम इस बात पर इतना +++ करने की जरूरत नहीं है। +++ चालीस साल की आजादी के शासन में आपने तो इतनी गोलियां चलायीं....

आप सुनिये, व्यास जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्य, आपने शुरू में तो एस.सी. के लोगों को मारा और सैशन खत्म होते-होते एस टी. के लोगों को मार दिया। इससे ज्यादा क्या करेंगे ? शुरूआत एस. सी. से और अन्त एस. टी. से आपने किया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बन्दूक दो जगह क्यों चलाते हैं ? एक बन्दूक भैरोंसिंह जी पर चला रहे हैं और एक बन्दूक हमारी तरफ चलाना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय गहलोत जी, बैठिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपके चुनाव के समय गोलियां चलीं....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था माननीय सदस्यों से कि सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्य ईमान बेचकर राजनीति नहीं करते हैं। आज मेरे दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मैं खुद भी बोल रहा हूं इस बात के लिए। मुख्यमन्त्रीजी, आपको अपील करता हूं कि अगर पुलिस ने कोई गुनाह किया है....

जांच का मैटर है, आप क्या बात करते हो। आज ही कर दें ?

निश्चित रूप से जो 395 के मुकदमे को 380 का मुकदमा बनाया है...

व्यास जी सुनिये तो सही, आपको मौका मिलेगा।

जिस भी आई.ओ. ने 380 और 458 में जो मुकदमा दर्ज किया है, जो 395 में दर्ज होना चाहिए था, निश्चित रूप से उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें, मेरा आप से यह निवेदन है। दूसरा, मैं आपको सीख दे रहा था। हमारी आत्मा मरी हुई नहीं है। हम आज सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं तो भी हम अपने मुख्य मन्त्री से सही बात कर रहे है। आप में कांग्रेस में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ हां में हां मिलाने के अलावा.... (व्यवधान)

यह स्वस्थ प्रजातन्त्र है। जब-जब गोली चली, चाहे वह राजा मानसिंहजी पर चली, चाहे वह घना में चली और चाहे दूसरी जगह चली....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपमें और हममें फर्क है, माननीय सदस्य। आपके नेता कई हैं.... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रेमसिंह दहिया : गोलियां आपके चुनाव में नहीं चलीं क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : हम आंख मींचकर समर्थन नहीं करते हैं। हम जमीर से बोलते हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपके चुनाव में भी गोलियां चली हैं।

श्री सभापति : आपस में वार्ता नहीं करें। बिराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुझे बोलने दें, तब न। मैं कह रहा था कि सत्ता पक्ष के लोगों में आज भी जिन्दादिली है, वह आज भी अच्छाई और बुराई की बात को अपने विवेक से सोचकर कहते हैं। लेकिन इनके कहने की बात तो हमने 40 साल देखी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पुनः अपील करता हूं....

श्री ईश्वरलाल सैनी : महम में क्या हुआ ?

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने ही ठेका ले रखा है क्या सच सच बोलने का ? ठेकेदारी आपके पास ही है सच बोलने की ? और यह असत्य का मेरे ही पास ठेका है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने चार महीने में वह कर दिया जो हमने 40 साल में नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सैनी जी, बिराजिये। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से पुनः निवेदन करता हूं, पुलिस ने आपको जो रिपोर्ट दी है, पुलिस अपने खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं देती है। हम लोग मांग करते हैं आपसे कि इस मामले को गहराई से देखें। पुलिस ने आपको जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट पर विश्वास मत कीजिए और जिनके कारण ऐसा इन्सिडेण्ट पैदा हुआ, जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जरूरत हो तो उनके निलम्बन की कार्यवाही भी करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री डूंगरराम पंवार : सस्पैण्ड सजा नहीं होती, टर्मिनेट करो। यह हिम्मत रखे सरकार तब मजा आये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मुझे...

श्री बंशीलाल पटवा : सभापति जी, मेरे ख्याल से बार-बार रिपीटीशन करने से कोई सेंस नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी मैं बोला ही कहां हूं ?

श्री बंशीलाल पटवा : इनका काम तो यही है कि असत्य बोलो, झूट-झूट बोलो, जोर-जोर से बोलो।

श्री सभापति : आप शुरू कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : वह इण्टरप्शन कर रहे हैं, वह तो इस फायरिंग को डिफैण्ड करने के लिए खड़े हो रहे हैं बार-बार। क्या कहूं मैं आपसे ?

(108)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुलिस फायरिंग के बाद सांगानेर इलाके में ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने जो केस कायम किये, जो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट दर्ज की, कृपया उसको यहां पढ़ने की कृपा करें मय पुलिस तफ्तीश और पुलिस कार्यवाही के।

नम्बर दो, क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने मण्डावरी, जोधपुर और सतवाड़ी में पुलिस ग्राफिसर्स के खिलाफ इफैक्टिव स्टैप्स उठाये होते तो वारदात की यह पुनरावृत्ति न होती ? इफैक्टिव स्टैप नहीं उठाने, जिसमें थानेदार को गिरफ्तार नहीं किया, मण्डावरी में जिसने खड़े होकर अपनी देख-रेख में 9 आदमियों को भुनवा दिया. सतवाड़ी में प्यासी जनता के ऊपर गोली चलवा दी और जोधपुर में ट्रक यूनियन वालों पर फायरिंग कर दी, यह आज उसी का परिणाम है। आपने इन इंसिडेण्ट्स में इफैक्टिव स्टैप लिये होते, दोषी लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही की होती तो आज यह नहीं होता। आपने जांच की आड़ के अन्दर इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। उसी से पुलिस वालों की हिम्मत बढ़ी और आज यह फायरिंग की नौबत आयी। क्या यह सही नहीं है ? माननीय मंत्री महोदय, आप इसका उत्तर दें, यही मैं आप से जानकारी करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय मदेरणा जी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ) : माननीय सभापति जी, होम अफेयर्स के प्रभारी मंत्रीजी से मैं दो-तीन प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि 18-7-1990 को डकैती पड़ी, उसको नौ दिन हो गये पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? उनको कोई सुराग इस सम्बन्ध में मिला या नहीं ? सभापति महोदय, गांव के लोगों ने पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट, जयपुर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने इस बात की मांग की थी कि हमारे यहां डकैती पड़ी है और जल्दी से जल्दी डकैतों को गिरफ्तार किया जाए। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ज्ञापन उन्होंने दिया तो ज्ञापन देने के बाद एस.पी. ने जांच टोली लगाई। तो एस. पी. जयपुर ने 380 आई. पी. सी. के केस को 395 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया और क्या यह सही है कि 380 चोरी के ओफेंस इन्ग्रिडियेन्ट्स 395 के इन्ग्रिडियेन्टस का सबसे बड़ा जो फर्क है डिस्क्रिमिनेशन है वो फोर्स का इस्तेमाल करना है और फोर्स जब इस्तेमाल हो गई। चोरी चुपके-चुपके करता है, पीछे की तरफ से भाग जाता है। लेकिन कान में से कोई पकड़कर कोई चीज निकालता है, पैर में से निकालता है गले में से कोई चीज तोड़ता है और 5 से कम लोग हैं तो 392 हैं और 5 से ज्यादा हैं तो 395 है। क्या एस. पी. जयपुर ने जब लोगों को इतनी बड़ी शंकाएं थीं कि इन्वेस्टिगेशन राइट लाइन में नहीं हो रहा है और उन्होंने ज्ञापन दिया उसके बाद में क्या एस. पी. जयपुर ने यह केस जिस दफा में रजिस्टर्ड हुआ है और यदि गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का कोई स्टेप लिया ? सभापति महोदय, क्या यह सही है कि ज्ञापन देने के बाद में जो जांच टोली लगाई गई थी उस जांच टोली के इंचार्ज ऑफिसर कौन थे और कितने लोगों का पुलिस फोर्स दल लगाया गया और

(श्री परसराम मदेरणा)

कौनसी तारीख को ज्ञापन एस. पी. को दिया गया। किस तारीख को उन्होंने जांच टोली लगाई और जांच टोली ने इस केस को खोलने में या तफ्तीश को आगे बढ़ाने में कोई उनको सुराग मिला या कोई प्रोग्रेस हुई।

सभापति महोदय, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ट्रेक्टरों में बैठकर आए थे। प्रदर्शन करने के बाद में वहां पर आपस में बातचीत हुई है और बातचीत के बाद में जो भी आब्स्ट्रेक्ट्स या इपेडिमेंट उन्होंने वहां पर यातायात में खड़ा कर दिया था उस पर सहमति हो गई थी कि इस अनुरोध को हटा दिया जाए। अवरोध को और आब्स्ट्रेक्ट्स को हटाने के बाद अब्रप्टली उत्तेजित होने का मुख्य कारण क्या रहा जिससे फायरिंग की नौबत आ गई। सभापति महोदय, एस.पी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद में फायरिंग की गई और फायरिंग से कई आदमी जख्मी हुए। वे लोग तितर-बितर हो गए अपनी चप्पलें, ट्रेक्टर वगैरह छोड़ कर भाग गए। फिर 144 लगाने की क्या आवश्यकता हुई और क्या यह सही है कि 144 लगाने की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो राय दी गई है वो इसलिए दी गई है कि पुलिस वाले दूकानदारों ठेले वालों का माल खुले रूप में लूट सकें। क्या यह सही है कि पहले भी गोलियां राजस्थान में चली है उसकी जिम्मेदारी डाल करके आप जो समय गंवा रहे है मैं समझता हूं इससे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे आपका प्रशासन चुस्त नहीं हो सकेगा, संवेदनशील भी नहीं हो सकेगा। काफी कर लिया आप आगे समय जाया मत करिए। 12 जून, 90 से ले करके कल 23 जुलाई तक यह चौथी घटना है। क्या यह सही है मंत्री जी, पुलिस अब्रप्टली और क्युअकली फिगर पर आती है और वो भी 50 दिन के अंदर यह चौथी घटना है।

कुछ माननीय सदस्य : 5 वीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 5 वीं घटना है। तो ट्रिगर हैप्पी पुलिस होने का कारण क्या है और क्या यह सही है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से गर्व से जो अभिव्यक्तियां सदन में देते हैं और जिस प्रकार के पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हैं उससे पुलिस स्वच्छन्द हो रही है और स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी नम्र निवेदन हैं। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैंने राजेन्द्र अवस्थी की एक कविता रेडियो पर सुनी थी मुझे पूरी कविता याद नहीं है लेकिन मुझे उसकी एक लाइन याद है। यह उस वक्त की कविता है जब आप मुख्यमंत्री थे 1978 में रेडियो पर सुबह 8.20 पर आई थी कि "सच के कहते ही घुर्राता है, यह कैसा मौसम है।" जब हम सच्ची बात कहते हैं तो आप घुर्राने लगते हैं। आप जब घुर्राते हैं तो पुलिस फोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को प्रोत्साहन मिलता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री घुर्रा रहा है। जिस तरह से जू में शेर घुर्राता है और अभी आप घुर्राते हैं। कई बातें आप यहां घमण्ड में यहां कहते हो, मैं समझता हूं आप में विनम्रता रहनी चाहिए। विरोधी पक्ष में जब आपको पुनः समय मिलेगा तो उस वक्त आप

(श्री परसराम मदेरणा)

धुर्राने की अपनी पुरानी आदत को फिर प्रारम्भ कर देना। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ट्रिगर हैप्पी, शुटिंग पर आ जाना यह बड़ी विडम्बना की बात है बड़ी आश्चर्यजनक घटना है और इसको रोकने के लिए आप कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं और कोई इंस्ट्रक्शन पुलिस को देने के संबंध में राज्य सरकार का विचार है ?

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से क्योंकि गृह मंत्री जी से तो हम 3–4 बार सुन चुके उनसे, तो कोई आस नहीं है। मैं विनम्र शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना आपके बंगले के पास हुई है। सांगानेर कोई दूर नहीं है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट में कहा कि वहां एस. एच. ओ. ने गोली चलाने के आदेश दिए इसको आप बहुत गंभीरता से लें।

श्री सभापति : प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : जब जिला प्रशासन को यह पता था कि कल धरने पर यहां प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग यहां सांगानेर थाने पर आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिला प्रशासन ने वहां पर क्या-क्या इंतजाम किए और वहां पर जैसा कहा कि सारे रास्ते रोक दिए। आखिर आपके पास सारा प्रशासन था, सारी पुलिस फोर्स थी आपने उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं इंतजाम किया। उन्होंने रास्ते भी रोक दिए होंगे पर उसके लिए वहां पर कौन-कौन अधिकारी उनकी व्यवस्था के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखने के लिए वहां पर मौके पर थे, इसका मतलब यह था कि वहां नहीं थे इसलिए एस. एच. ओ. ने गोली चलाने के आदेश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रजातांत्रिक सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो गोली चलाओ लेकिन हम सब लोग जो जनता से चुनकर आए हैं तो हमारा सिर शर्म से अपने आप झुक जाता है कि एस. एच. ओ. जनता पर गोली चलाने का आदेश दे। आप उस एस.एच.ओ., उस डी. एस. पी. और उस जिला प्रशासन जिन्होंने किसी सक्षम अधिकारी की ड्यूटी वहां पर नहीं लगाई उनके खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं और दूसरा मेरा यह है कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने गलत तरीके से राजनैतिक कारणों से मुकदमें दर्ज किए हैं और गिरफ्तारियां की हैं उस स्टेटमेंट में गृह मंत्रीजी ने कुछ नहीं बताया। वहां पर मुख्यमंत्री जी 2 किलोमीटर आगे तक खेतों में काम करते हुए लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाई हैं, डण्डे बरसाये हैं और भरतपुर और बाहर के लोगों को पकड़-पकड़ कर वहां पर मारा-पीटा है। क्या आप इस कार्यवाही को गंभीरता से लेंगे ? और ऐसा कोई निर्णय करेंगे। आज 4–5 ऐसी घटनाएं हो गई। मैं उधर सदस्य था और आप विपक्ष के नेता थे हम ऐसी घटनाओं को पूरा प्रोटेक्ट करते थे आपके स्वर में स्वर मिला लेते थे चाहे वो आसन जिलेलाब की घटना हो चाहे हरिजनों की शादी अलवर में न होने की घटना हो वहां पर अधिकारियों को पनिश किया गया है।

श्री समापति : प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : और हमने समर्थन किया। जैसी आज घटना जयपुर में हो गई यदि पुलिस और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला इस सरकार के अलावा और कौन है, कौन निर्णय लेगा, क्या अपोजिशन का लीडर निर्णय लेगा और क्या यह बीच-बीच में जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह यह निर्णय लेंगे ? निर्णय लेना है आपको, आपको गम्भीरता से देखना है और यह भी देखना है कि आगे से इन घटनाओं से कहीं रोष नहीं फैले। जैसा गृह मंत्रीजी ने कह दिया कि असामाजिक तत्व, गृह मंत्रीजी+++ कोई प्रदर्शन करने वाले, कोई धरना देने वाले असामाजिक तत्व नहीं होते हैं....

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप अपने शब्द वापस लीजिए और खेद प्रगट कीजिए। आपने ऐसे शब्द क्यों कहे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना से पूरे जयपुर जिले में, आस-पास के इलाके में बड़ा रोष है, मुझे भी बड़ा दुःख है। आप इसको रोकने के लिए कोई उचित उपाय कीजिए।

श्री समापति : समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : जिससे लोगों में शान्ति हो। चोरी-डकैती-हत्याएँ भी होती हैं कोई नई बात नहीं है। पहले भी होती थी, आज भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। अगर इस प्रकार का मुकदमा किस धारा में दर्ज करना चाहिए था किस धारा में किया। मेरा यही निवेदन है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको तो तत्काल रिहा किया जाय। क्योंकि आज जयपुर में बहुत ही ऐतिहासिक त्यौहार है और इस त्यौहार पर उन निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा तो मुख्य मंत्रीजी आपको जयपुर जिले के लोग हमेशा कोसते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे कि तीज के पवित्र त्यौहार, जो कि जयपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है उस पर नहीं छोड़ा तो। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें तत्काल रिहा करें और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री समापति : समाप्त करें।

माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : समापति महोदय, दो मिनट का समय मुझे भी दीजिए। मौके पर खुद जाकर आया हूं उन हालात के बारे में थोड़ा सा सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री समापति : माननीय मंत्रीजी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय समापति महोदय, यह 17 तारीख की घटना है, 17 तारीख को रात्रि डेढ़ बजे 11 आदमी आये, उनमें से 6 व्यक्तियों के पास में पिस्तोलें थीं। उन्होंने घर के लोगों को जगाकर चारों तरफ से घेर लिया था।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(1/2)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

उन्होंने पानी पिया, खाना बनवाया पर उन्होंने खाना खाया नहीं। उन लोगों ने मुंह पर पट्टियां बांध रखी थीं और वह घटना स्थल पर पौने तीन बजे तक रहे। सब घर वालों को एक घर के अन्दर बन्द कर दिया था। वह लोग पैदल ही आये थे, 11 आदमी। जब वह वहां से चले गये तो 10 मिनट बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा और बाहर निकले और पुलिस थाने पर आए, वहां पर उन्होंने सूचना दे दी। 1 घण्टे बाद में पुलिस वहां आई।.. यह जो देलावास काण्ड हुआ है वहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, यह लोग पैदल वहां से गए। उसके बाद में दूसरे दिन 18 तारीख को एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। घटना का जो विवरण दिया गया है उसमें नो औरतों के कड़े खोले गए। एक का कड़ा तो आराम से खुल गया, दूसरी का छीनी से काटकर उन्होंने खोला, एक जन्तर खोला, कानों में बालियां नहीं थीं।

उसके बाद में गांव वाले डेपुटेशन के रूप में माननीय एस. पी. साहब से मिले और मिलने के बाद में बताया कि इस प्रकार से 5 साल पहले मदरामपुरा गांव में, जो सांसियों का गांव है, आज भी वह बहुत बड़ा गांव है...

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : 5 साल पहले भी सांसियों ने (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, यह नये तथ्य आ रहे हैं सामने। उनको बोलने दीजिए।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अब तक उन्होंने लूट-मार की है, अपहरण की कोशिशें की हैं अतः गांव वालों ने उनका नाम लिया और यह कहा कि मदरामपुरा के सांसियों का हमें डाउट है उनकी मारवाड़ी बोली है, उन्होंने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी और वह आराम से मदरामपुरा की तरफ ही गए हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। माननीय उच्चाधिकारियों ने सांसियों को बुलाकर थाने में बैठा दिया। जब वह सांसियों से कोई बरामदगी नहीं कर सके...

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इतना महत्वपूर्ण मामला है, तथ्यों की बात ला रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री सभापति : मंत्रीजी के स्टेटमेण्ट के बाद प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं भाषण नहीं दिया जा सकता है ..(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : कल 4 बजे गांव वाले ट्रोलियों में भरकर वहां पर आये, वहां पर स्टेज लगाया, भाषण बाजी की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्त्ता श्री छत्तु उसके अन्दर शामिल था, सांगानेर का लीडर है, वह कोई लाठी चलाने वालों में या पत्थर फेंकने वालों के अन्दर नहीं था, वह समझौता कराने वालों में था। उसकी अध्यक्षता में सारे लोगों से समझौता हो गया था। वहां पर ट्रेफिक जाम कर दिया था यह सही बात है। डी. वाई. एस. पी. श्री सुन्दर लाल जी मौके पर पहुंचे, आर. ए. सी. का एक ट्रक पहुंचा। समझौता हो चुका था लेकिन ज्यों ही वह

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

पहुंचे वह लोग तितर-बितर होने लगे और जो लोग वहां पर वास्तव में मौजूद थे वह भाग गए थे, लेकिन जो भीड़ थी और जिन लोगों के लगी उनमें एक सपोटरा का था, वह लोग अपनी डयूटी पर आने वाले लोग थे, वहां से गुजर रहे थे, आम पब्लिक ने पत्थर बरसाये, यह भी सही है। बहुत ज्यादा पत्थर बरसाये पुलिस के ऊपर, राउण्ड गोलियां भी चली, गोलियां चलने के बाद में पब्लिक तितर-बितर होती गई, फिर गोलियां चलाई गई, गोलियां चलने से 7 आदमी घायल हुए जिनमें 2 की तो गम्भीर हालत है आज की तारीख में।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि थाने में वास्तव में मैं मानता हूं कि वहां पर काफी टूट-फूट हुई है, खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए, पत्थर भी काफी इकट्ठे पड़े हुए हैं लेकिन यह सही है कि अगर डी. वाई. एस. पी. श्री सुन्दर लाल जी मौके पर नहीं जाते तो मेरे ख्याल से गोलियां नहीं चलती इसमें कोई दो राय नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की, करीब 25-30 कार्यकर्त्ताओं को, जो रात से गायब हैं उनको तलब किया गया है मेरा आप से निवेदन है कि 5 साल पहले मदरामपुरा गांव के सांसियों द्वारा डकैती और लूटमार, रेखा काण्ड जिनकी आज तक बरामदगी नहीं हुई। उनकी बरामदगी कराई जाय और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को, निर्दोष कार्यकर्त्ताओं को जो पकड़ा गया, दुकानदारों को पकड़ा गया है, दुकानदार राजी-नामा करवाने में थे, लड़ाई कराने वालों में नहीं थे, क्योंकि मैं खुद रात को डेढ़ बजे जाकर आया हूं। डी. आई. जी. सरदार जी और पुलिस अधीक्षक वह लोग वहां पर थे, उनसे मिला हूं। उनके सामने जाकर मैंने देखा है कि टूट-फूट जितनी भी हुई है, नुकसान काफी हुआ है। मेरा आप से यह नवेदन है कि जिन गलत आदमियों को पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाय, वास्तव में जिनको गिरफ्तार किया गया है वह आदमी दोषी नहीं हैं, उनका कोई दोष नहीं है। यह आप उच्चाधिकारियों से किसी से भी जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की घटनाएं जिन लोगों ने की हैं उसी प्रकार की घटना मेरे क्षेत्र में भी की गई है उनका जरूर पता लगाया जाय ताकि मेरे यहां जो घटनाएं हुई हैं उनका भी पता लग जाय। इसी प्रकार की घटना है औरत के पैरों से कड़े काटे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं यह मानती हूं कि यह जो घटना घटी है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह घटना नहीं घटनी चाहिए थी लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी घटना के बारे में कांग्रेस सरकार जब रही इस तरह से तैयार होकर जवाब देने के लिए, वक्तव्य देने के लिए तात्कालिक रूप से आई हो। मै धन्यवाद देना चाहूंगी, मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि वह तैयार होकर और उन्होने अपनी बात कही. . . . (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : 395 के केस को 380 में दर्ज कर लिया और आप वाह-वाही लूट रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वह तैयार होकर आई और यहां पर वक्तव्य दिया, जवाब दिया....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनने का धैर्य रखें....(व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : 395 के केस को 380 में दर्ज कर लिया और आप उनको धन्यवाद दे रही हैं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गोलियां चलाई उसके लिए धन्यवाद दे रही हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी तफ्तीश जल्दी होनी चाहिए। डकैतों को पकड़ा जाना चाहिए। असन्तोष केवल इसलिए उभरा कि यह देर हुई तफ्तीश में। इस तरह की घटना घटी। जो यह चोर डकैत हैं इनको कोई माफ करता नहीं, इनको तात्कालिक रूप से पकड़कर सजा देनी चाहिए और फिर जो कार्यकर्त्ता पकड़े गए, जो निर्दोष थे उनको छोड़ा जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी माननीय मदेरणा जी ने यहा पर अनावश्यक रूप से एक शेर पढ़ा। मैं समझती हूं इतने गम्भीर व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं आप से कहना चाहती हूं इसका जवाब दे दूं आपको उन्होंने गालियां दी हैं, इसका क्या गुनाह मानें। मुझे लगता है उनको इसके सिवाय और कुछ आता नहीं होगा।

श्री रामनारायण विश्नोई (ओसियां) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस तमाम डिस्कशन के बाद क्या मन्त्री महोदय एफ. आई. आर. में जो तथ्य लिखे गए थे और जो तथ्य उनके सामने आए हैं उनसे अब भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं या नहीं कि यह धारा 380 के बजाय धारा 395 के अन्दर दर्ज होना चाहिए। मैं एक निवेदन आप से कहना चाहूंगा कि चोर और डकैतों के अन्दर ज्यादा फर्क नहीं होता। जब घर का कोई आदमी उनका मुकाबला नहीं करता और वह चुपचाप चोरी कर लेते हैं तब तो वह चोर होते हैं और जब कोई मुकाबला करता है, फोर्स यूज करता है तो उन्हीं लोगों को हम डकैत कहते हैं। चोर और डकैत वही आदमी रहेंगे।

यह ऐसी ही एक घटना थी जिसमें ऐसा दिखता है कि पुलिस अधिकारी ने इसको 380 के अन्दर दर्ज करके थोड़ी सी लापरवाही जरूर की है। पर इससे हम इस नतीजे पर नहीं आ सकते कि पुलिस अधिकारी शुरू से ही उन चोरों या डकैतों के साथ मिले हुए थे और उन्होंने चोरी और डकैती करवाकर के उनको यह कह दिया होगा कि मैं 395 में मुकदमा दर्ज नहीं करके 380 में मुकदमा दर्ज करके आपको छुटकारा दिला दूंगा। इस प्रकार की भावना अगर कोई सदस्य रखते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह हो भी नहीं सकता है क्योंकि आज राजस्थान में जयपुर डिवीजन के अन्दर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो

(श्री रामनारायण विश्नोई)

उच्चाधिकारी हैं उनकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के अन्दर किसी भी आदमी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि इस बात को लेकर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है । सदन के हर सदस्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कोई लापरवाही की है तो उसके खिलाफ उस हद तक बोलना चाहिए । बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि हम वहां पर यह देखकर आए, वहां पर तथ्य यह थे । बहुत से सदस्यों ने कह दिया नहीं यह बात गलत है वहां पर तथ्य यह नहीं थे अगर हम लोग यह चाहते हैं कि अभियुक्तों की हम सहायता करें और अभियुक्तों की सहायता करके वास्तव में जो चोर हैं, डकैत हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिए ।

मैं सदस्यों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इसी हद तक विवाद में आएं कि तफ्तीश ठीक हो रही है या नहीं हो रही है । हम उन अभियुक्तों के साथ में एक तरह से अन्याय कर रहे हैं । अपनी-अपनी बात कहकर, सही तथ्यों से दूर हटकर एक नया राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर देते हैं । पिछले कई दिनों से हम यह देखते आ रहे हैं कि जब भी कभी गोली या कोई गम्भीर घटना होती है, माननीय सदस्य चाहें किसी भी पार्टी के हों, उसको राजनीतिक रूप देकर के, तथ्यों को तोड़ मरोड़कर कहने की कोशिश करते हैं । हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य यह है कि जो घटनाएं घटी हैं उसमें वास्तव में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए । अगर हमने सही तथ्यों को नहीं बता करके तफ्तीश के अन्दर जो वाकयात आ रहे हैं, तफ्तीश उनींदा जो आफीसर हैं, उनको हमने किसी तरह से असेम्बली के अन्दर शोर शराबा करके, अपने कर्तव्यों से हटाकर यह कोशिश की कि वह दूसरी तरह की तफ्तीश करें तो हम हमारी ड्यूटी से दूर जाएंगे । मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अगर सदन के सदस्य सरकार की तरफ से अगर यह आश्वस्त हैं कि इस मुकदमें के अन्दर तफ्तीश ठीक नहीं हो रही थी, चोरों को अगर बचाने की कोशिश हो रही थी तब तो हम लोगों को उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेने की कार्यवाही होनी चाहिए । चोरों को, डकैतों को बचाने की किसी भी आदमी की इसके अन्दर नीयत नहीं थी । सिर्फ एक बात हम यह कह सकते हैं कि जो लोग डेपुटेशन लेकर आए, शायद माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान नहीं था कि जो लोग डेपुटेशन लेकर आते हैं, पुलिस के सामने यह हमेशा यह कहते हैं कि जो भी अपराधी था उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए । उनको यह कोई मतलब नहीं था 380 के अन्दर अगर कोई गिरफ्तार होते हैं तो भी वह गिरफ्तार ही होते हैं उनको कोई जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता और मुकदमें के तथ्यों के मुताबिक 395 में मुकदमा दर्ज किया जा सकता था । पुलिस के अधिकारियों ने अगर 395 में दर्ज नहीं किया तो हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. भी इसके अन्दर मिले हुए थे कि हम चोरों और डकैतों को 395 के अन्दर दर्ज करके बचा सके । एक तथ्य तो हुआ है 18 जुलाई को, उसके अन्दर मुकदमा 395 में दर्ज नहीं होकर 380 में दर्ज हो गया इसलिए यह जो बात है इससे हम उस पर नहीं पहुंच सकते

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कि बड़ा भारी किसी के साथ अन्याय हुआ है । उससे दूर रहकर के दूसरी जो घटना फायरिंग की हुई है, उसको दूसरे कान्टेक्स्ट के अन्दर आपको देखना चाहिए । वह तथ्य अलग है, उसके अन्दर तफ्तीश हो रही है । हम लोगों की, संदन की यह मांग होनी चाहिए कि किसी अच्छे तफ्तीश उनींदा अधिकारी से या सी. आई. डी से इसकी तफ्तीश करवाएं ताकि मुलजिमों को, अपराधियों को सजा मिल सके । यही नहीं कि इसके अन्दर कोई सदस्य तो कह रहे हैं तथ्य यह थे, कोई सदस्य कह रहे हैं तथ्य यह थे। आप जो तथ्य कह रहे हैं इन्वेस्टीगेशन अधिकारी कभी भी इसके अन्दर दर्ज नहीं कर सकेंगे । इन्वेस्टीगेशन अधिकारी के सामने आप लोगों में से अगर किसी की हिम्मत है, किसी को अगर पर्सनली जानकारी है तो उसको जा करके कहना चाहिए कि मेरा यह स्टेटमेन्ट दर्ज कीजिए, इसके मुताबिक आप फलां-फलां मुलजिम के खिलाफ इनक्वायरी कीजिए । यह जो रवैय आपने और हमने अपना रखा है कि यहां पर हम चाहें जिस प्रकार का स्टेटमेंट दें और तफ्तीश को प्रभावित करें, यह रवैया अनुचित है । मेरे साथी, जो वकालत करते हैं, जो अदालतों के अन्दर मुकदमों की पैरवी करते हैं वह इस बात से सहमत होंगे यह रवैया हमको नहीं अपनाना चाहिए । हमको कन्सट्रक्टिव एप्रोच अपनानी चाहिए । हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम चाहें कि जो इन्वेस्टीगेशन अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश हो और अच्छे इनवेस्टीगेशन अधिकारी से हम इसकी तफ्तीश करवाए । मैं यह मानकर चलूंगा, जो लोग शान्तिपूर्ण तरीके से वहां आए थे पुलिस को कहने के लिए...

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए । माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं आपका मतलब समझ रहा हूं । जो लोग वहां पर आए थे उन लोगों का उद्देश्य वास्तव में अपनी ग्रिवेन्सेज रखने का था और उन्होंने अपनी ग्रिवेन्सेज रखी और बहुत शान्तिपूर्ण चली आ रही थी इस बात से भी हम लोग इन्कार नहीं कर सकते । ऐसी जब कभी भी घटनाएं होती हैं तो उसके अन्दर बहुत से ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो बात शान्तिपूर्ण चलते-चलते उस बात को उत्तेजित करके झगड़ा पैदा करवा देते हैं पर यह सारी बातें इन्वेस्टीगेशन से आएगी मैं माननीय गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह किसी उच्चाधिकारी से इसकी तफ्तीश करवाए और सही नतीजे पर पहुंचे ताकि मुलजिमान को सजा दिलवाई जा सके । मैं गृह मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा इसके अन्दर भी किसी बात की कोई शंका नहीं होगी कि 395 के अन्दर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी । मुकदमें में धारा जोड़ने से तफ्तीश पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी । आप बोलेंगे ? श्री विश्नोई जी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : वर्तमान में हमारे देश में, प्रदेश में, जो सत्तापक्ष में बैठे हैं उनके सत्ता में हाथ पीले नहीं हुए थे उस वक्त जोर-जोर से कहा करते थे कि जनता पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए । यह वही बात कहते थे । आपको याद हो तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जब संविद सरकारें बनी थी यू पी. में हरियाणा में बिहार में और खास तौर से केरल में बनी, उस वक्त कई मुख्यमन्त्रियों ने यह प्रण लिया था कि हम किसी भी हालत में जनता पर फायरिंग नहीं करेंगे। 6–8 महीने तक उन्होंने कोशिश की और और पहला फायरिंग, नेता महोदय को याद होगा नम्बूदरीपाद साहब के यहां पर हो गया। खैर वह तो मैंने एक भूमिका के तौर पर कहा। हाउस में जो यहां बिराजमान हैं उन्होंने संकल्प लिया था। आज हम देख क्या रहे हैं ? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पुलिस हिरासत में कोई मौत नहीं होती हो और दूसरे-तीसरे दिन फायरिंग हो जाती है। अब यह जो तथ्य अपने सामने हैं, कौन गलती पर था, कौन नहीं था उसको गहराई से विचार करें तो कुल बात इतनी आती है कि यह चोरी या डकैती कुछ भी कह दीजिए वह हुई उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वहां के लोग नाराज थे और वह पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत लेकर गये। उनका शायद ऐसा इरादा था कि वह धरना देंगे। यह भी अपन जानते हैं कि जिन लोगों को शिकायत थी वह साधारण ग्रामीण थे, आदत से वह कानून को अपने हाथ में लें ऐसे लोग नहीं हैं। कुछ लोग और मिल गये होंगे उनकी बजह से परिस्थितियां ऐसी हो गई होगी। उसकी बजह से फायरिंग जैसी नौबत आई। आप जानते हो फायरिंग करना बहुत ही सीरियस मामला है। फायरिंग, कई माननीय सदस्य भी गलत फहमी में हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी भी गलत फहमी में हो सकते हैं। फायरिंग तो साहब हवा में करते हैं, हवा में फायरिंग जैसी कानून में कोई तजवीज नहीं है। फायरिंग जब सभी विकल्प समाप्त हो जाये कोई बचे ही नहीं तरीका तो उस स्थिति में फायरिंग का आदेश दिया जाता है। अब हो क्या रहा है कि बहाना यह बना देते हैं कि थाने के ऊपर चढ़ कर आ गये वह शस्त्र छीन लेते इस तरह के बहाने तो हर पुलिस अधिकारी या पुलिस का व्यक्ति कर सकता है। इसका मतलब वह फायरिंग इस तरह से करता रहेगा जैसे अभी फायरिंग हो रही है। मुख्यमंत्रीजी आपसे नम्र निवेदन है कि यह जो प्रवृत्ति बन रही है इसको आप नियन्त्रित कीजिए। पुलिस अधिकारी जिनको इतने अधिक अधिकार दिये गये हैं, इतना उनको सक्षम बनाया गया है उनसे हम यह अपेक्षा करके चलते हैं कि वे धीरज से काम लेंगे बुद्धिमानी से काम लेंगे। किसी तरह से ऐसी परिस्थिति नहीं बने कि जिसके अन्दर फायरिंग उनको करनी पड़े या अधिक बल प्रयोग करना पड़े। क्या यहां पर ऐसी स्थिति थी कि सिवाय फायरिंग के कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। सांगानेर जयपुर शहर का हिस्सा है। यहां पर सभी तरह के बल हैं वह विद्यमान हैं। समय पर वह पहुंच सकते थे और इस तरह की परिस्थिति से बचा जा सकता था। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि छोटे से एक बहाने के ऊपर पुलिस कानून का आश्रय लेकर जनता के ऊपर फायरिंग करे। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जनतन्त्रवाद तभी सफल हो सकता है जब जनता की मनोवृत्ति जनतान्त्रिक हो। वह अनुशासित लोग हों, शान्तिप्रिय लोग हों। हमारे लोग बहुत सी गलती करते हैं लेकिन फिर भी यह छोटे से बहाने पर फायरिंग की अगर हम इजाजत देते हैं

(118)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और केस में ले लीजिए या इससे पहले एक दो हुई इसलिए हमारे शस्त्र छीनने के डर से हमने फायरिंग कर दिया यह फायरिंग की घटनायें आपकी बढ़ती रहेगी। मैं आपको कहता हूं इसलिए इस पर अपने को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग और सख्त हिदायत होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों के अन्दर फायरिंग हो ? मुकाबला करने वाले आतंकवादी होते, देशद्रोही होते, डकैत होते तो उनके ऊपर इस तरह का फायरिंग का बल प्रयोग किया जा सकता था। शस्त्र छीन लेते तो यह लोग जो आये थे उनमें से दस बीस को तो पुलिस जानती थी कि फलां गांव के रहने वाले हैं उनके यहां डकैती हुई है, उनको जानती थी। वह शस्त्र ले जाते तो कहां लेकर चले जाते शस्त्र ? क्या आप यह समझते हो कि चूंकि उनके पास शस्त्र नहीं थे इसलिए वह शस्त्र लेकर पुलिस अधिकारियों के ऊपर फायरिंग करते, यह आप उनका इरादा समझते हो क्या ? वह तो अपनी शिकायत थी उसको रफा करने के लिये आये थे। अपने यहां सुनवाई नहीं हुई इसलिए वह नाराज हो गये। कुछ दूसरे तरीके के लोग भी बीच में पड़ गये उसके कारण यह दुःखद घटना हो गई लेकिन मैं समझता हूं फायरिंग के लिए कोई पर्याप्त कारण हो ऐसा नहीं था। यदि इस तरह से फायरिंग होने लगा तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। यही मुझे नम्र निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : एक ही प्रश्न है मेरा।

श्री सभापति : बहुत हो गया। पूछिये आप।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, काफी लम्बे समय से इस पर विचार-विमर्श हुआ है और इन्होंने जो तथ्य हैं उनको यहां उजागर किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में दो बातें सामने आई। दो एफ. आई. आर. हैं एक तो वह है जो डकैती की है दूसरी वह है जो पुलिस ने पब्लिक के लोगों के खिलाफ दर्ज की है। बार-बार सदन में मांग होती रही है कि इस एफ. आई.आर.को पढ़ा जाये किन्तु वह एफ.आई. आर. नहीं पढ़ी गई है। मुझे आशंका है और निश्चित रूप से उस एफ. आई. आर. से एक बात स्पष्ट है सभापति महोदय, जो लोग, पब्लिक के शान्तिप्रिय लोग थे या पुलिस के नेता थे जो डीवाई. एस. पी. से मिलने के लिए गये उनके नाम चूंकि पुलिस अधिकारी जानते थे उन्हीं लोगों के खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज कर दिये गये यह मेरी निजी जानकारी में है। सभापति महोदय, एक लड़का उसमें मेरे खुद के गांव का है वह गवर्नमेंट सरवेन्ट है राजेन्द्र कुंवर जिसका नाम है। किसी भी प्रकार से मैं नहीं कह सकता कि वह बलवाकारी हो और रिपोर्ट जो दर्ज की गई है उससे कहीं 307 के तथ्य साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि जनता के साथ जो ज्यादतियां हुई वह अलग, डकैती वाली ज्यादती हुई। वह अलग लेकिन दूसरी ज्यादती उनके साथ और की जा रही है 307 में बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है। उसमें दूसरी धारायें लग सकती हैं, उसमें पथराव करने की धारायें लग सकती

(श्री हरिसिंह)

है और बार-बार सदन में यह मांग की जा रही है कि एफ. आई. आर. को पढ़ कर सुना दें। माननीय गृह मंत्री जी वह एफ. आई. आर. पढ़ कर सुना दें उसके बाद जवाब दे दें कोई भी एतराज नहीं है। जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उसकी एफ. आई. आर. पढ़ कर सुना दें।

श्री सम्पतराम : समापति जी, इस प्रकरण में काफी चर्चा हुई है। बड़े अच्छे सुझाव आये हैं, चिन्ता भी व्यक्त की गई है। कुछ तथ्य ट्यूविस्ट भी किये गये हैं। सही तरीके से रखे भी नहीं गये हैं उसके सम्बन्ध में मैं सफाई भी दूंगा और हालात को ठीक से भी रखूंगा। सबसे पहले तो यह कहा गया कि मैंने सारे भाइयों को, किसानों को असामाजिक तत्व कहा। मैंने मेरे बयान में कहीं नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री समापति : सुनिये।

श्री सम्पतराम : बड़ी गलत बात है मैं कह रहा हूं और ये सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आज भी आप अपनी प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिए।

श्री सम्पतराम : मैंने असामाजिक तत्व का इस्तेमाल किया है किन के लिए किया है समापति महोदय, जिन्होंने बिजली काटी, जिन्होंने टेलीफोन काटा और जिन्होंने लाइट को गुल कर दिया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह बिल्कुल गलत है आप देख लीजिए.... (व्यवधान)

श्री सम्पतराम : मैंने मेरे स्टेटमेंट में कहीं असामाजिक तत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

श्री परसादीलाल मीणा : उस वक्त जिला प्रशासन कहां गया था आपका, असामाजिक तत्व बता रहे हैं आप।

श्री सम्पतराम : दूसरी बात समापति महोदय, आपको एक अर्ज करना चाहता हूं। हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने एक पाइन्ट के ऊपर बहुत जोर दिया है कि 380 का केस क्यों दर्ज किया गया 395 का होना चाहिए। उसमें 458, 380 एड कर रखे हैं। दो-दो सैक्शन्स हैं। यह ठीक है कि डाके के केस की बात कही, जो माननीय रामनारायण जी ने बहुत सी बात स्पष्ट कर दी। लेकिन कानून में 458 में 14 साल तक की सजा है इससे कम की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

मेरी अर्ज सुन लीजिए पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे क्या होता है? गलत विवरण द रहे हैं आप। सवाल ही दूसरा है।

श्री चन्दनमल बैद : इससे क्या होगा 14 साल की सजा हो या नहीं हो?

श्री समापति : पहले पूरा मन्त्री जी को सुन लीजिए बाद में बोल लीजिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समापति जी, यह तो नहीं हो सकता कि गृह मन्त्री जवाब दे रहे हैं और बीच में आप खड़े हो रहे हैं।

(120)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको कानून की जानकारी है तो बाद में दे दीजिए। बीच में खड़े होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने आपके भाषण सुने किसी ने बीच में टोका-टाकी नहीं की है।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत टोका है। आप गलत बयान मत दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत बयानी आप कर रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : सही बात तो आपको सुननी पड़ेगी उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको।

श्री चन्दनमल बैद : सही बात सुनने के लिए तैयार हैं गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि जिस पर आठ घंटे तक कानून के पंडितों ने विश्लेषण किया हो, मैं एक सैक्शन का नाम लेता हूं उससे इतना चमक गये, पता नहीं क्या आफत आ गई ? मेरे को सुनना तो चाहिए मैं क्या कह रहा हूं ? आखिर मैं भी सरकार की तरफ से जवाब दे रहा हूं वह तो सुनिये यह जो सैक्शन्स आपसी कान्फिलिट की वजह से इतना बड़ा इश्यू बनाया गया है। सभापति जी यह ठीक नहीं है। 458 इसमें जोड़ा गया है उसमें 14 साल से कम की सजा नहीं है। डाके में 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यह सीरियस जुर्म नहीं है, वह काफी सीरियस है।

दूसरी बात इसमें फोर्स का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ इस केस में आप देखिये जो एफ आई आर. दर्ज कराने वाला व्यक्ति है जो आया है रात के डेढ़-दो बजे 6 आदमी आये। मेरे को जगाकर कहा कि रोटी खायेंगे। मेरी औरत को भी उठाया और हम दोनों को बालू के घर ले आये और बालू और बालू की औरत को भी जगा लाया हमारी औरतों के हाथ-पांव बांधने की धमकी देकर....(व्यवधान) कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, सुन लीजिये, आपको मौका मिलेगा फिर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बाद में, पूछने का आप मेरी बात सुन लीजिये। यह धमकी उन्होंने दी। देकर लोहे की सण्डासी और चैन से हाथ-पैर के चांदी के कड़े निकाल लिये। यह सब जानते हैं कि चांदी के कड़े कोई भी निकाले या तो पउवे से निकाले जाते हैं या कोई लोहे का औजार होता है। इसमें कहीं हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मेरा यह अर्ज करना है कानून के पंडितों से जिन्होंने यह विश्लेषण किया कि इतना प्रश्न यह नहीं था एजिटेशन का, उनके आन्दोलन करने का। कि हमारा केस 395 का दर्ज नहीं किया। उनका उद्देश्य यह था कि हमारे डाका पड़ गया और पुलिस को इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए थी वह नहीं बरती, डाके की बरामदगी अब तक क्यों नहीं हुई। अभी तक जो उनके पैम्फलेट हैं जिसके अन्दर, सभापति महोदय, कहीं भी इस बात को जाहिर नहीं किया कि 380 को बजाय 395 का केस दर्ज किया जाय। वह बराबर इस बात को कह रहे थे कि हमारे केस की तफतीश हो, हमारा माल बरामद हो। यह जो आपने नया टॉपिक इस चार दीवारी

(श्री सम्पतराम)

विधान सभा के अन्दर बनाया है यह जनता में बिल्कुल नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है, आपने यह पूछा कि मजिस्ट्रेट वगैरह कब पहुंचे। यह हादसा कितने बजे से कितने बजे तक का है। यह घटना पौने सात बजे से लेकर 7 बजकर पांच मिनट के बीच की है। एस. पी. सिटी सवा सात बजे पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौने आठ बजे पहुंचे हैं। वहां पर ऐसी कोई सम्भावना नहीं थी लेकिन अचानक बन गई और जब बन जाती है, थाना घिर गया और इतने पत्थर सभापति महोदय, उस थाने में पड़े हुए हैं जिसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते, मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं सुना कि इतने पत्थर किसी थाने में फेंके गये हों। जब थाना बिल्कुल घिर गया, और थाने के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय फायर करने के। नहीं तो पता नहीं और क्या-क्या गम्भीर नतीजे होते? इसके साथ-साथ आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 144 क्यों लगा दी? इसलिए लगा दी कि फल-फूट हैं उनकी चोरी-चकारी हो जाय। सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले जयपुर में 144 हिन्दू-मुस्लिम टेन्शन हो गया था, इसलिए लगाया गया था कि जयपुर को लूट लें लोग शान्ति से। नहीं, यह मतलब नहीं था। 144 लगाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। इसमें सरकार बीच में नहीं आती। लॉ-एण्ड-आर्डर मेन्टेन करने की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। वह चाहे तो आर्मी को भी बुला ले। आर्मी को बुलाने की पावर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। वह मंगा सकता है। यह तो उसकी पावर थी। उसने 144 उचित समझा लगा दिया, 144 उचित नहीं होता, नहीं लगाता। सारे मामले में, जहां तक तफतीश का सवाल है, मांग का प्रश्न है वह मैंने बता दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एफ.आई.आर. पढ़िये।

श्री सम्पतराम : कौनसी एफ. आई. आर.। एफ.आई.आर. ही तो बोल रहा हूं, फिर क्या एफ.आई.आर ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : फायरिंग वाली एफ. आई.आर. दर्ज हुई है क्या?

श्री सम्पतराम : मैंने जो केस पंजीबद्ध हुआ वह बता दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाद में जो हुआ है अभी, एफ. आई. आर. जो पुलिस में दर्ज कराई है। फायरिंग के बाद।

श्री सम्पतराम : वह मेरे पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज तो इश्यू उसी का था।

श्री सम्पतराम : आप बैठिये आपके इश्यू को मैं समझ गया। माननीय सभापति महोदय, इसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो तथ्य आयेंगे उसके आधार पर जो दोषी पाये जायेंगे, एक्शन लिया जायगा। लेकिन यह बिल्कुल बखेड़ा पैदा करें कि पुलिस ने बहुत ज्यादती कर दी। मैं तो यह कहता हूं कि पुलिस को भी थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। (व्यवधान)

(122)

श्री चन्दनमल बैद : दूकानदारों से लूट-पाट की हूं और इसने बहुत नर्मी की है। कितनी राउण्ड गोलियां चलाई उन्होंने।

श्री हरिदेव जोशी : उस तारीख की डायरी होगी पुलिस की।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : 140 राउण्ड।

श्री सम्पतराम : कौनसे केस की ?

श्री हरिदेव जोशी : इसी केस की, फायरिंग की, उनके हमलों की पुलिस डायरी है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : सुबह आठ बजे तो मैं आपके यहां हाजिर हो गया । और कोई एफ. आई आर. वगैरह हो तो कल बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी जिम्मेदारी है या मेरी जिम्मेदारी है । स्टेटमेन्ट देने के लिए आप आये हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजों को लेकर आते। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कौनसी बात हो सकती है कि क्या पुलिस ने एफ. आई. आर. दर्ज की है ?

श्री सम्पतराम : माननीय जोशीजी, मैंने आपकी सरकार को भी देखा है। भैरोंसिंहजी की को भी देखा है, होम मिनिस्टर भी रह चुका हूं जितना जल्दी हमने बयान दिया उतना जल्दी कभी इस सरकार ने नहीं दिया था। और एक-एक सप्ताह तक बयान नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपनी जिम्मेदारी को टालिये मत, आप जवाब यह दीजिये, मेहरबानी करके कि पुलिस ने अपनी डायरी क्या लिखी है ? पुलिस की डायरी लिखी हुई है या नहीं है।..(व्यवधान) मान्यवर मन्त्रीजी, सुनिये जरा मेरी बात को।.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लूटपाट हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, उनसे कहिये कि मेरी बात सुने।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) आप सुनिये, मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं आपसे दो बात पूछना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब बता दूंगा।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुख्य मन्त्री जी आप यह बताओ कि सम्बन्धित थाने के थानेदार को सस्पेण्ड कर रहे हैं या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नही कर रहा हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उन लोगों को उपचार कराने लिए पैसा दे रहे हैं या नहीं ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी बाजार बन्द पड़ा है, बाजार जब तक नहीं खुलेगा जब तक आप आश्वासन नहीं देंगे।

(2.28 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

पुलिस तक उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है। बाजार खुल नहीं रहा और दूकानदारों को वहां पर लूटा है उनका मुआवजा आप दे रहे हैं ? उनको आश्वासन दीजिये ताकि बाजार खुले।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बतायें कि कितने राउण्ड गोलियां चलाई गई हैं ? क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय, ने कहा है कि पुलिस ने बड़ी नरमाई से व्यवहार किया। हम जानना चाहते है कि कितनी गोलियां चलाने से नर्माई होती है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : डेढ़ सौ राउण्ड गोलियां वहां पर चलाई।

श्री चन्दनमल बैद : वहां तोप चलाई या नहीं चलाई उन्होंने। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये, मैं बोल लूं, आपने सब प्रश्न उठा लिये। कोई बात बाकी नहीं छोड़ी जो आपने नहीं उठाई हो। मैं जबाब दे रहा हूं आपका। एक-एक प्वाइन्ट का जबाब दूंगा लेकिन इच्छा इतनी सी है आप वाक-आउट करके नहीं जायें।..(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपका जवाब सन्तोषजनक नहीं होगा तो फिर वाक-आउट करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप सन्तुष्ट कर दीजिये।..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धरना देंगे। वाक आवट नहीं करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : हमें वाक आउट करने का शौक नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप यहां बैठते थे जब आपने कितनी बार वाक-आउट किया ?

श्री जगतसिंह दायमा : आप इनके हक को मत छीनिये। मुख्य मन्त्री आप हैं वाक-आउट का इनका अधिकार है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या विपक्ष का वाकआउट करने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर आप इससे क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपील की हैं, मैंने अपील की है

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला तो इतिश्री का है इतिश्री को आप प्रारम्भ में क्यों ला रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बोलना चाहता हूं कि कोई सुनने वाला तो हो।

एक माननीय सदस्य : विनम्रता से, विनम्रता से, विनम्रता से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर सबसे पहले भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ इस प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं जिनसे शायद वह मेरे बारे में ऐसा समझने लगे हों कि मुझे सत्ता में आने का कोई अभिमान हो।

(124)

श्री चन्दनमल बैद : काफी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभिमान के लिए मैं सत्ता में नहीं आया हूं । जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास के आधार पर जनता का काम किस प्रकार से कर सकूं उस दृष्टि से आया हूं । न यहां कोई गुर्राने का प्रश्न है, न किसी को डराने का ।.. (व्यवधान) अब आप सुनने की हिम्मत रखें तो ठीक है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गोली पर ताली ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप घेवर खाओ और हम ताली भी नहीं बजायें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गुर्राने का सवाल, किसी को धमकाने का सवाल, यह मेरी तरफ से तो कभी आया न आयेगा । अब कोई मुझे गुर्रा कर धमकाना चाहे तो मैं डरने वाला भी नहीं हूं । यहां पर कहा गया कि गोलियां ही गोलियां चल रही है । मुझे इस सत्र का याद है कि मण्डावरी काण्ड पर जिस समय चर्चा हुई उस समय पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, यह तो आपको भी याद है । पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, यह आरोप था पुलिस के ऊपर । और यहां पर कहा गया कि पिछले दिनों में चार जगह गोली चली । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सब परिस्थितियां एक सी होती हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप थोड़ा सुनते जाइये । (व्यवधान) गोली चली जोधपुर में, गोली चली सतवाड़ी में (व्यवधान) आपके कहने से तो करने वाला नहीं हूं और तथ्य इससे पाने वाला नहीं हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप फिर पॉलिटिकल डिबेट करने लगे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद (तारा नगर) : पुलिस ने ही तो गोली चलाई वहां पर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोली चली सतवाड़ी में, गोली चली सांगानेर में, गोली चली जोधपुर में । तीन जगह गोली चली और यहां पर यह कहा जा रहा है कि गोलियां ही गोलियां चलीं । लेकिन एक बात तो आपने देखी होगी कि गोली केवल इस राज में ही चली है, ऐसी बात नहीं है । गोली पहले भी चली है और यहां पर गिनती यह की गई की एक साथ कितनी गोलियां चली ? देवपुरा साहब, आपको तो याद होगा जब आप मुख्य मन्त्री बने थे उससे 10-5 दिन पहले राजा मान सिंह जी की हत्या हुई थी....(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये । थोड़ा सुनने का भी तो धैर्य रखिये । उस समय 3 आदमी गोली से....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : हमारे मुख्य मन्त्री जी ने तो स्तीफा दे दिया था एक बार गोली चलने पर । आपके टाइम में तो पांच-पांच बार चल गई ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये माननीय गहलोत सहाब आप सुन तो लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस गोली कांड का विरोध करने के लिए डीग की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पब्लिक इकट्ठी थी और वहां पर गोली चली और मैं समझता हूं 6 आदमी सात दिन के बाद में प्रदर्शन करते हुए मारे गये। यह देवपुरा साहब आपको याद है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कह कर प्रचार करने की कोशिश न करें कि पिछले 48 वर्षों में तो कभी गोली नहीं चली और आज ही गोली चली है।

श्री अध्यक्ष : श्री बैरवा प्लीज ! रतना राम जी प्लीज सिटडाऊन । आप क्यों खड़े होते हैं? आपके नेता बोल रहे हैं। बिराजिए आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब जिस स्थिति में गोली चली आप यह समझते हैं कि हम खुश हैं । हम भी बहुत दुखी हैं । पुलिस के हाथों से गोली चले और आदमी जख्मी हो या मरें तो आप यह समझते हैं कि मुझे खुशी होगी, या सरकार के किसी प्रतिनिधि को खुशी होगी । हमको भी आपको जितना दुःख है उससे कम दुःख नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह इस बात से पता चलेगा कि आप क्या एक्शन लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल, अब ऐसी स्थिति में चंदन मल जी को तो कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकता । मैं समझता हूं मैं उस विषय पर जाना भी नहीं चाहता मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि आपको जितनी वेदना हुई है उससे कम वेदना हमको नहीं हुई है अब प्रश्न यह आता है कि यह घटना किस तरह से घटी ? एक मामले को विवाद का विषय बनाया गया है कि धारा 338 और 458 में मुकदमा दर्ज क्यों किया गया और 395 में क्यों नहीं किया गया ? और आरोप यहां तक लगा दिया कि पुलिस अधिकारी ने जिसको पता है कि किन-किन आदमियों ने डकैती डाली है और उन्हीं डकैतों को बचाने के लिए उसने धारा बदली है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं आप तो वकील हैं। आप जितनी कानून की जानकारी मुझे नहीं है। यदि किसी धारा में आज कोई मुल्जिम गिरफ्तार होता है तो उसके बाद उसका चालान होता है और चालान होते समय यदि धारा 380 है और उसने पहले डकैती डाली हुई है तो इस प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है कि इन्होंने डकैती डाली है और चोरी के अन्दर इनका चालान क्यों हुआ और साधारण 380 में चालान क्यों हुआ और 395 में चालान क्यों नहीं हुआ ? आप यह भी जानते हैं कि केस रजिस्टर होने के बाद धाराओं में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार की इन्वेस्टीगेशन से जानकारी मिलती है, कोई पुलिस अफसर का हाथ बांधकर नहीं रखता कि पुलिस अफसर कोई धारा नहीं बदल सकता । चालान के वक्त धारा बदली जाती है, गिरफ्तारी होती है उस समय धारा बदली जाती है और इन्वेस्टीगेशन के समय किसी भी समय धारा बदल सकते हैं। अब आज यह प्रश्न कि धारा इसलिए नहीं बदली कि थानेदार....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है लेकिन माननीय मंत्री महोदय, तो अभी भी डिफेन्ड कर रहे हैं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कि बिल्कुल ठीक किया। अभी नहीं मान रहे हैं कि धारा नहीं बदली जा सकती है मन्त्री महोदय तो अभी भी डिफेन्ड कर रहे हैं उस बात को कि 458 लगा दिया तो बहुत बड़ी बात कर दी। आप भी डिफेन्ड कर रहे हैं। आप की बात सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मन्त्री जी ने जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई है उसको पढ़कर सुना दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : डिफेन्ड किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो सब-इन्सपेक्टर के दिमाग में आया उसने वह धारा लगा दी। लेकिन मैं इतना तो चाहता हूं कम से कम सब-इन्सपेक्टर पर यह मोट्यूज इम्प्यूट नहीं करनी चाहिए कि उसने डकैतों से मिलकर 395 का केस रजिस्टर नहीं किया और 380 का केस रजिस्टर किया है। मेरा कहना इतना है कि अगर इन्वेस्टीगेशन में 395 होता है तो क्या डकैत हमारे रिश्तेदार हैं? क्या जिन लोगों ने माल लूटा है वे लोग हमारे रिश्तेदार हैं, सम्बन्धी हैं या पार्टी के आदमी हैं? हम उनको क्यों बचाने की कोशिश करेंगे? उनके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्यवाही हो सकती है करने में संकोच नहीं किया है। पहले प्रश्न का तो मैं यह जवाब देना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह कि डकैती बरामद क्यों नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अच्छी तरह से मालूम है कि सांगानेर के पास ही शिवचरण जी माथुर के पेट्रोल पम्प को लूटा गया और एक दिन के अन्दर पेट्रोल पम्प के डकैत गिरफ्तार नहीं हुए, दस दिन में नहीं हुए, बीस दिन में नहीं हुए। (व्यवधान) एक चीफ मिनिस्टर का पेट्रोल पम्प लुट जाये और दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक डकैतों का पता नहीं लगे तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस ने डकैतों का पता लगाने की कोशिश नहीं की?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह मुद्दा नहीं है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुद्दे की बात है आप सुनते जाइये। अगर मुद्दा नहीं तो सही है जनार्दन सिंह जी....

श्री हेतराम बेनीवाल : जो चीफ मिनिस्टर के समय में हुआ है वह अपने में नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें जो विलम्ब हुआ है वह जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि डकैती हुई 6 दिन निकल गये, डकैतों का पता नहीं लगा तो स्वाभाविक रूप जिनके यहां डकैती हुई है उनमें आक्रोश पैदा हो सकता है। यह ह्यूमन नेचर है और उस ह्यूमन नेचर के नाते वे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लोकतंत्र में और संविधान में प्रोटेस्ट करने का उनको अधिकार है। उस अधिकार पर कोई कुठाराघात नहीं करना चाहता। (व्यवधान) आप सुनिये तो, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि अब फिर कोई माननीय सदस्य कहे कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जानकारी पूरी हाउस में दें। जिस दिन यह घटना हुई । लोग मुझसे भी मिले और मुझे यह कहा कि इस तरह की डकैती हुई। मैं लगातार इसका पीछा करता रहा हूं कि इसमें क्या प्रोग्रेस है? मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रोग्रेस जिस गति से चल रही है उस गति में कुछ ही दिनों के अन्दर शायद इसका कोई सुराग मिल जाये। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज कोई कहे कि 6 दिन में डकैतों को पुलिस ने पकड़ा नहीं और यहां तक सवाल किये गये हैं कि एस. पी. ने कितनी टोली भेजी, टोली का इन्चार्ज कौन था, टोली के पास बंदूकें कितनी थी, टोली जीप में गई या ट्रक में गई। अब इतना....

श्री चन्दनमल बैद : किसी ने नहीं कहा।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपनी आदतों से बाज नहीं आयेंगे। आप जिस किस्म के सवाल यहां बैठकर किया करते थे वैसे ही सवाल अब कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं समझता हूं। आपने कहा तो मुझे याद आया है नहीं मुझे याद नहीं था। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विवाद में ना पड़े।

श्री चन्दनमल बैद : आप मुख्य मन्त्री की तरह बिहेव कीजिये विरोधी दल के नेता की तरह बिहेव मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां विपक्ष कमजोर होगा वहां दोनों तरह से बिहेव करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : विपक्ष कमजोर सही, आप क्यों अपना बैलेंस खोते हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बैलेंस नहीं खो रहा हूं और न कभी खोऊंगा। कोई इरेलेवेन्ट बात नहीं कहूंगा जो आपने बात उठाई है उसका जवाब देने में तो मुझे छूट है न ? मैं केवल वही जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जोशी जी कई वर्षों तक मुख्य मन्त्री रहे हैं। आपकी याददाश्त तो है ही । आपने किसी भी कत्ल के मामले में क्या इन्वेटीगेशन की फाइल यहां पर सदन में लोगों को बताई है?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने मांगी है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मांगी है। आसन जिलेलाव के केस में आपने मांगी और शिवचरण जी ने मन्जूर नहीं की।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह रहा हू आज मैंने आप से मांगी क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आप मांग रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एफ. आई. आर. पढ़ने के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है डायरी डायरी

श्री हरिदेव जोशी : Don't try to mislead Bhairon Singh Ji, Don't try to mislead the House. (व्यवधान)

128

श्री परसादीलाल मीणा : एफ. आई. आर. तो पब्लिक डाक्कूमेंट है।

श्री जगतसिंह दायमा : पुलिस डायरी की आप तो कह रहे हैं। पुलिस डायरी मांग रहे हैं और क्या मांगेंगे ? पुलिस डायरी इस तरह से पब्लिक में प्रोड्यूस थोडे ही होगी।

श्री हरिदेव जोशी : एफ. आई. आर. पब्लिक का आदमी मांग सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, या तो मैं गलत हूं सुन रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप गलत नहीं सुनते हैं, मैं आपको चालीस साल से जानता हूं आप मुझे यह बात करके यह समझना चाहते है कि मैं यूं गलत बोल गया हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री हरिदेव जोशी : यहां बैठकर आप जो बोलते थे ठीक था मगर वहां बैठकर आप मुख्य मंत्री बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मुख्य मन्त्री ही बोल रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैंने कभी ट्रक और जीप की बात कही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने नहीं कही ?

श्री हरिदेव जोशी : किसने कही ? फाइल दिखाओ यह किसने कही। आप जादूगरी की बात करके हाऊस का समय खराब करते हैं इससे किसी सन्तोष नहीं दे सकते। हमने यह प्रश्न इसलिये नहीं उठाया कि आपसे कोई दुश्मनी है। हमने इस प्रश्न को इसलिये उठाया है कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का है जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट की चीज है तो आपका भी इन्ट्रेस्ट है कि जो असंतोष हमारे दिमाग में है उसको साफ कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कोशिश कर रहा हूं। आपका असंतोष दूर करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : हमारा नहीं, पब्लिक का असंतोष....

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, उसमें हमारा भी असंतोष है। मगर उसमें आप जो कलाबाजियां करते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे कान गवाह हैं हो सकता है मैंने गलत सुना हो . . (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : कान गवाह हैं, कान के नीचे दिल होता है वह तो गवाह नहीं है न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सुन रहा था कि जोशी जी मांग कर रहे थे कि डायरी बताई जाये इसलिए मैंने कहा है बाकी मैं नहीं कहता। मेरे दिमाग में भी डायरी नहीं आती....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लीडर के आप कहां बीच में बोल रहे हो ? क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मतलब हुआ यह ? एक बार मुझे बात कहने दो। उसके बाद में बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न आया, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एस. पी. के जाने के बाद गोलियां चली, लाशों को नहीं उठाया। अब आप कहेंगे, किसने कहा ? लेकिन आप में से ही किसी ने कहा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कम से कम आप जानकारी सदन को दें तो तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी नहीं होनी चाहिए कि एस. पी. गया और कलक्टर गया और उसके बाद फायरिंग हुई....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह किस ने कहा ? अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स उठाइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कही है, कही है....

श्री चन्दनमल बैद : किसी ने नहीं कहा....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैंने यह कहा है कि एस. पी. और कलक्टर, के पहुंचने से पहले....

एक माननीय सदस्य : इतनी सी बात को आप टालना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्रीजी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब आप जवाब सुनिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गलत बात है। एस. पी. और कलक्टर 8.15 बजे पहुंचे हैं।

श्री अध्यक्ष : गहलोत साहब आप बिराजिये।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, श्री ईश्वरलाल सैनी ने यह बात अपने पेपर में पढ़ी है इनके पास लिखा हुआ पेपर है वह भी ले लो।

श्री हरिदेव जोशी : मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने कहा कि कलक्टर और एस. पी. पहुंचे कि नहीं पहुंचे और पहुंचे तो कब पहुंचे ? आप असत्य बोल रहे हैं,.... (व्यवधान)+++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा था कि शायद जोशी जी की यह इच्छा हो मैं कह नहीं सकता कि श्री ईश्वरलाल सैनी की बातों का जवाब नहीं दिया जाये। अगर आप की इच्छा हो तो मैं कह नहीं सकता, मैं नहीं दूंगा लेकिन मैं तो सदन का कोई भी सदस्य विपक्ष में बैठा है उसको महत्व देना चाहता हूं। आप यदि महत्व नहीं दें, आपकी मर्जी की बात है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो श्री सैनी जी ने बात कही, इन्होंने एक बात आखिर वाली बात तो कह दी लेकिन पहले जो आपने कहा था आपका स्टेटमेंट आपके ही पास है पांच क्वेश्चन किए थे जिसमें आपने अभी जो कहा है वह आखरी क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन वह दूसरा है। अब मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एस. पी. और कलक्टर दोनों वहां नह.

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पहुंचे थे, दोनों ने फायरिंग का आर्डर नहीं दिया। अब अध्यक्ष महोदय, यहां पर तीसरा सवाल आया, कि वहां फायरिंग करने के पहले मजिस्ट्रेट का आर्डर लिया गया या नहीं लिया गया। वहां मजिस्ट्रेट कोई था नहीं। जो गोली चलाई गई, वह सैल्फ डिफेंस में चलाई गई है। सैल्फ डिफेंस में गोली पुलिस ही नहीं चला सकती आप और मैं भी चला सकते हैं। और अगर कहीं यह पाबन्दी लगा दी जाये कि बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के सैल्फ डिफेंस का जो राइट मिला हुआ है उस राइट को हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा, इसी आधार पर आप विचार करलें मजिस्ट्रेट वहां नहीं था।

श्री चन्दनमल बैद : आपने हमको जानकारी दे दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है, मैं मानता हूं। एक प्रश्न और खड़ा किया गया कि वहां पर एस. पी. साहब के पास जब डैपुटेशन लेकर आये तो सम्पतराम जी ने वह बिल्कुल साफ कर दिया कि एस. पी. साहब से उन्होंने यह शिकायत नहीं की, की धारा डकैती की नहीं लगाई और दूसरी धारायें लगा दीं....

श्री सम्पतराम : यह पर्चा है साहब।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मेरे पास भी है। दूसरी धारायें लगा दीं, यह उनकी शिकायत नहीं थी। एस. पी. ने उनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद में टोलियां लगाई और अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार जो टोलिया लगी हैं वह निश्चित रूप से ऐसी दिशाओं में चल रही हैं कि जहां इन लोगों का सुराग मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, यह सांगानेर के पास ही, मुझे याद है कि पहले भी इस प्रकार की कई वारदातें हुई हैं। सांगानेर और बस्सी में पहले भी लगातार चोरियां डकैतियां इस प्रकार की हुई हैं, आज ही हुई हों इस प्रकार की स्थिति नहीं है। जब पहले हम विपक्ष में थे उस समय मैं कई जगह बस्सी में गया हूं कि वहां पर चोरियां लगातार हुई हैं, डकैतियां लगातार हुई हैं। सांगानेर में भी लगातार इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। कोई एक गैंग आ जाता है और वह गैंग जब तक पकड़ा नहीं जाता, तब तक चोरियां और डकैतियां इस प्रकार की करता है। अध्यक्ष महोदय, कोई डाकू जैसे करौली में है वैसे डाकू नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : धौलपुर में भी हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वैसे डाकू यह नहीं हैं...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जैसे करौली में हैं वैसे धौलपुर में भी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा करौली की तरफ डकैतियां होती हैं वैसी डकैतियां नहीं हैं। यहां जो डकैती डाली है वह कोई डकैती नहीं हैं यह इस प्रकार के निर्दयी अपराधी हैं कि वह काटने, पीटने, पैर काटने, अंगुलियां काटने और कान तोड़ने में संकोच नहीं करते। उनके सामने दया नाम की कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वस्तु नहीं है । किसी भी प्रकार की नहीं है । अब इस प्रकार के गैंग कई बार आ जाते हैं, कई बार यू. पी. से गैंग आ जाते हैं, कई बार गैंग मध्य प्रदेश से आ जाते हैं। कई बार राजस्थान से गैंग इस प्रकार से एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव हो जाने के बाद अपराध करते हैं और जब एक गैंग पकड़ा जाता है तो सारी चोरियां, डकैतियां ऐक साथ बरामद होती हैं । यह अब तक का राजस्थान का इतिहास नहीं है, देश भर में सभी जगह इसी प्रकार का इतिहास है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस को यह मानकर चलें कि डकैती कराने में सरकार का कोई इन्ट्रेस्ट था या डकैतों को बचाने का इन्ट्रेस्ट था...

श्री चन्दनमल बैद : किसने कहा ?...

श्री भैरोंसिंह शेखावत मेरी बात तो सुनिये आप । इतने नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम तो यह कह रहे हैं, आपने जो गलत कहा है, उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर, : डकैती कराने में आपका इन्ट्रेसट था या आप डकैती कराना चाहते थे । हमने कभी नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छा है । मैं इस मामले में आगे नहीं बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, अब आई उस घटना की बात । घटना के दिन यह सही है और मैं इस अ धकार की पुष्टि करता हूं कि जनता को सरकार के किसी काम को जो उनको पसन्द नहीं हो, उसका विरोध करने का अधिकार है । निश्चित रूप से विरोध किया जावे, निश्चित रूप से प्रदर्शन किया जावे, धरना भी दिया जावे । इसमें किसी को क्या आपत्ति है ? आपमें से भी बहुत हैं और हम लोगों ने बहुत वर्षों तक धरने दिये हैं लेकिन मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि मैं कभी किसी धरने में शामिल हुआ हूं और उसमें कोई लाठी चार्ज हुआ हो या पथराव हुआ हो....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : हमारी सरकार ध्यान रखती थी कि लाठी चार्ज नहीं हो ।...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हमने अपनी तरफ से नहीं किया लेकिन एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा । बड़ी रोचक घटना है । मैं और भंवर लालजी शर्मा एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे । जिलाधीश से हम बात करके आये और बात करने के बाद में मांगों के सम्बन्ध में जो विवाद था वह समाप्त हो गया । हम लोगों को कहना चाहते थे और हम बाहर निकले ही नहीं थे, उसके पहले ही भगवान जाने किन लोगों ने पत्थर फेंके और पत्थर फेंकते ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया । लाठी चार्ज से पहले अश्रु गैस छोड़ी । अश्रु गैस छोड़कर लाठी चार्ज किया । तो मैं तो रह गया थाने मे ही और भंवर लाल जी उनको समझाने गये, वे अश्रु गैस में फंस गये, गिर पड़े और इन्हीं के ऊपर लाठियां बरसी । ये कई बार इस तरह घटनाएं हो जाती है ।....(व्यवधान) मेरी सुनिये तो..(व्यवधान) आप मेरी बात को भी सुनने को तैयार नहीं है..(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने ऐसा करके भंवर लाल जी को कई बार पिटवाया है, साहब ।

(132)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं असलियत बता रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन किये जावे । लेकिन आपको याद होगा कि 15-20 दिन या एक महीने पहले एक नेता का वक्तव्य आया था, समाचार पत्र में छपा था। आपने उसका खण्डन नहीं किया न और किसी ने खण्डन किया । उस वक्तव्य में यह था कि नेताओं के घरों और उनके कार्यालयों का घेराव किया जावे । अब आप अन्दाज लगाइये मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे कार्यालय का आप घेराव करें तो समझ में आ सकता है लेकिन नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के निर्देश दें कि मंत्रियों के घरों का घेराव किया जावे। अब घेराव करेंगे तो निश्चित रूप से जो घेराव में आया है वे निकलने की तो कोशिश करेंगे। वे कोशिश करेंगे । अब ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि घेराव का वातावरण, अगर इस प्रकार का वातावरण क्यों है? यह हमारा तो ठेका नहीं है राज करने का, न ठेका आपका था यह जनता जिस प्रकार की प्रक्रिया में निर्वाचन करती है, उस निर्वाचन से राज बदलते रहते हैं । इसमें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जिस प्रकार से लोगों का मानस बनाने की कोशिश करेंगे, उसी मानस का प्रतीक जनता में कई बार ऐसी घटनाओं के रूप में सामने आयेंगी । अब प्रश्न यह आता है अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिदेव जोशी : आप दो टूक बात तो कर नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दो टूक बात ही कर रहा हूं। आप तो दो टूक बात करने में 5 बार बोल गये, मैं तो एक ही बार बोल रहा हूं।...(व्यवधान) मैं तथ्य ही बोल रहा हूं । अब अध्यक्ष महोदय, प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होने के बाद कुछ प्रतिनिधि जाकर मिले और जाकर पुलिस के डी. वाई. एस. पी. से बातचीत हो गई। डी वाई. एस.पी. ने उनको बताया कि सार्वजनिक रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस मामले में सुराग लगा है। आप इसकी तसल्ली रखों। वे चले गये लेकिन वहां जो बातचीत कर रहे थे, उन पर पथराव हुआ और आज मैं जोशीजी आपको ही पूछना चाहता हूं कि आपके पास सिक्योरिटी आफिसर्स के रूप में जिनके चोट लगी है डी. वाई. एस. पी. श्री सुन्दर लाल जी। आपके पास भी रहे हैं हरिदेव जी व शिवचरण जी के पास में भी रहे हैं वह। अब उस आदमी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह आदमी उन पुलिस आफिसर्स में से हैं जो मोटे से मोटे टैंशन को डिफ्यूज कर सकते हैं । मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक श्रीवास्तव नाम के एडीशनल एस. पी. लगे हुए थे । एक बार हम सुखाड़िया जी से केवल इस बात की शिकायत करने गये कि आप इस एडीशनल एस. पी को यहां से हटा दीजिये। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा यह आन्दोलन ही नहीं करने देता है। यह आन्दोलन करने से पूर्व ही हमसे पूछता है कि कहां तक प्रदर्शन होगा, कितने आदमियों को आपको गिरफ्तार करवाना है, गिरफ्तार करके थाने में रखना है या जेल में ले जाना है, लाठी चार्ज करना है या नहीं करना है? अब ये सारी बातें जो पुलिस आफिसर पूछता है तो वह कोई मूवमेन्ट करने देगा ? मैं समझता हूं उसी नेचर का यह सुन्दर लाल डी. वाई एस. पी. है। आसानी से कोई आदमी उस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर पत्थर फेंके या वह लाठी चलाये, वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है लेकिन आज एक शब्द भी आपने उस पुलिस अधिकारी के पक्ष में नहीं कहे जिसका सारा शरीर खून से लहू-लुहान हुआ पड़ा है, जिसके चोट लगने के बाद में उसको वहां से उठाने नहीं दिया गया...

श्री हरिदेव जोशी : लोगों ने कहा है यह मामला निपट गया था, उसके बाद में यह सब कुछ हुआ है, सब लोगों ने यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बताऊं न...

श्री हरिदेव जोशी : आपने कुछ नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया जोशी जी। आप कम से कम इतना तो कहते कि सुन्दर लाल का सर फूटा है, उसके साथ मेरी सहानुभूति है। आप यदि पुलिस को इतना कन्डेम करके चले कि वो मर भी जाय और मरने के बाद भी सहानुभूति प्रकट नहीं करे तो मैं यह समझता हूं कि यह बात उचित नहीं होगी।

श्री हरिदेव जोशी : जो बात नहीं हुई है, जिस बात के लिए तारीफ की गई है कि डी. वाई. एस. पी. से बात हुई, नेगोशियेशन हुआ, मेमोरण्डम उसने ले लिया, उसने वहां पर जो रूकावट थी वो हटवा दी और उसके बाद में यह घटना हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : आर. ए. सी. से मरा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बात सुन्दर लाल की इसलिए कह रहा हूं कि सदन में यह कहा गया कि सुन्दर लाल नहीं होता तो यह घटना नहीं होती। यह कहा है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर ने कहा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कहे चाहे कोई कहे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उधर से कन्हैयालाल जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जो आपकी पार्टी के मेम्बर हैं, उसके अन्दर पोलिटिक्स कही नहीं कही कि किसके मेम्बर थे, क्या थे, वह भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे करने वाले। यह सब उन्होंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई कहे या नहीं कहे लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग सारे के सारे सुन्दर लाल से सहानुभूति रखते हैं। यह तो मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह बात हमने नहीं कही है। यहां पर आपको जिस तथ्य पर आना चाहिये, उस तथ्य पर तो आप आ नहीं रहे हैं। मैंने कहा दो टूक बात करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दो टूक बात पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सुन्दर लाल के चोट लगी और चोट के प्रति आपकी

(134)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहानुभूति है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । प्रश्न यह आया कि सुन्दर लाल के चोट क्यों लगी ? एक तरफ से वो बात करने वाली भीड़ मैं चले गये और बात करने के बाद में सुन्दर लाल थाने में आये और थाने में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते थे, थाने के अन्दर जा रहे थे, उस समय उन पर पत्थर फेंके, सर के ऊपर चोट लगी और वहीं पर गिर गये । अब आप मुझे बताइये, साथी पुलिस वालों का काम क्या है ? वे डी. वाई. एस. पी. को उठाकर अस्पताल में पहुंचा आये । उसको उठाने नहीं दिया गया और तीन सिपाही जो उठाने के लिए आये, उन पर पथराव किया गया, तीनों के चोट लगी । अब उनके चोट लगने के बाद में अब प्रश्न यह आया कि इतने पथराव आ रहे हैं । मैं जनार्दनसिंह जी की एक बात की तारीफ करूंगा कि उन्होने बड़ी गम्भीरता से कहा कि थाने में पत्थर पड़े हुए थे । यह तो आपने मंजूर किया । 10–15 हो चाहे । ये 5–10 भी कहते तो मैं मानता लेकिन 15–20 पत्थर पड़े ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जब लाठियां चली । आर. ए. सी. के लोगों ने उतरते ही लोगों के ऊपर थाने में जाने के पहले ही लाठी चार्ज कर दिया । और वहां पर जो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बता देऊं । मेरी बात तो...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेहरबानी करके मुझे यह बता दीजिये, मैं पुराने लोगों की तो जो इज्जत कर रहा हूं मगर आप सब खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा होऊंगा । जो पुराने नेता बोलते हैं, बराबर के हैं, 40 साल साथ रहे हैं वे बोले लेकिन हर आदमी खड़ा होगा तो फिर सदन नहीं चलेगा ..(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय, डी वाई. एस. पी. पिट गया और डी. वाई. एस. पी. को उठाकर ले जाने वाले तीन कांस्टेबिलों के भी पत्थर की चोटें आ गई और आप स्वीकार करते हैं कि पत्थर पड़े । आपने अपनी आंख से देखा होगा कि थाने के दरवाजे टूटे हुए हैं । आपने अपनी आंख से देखा होगा कि बसों की खिड़कियां टूटी हुई हैं । आपने अपनी आंख से देखा होगा कि थाने के बाहर पत्थर पड़े हुए हैं । इसका मतलब कम से कम एक तो आपने आरोप नहीं लगाया, इसके लिए मैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस ने पत्थर नहीं फेंके । यह भी कह सकते थे कि पुलिस ने पत्थर फेंके लेकिन आप में से कोई बोला नहीं कि पुलिस ने पत्थर फेंके इसका मतलब किसी और ने पत्थर फेंके और पत्थर फेंकने की बात जब माननीय सम्पत रामजी ने अपने वक्तव्य में कही कि पत्थर आये और पत्थर आने के बाद में बचाव क्या था ? अब आप मुझे बता दीजिये बचाव क्या था ? (व्यवधान) आप परसादी लाल जी बैठ जाओ । अब एक ही बचाव था, जैसा माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई ने बात कही । मैं समझता हूं जो मन में थी वह कह दी कि थाने के सिपाही की बन्दूक छीन कर ले जाते तो ले जाने देते.. (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : यह कोई सोना नहीं ले जा रहे थे । उन लोगों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

को जानते थे और उन लोगों को पकड़ा जा सकता था यह बहुत गहराई से सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मनुष्य का जीवन बन्दूक से ज्यादा कीमती है। मैंने साथ में यह कहा है कि वो डकैत नहीं थे, टैरेरिस्ट नहीं थे, वो कोई अनडिजर्वड एलीमेन्ट नहीं थे। अगर वो बन्दूक ले जाते तो 395 का दफा उन पर लागू होता और अब मैं भी यह कहता हूं कि कोई कारण नहीं है कि वो हमारा शस्त्र पिस्तोल ढूंढ लेते इसलिए हमने फायरिंग करने दी। और कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मान गया, आपकी भावना की तो मैं कद्र करता हूं लेकिन मैं सदन से जानकारी करना चाहता हूं, क्या पुलिस अफसर की थाने में से बन्दूक छीन ली जाय, इस चीज को सहन किया जा सकता है? (व्यवधान)

आप क्यों बोलते हो, बोलने दो ना आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सदन से जानकारी कर रहे हो ना आप। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि मैं सदन में जानकारी करना चाहता हूं। बन्दूक छीनी कहां गई है, अध्यक्ष महोदय, छीनने का प्रयास किया। बन्दूक छीनने का प्रयास किया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जहां कहीं बंदूक या शस्त्र छीनने का हो वहां पुलिस फायर कर देगी?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी बात सुन ली। विश्नोई साहब, आप जब बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं। नहीं बोला न?

श्री चन्दनमल बैद : यह सही बोल रहे थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं इस थ्योरी को प्रोफाउण्ड करने से पहले गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि थाने में से हथियार छीन लिये जायें और पुलिस रिएक्ट नहीं करे। पुलिस को रिएक्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप कानून बना दें कि थानों से हथियार छीने जा सकते हैं तो मैं समझता हूं थाने के हथियार आप, मैं या बाकी के सांगानेर के लोग नहीं ले जायेंगे, यह डकैत और वास्तव में जो असामाजिक तत्व हैं वह सारे हथियार ले जायेंगे और क्या लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बनेगी इसका अन्दाज लगा लें। अब प्रश्न यह आता है कि पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस ने फायरिंग किया। चन्दनमलजी पूछ रहे थे कितने फायर किये? वह भी मैं आपको बता देऊं। दस और पांच पन्द्रह और दस पच्चीस राउण्ड, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, मेरे हाथ से लिखा हुआ है, गलत हो सकता है लेकिन 33 राउण्ड या 25 राउण्ड इस प्रकार के राउण्ड फायर किये हैं। यह चीज छिप नहीं सकती। अब आप यह बताइये कि सांगानेर में थाना जला दें या सांगानेर के थाने की खिड़कियां तोड़ दें, सांगानेर के डी.वाई.एस.पी. का सिर फोड़ दें, डी. वाई. एस. पी. को उठा कर ले जाने वाले सिपाहियों को आहत कर दें, वहां पर टेलीफोन

(136)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या बाकी की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय तो अगर किसी प्रकार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त करने की छूट कोई देता है तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसका आप अन्दाज लगा लें।

अब रहा प्रश्न कि साहब, सांगानेर में इतनी बड़ी घटना हो गई, जयपुर में दो बार बैंक डकैती हो गई, आपने कौनसी डंनडन करके दिखाई ? यही पुलिस थी.....

श्री चन्दनमल बैद : आप दिखा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुनें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रश्न को हम इस हिसाब से लें कि जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के आधार पर क्या व्यवस्था होनी चाहिये थी, उस व्यवस्था में क्या कमी रही, उस कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाय। मैं इस बात को मानता हूं, हेतरामजी ने कहा कि पिछले चालीस वर्षों में पुलिस का इस प्रकार का बतीरा बन गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चालीस वर्षों में पुलिस का...

श्री चन्दनमल बैद : चालीस साल में तीन साल आप भी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं था। मैं था लेकिन आप अपने 37 वर्ष के अपराध को स्वीकार करते हैं, मुझे इसमें खुशी होगी, कोई संकोच नहीं होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उस चालीस वर्षों में जिस प्रकार की स्थिति बनी है उस मानसिक स्थिति को परिवर्तन करना आवश्यक है। उसी प्रकार का लोगों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है, उसी प्रकार का लोगों का मानस बनाना आवश्यक है। मैं आपको और सदन को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि ना मैं खुश हूं और न कोई सरकार खुश हो सकती है और आप तो खुश हो ही नहीं सकते कि गोली चले। मैंने आज के चार दिन पहले कहा कि गोली नहीं चलती तो आज आप क्या करते, आपके सामने बेकारी की समस्या आकर खड़ी हो जाती। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप दस पांच जगह और चलवा दीजिये। आज चलवा दीजिये। रात तक सदन चलेगा, आज आप चलवा दीजिये दस पांच जगह जिससे हमारी बेकारी दूर हो जाय।

श्री चन्दनमल बैद : आज गोली कहां चल रही है वह बता दीजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारी बेकारी दूर हो जायगी। आप चलवाओ गोली जिससे हम कुछ यहां कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं। अब, अध्यक्ष महोदय, उस स्थिति में जहां यहां कहा कि तीज का मेला है और यह भी कहा कि दुकानें लूट कर ले गये और पुलिस वाले सारी मिठाई खा गये। अगर इतनी मिठाई थी और इतने खाने वाले पुलिस वाले होते तो शायद यह इस प्रकार की स्थिति पैदा ही नहीं होती।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे मैं इन्ट्रप्ट कर रहा हूं। यह बात तो सुनें। गलत बयानी कर रहे हैं आप, मुख्य मन्त्री जी। मैंने यह

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

बात कही कि जब यह सारी घटना हो गई थी, बाकायदा 144 लग गया, पुलिस वाले सारी रात वहां पर बैठे रहे । आप या तो कह दीजिये थाने पर गोली लगी, वहां पर सड़क पर गोलियां लगी हुई हैं बाहर दूसरी तरफ । आप कह रहे हैं कि फालतू बात कर रहे हैं । सारी रात उन्होंने लूटा है, गल्ले लूटे हैं । आपको, मुख्य मन्त्रीजी, मैंने यहां तक कहा, आप चलिये शाम को, मौका देख लीजिये । मौका देख लीजिये, अगर मैंने जो भी बात कही है उसमें एक भी वर्ड गलत हो, एक भी बात गलत हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जाऊंगा । आप अगर मिठाई की बात सही मानते तो मैं इसका जिक्र ही नहीं करता ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : खाई है मिठाई ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, मिठाई नहीं खाई है । आप इतना बता देओ, एस. पी., कलक्टर और डी.आई.जी.....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन्होंने नहीं खाई ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं खाई । तो इनकी मौजूदगी में दूसरे खा जायें इतने कमजोर यह अधिकारी नहीं हैं । यह भी मैं आपको बता देऊं, ऐसे कमजोर अधिकारी नहीं हैं । और फिर भी कोई खा गया, अगर आपकी जानकारी में है कि कोई पुलिस का सिपाही मिठाई खा गया तो मैं निश्चित रूप से उस मिठाई खाने वाले सिपाही के खिलाफ एक्शन लेऊंगा, आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आप यह समझते हैं क्या कि जिस सांगानेर में थाना हो, सांगानेर के दुकानदार और थाना करीब-करीब एक ही परिधि में आते हैं, कोई दूर-दूर नहीं हैं । उस परिधि में आने के बाद सब इन्स-पेक्टर कोई नया शायद मैं समझता हूं महीने बीस दिन से ही गया है, इतनी बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती । अगर दुकानें लूटी हैं, सामान खाया है तो इन्वेस्टीगेशन का मैटर है, आपने कहा है, अखबारों में भी आया है इस पर जो भी एक्शन लिया जा सकता है, लेंगे, इसकी जांच करायेंगे । जो फायरिंग हुआ है उसकी जांच करने के लिये इन्होंने कह दिया कि ए डी.एम. इसकी जांच कर रहा है । इन्वेस्टीगेशन के बारे में आपको विश्वास से कह सकता हूं कि सारे प्रकरण की, जो फायरिंग का प्रकरण है उसमें बिलकुल निष्पक्ष जांच करवा कर जो निर्दोष हैं अगर गिरफ्तार कर लिये गये, निर्दोष हैं तो गिरफ्तार करने वाले पर एक्शन लेऊंगा और निर्दोष हैं उनको छुड़वाने की बात करूंगा । जो दोषी हैं उन दोषियों के बारे में किसी प्रकार की वकालत नहीं करता, मैं इतना ही आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण में जो चर्चा हुई है उस चर्चा का लाभ पूरे प्रशासन पर किसी प्रकार से आये इस इच्छा से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कहा है, हमने आपको सुना और जो कुछ इस सम्बन्ध में सरकार कर सकती है, करेगी । पुलिस में जितने सुधार की आवश्यकता है वह सुधार लाने की भी चिन्ता करेगी कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब गोली नहीं चले, बल का प्रयोग नहीं किया जाय इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रिकाशन्स लिये जा सकते हैं वह प्रिकाशन्स भी लेने के लिये सरकार तैयार है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डिबेट समाप्त हुई। श्रीमती रमा पायलट। श्रीमती रमा पायलट। I have closed the debate.

श्री हरिदेव जोशी : No, Sir, I have to say something.

मुख्य मन्त्री जी ने जो बातें कही हैं उनके बाबत में मुझे कुछ कहना होगा। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मेरे साथ में आप अन्याय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप बोलिये। आप अकेले को दूंगा। Nobody else will speak. हां बोलिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से यह आशा थी कि वह एक सेन्सेटिव आदमी की तरह से गोली चलने की घटना को लेंगे। मगर तकलीफ की बात यह है कि वह अपनी आदत को छोड़ नहीं सके हैं आज की तारीख तक। वह एक प्रकार से बात को शुरू करते हैं और मजाक में उड़ा करके सारी चीज की गम्भीरता को समाप्त कर देते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं था, प्रश्न इस बात का था कि पुलिस ने गोली चलाई वह गैरवाजिब चलाई। और उस समय चलाई जब लोग डिस्पर्स हो रहे थे और उन लोगों के ऊपर चलाई जिन्होंने कहीं न तो कोई हथियार छीनने की कोशिश की थी, न किसी प्रकार की कोई बात थी। मगर प्रश्न यह नहीं है, जब हम यह सोचते हैं कि एक अमुक प्रकार का सामाजिक वातावरण बनाना है, हमको उसके लिये कोशिश करनी पड़ेगी। आपके कई साथियों ने कांग्रेस गवर्नमेन्ट के बाबत में बात कही है। क्या दिवराला के अन्दर सती के मामले में गोली नहीं चल सकती थी ? आपसे मैंने उस समय कितना कंसल्टेशन किया होगा, आपकी पार्टी के लोगों से कंसल्टेशन किया होगा.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये गोली नहीं चली। हमने आपको सलाह दी मत चलाओ गोली।

श्री हरिदेव जोशी : क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। मैं इन सारी बातों के अन्दर नहीं जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाओ आप तो। बोलने का अधिकार मुझे भी है, इसलिये मुझे डर नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : भोपालगढ़ में लेवी के आन्दोलन को लेकर किसानों पर गोली आपने चलवाई थी।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पोलिटिकल लीडरशिप

(श्री हरिदेव जोशी)

क्या है ? सवाल कांस्टेबल का, थानेदार का नहीं है. .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं तो मैं भी भाषण दूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, सुन लीजिए। चूंकि यह डिबेट के रूप में मसला आया है आपने पहले सवाल किया है कि कन्क्लूड करूंगा। फिर आप कन्क्लूड कर दीजिए। नई चीज मत लाइये। आपने जो कहा है उसका जवाब दे दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। देखिये, प्रश्न आया गोली चलाने का। आपने सवाल उठाया कि मण्डावरी में हमने शिकायत की कि गोली क्यों नहीं चलाई। हमने शिकायत इसलिए की कि थानेदार खड़ा देखता रहा। उसने व्हिसल बजा कर आदमियों को वो किया, दूसरों के हथियार ले लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां भी थाना जल जाता तो यही शिकायत करते कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई।

श्री हरिदेव जोशी : अगर इस प्रकार की चीज होती तो जरूर कहते। नौ आदमियों को मण्डावरी में एक जगह मार डाला गया। थानेदार खड़ा-खड़ा देखता रहा। मकानों को लुटवाया। वहां डाइनामाइट लगाकर उनको गिराया गया। हम केवल मण्डावरी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। माननीय भैरोंसिंह जी मैं वह व्यक्ति था। आप बैठे हैं उसकी अगली कुर्सी पर चीफ व्हिप बैठे हैं यहां पर मैं बैठा था और मैंने अजमेर के पास के आसन जिलेलाव की शिकायत मैंने की थी। मैं गया था और मैं ऐसा समझता हूं कि आसन जिलेलाव के मुकाबले में मण्डावरी का गुनाह कहीं ज्यादा है। माननीय भैरोंसिंह जी,+++ यह आशा आपसे नहीं थी। आज तक आसन-जिलेलाव में, मण्डावरी में कुछ नहीं हुआ है। आपने लाख रूपये दे दिये, नौ आदमी वापिस दिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दिये हों तो बता दो एक भी ?

श्री विजयसिंह झाला : राजीव गांधी ने घोषणा की थी वह 10 लाख रूपये नहीं मिले हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपका यह फर्ज था कि आप उस थानेदार को सजा देते, कत्ल का मुकदमा लगाते मगर आपने यह नहीं किया। आप आज भी सांगानेर के लोगों की जो मानसिक स्थिति है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप देखिये, भरतपुर में गोली चली...

एक माननीय सदस्य : याद आई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं घना की बात कह रहा हूं। हम कन्विंस थे कि गलती हुई है, ज्युडिसियल इन्क्वायरी होगी। आप आखिर यह परिस्थिति पैदा क्यों नहीं करना चाहते कि पुलिस आफिसर यह महसूस करे कि फेक्ट्स अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो वह कभी हमको बख्शेंगे नहीं।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

देखिये, यह एक ऐसी मशीनरी है जिसका सदुपयोग करते हैं तो ठीक काम करती है और इसका दुरूपयोग करने की आप इजाजत हैं तो इससे अधिक अपने आपको खराब करने वाली और देश को खराब करने वाली कोई मशीनरी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप हमारी बात को इग्नोर कर दीजिए। हम बोलते हैं उस पर मजाक करके टाल दीजिए। आप कह दीजिए कि आप तो वाक-आउट करके चले जाएंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज जाने भी नहीं दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह कहोगे। यह कहते हो और उसका मजाक में उपयोग करते हो परन्तु You are doing disservice to the State.

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : वह ठीक है। आपको कम से कम वहां यह देखना चाहिए कि मण्डावरी में क्या हुआ? भरतपुर में घना में पीने के पानी के लिए जो एजिटेशन हुआ। सतवारी में क्या हुआ? अगर कोई पोलिटिकल पार्टी दोषी है तो उनको भी सजा दे दीजिए। चाहे यहां पर कोई लोग गुनाहगार हों तो उनको भी सजा दीजिए मगर जिन लोगों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। लाठी चार्ज तक की बात मैं समझ सकता हूं। लाठी चार्ज में कोई आदमी अगर चोट लगने से मर जाय उसको भी मैं समझ सकता हूं परन्तु गोली चलाना, एक प्रकार से पालिटिकल पार्टी को सोचने की जरूरत है। अगर गोली चलने से आप खुश हों यह मैं नहीं कहता। कोई भी सी. एम. अपने रिजीम में एक बार भी गोली चलती है तो उसको वेदना महसूस होती है। हर आदमी यह चाहता है कि मेरे शासन काल में शान्तिपूर्वक समय निकल जाय। दुनियां यह कहे कि टेक्टफुली हैण्डल किया। ठीक ढंग से काम लिया मगर यह मशीनरी आपके हाथ में है। आप सोचते हो, मजाक उड़ा रहे हैं आपके साथी मगर क्या दिवराला-सती के मामले में जयपुर में गोली नहीं चल सकती थी? जयपुर में गोली नहीं चल सकती थी सती के मामले में मेरे ऊपर एक तरफ सती प्रथा के विरोधियों का प्रेसर था, दूसरी तरफ सती प्रथा के पक्षपातियों का प्रेसर था- but I could stand it आपसे यही प्रार्थना है कि आप कुर्सी पर बैठे हो तो हमारे मन में यह विश्वास पैदा करो, कोई सही बात लेकर आपके पास में आएगा तो आप उसको सही ढंग से सुनोगे। अगर आप यह विश्वास पैदा नहीं करते हैं और यह स्थिति पैदा करते हैं कि हम बोलते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं आपके साथी और आप लोग तो हमारे यहां बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

मैं इस बात को अत्यंत गम्भीरता से लेता हूं। मैं इस मूड में नहीं था। इस मानसिक स्थिति में भी नहीं हूं कि मैं कुछ कहूं मुझे ऐसा लगता है कि यहां कुछ कहना बहरों के सामने कुछ बोलना है। आपकी सरकार में आप बैठे हुए हैं। राजस्थान के सबसे पुराने आदमियों में से आप हैं। हम 2,4,5 लोग हैं इस उम्र के यह सारे बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब बहरे है आपके हिसाब से ?

श्री हरिदेव जोशी : यह लोहियाजी के शिष्य हैं जिन्होंने गोली चलाने के बाबत क्या कहा था ? यह हंसते हैं आज ? यह माननीय सम्पतराम जी किस केस को डिफेण्ड कर रहे हैं ? यह प्रो. केदार, आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस स्थिति में अपनी सेंसिटिविटी को खत्म मत होने दीजिए । हम प्रतिबद्ध हैं । हम यहां पर किन्हीं लोगों की पैरवी करने वाले लोग नहीं हैं । यह स्थान किन्हीं लोगों की पैरवी करने का स्थान नहीं है । जब आपके सामने आते हैं तो सोच समझ कर आते हैं । कर्तव्य की भावना से आते है और अध्यक्ष महोदय, कर्तव्य की भावना को अगर उपहास के अन्दर लिया जाता है तो इससे अधिक दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता । इसलिए पहले जो इस प्रस्ताव को रखते समय कहा गया कि गोली चलाने की ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए । उन लोगों को जिनका माल लूटा गया है, कम्पेंसेट किया जाना चाहिए और गुनाहगार व्यक्तियों को तत्काल सजा दी जानी चाहिए, सजा का प्रोसस शुरू किया जाना चाहिए । इन बातों को आप पूरा कीजिये, यह मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि विपक्ष के नेता ने जिस भावना से अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनकी भावना से मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं । लेकिन आप जानते हैं कि यही भावना इस सदन में आये हुए कोई नया माननीय सदस्य वयक्त करता तो मुझे भी ऐसा लगता कि यह माननीय सदस्य भावना से बोल रहा है । लेकिन जिनको राज करने का मौका मिल गया, वर्षों तक राज किया । जिनके राज में गोलियां चली, जिनके राज में डकैतियां पड़ी, जिनके राज में बलात्कार हुये । आज वह अगर मुझे यह कहें कि मैं सदन में तथ्य नहीं रखूं तो माननीय जोशी जी मैं सदन में तथ्य निश्चित रूप से रखूंगा । जो सही बातें हैं वह सदन रखूंगा मैं । आपने अपनी तरफ से जो बातें कही, मैंने तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि आप गलत बात कह रहे हैं लेकिन आप मुझे भावना के आधार पर रोकना चाहें कि मैं तथ्यों को सदन के सामने नहीं रखूं । मैं समझता हूं कि मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने दीजिये, मैंने आपको बीच में टोका नहीं । अब आपकी बात का कितना असर होता है वह तो मैं उसी आसन जिलेलाव का उदाहरन देना चाहूंगा । आपने विपक्ष में रह कर श्री शिवचरण जी माथुर, मुख्य मंत्री थे । आपने ज्युडिशियल इन्क्वायरी की मांग की । आपने नहीं मालूम क्या-क्या मांग की । यह तो उस समय जनतादल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी । सरकार में माथुर साहब थे । हो सकता है कि आपके और माथुर साहब के बीच में मतभेद कई प्रकार के रहे हों लेकिन सदन में कही हुई आपकी बात उन्होंने बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की । अब मैं यह नहीं मानता कि आप कोई बात गलत कह रहे हैं या माननीय मुख्य मंत्री जी ने हठधर्मिता के कारण उस

(142)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वक्त आपकी बात स्वीकार नहीं की। लेकिन यह तो एक तथ्य है कि आपने इसी सदन में आसन जिल्लेलाव का मामला रखा और यहां तक कहा कि मेरे पास में रील है, विडियो कैसेट है, उसको देख लीजिये। यह सब कुछ बातें करने के बाद में भी आप ही के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तथ्यों के विपरीत जाकर किस प्रकार से ऐक्शन नहीं ले सकता हूं, अगर तथ्यों के...।

श्री हरिदेव जोशी : कहीं पर भी विपरीत तथ्य नहीं है...।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं मानते। इसलिए हमने कहा कि इस सारे मामले की एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच करेगा और जांच करने के बाद में यदि कोई दोषी पाया गया और उस दोष में किसी भी प्रकार की हम रियायत करें तो आप हम पर चार्ज लगा सकते हो कि हमने दोषी व्यक्ति के साथ रियायत की और हमने उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी। लेकिन एक बात तो माननीय जोशी जी आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है कि जिस को मैं सजा देना चाहता हूं या जिसको आप सजा देना चाहते हैं उसको भी कान्सीटिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सेवा नियमों में उसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। केवल यह माखौल नहीं है कि एक ने मांग की और मैंने किसी को सस्पैण्ड कर दिया। आज सस्पेन्शन के मामले हाई कोर्ट में जाते हैं और स्टे हो जाते हैं। तो आज जो कुछ भी व्यवस्था होगी वह जांच के आधार पर होगी। यदि तथ्य हमारे सामने आये तो मैं आपको सदन में माननीय जोशी जी इतना कह सकता हूं कि तथ्य छुपाकर हम सदन की कार्यवाही को नहीं चला सकते। मैंने तो कोई गोली चलाई नहीं। माननीय श्री सम्पतराम जी ने गोली चलाई नहीं। पुलिस के एस. पी. ने गोली चलाई नहीं।, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गोली नहीं चलाई। श्री सुन्दरलाल ने गोली नहीं चलाई। गोली चलाई थी तीन कांस्टेबिल और एक शायद हैड कांस्टेबिल है उसने। इन चारों आदमियों ने गोली चलाई। अब आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिये की क्या उनसे जानकारी प्राप्त करें? पूरे तथ्य मेरे सामने आ जाए। उसके बाद में कोई ऐक्शन लेऊं। लेकिन केवल यह कहने से कि इन आदमियों ने गोली चलाई इसलिए इनको सस्पैण्ड कर दीजिये। आप इस बात के लिए माफ करना मुझे...।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने सस्पैण्ड करने का नहीं कहा मैंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी का कहा है...।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ज्युडिशियल इन्क्वायरी भी बता देता हूं। अभी आपने घाना का जिक्र किया। अभी यहां आप बोल गये कि घाना के अन्दर मैंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवायी। घाना की घटना की बात कर रहा हूं मैं। ये माननीय श्री नत्थीसिंह जी बैठे हुये हैं, इन लोगों ने आन्दोलन किया और जेलें भरी और उनके ऊपर मुकदमे चले और आज भी मुकदमे चल रहे हैं। इन्होंने जो आन्दोलन किया उसके मुकदमें आज भी चल रहे है। मौका आया तो मुकदमें विथड्रा करूंगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिन लोगों ने आन्दोलन किया उन आन्दोलनकारियों के ऊपर एक नहीं कई मुकदमे चल रहे हैं कि पुलिस के विरोध में या पुलिस की अकर्मण्यता के कारण जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन पर और भी ऐसे इस तरह के जो भी काण्ड हुये मुकदमे चल रहे हैं। रोज लोग तारीख पेशियों में जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप बुजुर्ग हैं। इस सदन के सबसे ज्यादा बुजुर्ग सदस्य आप हैं। कम से कम प्रशासन के लिए हमको यदि ज्ञान दें तो इस प्रकार का ही ज्ञान दें कि उस ज्ञान के आधार पर हम भी काम कर सकें और आगे आने वाली कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो वह भी काम कर सकें। मैं यह नहीं कहना चाहता। अब रहा आपने कहा कि मैंने मजाक उड़ायी। मैं समझता हूं कि मैंने तो किसी की मजाक नहीं उड़ायी। हां, मैंने जो तथ्य सारे रखे हैं उन तथ्यों की आप मजाक हक कर मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने तो मजाक उडायी नहीं....।

श्री हरिदेव जोशी : जिस तर्ज में आप बोल रहे थे, वह तर्ज क्या था? वह तो आप खुद भी अनुभव कर सकते है।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मन्त्री) : तर्ज तो अपना-अपना है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहने को अपने आपको योग्य नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अनुभव ज्यादा है, आप बुजुर्ग है। मैं आपका सम्मान करता हूं। आप कोई भी मुझे ज्ञान देंगें तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं कहता हूं आपको....

श्री अध्यक्ष : Old habits die hard.

श्री हरिदेव जोशी : मैं कहता हूं आपसे मैं हरगिज-हरगिज आपके उस कौन सा गांव है चित्तौड़ जिले का, मण्डावरी के आपके निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं। थानेदार एस. एच. ओ. वहां का गुनहगार है। उसने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुये देखा है। मरवाया है, । आपने देखा है अगर आप वहां गये हों तो उनके मकान लूटे गये हैं, उनके मकान तोड़े गये हैं। यह आपसे कहता हूं तथा मैं इसके लिए राय दे रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष : तो यह हो गया आपने जो प्रस्ताव दिया। यह रिपिटेशन हो रहा है। माननीय श्री जोशी जी आप बिराजिये। सदन के बाहर ही बातें करें तो अच्छा रहेगा। सदन का टाईम खराब....।

श्री हरिदेव जोशी : यह मुझे कहते है इसलिए मैं राय देता हूं....। सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री जोशी जी ने कहा कि मैं आपकी सब बातों से सहमत नहीं हूं। यह बात तो सही है। आप

(144)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहमत होने के लिए उधर नहीं बैठे हैं। इसीलिए आपका नाम विपक्ष रखा है। आपको तो विरोध करना है, करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आपके विरोध का। और इसीलिए सदन में बैठा रहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य यहां पर भाषण नहीं देते हैं सरकार की कमजोरियों का जिक्र कर के सरकार को मजबूत करते है और इसी कारण आप चाहे तो मेरी एक महीने की कार्यवाही देख लीजिये। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें 15-20 कागज लिख कर नोट कर के मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं भेजता। आज सदन में इस प्रकार की बातें हुई, इसी आधार पर मैं सुनता हूं। जहां तक आपने मण्डावरी की बात कही मैंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवा दी। लेकिन यह हमारा भाग्य है कि हमने मृतक के परिवारों को एक-एक लाख रुपये दे दिये तो आपके नेता माननीय श्री राजीव गांधी कहते हैं कि एक लाख रुपये तो दिये लेकिन लीक से हटकर दिये हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि कौन सी लीक पर मैं हट गया? एक लाख रुपये यदि वहा....। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि मैं बैठा हुआ था....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैंने एक लाख रुपये दे दिये तो मैं लीक से हट गया। मैंने ज्युडिशियल इन्क्वयारी करवा दी तो समस्या खड़ी हो गई। अब जिस मामले में ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो रही है उसमें पहले लोगों को सजा कैसे दे सकते हैं? फिर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करने का परपज क्या है?

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो आपको कहता हूं कि आप राजस्थान पत्रिका को पढ़ लो वह कहता है कि पुलिस ने क्या किया? जानकारी मिली है इसीलिए मैं जानकारी दे रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजे। श्रीमती रमा पायलट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जानकारी आपने नहीं दी वह तो राजस्थान पत्रिका ने दी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से सहमत नहीं हूं और मैं उसके विरोध में वाकआउट करता हूं....।

(तत्पश्चात् नेता प्रतिपक्ष के साथ में कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : वाकआउट किया 295 मो. माहिर आजाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी सफलता इसी में है कि इनको वाक आउट करवा देऊं उठकर के।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। ऑर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां फरमाइये, क्या है? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। आपने उस पर व्यवस्था दी थी कि सरकार का वक्तव्य आयेगा। मुझे आपसे निवेदन करना है कि मेरा वह स्थगन प्रस्ताव बहुत इम्पोर्टेन्ट था, एक 27 साल की लड़की आपरेशन की टेबल पर मर गई और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। उसकी जांच नहीं हुई। सरकार ने अपनी तरफ से उसमें कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपने कल व्यवस्था दी थी उसके मुताबिक सरकार का जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, माननीय श्री माहिर आजाद।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-झुन्झनूं शहर व तहसील में पेयजल के गम्भीर संकट की तरफ माननीय जलदाय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करा रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्षजी, 295 पढ़े हुए माने ...

श्री अध्यक्ष : आप सुनते नहीं हैं, पढ़े हुए अलग माने हैं।

झुन्झनूं के गांवों में उत्पन्न पेयजल संकट

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मान्यवर; मैं आपका ध्यान झुन्झनूं शहर व झुन्झनूं तहसील के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट से आम जनता को हो रही भारी असुविधा की तरफ दिलवाना चाहता हूं। झुन्झनूं शहर के मोहल्ला बटवालान, खोरा मोहल्ला, श्रीमालों का मोहल्ला, वार्ड नं. 1, छान वन्दरों का मोहल्ला, खटीक मोहल्ला, नायक बस्ती, चेजारों का मोहल्ला आदि में पिछले चार माह से पानी नाम मात्र का भी वितरित नहीं किया गया है। उक्त मोहल्लों के ऊंचाई पर बसे होने के कारण तथा पानी का प्रेशर बहुत धीमा होने के कारण घरों में लगे नलों में पिछले चार माह में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। इस कारण लोगों ने तीन फीट से लेकर छह फ़ीट तक मैन कनेक्शन वाले स्थानों पर गड्ढे खोद रखे रखे हैं तथा पेयजल वितरण के समय बच्चों को उक्त गड्ढों में उतार कर महिलाएं ऊपर बैठ जाती हैं, अन्दर गड्ढों में से बच्चे एक-एक लोटा भर कर ऊपर पकड़ाते रहते हैं और ऊपर बैठी महिलाएं लोटों से घड़े भरती हैं अर्थात् इस तरीके से पानी भरने की आदी हो गई हैं। लेकिन फिर भी इतनी परेशानी झेलने के पश्चात् भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। अनेक मौकों पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौका दिखा कर इस समस्या का समाधान करने को कहा गया परन्तु कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं हुई। अगर टेल में एक समय पानी दिया जाए और हैड में आबाद लोगों को दूसरे समय पानी दिया जाए तथा हैड में पानी देते समय टेल की वाटर लाईन को वाल्व लगाकर वन्द कर दिया जाए तो समस्या का एक हद तक समाधान हो सकता है। इसी तरह आदर्श बस्ती, खीदसर की समस्या का काफी समय से भरसक प्रयत्न करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है

(146)

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पातूसरी पंचायत के ग्राम मालसर का टी. एस. एस. स्कीम का लगभग चौदह हजार रुपये का जलदाय विभाग द्वारा भुगतान नहीं करने से गांव में पेयजल की नई समस्या पैदा हो गई है। माननीय अध्यक्षजी, माननीय मन्त्रीजी . . .

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका समाप्त ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : समाप्त तो नहीं हुआ है, मन्त्रीजी ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पढिये, वह जवाब देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस्लामपुर का ओवर हैड टैंक काफी समय से स्वीकृत होने के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। ग्राम अजाड़ी कलां व बुढ़ाना में कुओं की मोटरों के अभाव में भारी पेयजल संकट बना हुआ है। विभिन्न गांवों में पूर्व में लगाये गए हैण्ड पम्पों में या तो पानी का स्तर नीचे चला गया है अथवा खराब पड़े हैं। नए हैण्ड पम्प अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं। पानी की किल्लत से लोगों में भारी रोष है हालांकि थोड़ी-बहुत वर्षा होने से लोगों को अस्थाई राहत तो अवश्य ही मिली है, लेकिन समय रहते पेयजल संकट का निवारण नहीं किया गया तो जन आक्रोष कभी भी गम्भीर रूप धारण कर सकता है। चनाना में हरिजन बस्ती में टंकी भी बनी हुई है, कुआ भी है, सिर्फ कुंएं को टंकी से जोड़ना है। अत: मैं आपके माध्यम से जलदाय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न गांवों में जो कुएं व टंकियां पिछले जनता शासन से बनी हुई हैं, उन कुओं की सफाई व गहरा कराकर पेयजल संकट का निवारण करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री किशनाराम नाई।

नाई जाति के व्यक्तियों की दयनीय स्थिति के बारे में

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) **:** अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के तहत प्रस्ताव है। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा राजस्थान सरकार, मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री के ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि आजादी के 43 वर्ष के पश्चात् भी अन्य पिछड़े वर्ग एवं विशेषकर नाई जाति के व्यक्तियों को दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है और उनके साथ भारी अत्याचार एवं घोर निन्दनीय व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में थाना डांगियावास के अन्तर्गत ग्राम नादड़ी की निवासिनी श्रीमती सीता पत्नी श्री कालूराम जाति नाई ग्राम नादड़ी तहसील व जिला जोधपुर के साथ पप्पीया उर्फ युधिष्ठर जाति ब्राह्मण निवासी नादड़ी के दिनांक 23-6-90 को श्रीमती सीता के घर घुस कर चाकू की नोंक पर बलात्कार किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना डांगियावास सी. आर. नं. 74/90 पर दर्ज हुई। उसी प्रकार

(3.35 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)।

(श्री किशनाराम नाई)

श्रीमती मीरा पत्नी गणपत राम जाति नाई निवासी ग्राम खातीयासनी तहसील व जिला जोधपुर के साथ कोजाराम जाट ने दिनांक 30-6-90 को मीरा के घर में घुस कर रात्रि में बलात्कार किया जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाना डांगियावास में एफ. आई. आर. नं. 104/90 पर दर्ज हुई। इसी प्रकार ग्राम बूंगड़ी तहसील फलौदी थाना मोजासर की निवासिनी श्रीमती मूली देवी पत्नी श्री शेराराम जाति नाई, जो अपने घर में सो रही थी, उसके घर में घुस कर रात्रि में उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी बूंगड़ी ने बलात्कार किया जिसकी एफ. आई. आर. पुलिस थाना मोजासर तहसील फलौदी में दर्ज हुई। इस घटना की "राजस्थान केसरी" समाचार पत्र में दिनांक 30-6-90 को खबर ब्यौरेवार प्रकाशित हुई है। इसी संदर्भ में एक घटना ग्राम जाजीवास कलां पुलिस थाना डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर में घटित हुई जिसमें पिछड़े वर्ग की श्रीमती कमला पत्नी रूघाराम जाति कुम्हार निवासी जाजीवास कलां घेवरराम जाट व जेठाराम जाट निवासी जाजीवास खिबरियां ने रात्रि के ग्यारह बजे श्रीमती कमला के घर में घुस कर जबरन बलात्कार किया जिसकी एफ. आई. आर- नं. 80/90 है। पुलिस थाना डांगियावास में दर्ज हुई है। इसी प्रकार जघन्य अपराधों के घटित होने के बावजूद पुलिस की अकर्मण्यता एवं मिलीभगत होने के कारण एक भी अपराधी किसी भी थानेदार व पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार नहीं किया है। इतना ही नहीं, यहां तक सूचना मिली है कि स्वयं पुलिस अधिकारीगण अपराधियों को पनाह दे रहे हैं और अभियुक्तगणों को न्यायालयों से अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए मौका दे रहे हैं। यह तो न्यायालयों की निष्पक्षता का श्रेय है कि अभियुक्त कोजाराम निवासी खातीयासन द्वारा प्रस्तुत की गई अग्रिम जमानत की दरख्वास्त को दिनांक 21-7-90 को अस्वीकार कर दी गयी। इसके बावजूद भी पुलिस ने आज तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया और न ही मुकदमों में किसी प्रकार की जांच की कार्यवाही में प्रगति की है। अतः मैं मुख्य मन्त्री महोदय, गृह मन्त्री महोदय एवं सरकार से मांग करता हूं कि कोई निर्भीक, निडर एवं ईमानदार अधिकारी, जो पुलिस में हो, को यह मामला स्पेशल तौर पर अंकित कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कराया जाए और अब तक गिरफ्तार नहीं करने के लिए सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी के विरुद्ध जांच कराई जाकर अविलम्ब कार्यवाही की जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ न हों, इसके लिए समुचित कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री किशनाराम नाई : और मैं आश्वासन चाहता हूं कि कितने दिन में कार्यवाही होगी।

सपोटरा में सड़कों का निर्माण

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा की

(148)

(श्री प्रभुलाल पटेल)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सपोटरा में सड़कों के निर्माण हेतु निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र सपोटरा अधिकतर जंगल व पहाड़ी इलाका है। यहां पर आवागमन सुविधा नहीं के बराबर है। सपोटरा को जोड़ने के लिए मात्र 25 किलोमीटर सड़क कुड़गांव से जाती है। आवागमन के अभाव में दस्यु गैंग हमेशा पनपती रहती है तथा विकास भी अवरूद्ध रहता है। सरकार दस्यु निवारण के लिए हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करती है परन्तु सड़कों के अभाव के कारण दस्यु गैंगों का सफाया करने में सफलता नहीं मिल पाती है। केन्द्रीय सरकार से डाकुओं का सफाया करने के लिए डांग क्षेत्र में कई सडकों का निर्माण भी कराने की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु अभी तक नहीं बन पाई हैं। उनको शीघ्र बनवाया जाये तथा निम्न सड़कों का निर्माण करवाना इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व दस्यु समस्या एवं विकास को मद्दे नजर रखकर नितान्त आवश्यक है।

1.	हाड़ौती से कैलादेवी	20 किलोमीटर
2.	ताजपुर से टटवारा वाया शिरखिडा, भरतून	15 किलोमीटर
3.	चैनपुर से झेरख	30 ,,
4.	सपोटरा से वारेल	35 ,,
5.	सपोटरा से अमरगढ़	8 ,,
6.	कैलादेवी से बारेल	30 ,,

यदि सरकार ने इन सड़कों का निर्माण करवा लिया तो इस क्षेत्र की दस्यु समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगी तथा चहुमुखी विकास भी होगा, क्षेत्र में शांति कायम हो सकेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, सब्जेक्ट कौनसा है?

श्री सभापति : सुतरखाना हरिजन बस्ती।

सुतरखाना हरिजन बस्ती की समस्याओं के बारे में

श्री हीरालाल इन्दौरा : सभापति महोदय, सुतरखाना हरिजन बस्ती (सेण्ट एन्जिला सोफिया स्कूल के पास) के निवासियों की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

1. उक्त बस्ती के लोगों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1986 में भू-खण्ड आवण्टन पत्र प्रदान किये गये थे उसी माह में आवंटियों ने वांछित राशि भी जमा करवा दी किन्तु सम्बन्धित अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा लोगों को साइट प्लान के अनुसार कब्जे नहीं सम्भलवाये गये हैं।

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

2. उक्त बस्ती की योजना में एक निजी भूमि को भी सम्मिलित कर लिया गया। भू-खण्ड संख्या 24 से 48 के मध्य (इससे बस्ती को दो सड़कें मुख्य सड़क) जनता कालोनी से नहीं जुड़ पायी हैं। दोनों सड़कें आज भी अधूरी पड़ी है। इस सम्बन्ध में बस्ती वालों ने वर्ष 1986 से ही जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन अधिकारी उपायुक्त (क. व.) सचिव एवं आयुक्त से समय समय पर मिलकर लिखित में दरख्वास्त देकर निर्णय करने का निवेदन करते रहे हैं। निजी भूमि वाले भी जमीन के बदले जमीन देने के आधार पर सड़कों की जमीन खाली करने की सहमति दे रखी है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

3. विद्युत मण्डल द्वारा जो नई लाइनें डाली गयी हैं वे केवल रोड़ लाइट की हैं उनसे घरेलू कनेक्शन नहीं ले सकते। अतः उपयुक्त लाइनें डाली जाय। जन. स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने पानी की लाइनें सभी ब्लाकों में नहीं डाली हैं। जितनी डाली हैं उनको मैन लाइन से जोड़कर चालू नहीं किया गया है। निवासी कमजोर वर्ग के हैं अतः उनके पुराने कनेक्शन (पानी व बिजली के) बिना शिफ्टिंग चार्ज लिए नयी लाइनों से जोड़े जायं। गटर लाइन भी सभी ब्लाकों तक नहीं डाली गई हैं।

4. पार्क व स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया है। इससे जहां बस्ती वालों को पर्यावरण व बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही है वहीं अवैध कब्जों की सम्भावना भी है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्यवाही करवाई जाने का सरकार से अनुरोध है ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोग अपना मकान बनाकर सुविधा पूर्ण आवास कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नवनीत लाल नीनामा।

तहसील घाटोल में सड़कों का अभाव

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, मेरा 295 का प्रस्ताव तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति पीपलखूंट एरिया में जो सड़को के अभाव में, कच्ची सड़कों पर बसें चलती हैं वहां पर रोड़ कटिंग नहीं होने से कई लोग मर जाते हैं। उसके सम्बन्ध में है।

गांव घण्टाली से दानपुर सड़क स्थान गांव डुगलावाणी में सड़क शाखा प्रारम्भ करा आमली घाटी की कटिंग बकाया पूर्ण कर सालमगढ़ सम्पर्क सड़क का निर्माण करने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव :—

निवेदन है कि तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव घण्टाली से दानपुर सड़क का निर्माण कार्य चालू है। उसी सड़क से गांव डुगलावाणी में सम्पर्क सड़क झाटोया की बारी से कलवाणीपाग, माडझेर, होकर सालमगढ़ को जाती है। रास्ते में जिला बांसवाड़ा व जिला चित्तोड़गढ़ की

150

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

सीमा पर ग्रामली घाटा का चढाव काफी लम्बा है। जहां पर ग्राम की जनता द्वारा अपनी योजना बनायी जाकर आवागमन की सुविधा हेतु श्रमदान करके ग्रामली घाटा की कटिंग जारी है। मगर गत वर्षों की सरकारों ने जन साधारण जनता के आवागमन पर ध्यान नहीं दिया है।

अतः मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार जिला बांसवाड़ा व जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा पर ग्रामली घाटा की कटिंग का कार्य अपने हाथ में लेवे व सम्पर्क सड़क का निर्माण पूरा कर गांव हूंगलवाणी घण्टाली, पीपलदा नायन वाडी, बड़दा, जामली, सोडलपुर, करमोडा, मडवाल, ठेसला, अमलीखेडा निबोडा की आदिवासी जनता खेतीहर मजदूरों को रोज काम में आने वाली सामग्री लेने व लाने का रास्ता निर्माण करावें व रोज मजदूरी पर जाने व आने की सुविधा दिलाने को मेरी पुरजोर शब्दों में नियम 295 के इस प्रस्ताव द्वारा मांग की जा रही है।

मैं इसी से लगी हुई सड़क माही डेम से गौतमेश्वर तक जा रही है उस पर प्राइवेट बसें चलती हैं व घाटी में उतार चढ़ाव में आये दिन बसों के उलट जाने से यात्रियों की मौतें हो रही हैं। अतः माही डेम से गौतमेश्वर रास्ते में आने वाली घाटियों की कटिंग करा सड़क को लेबल कराया जाय। यह मेरी मांग सरकार की सेवा में प्रस्तुत है। इस रास्ते में अभी दो महीने में ही दो बसें उलट गई हैं और कई लोग मारे गये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री डूंगरराम पंवार।

माखड़ा गंगनहर की माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पर लगे आऊटलेट में गड़बड़ी

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी.) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा प्रस्ताव करता हूं—

श्रीमान सिंचाई मन्त्री महोदय, निवेदन करता हूं कि रॉंग आउट लेट की परिभाषा क्या है? इसलिए कि माखड़ा गंगनहर की माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पर लगे आउट लेट की बी. वाई व फर्स्ट लेबल में गड़बड़ी की शिकायतें हैं व नहरों की टेलवाले काश्तकारों को इससे पूरा पानी नहीं मिलता है। श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता पीलीबंगा खण्ड के पत्र क्रमांक 1559, दिनांक 20-10-89 में कहा गया है कि रोंग आउटलेट सही कर लिये जावे, रॉंग आउटलेट का का शब्द प्रयोग में क्यों लिया जाता है इससे अनियमितता करने का स्पष्टीकरण होता है जबकि आउटलेट डिजाइन मेनुअल के हिसाब से परमानेण्ट होते हैं। इसलिए इससे स्पष्ट है कि माखड़ा गंग केनाल की माइनर डिस्ट्रीब्यूट्री में लगे आउटलेट की बी. वाई. गड़बड़ी है क्योंकि उनको अपने डिजाइन से बड़ा किया गया मैं जिससे यह रॉंग आउटलेट एक्सट्रा पानी ड्रा करते हैं जिससे टेल के काश्तकारों को पानी नहीं मिलता जिससे फसलें खराब हो जाती है

(श्री डूंगरराम पंवार)

और पीछे के मोगे ज्यादा पानी लेने से उन पर डेढ़ी फसल होती है । मैं मांग करता हूं कि इन सभी आउट लेटों को चेक करवाया जाये । गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय तथा सभी रॉग आउटलेट नाप कर सही करवाये जायें ।

श्रीमान मुख्य अभियंता सिंचाई ने स्थानान्तरण करने में अनियमितता का प्रयोग किया है । तीन स्थानान्तरण लिस्ट जारी की प्रथम 30/6 को, द्वितीय 2/7 को, तृतीय 7/7 को लेकिन सब पर तारीख 30/6 ही अंकित की गयी है । इस बात से स्पष्ट है कि प्रथम लिस्ट में चार व्यक्तियों के स्थानान्तरण करना व दूसरी लिस्ट में रद्द करना क्या एक ही दिन में सम्भव है ? नहीं लिस्ट 2/7 को जारी की गयी व दिनांक 30/6 अंकित की गयी है । सम्भव है तो अलग लिस्ट क्यों जारी की गयी ? एक ही दिन में एक लिस्ट होनी चाहिए थी ।

स्थानान्तरण नीति में कहा गया है कि एक ही सम्भाग में 2 वर्ष से अधिक कोई कर्मचारी व अधिकारी नहीं रह सकता लेकिन स्थानान्तरण लिस्ट में उन्हीं कर्मचारियों के एक ही खण्ड व वृत भाखड़ा गंग केनाल में स्थानान्तरण किया गया है, जिनको रहते हुए 10 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया है । उन सबका स्थानान्तरण अविलम्बनीय है इस जिले से बाहर किया जावे । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार परमार ।

राज्य कर्मचारियों के अनियमित स्थानान्तरण एवं स्थायीकरण बाबत

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन नियम 295 के तहत प्रस्ताव संयुक्त निदेशक शिक्षा, जयपुर द्वारा प्रताड़ित करने बाबत, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:—

1. राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एवं राजस्थान मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन विभागीय समिति, शिक्षा विभाग, जयपुर की "संयुक्त समन्वय समिति" को मंत्रालयिक कर्मचारियों के अनियमित स्थानान्तरण, डी. पी. सी. एवं स्थायीकरण बाबत श्री गरणपतलाल व्यास, संयुक्त निदेशक, शिक्षा (पुरुष) जयपुर ने दिनांक 11-7-90 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया । वार्ता दिनांक 11-7-90 को सम्पन्न हो गई । संयुक्त निदेशक (पुरुष), शिक्षा विभाग जयपुर ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरणों को स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध मानकर निरस्त कर दिये एवं प्रतिनिधिमंडल के सामने स्वयं की गलती स्वीकार कर नैतिकता के नाते स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति का प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का नाटक किया । इसके पश्चात् दिनांक 12 एवं 13-7-90 को विभाग के उच्च अधिकारियों को मंत्रालयिक कर्मचारियों के बारे में झूठी एवं मनगढंन्त कहानी बनाकर भड़काया और दिनांक 13-7-90 को गांधीनगर पुलिस थाना, जयपुर में दिनांक 11-7-90 को वार्ता के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 341,

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

353, 342, 504, एवं 186 के अन्तर्गत एफ आई. आर. संख्या 190/90 दर्ज करा दी। इस एफ. आई. आर. सख्या 190/90 के आधार पर पुलिस के अधिकारियों पर शिक्षा सचिव एवं निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दबाव डलवाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के सम्बन्धित अधिकारी दबाब में आकर शिक्षा विभाग के सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों के घरों पर आधी रात के बाद जाकर परेशान कर रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को ठेस लग रही है सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों पर पुलिस की प्रताड़ना रोकने के कदम उठाये।

2. दिनांक 10-7-90 को व्याख्याता संघ का प्रतिनिधि मंडल भी श्री गणपतलाल व्यास संयुक्त निदेशक, शिक्षा (पुरुष), जयपुर से मिलने गया। प्रतिनिधि मंडल से सौहार्द्र पूर्ण वार्ता हुई। इसके पश्चात् प्रतिनिधि मंडल निदेशक महोदय से भी उसी दिन दिनांक 10-7-90 को मिला। निदेशक महोदय ने संघ के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण स्थगित कर दिये। इस दौरान किसी भी अधिकारी से दुर्व्यवहार जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। फिर भी श्री गणपतलाल व्यास, संयुक्त निदेशक शिक्षा (पुरुष), जयपुर ने वार्ता के तीन दिन बाद कर्मचारियों को परेशान करने की दृष्टि से गांधीनगर थाना, जयपुर में एफ. आई. आर. संख्या 190/90 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,341, 342, 323, आदि के अन्तर्गत झूठा एवं मनगढंत मुकदमा दर्ज कराया। शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक के सहयोग से श्री व्यास ने पुलिस पर दबाव डलवाया और शिक्षा विभाग के व्याख्याताओं को प्रताड़ित करवा रहे हैं। अतः सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाये।

3. श्री गणपतलाल व्यास, संयुक्त निदेशक कर्मचारी संघों एवं इनसे मिलने के लिए आने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आदतन पाये गये हैं। इसके उदाहरणस्वरूप श्री व्यास ने दिनांक 12-2-90 को स्वयं द्वारा कहे अपशब्दों के लिए कर्मचारियों के सम्मुख सार्वजनिक रूप से लिखित एवं मौखिक माफी स्वीकार की है।

4. श्री गणपतलाल व्यास, संयुक्त निदेशक, शिक्षा ने जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) भरतपुर के पद पर कार्यरत रहते हुए अनियमित नियुक्तियां, स्थानान्तरण, वित्तीय अनियमितताओं, छुआछूत एवं कर्मचारियों के साथ अपशब्द एवं दुर्व्यवहार की शिकायतें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि श्री व्यास को अनियमित नियुक्ति के प्रकरण पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के राज्य सरकार से आदेश होने के बावजूद निदेशालय स्तर पर सांठ-गांठ कर रुकवा रखा है। श्री व्यास राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना के भी आदी रहे हैं। इसके उदाहरणस्वरूप श्री व्यास को कर्मचारी संघों की लम्बे समय से चल रही स्थायीकरण, वरिष्ठता, डी.पी.सी. आदि प्रकरणों को निपटाने के राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद आज तक सेवा अभिकरण सम्बन्धी सामान्य प्रकरण नहीं निपटाये गये।

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

अतः शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्टाचारी संयुक्त निदेशक को तत्काल निलम्बित कर कर्मचारियों पर लगाए झूठे मुकदमों को वापस लिया जावे और पुलिस दमन को रोका जावे ।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल परमार।

बारवा ग्राम में हरीश काण्ड ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत मैंने पहले भी एक बार सदन में बाली के पास बारवा गांव में हरीश काण्ड के बारे में कहा । बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक उसकी पूरी जांच नहीं हुई । उसको मैं पुनः आज पेश कर रहा हूं ।

मैं बाली विधान सभा क्षेत्र में बारवा गांव में हरीश काण्ड के बारे में पहले भी बोला था । परन्तु अभी तक बराबर कार्यवाही क्यों नहीं हुई बड़े दुःख के साथ मुझे सदन में कहना पड़ रहा है कि अभी तक मुझे जो जवाब मिला है, वह अधूरा है । जिसके कारण अभी जब मैं बारवा गांव गया था, तब पूरे गांव ने मुझसे जवाब-तलब किया । तथा मुझसे पूछा कि क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? जनता में भारी रोष है । अतः आपने अभी तक पूरी कार्यवाही क्यों नहीं की ? जनता न्याय चाहती है ।

2. जो कपड़े जांच के लिए भेजे थे, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है तथा उस पर जो खून के धब्बे हैं, वह वास्तव में मनुष्य के पाये गये होना बताया गया है । यह रिपोर्ट में दर्शाया गया है ।

3. जो पत्थर, सरकार के नुमाइन्दे जांच के लिए लेकर गये थे, जिसे जांच के लिए भेजा गया, उसको 7 महीने हो गये, अभी जांच क्यों नहीं हुई ? अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? जांच रिपोर्ट क्यों नहीं मिली, कृपया बताया जाय । कब तक रिपोर्ट मिल जायेगी, अविलम्ब बताया जाय ।

सूरदास तथा वादी, जिनको बाली थाने में पकड़ा गया था, पुलिस की मिलीभगत से भाग गये । वे अभी तक क्यों नहीं पकड़े गये ? पुलिस व सरकार क्या कर रही है, अविलम्ब बताया जाय । जिन-जिन पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही की हैं उनके खिलाफ अविलम्ब जांच की जाय, कि अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई । यह काण्ड पिछली सरकार के दरम्यान हुआ है ।

श्री सभापति : माननीय श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़)

सीकर जिले में नाली, सड़क एवं पानी का निकास

श्री परसराम मोरदिया : (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में पिछले कई वर्षों से नाली, सड़क एवं पानी की निकासी के बारे में भयंकर समस्या बनी हुई है जिसके शीघ्र निराकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ कस्बे में करीब सारे वार्ड्स में बरसात में भयंकर पानी भरने की समस्या बनी हुई है । हर साल बरसात में सभी वार्डों में पानी भर

(श्री परसराम मोरदिया)

जाता है, इससे भयंकर बीमारियां फैल जाती हैं। इतना ही नही, वहां का जन जीवन ठप्प हो जाता है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो जाता है। पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज की एक स्कीम 14 लाख की बनी हुई है और सरकार के पास विचाराधीन है। यदि वह ड्रेनेज की स्कीम स्वीकृत कर दी जाती है तो लक्ष्मणगढ़ कस्बे में जो पानी भरता है वह निकल जायेगा तथा वहां की जनता पानी भरने की इस भयंकर समस्या एवं इससे होने वाली बीमारियों से बच जायेगी।

दूसरा मेरा यह निवेदन करना है, माननीय सभापति महोदय, कि लक्ष्मणगढ़ में कई वर्षों से सड़कों, नालियों व रास्तों की हालत खस्ता बनी हुई है। पैदल चलने वाले तो उन रास्तों पर ठोकर खाकर गिरते ही हैं, कई बार तो उन रास्तों से गुजरने वाले मुर्दे भी गिर चुके हैं। नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ की आय अच्छी नहीं है करीब 6 माह से वहां के सफाई कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। अतः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सड़कों एवं नालियों के लिए अलग से अनुदान देवें ताकि कस्बे की नालियां एवं सड़कें बन सकें और इस भयंकर समस्या से वहां की जनता को राहत मिल सके। इस बारे में पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है कि पिछले दो सालों से ड्रेनेज की स्कीम स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिलाधीश, सीकर से माध्यम से राज्य सरकार को भेजी गयी है। कृपया उस स्कीम को स्वीकृत करावें। वहां पूरे कस्बे में वर्षा काल में भयंकर पानी भरता है, हमेशा मकान गिरते रहते हैं, बीमारीयां फैलती रहती हैं और जान-माल का नुकसान होता रहता है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के पास लक्ष्मणगढ़ कस्बे की ड्रेनेज की 14 लाख की जो स्कीम विचाराधीन है, उसको जल्दी से जल्दी मंजूरी देने की कृपा करें ताकि वहां की जनता को इस भयंकर समस्या से मुक्ति मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर में अधूरे कुओं के निर्माण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में आदिवासियों एवं अन्य कृषकों के अधूरे कुओं को पूरा कराने के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में गत 10 वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आदिवासियों एवं अन्य कृषकों के हजारों कुएं खोदे गये हैं। अधिकांश कुएं अधूरे पड़े हैं। जिले में तत्कालीन सरकार ने दो हजार से सत्रह हजार रुपए तक सहयोग देकर कुएं खुदवाये हैं। कई कुएं तैयार भी हो गये हैं लेकिन अधिकांश कुएं सख्त पत्थर एवं आवश्यक धनराशि नहीं मिलने के कारण अधूरे पड़े हैं। इन कुओं

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है । साथ ही डूंगरपुर जिले में सख्त पत्थर होने से कुएं पूरे करने में कठिनाई हो रही है, अतः ब्लास्टिंग यूनिट ज्यादा से ज्यादा भेजने की आवश्यकता है । मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उन अधूरे कुओं को पूर्ण कराने की बजाय इस वर्ष बिल्कुल नये कुएं लेने की बात कही जा रही है । यह बिल्कुल ही न्यायसंगत नहीं है । डूंगरपुर में आदिवासी एवं अन्य पिछड़ी जाति के लोगों एवं अन्य जाति के कृषकों की निजी जमीन पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां नया कुआं खोदने की जरूरत पड़े । एक तरफ पुराने कुएं इतने हैं कि उनके खोदने और उनका मलबा डालने से काफी जमीन खराब हो गयी है । आपके माध्यम से निवेदन है, सभापति महोदय, कि डूंगरपुर जिले में नयी योजना में कोई नया कुआं नहीं लिया जाय, पुराने कुओं को ही, जो अधूरे पड़े हैं, पूरा किया जाना उपयोगी सिद्ध होगा। डूंगरपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जहां 20 हजार से 40 हजार खर्च होने पर भी कुआ पूर्ण नहीं होता है । अतः आपसे निवेदन है कि डूंगरपुर में नये कुएं लेने की बजाय पुराने अधूरे कुओं को ही पूरा किया जाय ताकि किसानों, आदिवासियों एवं अन्य को उचित लाभ मिल सके । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहर सिंह ।

शेरगढ़ तहसील में डीवाई. एस. पी. एवं थानेदार द्वारा आतंक

श्री मनोहर सिंह (शेरगढ़) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत शेरगढ़ तहसील में पुलिस डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट व थानेदारों के आतंक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

मान्यवर सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शेरगढ़ तहसील में डीवाई. एस. पी. अवतार सिंह व एस. एच. ओ. श्री सूरजमल, शेरगढ़ व एस. एच. ओ. बने सिंह, देचू अपने हलके की आम जनता को बेवजह परेशान करते हैं, लोगों को बहला-फुसला कर एक-दूसरे के खिलाफ रिश्वत लेकर झूठे मुकदमे बनाते हैं । जिस गांव में जाते हैं झूठी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी करते हैं, बिना रिपोर्ट लोगों को थाने में बुलाकर धमकी देते हैं तथा रुपए ऐंठ कर छोड़ देते हैं । कहते हैं कि डीवाई. एस. पी. साहब को एक मुर्गा हमेशा चाहिए, इसकी व्यवस्था आप लोगों के ऊपर ही है । शाम को थाने में शराब पीकर बाहर आकर दुकान वालों को तंग करते हैं । कहते हैं कि इस हलके में तो हमारा ही राज है, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना होगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी । इसी प्रकार के एक वाकयात में ग्राम केतु निवासी मूल सिंह के पुत्र के खिलाफ एस. एच. ओ. शेरगढ़ सूरज मल ने झूठी रिपोर्ट बनाकर झूठा बलात्कार का केस बनाया । केस को रफा दफा करने के लिए डीवाई. एस. पी. अवतार सिंह व एस. एच. ओ. सूरज मल ने मूल सिंह को बुलाया तथा उससे पांच हजार रुपए मांगे । उसको कहा कि आपका केस हम खत्म कर देंगे । प्रार्थी के मना करने पर उक्त प्रार्थी के लड़के को गिरफ्तार कर लिया तथा डाक्टरी करवायी । लेकिन डाक्टर ने

(श्री मनोहर सिंह)

बलात्कार नहीं होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी । एस. एच. ओ. सूरज मल ने ग्राम सोनकिया कलां के सवाई सिंह से जबरन पांच हजार रुपए ले लिये तथा उनको नाजायज परेशान करता रहता है। एस. एच. ओ. देचू द्वारा डीवाई. एस. पी. अवतार सिंह के मुर्गों व बकरों की व्यवस्था के लिए ग्राम जनता को आये दिन परेशान किया जाता है। इसकी व्यवस्था न करने पर बाजार में हथकड़ी लगाकर वेवजह घुमाया जाता है । आये दिन इस तरह ग्राम जनता को परेशान किया जाता है । इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से डीवाई एस. पी. अवतार सिंह गिल व एस एच. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करे । उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय जिससे कि ग्राम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे । धन्यवाद ।

श्री सभापति: माननीय श्री राजेन्द्र पारीक ।

सीकर नगर पालिका में अधिकारियों की उदासीनता

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सभापति महोदय, मैं कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नगर परिषद् अधिकारियों की उदासीनता से नरक बनते सीकर शहर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, आज नगर परिषद् सीकर के प्रशासन की उदासीनता ने सीकर शहर के अधिकांश लोगों को नारकीय जिन्दगी जीने को मजबूर कर दिया है । मानसून की औसत से भी कम वर्षा के पश्चात् भी शहर में जगह-जगह कीचड़ और गन्दगी का जो साम्राज्य फैला हुआ है वह आने वाले दिनों में बीमारियों के लिए खुला निमन्त्रण है । परिषद् प्रशासन की अदूरदर्शिता का ही परिणाम रहा है कि वर्षा से पूर्व उसने शहर की नालियों एवं बड़े नालों की सफाई नहीं करवायी । अभी हाल ही में ठेकेदारों की मार्फत जो सफाई करवायी वह भ्रष्टाचार के नये आयाम स्थापित करने वाली कार्यवाही है । ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला सफाई कार्य राजनीतिक संरक्षण के चलते नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों को करना पड़ा एवं ठेकेदार साहब को बिना कुछ कार्य किये करीब 43,000/- रुपए का भुगतान शायद अब तक हो गया है । इन सबके बावजूद भी शहर का मुख्य मार्ग स्टेशन रोड, किसान एण्ड कम्पनी से लेकर पुराना लुहारू बस स्टेण्ड, एक मात्र छात्रा विद्यालय का रास्ता, मोहल्ला नायकान, जिस पर छात्राओं को कीचड़ में गिरकर बीच रास्ते से पुनः ड्रेस बदलने घर आना पड़ता है, जाटिया बाजार से पुलिस लाइन को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, टीकल्या कुआ से लेकर खातियों के मोहल्ले तक कोई व्यक्ति पैदल पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता । मोहल्ला नारूआन, तहसील से राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क, बुच्याणी, मोहल्ला खटीकान बकरा मण्डी आदि रास्तों में जिस तरह कीचड़ भरा रहता है नगर परिषद् की कार्य क्षमता को स्वयं ही उजागर करता है ।

शहर के मुख्य मार्गों पर जगह-जगह खुले मैन हाल जहां मौत को दावत देते है वहीं सड़कों की मार्ग हालत भाए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

दिन होने वाले हादसों की कहानी कहती है। पेंच रिपेयर के नाम से घटिया निर्माण करके जनता की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट की स्थिति यह है कि जहां लाखों रुपए खर्च कर सोडियम लाइटें लगाई गई थी, वहां आज घटिया किस्म के बल्ब लगा दिये जो करीब-करीब बन्द रहते हैं, एवं अंधेरे में असामाजिक तत्वों एवं चोरों को सक्रिय रहने में सहयोग देते हैं। इस विषय में वार्ता करने पर जहां धनाभाव का बहाना करके कि विकास के लिए पैसे का अभाव है, नगर परिषद् पर वित्तीय भार लादने से नहीं चूकते। सीकर में एक राजस्व अधिकारी का पद था जिस पर हाल ही स्थानान्तरण से रिक्त हुए पद पर अन्य अधिकारी के आने से भर गया। लेकिन स्थानान्तरित होकर गए अधिकारी अपने राजनीतिक संरक्षण के चलते एक नए पद का (राजस्व अधिकारी-II) सृजन करा कर वापस यहां आ गए। इसमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री महोदय का हाथ है। जब सीकर की नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो यह आर्थिक भार क्यों डाला गया? होना तो यह चाहिए था कि यहां से प्रशासक का पद जो फुल टाइम है, समाप्त करके पार्ट-टाइम प्रशासक लगाया जाना चाहिए था क्योंकि 1.5 करोड़ सालाना बजट वाली इस नगर परिषद् का अधिकतम भाग तनख्वाह में ही लग जाता है।

1984 में तत्कालीन स्वायत्त शासन सचिव महोदय के प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत किए गए प्रयत्नों से जनता के भूमि पट्टों आदि के लिए करीब 7-8 लाख रुपए नगर परिषद् में जमा करवाए लेकिन अब भी उन लोगों को पट्टे इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि गरीब जनता इनको दो-दो हजार रुपए देने में असमर्थ है।

सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है जिसे यथाशीघ्र 50 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करके दूर किया जाना चाहिए।

नगर परिषद् का क्षेत्र काफी विस्तार ले चुका है। अतः सरकार को चाहिए कि सीकर शहर को अतिरिक्त धन सुलभ करवाए जिससे यह शहर, जो जयपुर-बीकानेर के बीच का मुख्य शहर है, अपने विकास की ओर अग्रसर हो सके। यातायात का दबाव सड़कों पर बहुत अधिक बढ़ गया है। अतः सड़कों को चौड़ी करके पेवर फिनीशर बनाई जाए ताकि रोज-रोज सड़कें न टूटे। पिछड़ी हुई बस्तियों के विकास के लिए अलग से धन सुलभ करवाएं।

साथ ही जो पद अनुपयोगी हो, उन्हें समाप्त कर परिषद पर पड़ने वाले वित्तीय भार को रोके जिससे उसी पैसे को विकास के कार्यों में लगाया जा सके।

खुले पड़े नालों को पाटा जाकर उन पर दुकानों का निर्माण कया जाना चाहिए जिससे जहां एक ओर भयंकर दुर्गन्ध से मुक्ति मिलेगी वहीं उसी पैसे से सीकर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

अभी पिछले दिनों अखबारों के मार्फत यह जानकारी मिली कि सरकार सीकर नगर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

परिषद् के चुनाव कराने का मानस नहीं रखती इससे जनता में बड़ा आक्रोश है। अतः निवेदन है कि अन्य परिषद् पालिकाओं के साथ ही सीकर के चुनाव भी करवाएं।

आशा है सरकार यथाशीघ्र नगर परिषद् सीकर में उपजी घोर अनियमितताओं को रोकने एवं वित्तीय साधन अधिक मुहैया करवाने की व्यवस्था करेगी जिससे लोगों को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण सिंह।

कोटपूतली में विद्युत अनियमितता

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत के ऊर्जा मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, मेरे यहां कोटपूतली में एक प्रयोगस्वरूप सहकारी समिति-विद्युत भी चलाई गई। वह चल रही है। इस तरह से राजस्थान में तीन चल रही है लेकिन मेरे यहां वह कतई फेल है। न वहां एम. डी. है, न वहां एई. एन. हैं, न वहां जूनियर इंजीनियर्स हैं। यहां तक कि फोरथ क्लास और लाइनमैनों का पत्ती खेलने का या जुआ खेलने का अड्डा बना हुआ है। इसके बारे में मैं चौथी दफा आपके माध्यम से यहां विधान सभा में निवेदन कर रहा हूं। मैं इस बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से, सचिव महोदया एवं मुख्य मंत्रीजी से भी बार-बार निवेदन कर चुका हूं। आज मैं दुबारा निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मैंने नियम 50 के तहत, नियम 131 के तहत और अल्प सूचना प्रश्न भी दे चुका हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो लिखा हुआ है वहीं पढ़ें।

श्री रामकरण सिंह : बीच में आपको यह बता रहा हूं। इसको तो अभी पढ़ने ही नहीं लगा। यह मैं आपसे अर्ज कर रहा था....

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य, व्यवस्था ऐसी रहती है कि 295 में आप जो लिखकर देते हैं वह ही पढ़ते हैं।

श्री रामकरण सिंह : अफसोस तो यह है कि मैंने 4 दिए हैं। 4 में से न तो अल्प सूचना प्रश्न आया, न ध्यानाकर्षण आया और न जाने कौन सा है जिसको मैं पढ़ूं। आप कहें उसको पढ़ दूं।

श्री सभापति : नियम 295 के अन्तर्गत कोटपूतली विद्युत सहकारी समिति द्वारा विद्युतीकरण के संबंध।

श्री रामकरण सिंह : हां, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे यहां ......

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपने 4 दिए थे। एक तो मेरे लिए दिया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्या ?

(159)

श्री रामकरण सिंह : नहीं, आपकी तरफ से तो मैं बिल्कुल सेटिसफाई हो गया। मैंने आपसे जो भी अर्ज किया था उसको आपने पूरा किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं चाहूंगा कि इससे भी विशेष धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री को दे दूं .... (व्यवधान)

महोदय, कोटपूतली में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति काम कर रही है। करीब 6 वर्ष से न अनुसूचित जाति, न जनजाति और न जनरल आदमियों को कनेक्शन दिए गए हैं। हालात यह है कि सहकारी समिति में न तार है, न खंभे हैं एवं न ट्रान्सफार्मर्स है। कार्यालय को टूरिस्ट होटल बना रखा है जिसमें कोई अधिकारी नहीं रहता। न एम. डी हैं, न कोई एई. एन. है और न कोई जेई. एन., न कोई लिपिक और न कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। वहां सराय सी बनी हुई है, ताश खेलने का अड्डा बना रखा है। कोटपूतली के किसानों व जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इनको 14 पैसे प्रति यूनिट बिजली बोर्ड देता है। आर. एस. ई. बी. 14 पैसे देती है एक यूनिट पर और वह इन 14 पैसों को लेकर 30.58 और 80 पैसे बेचती है और फिर भी लाखों रुपए के नुकसान पर जा रही है। इन सबको देखते हुए इस बारे में जो हालात हैं उनको कोई सुनने वाला नहीं। करोड़ों रुपए का घाटा है, गुण्डागर्दी का अड्डा बना हुआ है। कर्मचारी गुट बनाकर किसानों को कहीं किसी प्रकार से अगर आते हैं तो उनको गुमराह करके उनसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं और काम करने के लिए कहते हैं कि अधिकारियों के पास जाओ।

ऐसी हालात में माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वह या तो इसको आर. एस. ई. बी. में ले ले और यदि आर. एस. ई. बी. में लेने में उनको कोई दिक्कत हो तो मैं चाहूंगा कि इसमें वहां जो कर्मचारी रहते हैं जो परमानेंट हैं, तीनों सहकारी समितियों में तो आपस में ट्रांसफर करे इस तरह की व्यवस्था दे दें, मेरा आग्रह है।

श्री सभापति : माननीय श्री गंगाराम जी।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापति जी, वास्तव में बहुत ही अहम मसला है।

श्री सभापति : हो गया आपका।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, यह तो मैंने अर्ज कर दिया। अगर माननीय मंत्री महोदया इस बारे में फरमा दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि इसकी व्यवस्था सुधारेंगे।

श्री रामकरण सिंह : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गंगारामजी चौधरी।

बेरोजगार इंजीनियर्स की समस्या के

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत

160

(श्री गंगाराम चौधरी)

बेरोजगार इंजीनियर्स की समस्याओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं ।

महोदय, राजस्थान में अब तक लगभग 6000 इंजीनियर्स रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं । उनमें अधिकांश डिग्री होल्डर्स हैं व कई डिप्लोमा प्राप्त हैं । गत सात वर्ष से अब तक बेरोजगार इंजीनियर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है । इनमें कई लोग निकट भविष्य में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा भी पार करने वाले हैं । इधर इंजीनियरिंग कालेजों व पोलोटेक्निक कालेजों में पढ़ने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आई है । इंजीनियर्स को सेवा में लेने वाले विभागों की योजनाओं से भी ऐसा आभास नहीं होता कि निकट भविष्य में कोई प्रभावी कदम उठाकर इन को रोजगार दिलाया जा सकेगा ।

राज्य के सिंचाई विभाग ने सन् 1987 में 450 डिप्लोमा होल्डर्स को नियुक्तियां देने हेतु सूचना जारी की थी किन्तु अब तक उनका चयन नहीं किया गया । राजकीय उपक्रम अथवा बोर्ड की ओर से इस सम्बन्ध में कोई उम्मीद नहीं लगती । गत वर्षों में राज्य में लगे उद्योगों स्थानीय इंजीनियर्स को कोई स्थान नहीं मिला ।

बेरोजगार इंजीनियर्स को धंधा दिलाने हेतु भी कोई उत्साहवर्द्धक योजनाएं सामने नहीं आई हैं । जो भी हैं उनमें ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि साधारणतया उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती । राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या से ही अनुमान लगाया जा सकता है ।

इसलिए इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है । जन शक्ति विभाग, जयपुर में बेरोजगार इंजीनियर्स की वरिष्ठता प्राप्त अंकों के आधार पर बनती है जिससे कई लोगों को डिग्री प्राप्त हुए सात वर्ष होने के उपरांत भी बेरोजगार रहना पड़ रहा है । इसलिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :—

1. जनशक्ति विभाग, जयपुर में बेरोजगार इंजीनियर्स की वरिष्ठता सूची डिप्लोमा/डिग्री के उत्तीर्ण वर्ष को माध्यम मानकर बनाई जानी चाहिए ।
2. इंजीनियर्स के लिए ठेकेदारी पंजीकरण में हैसियत नामे की शर्त हटाई जानी चाहिए ।
3. बड़ी परियोजना, जहां तकनीकी ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती हो, निर्माण कार्यों में इंजीनियर ठेकेदार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
4. उद्योगों को लगाने के लिए इंजीनियर्स को अग्रिम राशि भुगतान करने की व्यवस्था हो, उद्योग में ऋण राशि बढ़ाई जानी चाहिए ।
5. बेरोजगार इंजीनियर्स को तब तक स्टाइफण्ड दिया जाये जब तक रोजगार प्राप्त नहीं हो जाय । अप्रेन्टिस ट्रेनिंग की अवधि बढ़ाई जावे ।
6. विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती की एक नीति

(श्री गंगाराम चौधरी)

निर्धारित की जावे। राजस्थान के प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जावे।

7. आवासीय समस्या के हल के लिए शिक्षित सिविल बेरोजगारों को जमीन अलाट की जाये तथा उनके विकास एवं रूपान्तरण शुल्क को माफ किया जावे तथा वित्तीय संसाधन जुटाये जायें।

8. ठेकेदारों के "ए" श्रेणी व "बी" श्रेणी के लाइसेंस हेतु पास डिग्री व डिप्लोमा धारियों को अनिवार्यता की जावे।

इन सुझावों को माना जावे तथा बेरोजगार इंजीनियर्स की समस्या हल की जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा नगरपालिका में आवास समस्या के सम्बन्ध में।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा नगर पालिका में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नानुसार निवेदन है :—

मान्यवर, छबड़ा नगर पालिका सन् 1937 से है और वहां उपखण्ड अधिकारी का ऑफिस है। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता, जलदाय, मुन्सिफ, कोर्ट, तहसीलदार, बस स्टेण्ड आदि ऑफिस हैं। उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, उच्च माध्यमिक बालिका शालाएं भी है। नगर पालिका को चुंगी की आय भी खूब होती है लेकिन पिछले करीब 20 वर्षों से केवल 1977 से 80 तक के 2½ वर्ष छोड़कर, आवास समस्या की कोई व्यवस्था नहीं की जबकि नगर पालिका के आस-पास जमीन भी खूब है। मेरा निवेदन है कि छबड़ा नगर पालिका में प्रत्येक वर्ष आवास की व्यवस्था के लिए प्लाट आवंटन करना चाहिए। सन् 1978 में गरीबों को मकान के आवंटन हुए थे उसके बाद करीब 2-2½ वर्ष से करीब 200 व्यक्तियों ने 500 रुपये व 1000 रुपये विज्ञप्ति अनुसार जमा भी करवाए थे पर आज तक भी उनका आवंटन नहीं हुआ। उसे शीघ्र करवाया जावे तथा जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों ने मकान आवंटन के प्रार्थना-पत्र दिए हुए हैं उन्हें भी कम से कम दर पर मकान आवंटन करना चाहिए तथा जो गरीब गत वर्षों से ऐसी जगह पर झोंपड़ी बनाकर रहने लग गए हैं जिनसे किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता, जगह भी ऐसी हैं जहां मकान रास्ता छोड़कर बनाए हैं, उन्हें नियमित किया जावे।

मेरा निवेदन है कि छबड़ा नगर में सन् 1977 में उद्योग के लिए जमीन आवंटित की थी पर आज तक पता नहीं है कि वह कहां है जबकि 15-20 लोगों ने उद्योग धन्धे लगाने के आवेदन कर रखे हैं, प्रथम राशि भी जमा करा रखी है, कुछ लोगों ने तो रजिस्ट्री भी करा ली है। अतः वह जमीन शीघ्र अलग कराई जावे।

मेरा निवेदन है कि हुडको या हाउसिंग बोर्ड द्वारा छबड़ा में भी मकान बनाने का कार्य शुरू किया जावे तथा करीब 100

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

मकान तो शुरू किए जायं। इस समय छबड़ा की आबादी बीस हजार के करीब है।

अतः मेरा निवेदन है कि नियमानुसार सरकार नगर पालिका से मास्टर प्लान अनुसार हर श्रेणी के मकान या प्लाट आवंटन हर वर्ष कराती रहे तो अतिक्रमण भी नहीं होंगे और बस्ती भी नियम से बसेगी। इससे रास्ते अच्छे व सुन्दर रहते हैं।

उसी तरह से छीपाबड़ौद नगर पालिका में जमीन का अभाव है अतः हरनाबदा, जो कि छीपाबड़ौद से डेढ़ किलोमीटर दूर है, में जमीन अवाप्त कराई जावे ताकि लोग जमीन प्राप्त कर रह सकें, अतिक्रमण नहीं होवे तथा जो बिना मकान के हैं उन्हें मकान मिल सकें।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा।

राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रोफेसर्स को स्थायी करना के

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : नियम 295 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थायी प्रोफेसर्स को स्थायी करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक आपका ध्यान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किये जाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि वर्तमान गतिशील नेतृत्व द्वारा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ इस गम्भीर समस्या का समाधान होगा।

इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 172 अस्थायी सहायक प्रोफेसर वर्षों से कार्यरत है। (जिन में से कई लगभग दस वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत हैं) इनकी नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अस्थायी सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता के आकलन के लिए निर्धारित वस्तुनिष्ठ शैक्षणिक मापदण्डों के आधार पर गम्भीर संवीक्षा के माध्यम से होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यरत अस्थायी व्याख्याता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता की पूर्ति व उच्च श्रेणी की शैक्षणिक डिग्रियां (पी. एच.डी, एम. फिल.) धारण करने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य में योगदान देते हैं।

लेकिन बड़े खेद की बात है कि अस्थायी व्याख्याताओं को वर्षों के सेवा काल के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है। यह पिछली सरकार के समय हुआ है....

श्री सभापति : आप लिखा हुआ है वही पढ़िए।

श्री रामकिशन : +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनमें से अधिकतर शिक्षक अन्य सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं।

विश्वविद्यालय में अनेक कारणों से विगत वर्षों में व्याख्याताओं के पद पर स्थायी नियुक्तियों के लिए कई बार विज्ञापन देने के बाद भी साक्षात्कार नहीं कराये गए हैं, 1980-90 के बीच में। इस कारण अटल श्रद्धा, अटूट धैर्य व सतत् कार्य करके विश्वविद्यालय को विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी अस्थायी शिक्षक असुरक्षा, आशंका व अनिश्चय से ग्रस्त हैं।

सरकारी सेवा के किसी भी पदधारी को इतने लम्बे समय तक अस्थाई नहीं रखा जाता है और एक बार अस्थाई नियुक्ति देने के बाद उन्हें निश्चित समय बाद स्थाई कर दिया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय के अस्थाई शिक्षकों को संस्थाई कार्यभार के बावजूद भी तीन-तीन महीने की नियुक्तियां दी जाती हैं और इस तरह वह वर्षों से अस्थाई चले आ रहे हैं, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

इन सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट व सिण्डीकेट ने एक प्रस्ताव पारित कर इन सभी अस्थाई व्याख्याताओं की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया है। विगत विधान सभा के 132 सदस्यों ने बगैर किसी दलीय भेदभाव के राज्य सरकार से इनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश को ही यथोचित व अधिकतम व्यवहारिक समाधान बताते हुए इसके जारी करने का सरकार से आग्रह किया। यह ज्ञातव्य है कि अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट किया जाता है कि अस्थाई व्याख्याताओं के स्थायीकरण के लिए अध्यादेश के माध्यम से विशेष प्रावधान किए जाने के आग्रह का औचित्य व विधान सभा सदस्यों के मध्य व्यापक सहमति व अनुशंसा ने पिछली सरकार को भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रेरित किया था। पिछले दो मुख्य मन्त्रियों ने भी विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं की स्थाई नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिए अध्यादेश जारी किए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति अंकित कर दी थी। आप इसे दिखवा लें।

इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए सन् 1978 में जनता पार्टी के शासनकाल में राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं की स्थाई नियुक्ति के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार व मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्रमशः 1985, 1987 में इस प्रकार की समस्या का समाधान अध्यादेश जारी करके किया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1978 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में यह प्रावधान था कि कार्यरत उन्हीं अस्थाई व्याख्याताओं की स्थाई नियुक्ति की जाएगी जिन्हें एक विशेष अनुवीक्षण समिति गम्भीर संवीक्षा व साक्षात्कार द्वारा योग्य पायेगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस तरह से की गई नियुक्तियां सभी तरह के मापदण्डों को पूरा करने के साथ-साथ अस्थाई व्याख्याताओं को न्याय दिलवाएगी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकार के कानून की कॉपी मैंने संलग्न कर दी है।

अतः आपसे आग्रह है कि एक बड़ी संख्या में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं के स्थाईकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि उन्हें असुरक्षा की भावना से मुक्ति मिल सके और वे अधिक आत्म विश्वासपूर्वक व आत्म सम्मान के साथ ज्ञान के सृजन व प्रसार के शैक्षणिक दायित्व की पूर्ति में जुटे रह सकें।

इस सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि त्वरित व सकारात्मक कार्यवाही के लिए की गई आपकी पहल का विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा असन्तोष भी समाप्त होगा। प्राकृतिक न्याय के लिए जरूरी है पूर्वानुसार आंकलन के अनुसार इन्हें स्थाई किया जाए।

अब आप मुझे बताए कि आपने बीच में क्यों टोका था? सभापति महोदय, आप भी पढ़ते हैं।

श्री सभापति : जो लिखा हुआ था वह नहीं पढ़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जबकि मैं लिखा हुआ ही पढ़ रही थी। यह बात सही है कि मैंने जल्दी-जल्दी में उसको बिना करेक्ट किया हुआ ही ले लिया था और बीच में मैं खुद संशोधन कर रही थी। मैं माफी चाहती हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर में नाजायज कब्जे

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर में नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

मान्यवर, जोधपुर में पिछले दो वर्षों से असामाजिक तत्वों, भूमि हड़पने वाले माफिया का गिरोह सार्वजनिक स्थलों एवम् व्यक्तिगत लोगों की जमीनों पर रास्तों को रोक कर नाजायज कब्जा करने में लगे हुए हैं। नाजायज कब्जों के कारण जहां रास्ते रूके हुए हैं वहीं दूसरी ओर निजी सम्पत्तियों पर भी लोग कब्जे कर रहे हैं, जिससे जोधपुर का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है व जोधपुर के नागरिक भी परेशान हैं।

माह फरवरी, 1990 में जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में ग्राम सड़कों के किनारे खालसा भूमि पर दस दुकानों का अवैध निर्माण हुआ जिस पर न्यास द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु अतिक्रमियों द्वारा बाधा उत्पन्न की गई जिससे पुलिस थाना प्रतापनगर में 24-3-90 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई लेकिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जोधपुर द्वारा जान-बूझकर समय

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पर कार्यवाही नहीं करने के कारण अवैध निर्माण रूक नहीं सका व अधिक मजदूर लगाकर निर्माण कार्य रात्रि तक पूर्ण करा लिया गया।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा प्रतापनगर पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई गई और उस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर के न्यायालय में धारा 145 सी. आर. पी. सी. का मुकदमा दर्ज करवाया गया। परन्तु अवैध निर्माण अभी तक बरकरार है। सरे आम खालसा भूमि पर दुकानों का निर्माण कानूनन अपराध है लेकिन इस प्रकार के अवैध निर्माण नहीं हटाने से असामाजिक तत्वों व अतिक्रमियों के हौंसले बढ़ गए हैं।

गंगलाव तालाब के आस-पास भी अभी तक अतिक्रमियों द्वारा मकानों का निर्माण हो रहा है परन्तु नगर परिषद, जोधपुर व नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मंडोर मण्डी के सामने भी मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया गया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार कई स्थानों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं।

मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रताप नगर क्षेत्र में जो खालसा भूमि पर अवैध दुकानें बनी हैं, कब तक तोड़ दी जाएंगी? अब तक अवैध दुकानों को तोड़ा नहीं गया है, इस सम्बन्ध में किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई, तो क्यों? धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मदनमोहन सिंघल।

21 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने बाबत

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र के 21 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने हेतु विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में सड़कों का भारी अभाव है। क्षेत्र में 35 पंचायतें हैं जिनमें से मात्र 14 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं, बाकी 21 पंचायत मुख्यालयों में अभी तक कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। इस कारण मेरे क्षेत्र कामां में परिवहन की सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। इस कारण आवश्यक वस्तुएं यथा सब्जी, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि भी गांवों में नहीं पहुंच पाती है। सड़कों के अभाव में बिना सवारी के लोग पैदल ही आते-जाते हैं। स्कूल के बच्चे भी पैदल ही आते-जाते हैं। कृषि की पैदावार का समुचित बाजार मूल्य, परिवहन के अभाव में मिल नहीं पाता है। 21 पंचायतों के 80–90 छोटे-बड़े गांवों के नागरिक अपने युवा हुई सन्तानों के शादी-विवाह न होने के कारण चिन्तित है। परिवहन के अभाव में किसी कस्बे या शहर का व्यक्ति, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के निवासी यहां शादी-सम्बन्धों के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर

(श्री मदन मोहन सिंघल)

सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि यदि सिर्फ 20 किलोमीटर सड़क प्रति वर्ष मेरे क्षेत्र में इस प्रकार बनवाई जावे जिसमें 5 पंचायत मुख्यालयों को प्रति वर्ष सड़क से जोड़ दिया जाए तो पांच वर्षों में मेरे क्षेत्र की जनता को उक्त बेरोजगारी, अशिक्षा और उक्त सामाजिक दुरावस्था के भंयकर अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है।

क्षेत्र में एक-दो कच्ची सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मिट्टी डलवाकर छोड़ दी गई है। एक-दो सडकें अकाल राहत के तहत एवं जवाहर योजना के तहत भी मिट्टी डलवाकर अधूरी छोड़ दी गई है। उनका भी डामरीकरण होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि नई सरकार, जो गांवों के विकास के लिए अधिक प्रयत्नशील है और अपने बजट का आधे से अधिक गांवों के विकास पर ही खर्च करने को कृतसंकल्प है, इस ओर ध्यान देगी एवं चिर-अपेक्षित इस क्षेत्र में सड़कें बनवाकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा प्रदान करेगी।

वर्ष 1990–91 के लिए अपने क्षेत्र की निम्न कुल 20 किलोमीटर की चार सड़कों का नाम निर्माण हेतु प्राथमिकता के तौर पर उल्लेखनीय है—

(1) कामां से कदमकुण्डी वाया कनवाड़ा	7 कि. मी.
(2) बिलोंद से रांफ वाया मातूकी	6 कि. मी.
(3) मुरार से मुल्लाका	4 कि. मी.
(4) अकाता से सुन्देरा	3 कि. मी.

पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ एवं धन्यवाद सहित।

श्री सभापति : श्री चुन्नी लाल इन्दलिया।

पश्चिमी राजस्थान के जिलों में वर्षा के अभाव में दयनीय स्थिति।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत मेरा सूचना प्रस्ताव निम्नानुसार है।

पश्चिमी राजस्थान के बहुत से जिलों में वर्षा न होने के कारण स्थिति दयनीय हो चुकी है। बाड़मेर जिले की तहसील सिवाना, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व नागौर जिले के बहुत से भाग सूखे पड़े हैं। अकाल राहत कार्य इस वर्ष चालू नहीं किये गये थे व इस वर्ष बिल्कुल ही बन्द कर दिये गये। वर्षा नहीं होने के कारण उपरोक्त जिलों के पशुधन चारा व पीने के पानी के अभाव में मौत के घाट उत्तर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता भारी भयभीत है। सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार को चाहिए कि ऐसी सूरत में अकाल पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाये। जनता में फैल रहे भय, आक्रोश व असन्तोष को दूर करने के लिए सहायता कार्य चालू किये जाये। इसी के साथ सभापति महोदय, जहां राज्य में अच्छी बरसात हुई है वहां किसानों को अच्छी किस्म का बीज सरकार नहीं दे सकी।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जिस इलाके में बरसात हुई है वहां बीज के अभाव में बहुत से किसान खेती करने से वंचित रहे हैं। साथ ही फसलों में लम्बे अर्से से फैल रही बीमारी का भी कृषि विभाग इन्तजाम करने में असफल रहा है। किसानों की फसलें नई बीमारियों से नष्ट हो रही है। बीमारियों के नाम कर्स्टीडिया, कात्तरा, रतौर, बड़ी लट्ट, तेलिया की बीमारी, बाजरे में करवे की बीमारी तिल की फसल में टूरी मोठ में सफेद बीमारी आदि से लम्बे अर्से से भारी नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग द्वारा आज तक ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं हो सका है, जो घोर निन्दनीय है।

सरकार को चाहिये कि ऐसी बीमारियों का तत्काल इलाज करें। अतः मैं नियम 295 के तहत सरकार से इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि इन बीमारियों का तत्काल इलाज करे।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले की शिवगंज कृषि उपज मण्डी,

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान सिरोही जिले की शिवगंज कृषि उपज मंडी के बारे में दिलाना चाहती हूं।

महोदय, आज से करीब 15 वर्ष पूर्व लाखों की लागत से सरकार ने इस कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण किया था, शिवगंज से एक कि. मी दूरी पर सुमेरपुर में भी कृषि उपज मंडी बनी हुई है। उस कृषि उपज मंडी में पूरा व्यापार होता है और मैं समझती हूं कि यह मंडी व्यापारिक दृष्टि से राजस्थान के शीर्ष के स्थानों में से एक है। इस प्रकार सुमेरपुर से थोड़ी दूरी पर शिवगंज में यह मंडी बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस मंडी में आज भी कृषि उपज का किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होता है। इस कारण से सिरोही जिले की सारी उपज कृषकों को सुमेरपुर मंडी में जाकर बेचनी पड़ती हैं। वहां के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को भी अपना सारा सामान सुमेरपुर मंडी से ही क्रय करना पड़ता है।

इस प्रकार सुमेरपुर में क्रय-विक्रय होने वाला रायड़ा इत्यादि में आधी उपज सिरोही जिले की होती है। शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर कितनी ही आयल मिलें लगी हुई है परन्तु मंडी में लेन-देन की सुविधा नहीं होने से उन्हें अपना कच्चा माल सुमेरपुर से लाना पड़ता है जिसमें परिवहन खर्च, मंडी टैक्स इत्यादि का दोहरा भार होने के कारण उनके उत्पादन पर भी असर पड़ता है। सुमेरपुर मंडी से सामान लाने वाले व्यापारियों को भी दो जगह मंडी शुल्क देना पड़ता है जिसका सारा भार आम उपभोक्ता पर पड़ता है। सुमेरपुर सिरोही के नजदीक होने के कारण आम उपभोक्ता भी अपना सामान सिरोही के व्यापारियों से नहीं लेकर सस्ता सामान प्राप्त करने के उद्देश्य से सुमेरपुर से ही खरीदता है। इस प्रकार दोहरे टैक्स से बिकने वाला सामान महंगा होने के कारण

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सिरोही के व्यापारियों का व्यापार धीरे-धीरे बन्द होता जा रहा है।

महोदय, इस प्रकार सुमेरपुर व शिवगंज में थोड़ी सी दूरी पर दो-दो मंडिया होने के कारण आम उपभोक्ता मंहगाई के कारण तो परेशान है ही, ऊपर से मंडी टैक्स का दोहरा भार भी वहन करना पड़ता है। व्यापारियों को भी दोहरा मंडी टैक्स देना पड़ता है तथा टैक्स वसूली में किये गये चालान इत्यादि से कोर्ट-कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोहरे टैक्स के कारण उद्योगों के भी विस्तार एवं विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि शिवगंज कृषि उपज मंडी में व्यापार बढ़ाने हेतु नियमों में ढील देकर रायड़ा व कपास आदि की वर्तमान टैक्स की दरें में कमी करके व अन्य व्यापारिक सुविधायें तथा प्रोत्साहन इत्यादि देकर शिवगंज कृषि उपज मंडी को अस्तित्व में लाया जावे जिससे कृषकों एवं व्यापारियों को कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय में सुविधा मिले तथा कृषि आय से प्राप्त धनराशि से शिवगंज ग्रामीण एवं सिरोही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके।

साथ ही लाखों की लागत से बनी यह कृषि मंडी का भवन व्यापार एवं रख-रखाव के अभाव में दिनों-दिन क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। सरकार अपना एक निर्णय ले कर या तो इस मंडी में व्यापारिक लेन-देन प्रारम्भ करे अन्यथा इस मंडी को बन्द करके इस सरकारी सम्पत्ति का अन्य जनोपयोगी कार्यों में उपयोग लेवें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन की आज की बैठक का समय कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल आर्य, श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य विधान सभा किसानों को सीलिंग में अवाप्ति भूमि का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री प्रभुलाल पटेल : माननीय सभापति महोदय, मेरे सपोटरा क्षेत्र में रोज लूटमार और हत्याएं डकैतों द्वारा की जा रही है।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

इस सम्बन्ध में मैंने हाउस को तीन-चार बार निवेदन कर दिया परन्तु उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। परसों 22 तारीख को दड़की गांव में डकैतों द्वारा गोली काण्ड किया गया जिसमें एक आदमी जगह पर खतम हो गया और पांच आदमियों की ऐसी स्थिति है कि शायद वह भी खतम हो गये होंगे। 10 आदमी घायल हुए थे। उसके बाद बूसना ग्राम के तीस आदमियों को गांव में घेर कर उन डकैतों ने कांटे वाली लकड़ियों से बुरी तरह मारा, उनको कोई इन्सान देख नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर यह सदन की कार्यसूची में नहीं है और इनको बोलने का अधिकार है तो मुझे भी अधिकार दिया जाये।

श्री सभापति : प्रस्ताव पर माननीय श्री हीरालाल जी बोलेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, यह तो बहुत ही कम बोलते हैं। इनके यहां तकलीफ है इसलिए इनको बोलने दिया जाये।

श्री सभापति : नियमों में नहीं है। आप बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल पटेल : मैं मेरे इलाके की निवेदन नहीं कर सकता हूं क्या? मेरे इलाके की स्थिति बताने का मेरे को कोई अधिकार नहीं है क्या? सभापति महोदय, मैं यहां किस लिए आया हूं। मैं उस अत्याचार को देख नहीं सकता, नहीं सहन कर सकता हूं उस अत्याचार को। रोज वहां पर बलात्कार हो रहे हैं। बन्दूक की मार पर वहां अत्याचार हो रहे हैं। रोज डकैती हो रही है।

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल पटेल : मैं नहीं सहन कर सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय हीरालालजी आर्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार से स्टेटमेन्ट दिलवाइये। यह मसला पहले भी सदन में उठाया। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए भी कहा है। अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में भी कहा है।

(श्री प्रभुलाल पटेल एवं श्री रामस्वरूप मीणा ने सदन में धरना दिया।)
(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति, मैं समझता हूं इस प्रकार की घटनायें यहां पर हो रही हैं। सदन को दो-तीन बार माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी। उस पर भी सरकार की ओर से कोई वक्तव्य इस सम्बन्ध में नहीं आया है। माननीय मुख्यमन्त्रीजी, आप यहां पर उपस्थित हैं। तीन-चार बार सूचना यहां पर माननीय सदस्यों ने दी। आज सदन के इस अधिवेशन का आखरी दिन है और सदन आज अपनी कार्यवाही समाप्त कर देगा। माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। इससे उनको गहरी चिन्ता है। मैं

(श्री शिवचरण माथुर)

समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ आश्वासन दें कि वे क्या करना चाहते हैं। रात-दिन डाकुओं से लोग परेशान हैं, हत्यायें होती हैं और इसके बाद उनके पास कोई मौका नहीं है। इस मौके पर आप इनको कुछ न कुछ आश्वासन दें। इसके बाद 6 महीने बाद आप सदन को आहूत करेंगे। इस बीच किस प्रकार की स्थितियां माननीय सदस्यों के बीच में आयेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बहुत ही गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जो कुछ आश्वासन देंगे, कुछ कार्यवाहीं करने की बात कहेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, करौली क्षेत्र की डाकू समस्या के संबंध में इस सदन में आज से चार-पांच दिन पहले विस्तार से चर्चा हुई थी और चर्चा में जो कुछ सरकार कर सकती है उसका भी मैंने विस्तार से उल्लेख किया है। माननीय सदस्य, जो करौली से आए हैं, स्वाभाविक है कि वहां कोई घटना होगी तो वे चिन्तित होंगे....(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह तो रीसेन्ट की है।

श्री रामस्वरूप मीणा : 22 तारीख को हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : करौली और सपोटरा दोनों। आप सुनो तो सही। बाद की है तो इतना ज्ञान तो हमको भी है कि बाद की घटना का जिक्र कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के बारे में जितनी चिन्ता इनको है उतनी ही चिन्ता हमको है। कोई नहीं चाहता कि राजस्थान में किसी प्रकार की डकैती, हत्यायें, बलात्कार की घटनायें हों। मैं माननीय सदस्यों और सदन को यह आश्वासन देता हूं कि जिस दिन चर्चा हुई उस दिन के बाद में डाकुओं को जल्दी से जल्दी किस प्रकार से पकड़ा जाय, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पूरी तरह से पुलिस को सतर्क किए हुए है, पुलिस पीछे है, और सफलता कल मिले, आज मिले, परसों मिले, यह तो कह नहीं सकता लेकिन माननीय सदस्य यह नहीं समझें कि विधान सभा का अधिवेशन आज स्थगित हो जायगा और यदि इस प्रकार की शिकायत हो तो जब भी मेरे से मिलें, मैं उनका स्वागत करूंगा और उनको मैं तसल्ली कराऊंगा कि सरकार किस तरह से इसकी व्यवस्था कर रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इनसे रिक्वेस्ट तो कीजिये, यह नाराज होकर बैठे हैं, इनको राजी तो करो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आप कर दीजिये। (व्यवधान)

(माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत एवं श्री ईश्वरलाल सैनी के कहने से उक्त दोनों माननीय सदस्यों ने धरणा समाप्त किया।) कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दे दिया है—

श्री सभापति : माननीय हीरालाल जी आर्य ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीलिंग में अवाप्त कृषि भूमि का मुआवजा न मिलना

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आप इनको शान्त तो कीजिये, बीच में डिस्टर्बेन्स कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, सम्पत्ति और संसाधनों पर एक व्यक्ति का एकाधिकार न हो, इसका विकेन्द्रीकरण हो और सब लोगों में समान रूप से इसका वितरण हो । देश में समाजवाद, समता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व की भावना के लिए, समाजवाद लाने के लिए देश में सीलिंग कानून आया । सीलिंग कानून सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण करने के हिसाब से आया था । लेकिन पिछली सरकार ने सीलिंग का कानून लागू करते वक्त, यदि यह सब लोगों पर करते, जितने भी सम्पत्ति वाले लोग हैं उनकी सम्पत्ति की सीलिंग करते तो हमको सन्तोष होता । लेकिन पिछली सरकार ने केवल किसानों के लिए जमीन की सीलिंग की व्यवस्था की । क्योंकि किसान अशिक्षित हैं, संगठित नहीं हैं, संघर्षशील नहीं हैं । इसलिए केवल उसी की सम्पत्ति को हड़पने का पिछली सरकार ने एक षड़यंत्र रचा । यद्यपि देश में बड़े उद्योग धन्धे वाले, बड़े पूंजीपति, सेठ-साहूकार और कई उद्योग वाले लोग हैं उनकी भी सारी सम्पत्ति का सीलिंग किया जाता तो वास्तव में अच्छा होता । लेकिन पूंजीपति, सेठ-साहूकार और उद्योग धन्धों वालों के सामने गत कांग्रेस सरकार नत-मस्तक थी इसलिए उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी और केवल किसानों की सम्पत्ति का ही इन्होंने सीलिंग किया । सीलिंग कानून लागू करते वक्त खास तौर से हाड़ौती के किसानों के साथ, कोटा-बूंदी-झालावाड़ के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उससे हाड़ौती का किसान बड़ा दुःखी है । सीलिंग कानून आता है और जो उसकी उर्वरा शक्ति या पैदावार है उसको आधार मानकर जो स्टेण्डर्ड एकड़ हैं वह तय किये जाते हैं लेकिन जो स्टेण्डर्ड एकड़ कोटा-बूंदी के लिए तय किया गया, उसमें कोटा के लिए जो पुराना सीलिंग कानून था उसमें तीस स्टेण्डर्ड एकड़ था उसको घटाकर नये सीलिंग कानून में, 22 स्टेण्डर्ड एकड़ घोषित किया गया । इसी तरह से बूंदी जिले के लिए 24 स्टेण्डर्ड एकड़ घोषित किया जबकि गंगानगर, जहां कि जमीन उर्वरा है वहां पर पैदावार भी अधिक होता है वहां का स्टेण्डर्ड एकड़ 29 माना गया जो निश्चित रूप से हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय है । इसी प्रकार जो लगान होता है, राजस्थान का सैटलमेंट विभाग लगान की दरें तय करता है वह पूरे राजस्थान में समान रूप से जमीन की किस्म के आधार पर लगान तय करता है । लेकिन सीलिंग कानून लागू करते वक्त इस प्रकार का ध्यान नहीं रखा गया और जमीन की जो विभिन्न प्रकार की किस्म थी उसका ध्यान नहीं रखकर केवल अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से इस तरह का माप किया गया। सीलिंग नियमों में प्रत्येक गांव के जो ग्रुप

(श्री हीरालाल आर्य)

बने हैं उसमें केवल कोटा में दो ग्रुप ही बनाये गये, बूंदी में तीन ग्रुप बनाये गये, जबकि गंगानगर में चार ग्रुप और जयपुर में पांच ग्रुप बनाये गये। आखिर यह भेद-भाव क्यों कर किया गया? सभापति महोदय, इसी प्रकार से कमाण्ड क्षेत्र को मानकर, भले ही पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है, लेकिन कमाण्ड क्षेत्र को मानकर सीलिंग का निर्धारण किया गया जबकि पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है और पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं होने से जो सीलिंग के मामले तय किये गये उससे भी हाड़ौती के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसी प्रकार कोटा, जो सिंचित क्षेत्र है, उसकी गांधीसागर बांध से सिंचाई होती है। लेकिन कभी भी वो भरता नहीं है क्योंकि उसके केचमेन्ट एरिया में कई छोटे-छोटे बांध बना दिए गए हैं। उसको भी सिंचित मानकर किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। इसी प्रकार जो कीमतें सरकार ने निर्धारित की है वह बड़ी, कम हैं। आपने प्रथम 7.5 एकड़ भूमि की जो कीमतें तय की है नहरी में 1600 रुपए प्रति एकड़ है और चाही में 1000 रुपए प्रति एकड़। इसी प्रकार अगली 7.5 एकड़ सरप्लस भूमि, जो उससे अधिक है, उसके लिए नहरी प्रथम में 1400 रुपए प्रति एकड़ और चाही में 880 रुपए प्रति एकड़। शेष सरप्लस भूमि के लिए नहरी में 1280 रुपया प्रति एकड़ और चाही में 800 रुपया प्रति एकड़। यह जो पैसे आपने तय किए हैं वह इतने कम हैं कि आज बाजार में जमीन का भाव है 10,000 रुपया बीघा, 15,000 रुपया बीघा और किसानों को आप 500 रुपया बीघा देते हो। किसान के पास कोई दूसरी सम्पत्ति तो है नहीं। जो तय किए गए हैं उसमें भी कई सारे डिफेक्टस हैं। खासतौर से जो परिवार का निर्धारण किया गया है उस परिवार की भाषा स्पष्ट नहीं है। जो आत्म निर्भर नहीं है परन्तु जो युवा हो गए हैं उनको भी परिवार का हिस्सा नहीं माना गया है। इसी प्रकार से भूमि के जो स्थानान्तरण कर दिए हैं एक निश्चित तारीख के बाद, बल्कि उससे पहले ही भूमि के स्थानान्तरण किए गए हैं, जमीन को बेचा हुआ है, उनकी केवल रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से वैध नहीं माना है। आप केवल उसी को मालिक मानते हो और निर्धारण करते हो, जिसको वह बेची हुई है। उसके नाम पर ही वापस की जाए तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार आपने सीलिंग कानून में नए साक्ष्यों के कारण पुनः मामले खोलने की व्यवस्था की है। सीलिंग के मामले जो एक बार फैसले हो गए थे, एक बार निर्णीत हो चुके थे, उनको भी बार-बार खोलकर हाड़ौती के किसानों को बड़ा दुःखी और परेशान किया है। कोटा में जो पहले तय हो चुके थे। उन में करीब 1472 मामले पुनः खोले गए, बूंदी में 386 और झालावाड़ में 103। इस प्रकार से फैसले होने के बाद भी बारा-बार उनको खोलने से हाड़ौती में किसान दुःखी है। आपने हजारों बीघा जमीन को अलोट कर दिया। जिनको अलोट किया, उन से आपने पैसा भी प्राप्त कर लिया और सरकार के खजाने में जमा करा दिया। अब आप बड़े भोलेपन में कहते हैं कि इस तरह के मामले हमारे सामने आये नहीं, यदि आये होते तो हम उन मामलों को सुलझा देते। जबकि सिलिंग का मुआवजा किसानों को दिया जाये इस

(श्री हीरालाल आर्य)

बाबत वहां के किसानों ने, संगठन ने और हमने भी कई बार आग्रह किया। लेकिन इस बार में कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने कैसा भोलेपन में जवाब दिया है कि हमको पता नहीं था कि मुआवजा नहीं दिया है, सम्बन्धित कलक्टर को लिख रहे हैं ताकि उनको उचित मुआवजा दिया जावे, जबकि सीलिंग का जो फैसला हुआ है उसमें उसी वक्त इसी प्रकार का एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें उनका मुआवजा निश्चित तारीख तक चुका दिया जाना चाहिये लेकिन हजारों मामले पड़े हैं, कोर्ट में किसान बार-बार फसल लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी किसानों को उनकी सीलिंग में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हाड़ौती के किसानों के साथ सीलिंग के मामले तय करने में बड़ा अन्याय और अत्याचार हो चुका है, अब कम से कम उनकी जमीन का मुआवजा तो दें। तो मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट घोषणा करें कि इतने दिनों में निश्चित रूप से उनका मुआवजा दिलाने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मंत्री। मन्त्रीजी जवाब दे देते हैं, उसके बाद आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दी जायेगी।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य ने समता की बात उठाते हुए यह कहा कि राजस्थान के किसानों पर तो सीलिंग लगा दिया किन्तु शहरी सम्पत्ति पर सीमा नहीं लगाई। उनकी इस भावना की तो मैं सराहना करता हूं। इस सवाल पर उनको इत्तला भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट एवं सजग है, अभी पिछली 11-12 तारीख को दिल्ली में भूमि सुधार पर एक मिटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे उप-प्रधानमन्त्री चौधरी देवीलाल ने स्वयं सब के सामने प्रस्ताव रखा है कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा बांधी जानी चाहिए तभी देश का सही विकास हो सकता है। यह विचाराधीन मामला है, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन जो भावना आपने व्यक्त की है वह सही है और उसके लिए सरकार भी सजग है। लेकिन उसके साथ ही आपने एक बात यह और कह दी कि सीलिंग का कानून बनना नहीं चाहिए। यह तो बहुत जरूरी है। अगर आप समाज के घृणित, पीड़ित, शोषित वर्ग को राहत देना चाहते हैं तो सीलिंग जमीन पर और शहरी सम्पत्ति पर निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। यह सीलिंग कानून जो लाया गया है उसमें दोष हो सकता है, लेकिन वह सही नीति के अनुरूप है।

आपने कई बातें यहां और उठाई, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में प्राथमिकतया 1960 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नया अध्याय 18-डी जोड़ा गया, इसके पश्चात् 1973 में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 बनाया गया। नये अधिनियम 1973 में सीलिंग सीमा की परिभाषा, भूमि की सिंचित क्षमता, कई प्रावधानों में आवश्यकतानुसार सुधार किया गया कि व्यक्ति के परिवार के पास कानून की पेचीदगी के

(129)

(श्री नत्थीसिंह)

कारण अधिक भूमि नहीं आने पाये, इस उद्देश्य से नये अधिनियम की धारा 4(1) द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत यदि व्यक्ति के पास नये अधिनियम के तहत अधिक भूमि होने की स्थिति है तो वह पुराने सीलिंग सीमा की भूमि रख सकेगा। इसके अलावा पुराना अधिनियम समाप्त हो चुका है तथा नये अधिनियम की धारा 4(1) द्वितीय परन्तुक का 15(2)39 के अनुसार ही पुराने अधिनियम में कार्यवाही की जा सकती है। नये अधिनियम की धारा 15(1) एवं (2) में राज्य सरकार को अधिकार है कि यह किसी निर्णित मामले को विशेष स्थिति में पुनः खोलने का आदेश दे सकती है। इसमें खास मामले पुनः खोले जाते हैं जिनमें यह सम्भावना हो कि सम्बन्धित व्यक्ति या परिवार के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रही है। इसके तहत किसी तरह का भेदभाव या दुर्भावना का निर्णय नहीं लिया जाता है। राज्य सरकार मामलों को पुनः खोलने का निर्णय राज्य की आर्थिक व्यवस्था को देखकर लेती है कि सम्पत्ति एवं संसाधनों का संचय एक व्यक्ति के पास नहीं रहे। राज्य में सीमित भूमि होने के कारण यह प्रावधान आवश्यक है। हाड़ौती के जिले कोटा, बूंदी और झालावाड़ में सीलिंग के प्रकरण में अब तक 1961 मामले पुनः खोले गये, जिनमें कोटा में 1472, बूंदी में 386 एवं झालावाड़ में 103 मामले पुनः खोले गये हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि भेदभाव की बात है। लेकिन गंगानगर जिले में अब तक 2039 मामले पुनः खोले गये हैं। इस प्रकार हाड़ौती क्षेत्र के तीनों जिलों को मिलाकर भी पुनः खोले गये मामलों की संख्या गंगानगर से कम ही है।

1973 के सीलिंग अधिनियम के तहत भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण भूमि की उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किया जाता है न कि क्षेत्रवार। इस प्रकार हाड़ौती क्षेत्र के साथ किसी प्रकार के भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 1973 अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान धारा 19 की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित आधार से किया जाता है। जिस काश्तकार की भूमि अवाप्त की जाती है उन्हें इसी धारा के अन्तर्गत एक माह की अवधि में मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, इसके साथ अवाप्त भूमि के समर्पण की तिथि से ढाई प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होता है। अवाप्त राशि का भुगतान पांच सौ रुपये तक होने पर एक साथ और पांच सौ से पांच हजार पर पांच समान वार्षिक किस्तों में देय होता है। राजकीय बजट में राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष अवाप्त भूमि की राशि का प्रावधान रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1986-87 में 14,57,707 रुपये
1987-88 में 13,05,170 रुपये
1988-89 में 17,03,873 रुपये
1989-90 में 17,00,000 रुपये

1990-91 में 16,20,000 रुपये का प्रावधान इस साल किया गया है। और यह प्रावधान सभी जिलों की मांग के आधार पर किया जाता है।

(श्री नत्थीसिंह)

जहां तक आप कहते हैं कि बहुत से मामले पड़े हुए हैं, यह एस. डी. ओज. के यहां मांग आती है और जैसे की मांग आती है, पूरा प्रावधान उतना मांगते हैं जितना मुआवजा देना है, यह पैसा राज्य सरकार देती है।

आरोपी के सम्बन्ध में तीन जिलों की बात आपने कही है उसमें कोटा के 49 मामलों में 4 लाख 63 हजार रुपये की मांग की गई है, वह दिया जा रहा है। बूंदी में 14 केसेज हैं जिसकी राशि अभी तक हमारे पास नहीं आई है। झालावाड़ में दो हैं इसकी राशि भी नहीं आई है। यह राशि आयेगी, फौरन भुगतान किया जायेगा, किसी प्रकार से उसको रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : माननीय सभापति महोदय, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सीलिंग में एक तो पारिवारिक भाषा को इन्होंने मद्देनजर रखा है। राजस्थान प्रदेश के किसान गांवों में हैं, अधिकांश अनपढ़ हैं और हमारे हिन्दू संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रणाली है। कई इस तरह के मामले आये हैं कि चार भाई हैं, खाता ग्राण्डफादर के नाम है, बच्चे जवान हैं। भाई वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं और खाते में परिवार की संख्या को मद्देनजर नहीं रखा है। एक खाते पर सीलिंग आई है। जमीन बटी हुई है। उसमें से कई संयुक्त परिवार ऐसे रह गये हैं जिनके नाम से जमीन नहीं आई है ऐसी पूर्व में विसंगतियां रही है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से विशेष आग्रह के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसी विसंगतियों को विशेष रूप से दूर किया जाये।

दूसरा, सीलिंग में भूमि सिंचित की क्षमता को लिया गया है। पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया यह सन् 1973 में विशेष सीलिंग एक्ट लागू किया गया। जबकि हमारे हाड़ौती में चम्बल की नहरें सन् 1960 और 1961 से पानी दे रही हैं और हम कई बार यहां बोलते हैं कि हमारा अधिकांश क्षेत्र कमाण्ड एरिया बता रखा है पर इन तीस वर्षों में कभी भी दो पानी नहीं दिये गये हैं। यहां केवल मात्र एक पानी दिया जाता है और सीलिंग कानून उनमें भी लागू किया गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सरकार विशेष रूप से सर्वे करा के उन क्षेत्रों में, जहां साल में पानी दिया जाता है और कमाण्ड एरिया के नाम से उन किसानों की जमीन सीलिंग में ले ली गई है। ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाये। नहीं तो उनको सिंचाई एक्ट के तहत किसी तरह से पानी पिलाया जाये, यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, सीलिंग में मुआवजा देने की जो राशि तय की गई है वह कमाण्ड नहरी के लिये 1600 रुपये तय किया गया है। यह कैसी विसंगतियां हैं ? बूंदी में 18 अगस्त 1987 को प्रदेश स्तर से यहां से अधिकारी गये संभागीय अधिकारी मौजूद थे और जिले के अधिकारी बैठ कर के बिना किसी जन प्रतिनिधि को बुलाये, मूल्यांकन दरें तय की

(178)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गई जिनमें वहां की चम्बल कमाण्ड एरिया की धरती का दस हजार रुपया है और न्यूनतम नान कमाण्ड का 6 हजार रुपया है।

माननीय सभापति महोदय, कई इस तरह की बातें आई हैं किसी किसान ने 4000 रुपये बीघा में जमीन खरीदी है पर उसको इस निर्धारित मूल्यांकन के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी 6 हजार की लगानी पड़ेगी। 8 हजार रुपये बीघा में खेत खरीदा है पर इस मूल्यांकन के माध्यम से उसको 10 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। एक तरफ तो सरकारी स्तर पर जबरदस्ती जमीनों का मूल्य तय करते हैं और दूसरी तरफ मामूली पैसा दे करके सीलिंग में ले रहे हैं। इस तरह की कहीं विशेष परिस्थितियां हैं इनको विशेष रूप से देखा जाये और विसंगतियां दूर की जायें।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरा लाल।

श्री हीरा लाल आर्य : हाड़ौती के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। यह बात सही है कि उत्पादन के आधार पर ही अधिकतम सीमा सीलिंग की तय की जाती है। गंगानगर में उत्पादन भी अधिक होता है और वहां की जमीन भी पैदावार देती है। स्टेन्डर्ड एकड़ और कोटा में 22 और बूंदी में 24 स्टेन्डर्ड एकड़ माना है। इस भेदभाव का क्या कारण है ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि कोटा की धरती क्या इतनी उपजाऊ है जो वहां केवल आपने 22 स्टेन्डर्ड एकड़ ही माना है ?

मैंने ग्रुप का प्रश्न किया था जो गांवों में ग्रुप बने हैं उसमें कोटा में केवल दो ही ग्रुप बने है गांवों के, बूंदी में तीन बने हैं, जयपुर में पांच और गंगानगर में चार ग्रुप बने हैं। जो सीलिंग के मामले री-ओपन किये है कि किसी के पास अधिक जमीन नहीं रह जाये, उसमें नया कानून आने के बाद भी पुराने कानून से फैसले हो रहे हैं। किसान को कैसे नुकसान हो, नये से होता है तो नये से और पुराने से होता है तो पुराने से फैसले होंगे। अब नया कानून आ गया था तो पुराना कानून लेना नहीं चाहिये था। यह सारी विसंगतियां ही है। जो मुआवजा दे रहे हैं वह भी बाजार भाव से देना चाहिए, 500 रुपया कुछ भी माने नहीं रखता। मैंने सीलिंग की मूल भावना का विरोध नहीं किया है लेकिन जो किसान की भूमि के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसका विरोध किया है। किसान की सम्पत्ति की जो सीलिंग कर रहे हो और बड़े पुन्जीपतियों की शहरी सम्पत्ति की नहीं कर रहे हो, इस बात का मैंने विरोध किया है।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जवाब देते समय थोड़ा सा जिक्र किया कि हम शहरी सीलिंग का भी विचार कर रहे हैं। क्या शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने का राज्य के मुख्य मन्त्री के साथ बैठकर दोनों ने सोचा है ?

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : विषयान्तर नहीं, बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, हमारी तो छोटी छोटी जमीनों पर सीलिंग है और शहरों में धन सड़ रहा है उस पर सीलिंग की आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। क्या आप इस पर चर्चा करेंगे ?

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि भेदभाव नहीं हो रहा है। इसी विधान सभा में मैंने प्रश्न किया था कि गंगानगर और कोटा जिले अन्न का में उत्पादन कहां ज्यादा होता है। उत्तर मिला कि हर फसल का अलग अलग है। गंगानगर की सिंचित तृतीय श्रेणी की जमीन 29 स्टेन्डर्ड एकड़। कोटा की बिना सिंचित जमीन माल अव्वल दर स्टेन्डर्ड एकड़। यह भेदभाव नहीं तो क्या है, मान्यवर ?

एक बार डिसीशन हो गया, जमीन ले ली उसके बाद दुबारा री-ओपन हो गया। फिर ओल्ड सीलिंग कानून में री-ओपन हो गया। हिन्दुस्तान में दो एक्ट कहीं नहीं है। दो एक्ट होने के कारण–किसान पर यह दुधारु तलवार निरन्तर लटक रही है। जिसने सन् 1986 में जमीन बेच दी, उसको आप बेचान नहीं मानते। उसको आप उसका मालिक भी नही मानते। वह यदि उसको सीलिंग में देना चाहे तो आप लेंगे नहीं। उसके कब्जे की जमीन आप कब्जे में लेंगे और वह जमीन उसको बेच दी, यह भूमिहीन हो गया, जिसके 30 साल के लड़कों को आप हक देने के लिये तैयार नहीं है। यदि उसके पास जमीन नहीं होती तो अलाट हो सकती थी लेकिन आप उसके तीस साल के लड़के को हक देने के लिए तैयार नहीं है। आपने सीलिंग कानून इस नजर से बना था कि बड़े लोगो की जमीन ली जायेगी। वह लोग बटवारे करके आपके कानून के दायरे से निकल गये। लेकिन छोटे लोग, जो इस महत्व को नहीं समझते थे, जमीन बेच दी और आपने उनके कब्जे की जमीन ले ली, आपने भूमिहीनों को बढ़ावा दिया है इस सीलिंग कानून के अन्तर्गत। हिन्दुस्तान में कहीं दो कानून नहीं है, राजस्थान में दो कानून लग रहे हैं। दोनों तलवार आज भी लटक रही है जबकि आप केसेज री-ओपन नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, झूठे केसेस बनाकर, जब कि री-ओपन करने का सरकार को अधिकार नहीं है, आज वह पैसे खा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपको मानवीय दृष्टिकोण से यह विचार करना चाहिए...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप हमारे लिए मत कहो कि हम कर रहे हैं। यह तो पुरानी सरकार कर गई, यह बात कहो न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पुरानी सरकार कर गई है तो पुरानी सरकार की गलतियों को यह सरकार दुरुस्त करे यही मेरा निवेदन है .... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कह रहे हैं कि पुरानी सरकार की गलतितों को दुरुस्त करो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप भी लिप्त हैं ....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी ।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : सभापति महोदय, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा । पहले मैं पूछना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट में फैमिली की डैफिनिशन में पुत्रवधु को नहीं माना जाता है । किसी भी विडो मदर को फैमिली मैम्बर नहीं माना जाता है । विधवा मां, पुत्रवधु जिसके बेटे भी आज की तारीख में जवान हैं, उसको मेम्बर नहीं माना जाता है, तो कितना बड़ा अन्याय है उस काश्तकार के साथ ! दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सायल क्लासीफिकेशन के आधार पर जो जमीन थी जिनके कैसेज डिसाईड किये गये थे, वह बाद मे री-ओपन कर दिए गए जब नया सीलिंग एक्ट फोर्स में आ गया और पुराना सीलिंग एक्ट रीपील किया गया तो इसको री-ओपन नहीं किया जा सकता है । दूसरा निवेदन यह करना था कि ओल्ड सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत मेजर सन को अलग से हिस्सा नहीं दिया जाता है । 17 (4) सीलिंग रूल्स के अन्तर्गत नोशनल को दिए जाने की व्यवस्था की जावे । तीसरा मेरा निवेदन करना यह था कि राजस्थान में सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जितने भी प्रकरण डिसाइड किये गये, जितने भी लैण्ड को सरप्लस घोषित कर दिया गया, उनमें से सारे व्यक्तियों की जमीन को तो 15 वर्ष पूर्व ही पूर्व सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और पैसों के नाम से उसको अलाटमेन्ट कर दिया और फ्री आफ कास्ट नहीं किया और आज तक, 15 वर्ष बाद भी सारे काश्तकार जिसने 15 वर्ष पहले जमीन दे दी, उसको एक पैसा मुआवजे का नहीं दिया और जो बड़े-बड़े जमींदार और भूमिधारी थे उनको पूर्व सरकार प्रोटेक्शन दे रही है । 15 साल में भी उनकी एक इंच जमीन भी अधिग्रहण नहीं कर पाई । मैं वर्तमान सरकार से, हमारी सरकार से, पूछना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी ।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सभापति महोदय ....

श्री सभापति : आपका कोई कालिंग अटेन्शन मोशन नहीं है ।

श्री बृजराज मीणा : कैसे नहीं है, लगा हुआ है साहब ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी ...

श्री बृजराज मीणा : जो केस डिसाइड हो चुके हैं, जिनमें लैण्ड सरप्लस घोषित की जा चुकी है, उनमें सरकार उनकी जमीन को अधिग्रहण करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, इसका जवाब दें और कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी । (व्यवधान)

आप उत्तर दे दें उसके बाद में पूछ लीजिए ।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : सभापति महोदय, बारां के अन्दर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जो भी जमीन ली गई है, उसका मुआवजा दे दिया परन्तु लाडपुरा इससे वंचित है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्यों ? आज कई विसंगतियां हैं। मान्यवर, जिन पर प्रशासन को ध्यान देना ही होगा। लाडपुरा की जमीन कम से कम 10-20 हजार रुपये प्रति बीघा बिकती है। यदि उस हिसाब से गिना जाय तो 50,000 रुपये एक एकड़ का आ सकता है। आप 1600 रुपये देते हैं और उसका भी कोई भुगतान नहीं हो रहा है, और एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। इन विसंगतियों की समाप्ति होनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, 2-3 तरह के सवाल माननीय सदस्यों ने उठाये हैं। एक तो यह भेदभाव वाली बात कही, गंगानगर और हाड़ौती में भेदभाव है, गंगानगर की जमीन ज्यादा उपजाऊ है, उसकी सीलिंग ज्यादा है। असल में यह एक कन्फ्यूजन है। जो पुराना कानून था, उसके अन्तर्गत ग्रूपिंग इन स्टेण्डर्ड एकर्स का कन्सेप्ट था। नये कानून में यह कन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए गंगानगर और हाड़ौती के भेदभाव की बात सही नहीं है। अब जो नये कानून के अन्तर्गत जोन बनाये गये हैं, वे उत्पादन क्षमता के ऊपर हैं, जिसमें पहले तो दो फसली सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ है, एक फसल की है 27 एकड़, अर्द्ध उपजाऊ की है 48 एकड़, पहाड़ी जोन की है 54 एकड़, अर्द्ध रेगिस्तानी जोन की है 125 एकड़ और रेगिस्तान जोन की हैं 175 एकड़। यह किसी एक जिले के लिए नहीं, सभी जिलों पर लागू होती है। इसलिए गंगानगर और हाड़ौती में भेदभाव किया जा रहा है, यह गलत बात है।

दूसरी बात आपने उठाई है कि सीलिंग के कानून में संशोधन होने चाहिये। यह बहुत अच्छी बात उठाई है। सारे देश में इस पर चिन्तन हो रहा है। दो-एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भूमि सुधार के मामले में अब की बार यहां तो एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पुत्र वधू को भी शामिल करो लेकिन एक आइडिया जो केन्द्र की तरफ से रखा गया है, वो यह है कि बेटों को मेजर रख दिया है, उनको भी निकालो इसमें से। और जमीन पर वही काबिज रहे जो 5 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर बसता हो, 5 किलोमीटर से दूर नहीं रहता हो, 'Land to tiliar' की बात। तो मैंने यह कहा है सबको चिट्ठी लिखी भी है, मैंने निवेदन किया है कि जितने भी भूमि से सम्बन्धित कानून है, चाहे सीलिंग सम्बन्धी हों, चाहे वे टेनेन्सी सम्बन्धी हो, चाहे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट से सम्बन्धित हो, इन सारे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। आप जो संशोधन सुझायें, जल्दी सुझायें, राज्य सरकार सारी बातों को सोच करके संशोधन करने में कोई गुरेज नहीं करेगी।

कुछ केसेज पुनः खोलने की बात है। यह जितने मैंने केसेज बताये हैं, पुरानी सरकार ही ज्यादा खोल गई है। अब तो कोई इक्का-दुक्का खुलता है, नहीं तो खुलते ही नहीं। फिर भी आप चाहें तो हमें

(180)

(श्री नत्थीसिंह)

संशोधन दीजिये, हम उस पर विचार करेंगे। जहां तक जमीन की कीमत की बात है, मैं यह निवेदन करता हूं जमीन की कीमत भी उस कानून में तय की हुई है; उसमें शिड्यूल लगाया हुआ है। उसमें ही 1600 रुपये एक एकड़ के दिये हुए हैं, तो उन सारे कानूनों के संशोधन के सम्बन्ध में आप लोग सुझाव दोगे तो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी और संशोधन करेंगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

(2) मेहन्दीपुर के बालाजी के मन्दिर की आय का दुरुपयोग

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा, मेंहदीपुर के बालाजी की आय का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में देवस्थान मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देवस्थान मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेंहदीपुर के बालाजी भारत का एक प्रसिद्ध स्थान बन चुका है। अन्य स्थानों पर एक मन्दिर हुआ करता है, लेकिन यहां एक ही छत के नीचे तीन मंदिर हैं, शायद एक ही स्थान ऐसा है जहां बालाजी का मन्दिर भी है, जहां पर भूत-प्रेतों से निपटने के लिए, पूरी विपदाओं से निपटने के लिए, सारे देश के लोग आते हैं। वहां संकट निवारण भी होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आप भी गये हैं ? मुझे कोई ऐसा संकट नहीं है। आप अकेले मत जाना, सैनीजी को साथ लेकर जाना।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं गया हूं। तभी तो आपको जाने की जरूरत पड़ेगी न संकट निवारण के लिए। तो वहां तीन प्रकार के मंदिर उसी स्थान पर है। (व्यवधान)

मैं आपको लेकर चलूंगा, साहब। वहा बालाजी महाराज का अलग मंदिर है। उसी के अन्दर भैरूंजी महाराज का अलग मंदिर है। वहां प्रेतराज सरकार का मन्दिर भी है। पहला हिन्दुस्तान में एक स्थान है जहां प्रेतराज सरकार का मंदिर भी है। इस मंदिर के पूर्व में स्वर्गीय गणेश पुरी जी इसके ट्रस्टी थे और उन्होंने अपने भतीजे किशोर गोस्वामी को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया था और उस समय उन्होंने सारे अपने परिवार के भाइयों, भाइयों के बेटे, इस प्रकार से एक ही परिवार के व्यक्ति उस के अन्दर ले लिये। उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। लाखों करोड़ों रुपयों का वहां चढ़ावा चढ़ता है और वह सारा पैसा सही मायने में दिखाया नहीं जाता, ट्रस्टों के माध्यम से दिखाया नहीं जाता, जैसा कि आपके खुद के फीगर्स इस बात को कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह आयकर विभाग की भी चोरी कर रहे हैं। लाखों रुपये, जो दान में और चढ़ावे में आते हैं वो कहीं पर भी आयकर में दिखाते नहीं हैं। यही नहीं, इस ट्रस्ट के पुजारी ने, महंत जी ने, अपने दोनों भाइयों को अलग-

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

अलग नाम से ट्रस्टी बना रखा है। जैसे उनके ताऊ के लड़के चिरंजी लाल गोस्वामी को भैरूजी का पुजारी नियुक्त कर दिया, और इसी प्रकार दूसरे भाई को प्रेतराज महाराज का पुजारी नियुक्त कर दिया, भैरूजी के पुजारी अलग नियुक्त कर दिये।

(व्यवधान)

ऐसा है मेंहदीपुर के बालाजी....

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : भैरूजी के पुजारी जी के कारनामे हैं, कारनामे तो देखिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भैरूजी के पुजारी जी के कारनामे हैं, भैरूजी के नहीं हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो जिस प्रकार से एक मन्दिर के अन्दर प्रेतराज सरकार और भैरूजी के नाम पर, जिसका ट्रस्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका जो चढ़ावा आता है वो सीमा हो दो नम्बर में चला जाता है और ट्रस्ट का इसका कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं, करोड़ों रुपये की आय वहां पर मंदिरों की धर्मशाला के नाम पर, दुकानों के किराये के नाम पर, अलग-अलग ढंग से इकट्ठी होती है। लेकिन पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि 6000 रुपये मासिक की आय केवल मात्र होती है, यानी 72000 रुपये सालाना केवल मात्र इस मंदिर से आय बताई गई है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंदिर में पूरे हिन्दुस्तान के लोग अपनी मान्यता मानकर यहां आते हैं, चढ़ावे के रूप में रुपया चढ़ाते हैं। उन रुपयों को आयकर विभाग से भी चोरी कर रहे हैं और सरकार का इसके ऊपर ध्यान नहीं है और नतीजा यह है कि वहां पर एक ही परिवार के लोग सारे पैसे का दुरुपयोग करके अपनी जेब भर रहे हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि अगर सरकारी स्तर पर देवस्थान विभाग का इस पर अंकुश होता तो इतना भ्रष्टाचार इसके अन्दर नहीं पनपता। मैं यह नहीं कहता कि मंत्रीजी....

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : भैरोंजी का प्रोटेक्शन है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : भैरोंजी का प्रोटेक्शन तो 6 महीने से है, पहले से भी प्रोटेक्शन होता रहा है। मैं इस मामले को राजनीति में नहीं डालना चाहता। यह बात सही है कि यह मामला रहा है। सरकार के देवस्थान विभाग में भी जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई आदमी बदले हों, उनकी इस मंदिर पर पूरी कृपा है। देवस्थान विभाग के लोग जब अपनी जेबें भर लेते हैं, अपनी पूंजी लेकर आ जाते हैं, तो वहां कोई सख्ती नहीं बरतते। आज पांच करोड़ से अधिक यात्री वहां पर आते हैं, रोजाना जितने नारियल चढ़ते हैं, तीन नारियल तीनों देवी देवताओं के चढ़ते हैं और एक नारियल एक रुपये पच्चीस पैसे का चढ़ता है। चार रुपये में उसी नारियल को बाजार में बेचा जाता है। एक तरफ चढ़ावे में वह वहां से खरीदा जाता है, बाद में चार रुपये में उसको वापस बेच दिया जाता है। वहां पर जो लोग आते हैं वह सवा मनी बोलते हैं, चालीस-पचास के लगभग एवरेज रोजाना वहां सवा मनी

(182)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

होती है, एक सवा मनी पर 850 रुपये लिये जाते हैं। उसके बाद उस पैसे को कहीं पर भी ट्रस्ट के रिकार्ड में नहीं दिखाया जाता, वह पैसा भी दो नम्बर में भैरोंजी के पास पहुंच जाता है। यहीं हालात नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, भैरोंजी पर चढ़ने वाले लंगोट जितने इकट्ठे होते हैं, आपको शायद अन्दाज भी नहो है। झण्डे, लंगोट, मखमल के पर्दे, चढ़ावे, इस प्रकार की हालात हैं कि 50 लाख झण्डे, 50 लाख लंगोट, 20 लाख के करीब मखमल के पर्दे चढ़ावे में आते हैं। वह इधर चढ़ते हैं उधर वापस दुकानों पर बिकने चले जाते हैं। वही वापस आ जाते हैं। वह भी सारा पैसा दो नम्बर में जाता है। इस प्रकार चढ़ावे के रूप में सारा पैसा होता है वह पूरा दो नंबर में जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : तो माननीय सदस्य को वहां महंत बन के बैठना चाहिये ताकि ध्यान रखा जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहूंगा कि चांदी के वर्क, सोने के वर्क का सामान, सिन्दूर, सूखे मेवे, अगरबत्ती, चांदी के छत्र, सोने के छत्र, यह सारे भी चढ़ावे में आते हैं, उनको कहीं रजिस्टर में, रिकार्ड में, अंकित नहीं किया जाता और वह सारा चढ़ावा भी दो नम्बर में जा रहा है। एक बार सरकार ने इसका आडिट करवाया था, इसकी जांच करवाई थी। सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि प्रन्यास की रोकड़ यही को निबमानुसार संधारित नहीं किया जाता, मंदिर की भेंट प्रतिदिन खोली जाती है परन्तु नियमानुसार भेंट प्राप्ति रजिस्टर में विवरण अंकित नहीं किया जाता, न ही खोलने वाले व्यक्ति के या कमेटी के किसी सदस्य के हस्ताक्षर कराये जाते हैं। यह तो सरकार ने माना है। इसी प्रकार से भेंट पेटी में एक रुपये से कम के सिक्के महंतजी को दे दिये जाते हैं परन्तु इसका विवरण अंकित नहीं किया जाता। इसी प्रकार भैरों जी, प्रेतराज जी के मंदिर में भी प्राप्त भेंट का कोई विवरण अंकित नहीं किया जाता। मंदिर में सवा मनी के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं, वह देखरेख में बनवा कर भोग लगवाते हैं, उसका हिसाब भी नहीं रखा जाता। प्रन्यास की धर्मशालाओं की आय-व्यय का हिसाब अलग-अलग रखा जाता है, प्रन्यास के हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यह सारी बातें सरकार ने अपने जबाव में पूर्व में इसी विधान सभा में स्वीकार की हैं कि यह अनियमितताएं हैं। जब सरकार स्वयं जानती है कि यह अनियमितताएं हैं, तो ऐसी स्थिति के अन्दर फिर सरकार चुप क्यों है? एक तरफ हिन्दुस्तान में वैष्णों देवी के मंदिर का ट्रस्ट बन सकता है, राजस्थान के नाथद्वारा में ट्रस्ट बन सकता है, तो क्या राजस्थान सरकार यहां रिसीवर नियुक्त नहीं कर सकती? ऐसी कौनसी प्रशासनिक कठिनाई आपके सामने है? वहां हजारों लाखों लोग दर्शनार्थ आते हैं, जिनकी एक प्रकार से आस्था है, उनके पैसे से वहां के महंत के भाई और लड़के, सारा परिवार ऐसो आराम में लगा हुआ है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां पर मंदिर के महंत बालाजी के श्रद्धालु लोगों से चढ़ावे के रूप में प्राप्त आय को ट्रस्ट में न डाल कर, उसे दो नम्बर में किशोरपुरी गोस्वामी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

व उसके परिवारजनों के ऐशो आराम और विलास के अन्दर खर्च कर रहे हैं। इन्होंने काफी प्रापर्टी, कई गेस्ट हाउस वहां बना लिये। जयपुर में गेस्ट हाउस बना लिये। जगह-जगह इन्होने अपनी प्रोपर्टी बनाई, उसके अन्दर ऐशो आराम के अड्डे चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार की और आयकर विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अन्दर क्या उसकी सी. बी. आई. से जांच कराने के लिये तैयार हैं ? सी. बी. आई से जांच करा कर इसके अन्दर जो भी तथ्य हैं वह आप सामने ला सकते हैं। अगर कोई भी राजस्थान में ऐसा काम कर रहा है, उसके ऊपर सरकार पूरी ताकत से प्रशासनिक दृष्टि से जांच तो करा ही सकती है। आप यह कहेंगे, ट्रस्ट के नियम बने हुए हैं, इसमें हम नहीं कर सकते, हमारा हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय, आपका जवाब आया नहीं अभी, इसलिये मैं बाद में कहूंगा, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि आज तक ऐसा ही होता रहा है कि इन ट्रस्टों को चलाने वाले लोगों को दो नम्बर के पैसे की राह रहती रही है और अधिकारी सारे उसमें मिले हुए हैं। दो नम्बर के पैसे को एक तरफ उसका परिवार खा रहा है, दूसरी तरफ अधिकारी खा रहे हैं। मैं जानता हूं आपसे क्वेश्चन के नाम पर भी जांच करने भेजा है, कुछ न कुछ भेंट पूजा लेकर आ गये होंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वास्तविक आय जानना चाहते हैं तो इसमें एक बार रिसीवर नियुक्त करना चाहिये। रिसीवर आप नियुक्त करें और उनके बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करें, आपके सामने सारे फैक्ट्स आ जायेंगे, कितने रूपयों की आय यहां हो रही है। धर्मशालाओं के नाम पर जमीनें यहां पर बेची जा रही हैं। धर्मशाला में इतनी कमाई हो रही है। दुकानों का जो 15 रुपये किसी टाइम में किराया था, आज छह-छह सौ रुपये उन दुकानों से वसूल किये जा रहे हैं। और विकास के नाम पर वहां पर एक भी पैसा नहीं लगाया जा रहा है। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। मंदिर के अन्दर कादा भरा हुआ है। जिम्मेदारी है सरकार की कि जहां पर मंदिरों का रख रखाव नहीं हो रहा है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये।

श्री सभापति : मंत्रीजी उत्तर दे दें उसके बाद प्रश्न कर लें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, इस मंदिर की पूजा करने के लिये भी नियम है कि इसकी पूजा केवल ब्रहमचारी ही कर सकता है, परन्तु किशोर-पुरी गोस्वामी ब्रहमचारी है नहीं। उसके ऐशो आराम के कई कीर्तिमान हैं। कई आने वाली महिलाओं ने उसके खिलाफ कम्पलेंट की है। कइयों ने शिकायतें की हैं, एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं। क्या प्रमाण हैं, वह मैं बताने को तैयार हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। वहां पर जो भी दर्शनार्थी लोग आते हैं, लड़के लड़कियां खास तौर से आते हैं कइयों को भूत प्रेत उतारने के नाम पर मंदिर में

(184)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ले जाते हैं, मंदिर में ले जाकर उनको बहला फुसला कर अपने गेस्ट हाउस तक ले जाते हैं। कई ऐसे अश्लील फोटो मेरे पास हैं जिसके अन्दर सुरेशपुरी गोस्वामी, जो उसके भाई का लड़का है, उसके अश्लील फोटोज हैं। वहां पर लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जाता है, वह मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। इसी प्रकार मोहनपुरी गोस्वामी, जो दूसरे भाई का लड़का है, उसका भी हाल इसी प्रकार से है। गेस्ट हाउस के अन्दर खुले मंदिर के स्थान के ऊपर इस प्रकार एक व्यभिचार का अड्डा बन चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार की ड्यूटी है कि वहां भोली भाली अबलाएं जो बाहर से मंदिर के दर्शन करने आती हैं, भूत प्रेत उतारने के नाम पर अंदर जाती हैं, उनके साथ किस प्रकार की बातें हो रही हैं, उनसे उनको बचाएं। सभापति महोदय, मैं सदन की मेज पर यह फोटोज रखूंगा,

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब काफी ध्यानाकर्षण हो गया है। मंत्रीजी उत्तर दे दें फिर प्रश्न कर लें आप।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं खतम ही कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर आज हालत यह हो गई है कि इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था उठ गई है। एक किसी की आत्मा बोली बताई, वहां पर बसेरडी और जयपुर के बीच में बालाजी का स्थान नया बना है, यह कहा गया है कि वहां की आत्मा उठ कर यहां आ गई है क्योंकि वहां व्यभिचार का अड्डा बन गया। शनिवार और मंगलवार को लाखों आदमी इकट्ठे होने लग गये हैं, बसेरडी और जयपुर के बीच में भैरोंसिहजी जब से धौलपुर में गये हैं उस धौलपुर जिले के आसपास बसेरडी और जयपुर के बीच में भैरोंजी का मंदिर और हनुमानजी का मंदिर बन गया। और लाखों लोग वहां आने लग गये। नया मंदिर वहां बना है। लोग कहते हैं कि हनुमानजी ने वहां जन्म ले लिया और वहां पर एक मंदिर बन गया। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप क्या प्रशासनिक दृष्टि से करने जा रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य मंत्री) : सभापति महोदय, यह सही है कि मेहन्दीपुर बालाजी सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहां पर विशेष रूप से भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं का निवारण किया जाता है, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए भी यहां पर पूरे देश भर से यात्री आते हैं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो नियम 131 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है, उसका जवाब इस प्रकार है: –

मंदिर श्री हनुमानजी घाटा मेहन्दीपुर, तहसील सिकराय, जिला जयपुर में स्थित है। यह राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग के क्रमांक 243 दि. 3-3-66 को सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में पंजीकृत हुआ है। मन्दिर के प्रन्यास की प्रबन्ध समिति का गठन किया हुआ है। कार्यकारी प्रन्यासी - अध्यक्ष श्री किशोरपुरी हैं। इसके अलावा प्रबन्ध समिति में 16 व्यक्ति हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

1. श्री नरेशपुरी — उपाध्यक्ष
2. श्री सत्यप्रकाश शास्त्री — सचिव

(श्री रामकिशोर मीणा)

3. श्री उम्मेदसिंह लेखाकार
4. श्री हनुमान शर्मा, सेवानिवृत सदस्य आई. पी. एस, 95-96, सी-स्कीम, जयपुर
5. श्री रामदास सिघल, सेवानिवृत मुख्यलेखाधिकारी, नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण, अशोकनगर, आगरा ,,
6. श्री नेमीचन्द, नाई की मण्डी, आगरा ,,
7. श्री बापू मुन्नालालजी राजपुरोहित सी-116, बापूनगर, जयपुर
8. श्री त्रिलोकीदास खण्डेलवाल जोहरी बाजार, जयपुर ,,
9. श्री चिरंजीलाल गोस्वामी, मेहन्दीपुर ,,
10. श्री रामजीलाल गोस्वामी, उदयपुरा ,,
11. श्री गोपीसहाय, भू. पू. विधायक साकरवाड़ा (टोडामीम) ,,
12. श्री रामस्वरूप अग्रवाल, मेहन्दीपुर ,,
13. श्री राधेश्याम सराफ, जौहरी बाजार, जयपुर ,,
14. श्री माधोलाल खण्डेलवाल, आंकड़ों का रास्ता, जयपुर ,,
15. श्री वेदप्रकाश, शिवशक्ति विला, देहली गेट, अलीगढ़ ,,

इनमें से अधिकांश व्यक्ति कार्यकारी प्रन्यासी के रिश्तेदार नहीं हैं।

श्री चिरंजीलाल गोस्वामी भैरूजी के पुजारी नियुक्त हैं। सर्व श्री रामजीलाल व रामस्वरूप श्री प्रेतराजजी की सेवा पूजा हेतु नियुक्त हैं। बान्धवगण को सेवा पूजा में नियुक्त करने के वंशानुगत अधिकार कार्यकारी प्रन्यासी को प्रन्यास के प्रलेख के अनुसार मिले हुए हैं। प्रन्यास प्रलेख के अनुसार पुजारीगण भेंट से प्राप्त आय में से एक रूपये से कम के सिक्के प्राप्त करते हैं। एक रूपया एवं अधिक के नोट एवं सिक्के प्रन्यास की आय में जमा होते हैं। तीनों स्थानों पर पेटियां रखी हुई हैं तथा सात दिन में एक बार उप समिति के सदस्यों के सम्मुख खोली जाती है जिसका इन्द्राज आय के मद में प्रन्यास के खातों में किया जाता है। आय व्यय का प्रति वर्ष नियमानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराया जाता है और विभाग को प्रेषित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में मन्दिर के आय व्यय का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	आय	व्यय
1987–88	54300.69	66333.76
1988–89	73016.48	62638.12
1989–90	81800.00	72800.00

अन्य चढावे में नारियल, सूखा मेवा आदि पंचमेवे के भोग में सम्मिलित किया जाकर प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। अगरबत्ती, सिन्दूर, इत्र सेवा पूजा के उपयोग में आता है। सोने चांदी के छत्र आदि कोई सामान भेंट में आता है तो उसका अलग से इन्वेन्ट्री रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है तथा भेंट कर्त्ता को रसीद देने की व्यवस्था है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

जिन यात्रियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनके द्वारा मन्दिर में सवामणी कराई जाती है जांच करने पर यह जानकारी हुई कि सवामणी के प्रसाद में से भोग लगाने पर यात्री जितना प्रसाद लेना चाहे, वह दे दिया जाता है और बाकी प्रसाद वितरण कर दिया जाता है । सवामणी प्रन्यास की आय का स्रोत नहीं है । यात्रीगण स्वय व पुजारी प्रन्यास के कर्मचारियों की देखरेख में सवामणी का प्रसाद बनाया जाता है । यह सही है कि प्रन्यास द्वारा सवामणी का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है ।

मन्दिर में झण्डे, लंगोट, पर्दे आदि भेंट में चढ़ाये जाते हैं जिनका विवरण मन्दिर में कार्यरत कर्मचारियों में किया जाता है अथवा मन्दिर के ही उपयोग में लिया जाता है । विक्रय करने का कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है । इस मन्दिर में महंत की गद्दी निहंग है परन्तु मन्दिर की विशालता के कारण किसी एक व्यक्ति द्वारा सेवा पूजा किया जाना संभव नहीं है, इसलिए सेवा पूजा हेतु बान्धवगण की मदद ली जाती है जो गृहस्थ हैं ।

विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि यह मन्दिर अश्लीलता और भोग विलास का स्थान बन चुका है या भोली भाली लड़कियों व भारत से अनेक नगरों के बाहर से आने वाले परिवार की औरतों की इज्जत लेने का केन्द्र बन गया है । वर्ष 1989 में विभाग द्वारा प्रन्यास की जांच के दौरान कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

(1) प्रन्यास की रोकड़ बही को वित्तीय नियमानुसार संधारित नहीं किया जाता है।

(2) प्रन्यास (मन्दिर) की भेंट पेटी प्रतिदिन खोली जाती है परन्तु नियमानुसार भेंट प्राप्ति रजिस्टर में विवरण अंकित नहीं किया जाता है और न ही खोलने वाले व्यक्तियों या कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर किये जाते हैं।

(3) भेंट पेटी में से एक रूपये से कम के सिक्के महंतजी को दे दिये जाते हैं परन्तु इसका विवरण अंकित नहीं किया जाता है ।

(4) भैरूजी व प्रेतराज के मन्दिर में प्राप्त भेंट बान्धवगण को दिया जाना व उसका भी कोई विवरण अंकित नहीं किया जाता है ।

(5) मन्दिर में सवामणी के रूप में प्रसाद चढ़ाते हैं व देखरेख में बनवा कर भोग लगाते हैं, इसका हिसाब नहीं रखा जाता है।

(6) प्रन्यास की 5 धर्मशालाओं का आय व्यय का हिसाब अलग रखा जाता है । प्रन्यास के हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

इस बाबत प्रन्यास से स्पष्टीकरण मांगा गया एवं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत धारा 38 व 49 में कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके फलस्वरूप कार्यकारी प्रन्यासी उपरोक्त समस्त अनियमितताओं में सुधार कर विभाग को जवाब प्रस्तुत किया जिसका सत्यापन विभाग के निरीक्षक द्वारा किये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 38 व 49 के तहत कार्यवाही समाप्त की गई ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

सभापति महोदय, फिर भी यदि भविष्य में प्रन्यास द्वारा इनमें से किसी अनियमितता की पुनरावृत्ति होती है या कोई अन्य अनियमितता विभाग के ध्यान में आती है, तो विभाग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के महान् तीर्थ स्थान श्री मेहन्दीपुर बालाजी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थान पर पूरे देश के यात्री आते हैं। मैं भी हनुमानजी महाराज के चरणों का सेवक रहा हूं इसलिए विशेष तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस स्थान की नींव भू. पू. विधायक श्री गोपीसहाय जी, मेरे पिता, द्वारा लगाई गई थी, मैं यह बात आपको रेकार्ड पर बता देना चाहता हूं कि उस स्थान के बारे में अगर कोई गलत बात होती है या आज उस स्थान की सेवा पुजा या व्यवस्था सही नहीं होती है, तो मेरा भी उत्तरदायित्व होता है कि माननीय मंत्री जी को बताऊं। मेहन्दीपुर बालाजी मन्दिर में यह हालत हो गई है कि अगर आप बाजार में जाकर देखें तो कीचड़ भरा हुआ है, सूअर लौटते हैं, जिसके कारण यात्री पैदल नहीं घूम सकते। उनके वाहन, कार वगैरा 4–4 घंटे तक दलदल में फंस जाते हैं। मन्दिर के आगे से जो रोड नेशनल हाई-वे नं. 11 निकलता है, जो हिण्डौन जाता है और टोडाभीम को मिलाता है, उसमें 6–6 घंटे बसों का चक्का जाम हो जाता है और उसके कारण अव्यवस्था फैलती है। 3–4 तो मौतें हो चुकी हैं। इसलिए, सभापति महोदय, जब यहां इतनी आय होती है जैसा कि बताया गया है, तो क्या इस प्रन्यास की जिम्मेदारी नहीं होती कि वहां की व्यवस्था रखे, वहां सफाई रखे? आने वाले यात्रियों के वाहन की दिक्कतों पर विचार करे? क्या राज्य सरकार या मंत्री महोदय यह नहीं कर सकते? ऐसे महान् तीर्थ स्थान पर रोडवेज की बसें 6–6 घंटे लेट हो जाती हैं। इस स्थान पर कोई बाइ-पास की व्यवस्था की जाय ताकि वाहन बाहर होकर जावें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बसों से कई यात्री मर चुके हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी हैं। इस पर विचार किया जाय।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि वहां की मन्दिर देखरेख की व्यवस्था पुन: की जाय जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधि व दूसरे ईमानदार व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों को कमेटी में लिया जाय और ऐसी कमेटी की घोषणा की जाय जिसके कारण आने वाले समय में मन्दिर की सेवा-पूजा या सफाई का काम और विकास के काम हो सकें। जहां पर धर्मशालाएं बन चुकी, हजारों यात्री रोजाना आते हैं, और हनुमान जी महाराज सब संकट काटते हैं, तो माननीय मंत्री महोदय, आप हनुमान जी का संकट तो काटो। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए वहां की जो व्यवस्था है उसमें आप सुधार करें रोड भी बनवायें, भ्रष्टाचार को रोकें और वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि वहां पर पैसा जो हनुमान जी के लिए आता है वह हनुमान जी की ही सेवा में लगे, यह मेरा निवेदनहै।

श्री सभापति : माननीय श्री जनार्दन सिंह जी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में स्वयं ने स्वीकार कर लिया। इनके जवाब से साफ नजर आता है कि मेहन्दीपुर के बालाजी में दो नम्बर की इन्कम का रेकार्ड नहीं रखा जा रहा है। यह आपके जवाब से फिर साबित हो जाता है। और आपने 66000,73000,72000 रुपये का बताया है कि इतनी आय है साल में। मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी आय तो वहां पर रोजाना की है। ये स्वयं यदि अपनी आत्मा को टटोलें तो इनको मालूम है कि इतनी आय तो रोजाना की है। हम मे से काफी लोग वहा पर गये होगें। जिस प्रकार का मन्दिर है उसमें मान कर चलिये कि एक लाख रुपये के आसपास की आय तो रोजाना की है। इतने यात्री वहां पर आते हैं। आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि पहले जांच करवाई गई उसमें ये अनियमिततायें पाई गई। वहां पर तिजोरी को जब खोला जाता है तो रजिस्टर में इन्द्राज नहीं होते हैं एवं हस्ताक्षर नहीं होते हैं। कई मामले आपने स्वयं ने स्वीकार कर लिये। जब आप स्वयं मानते हैं कि अनियमिततायें हुई हैं, तो राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचते हुये इसके अन्दर रिसीवर बेठा कर इसकी जांच करानी चाहिए। राजस्थान सरकार को आय कर विभाग को भी एक चिट्टी भेजनी चाहिए कि इस प्रकार से दो नम्बर का पैसा सारा आय कर से बचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार को कम से कम एक पत्र लिखकर आय कर विभाग से इसकी जांच करवानी चाहिए। एक सार्वजनिक स्थान, जिसके अन्दर में हिन्दुस्तान भर के लोग आते हैं और उसके अन्दर चढावा चढ़ा जाते हैं, और उसके अन्दर वहां लोग ऐशोआराम में खर्च कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने माना और मैंने भी इस बात को कहा कि मन्दिर की पूजा केवल मात्र कोई ब्रह्मचारी ही कर सकता है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यदि कोई दूसरी व्यवस्था आपको नहीं मिलती है, तो श्री औदिच्य साहब को भेज दो और इनसे मन्दिर की व्यवस्था करवा ली जाए। कम से कम पूजा पाठ तो सही हो जाए मन्दिर की। तो माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की अनियमिततायें हो रही हैं उसको रोकने के लिये (व्यवधान) क्या श्री केदार जी को भेज दें?

श्री रामकिशन : अविवाहितों को ही ब्रह्मचारी समझते हो? आपका मतलब अविवाहितों से है? ये दोनों एक नहीं हैं..।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पेसीफिक क्वेश्चन है कि सरकार इस पर रिसीवर नियुक्त करने की नियत रखती है या नहीं रखती। इसके अन्दर जिस प्रकार का घफला हो रहा है, उसके अन्दर रिसीवर नियुक्त करने की नियत आपकी है या नहीं? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि राजस्थान सरकार इसकी सी. बी. आई. से जांच करवाने को तैयार है क्या। तीसरी बात मैं राजस्थान सरकार से चाहता हूं कि वह इसके लिए

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी। ये तीन मुद्दे मैं आपसे स्पेसीफिक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप यह करवाना चाहेंगे या नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं का चित्र खींचा गया, मैं उपयुक्त मानता हूं कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य को उसका ट्रस्टी बना दिया जाए। चार्ज के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है।

श्री सभापति: यह कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): सभापति महोदय, फ्रीडम ऑफ रिलिजन तो फण्डामेंटल राइट है, लेकिन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे क्लीयर है कि भूत-प्रेत उतारने के लिए लोग वहां आते हैं। तो रिलिजन को पालन कर सकता है कोई आदमी, स्टेट इन्टरफियर नहीं करेगी। लेकिन स्टेट जो है वह अन्धविश्वास को, भूतप्रेत उतारने को रिकोगनाईज करती है क्या? सबसे बड़ी बात यह है। यह तो स्टेट गर्वमेंट की जानकारी में है। मिनिस्टर के स्टेटमेंट में भी आया है कि वहां पर भूतप्रेत उतारने के लिए चुड़ैल उतारने के लिए लोग आते हैं। विच हंटिंग में, सभापति महोदय, बड़े गम्भीर प्रकरण सामने आते हैं कि किसी औरत को मार दिया। किसी को चुड़ैल डिक्लेयर करके मार दिया। कई आते हैं ऐसे किस्से। हर गर्वमेंट को इसमें इन्टरफियर करना पड़ता है। एक तो यह बहुत गम्भीर मसला है। दूसरा रिलीजस एण्ड चैरिटीबिल ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में पावर्स हैं गवर्नमेंट को। उसमें गवंमेंट का यह देखने का फर्ज बनता है कि वहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है वह उस पर्पज के लिए सही उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। माननीय रामस्वरूप जी ने बतलाया कि वहां पर कीचड़ भरा हुआ है, गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं, गन्दगी है। यदि पैसे का सही उपयोग नहीं होता है तो गवर्नमेन्ट इन्टरफियर कर सकती है और गवर्नमेन्ट ट्रस्ट कायम कर सकती है। सिर्फ ये दो सवाल हैं।

श्री सभापति: माननीय श्री हरि सिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं जिसकी उनको स्वयं को जानकारी है। यह उनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है और एक-एक बात को माईनुटली इन्होंने देखा है और उनकी निजी जानकारी में भी है। वहां पर सवामणि चढ़ाने वाले लोग दो प्रकार के हैं। एक तो लोकल आदमी हैं जो वहां पर सवामणि तैयार करके, अपने साथ से अपने साथ लाये भाई-बन्धुओं को या वहां के ब्राह्मण पुरोहितों को जीमा कर के पूर्ति कर देता है। एक जो बाहर का आदमी आता है, दूरस्थ स्थान से, उसके लिए महन्तजी महाराज यह प्रेरित करते हैं कि आप क्यों इस पचड़े में पड़ते हो? आपको यहां पर इसके लिये फिक्स है 850/– रुपये। तो मन्दिर की तरफ से ही सवामणि तैयार

(श्री हरिसिंह)

करके चढ़ा दी जावेगी । और इस प्रकार की सवामणियों की औसत जो है 50 से कम नहीं है । यह औसत प्रतिदिन की है । वह 850/– रुपये जो महन्तजी महाराज ले रहे हैं उसका कहीं किसी प्रकार का कोई रेकार्ड नहीं है । नम्बर दो, पेटी में डाले हुए पैसे को तो के गिन लेते हैं । अभी माननीय मन्त्री जी के स्टेटमेंट में उन्होंने यह फरमाया था कि पेटी को एक ट्रस्टी के सामने खोला जाता है और जो रेकार्ड उन्होंने देवस्थान विभाग की तरफ से इन्स्पेक्शन करवाया है उसमें यह आया है कि वहां पर यह अव्यवस्था है कि किसी भी ट्रस्टी के सामने उस पेटी को नहीं खोला जाता है । मैं एक दूसरे पहलु की तरफ भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं और मन्त्री जी स्वयं मानते हैं, कि चढ़ावा वहां पर दो प्रकार से आ रहा है । एक तो वह है जो यात्री सीधा-सीधा दस, पांच, पन्द्रह, बीस रुपये मन्दिर में हनुमानजी के चरणों में चढा देता है । एक वह है....

श्री सभापति : प्रश्न करें, माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह : वही कर रहा हूं, साहब । और एक वह चढावा है जो पेटी में डाला जाता है तो पेटी में जो डाला जाता है उसका ब्यौरा तो आ गया, लेकिन जो सीधा-सीधा हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया जाता है उसका किसी भी प्रकार का कोई ब्यौरा आपके स्टेटमेंट में नहीं है । क्या यह सही है कि इस प्रकार का जो चढावा आता है उसका घपला हो रहा है और सवामणि पर प्रति सवामणि 850/– रुपये जो मन्दिर में प्राप्त करते हैं उसमें भी घपला होता है ।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादी लाल जी ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय मन्त्री जी ने अभी जवाब दिया कि मन्दिर के बारे में कभी भी कोई शिकायत या ऐसी कोई बात विभाग को नहीं मिली । मैं यह कहना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि जब आप अपोजिशन के मेम्बर थे, आपने भी इसके खिलाफ में खूब ही हल्ला मचाया था कि वहां पर महन्त अनियमितताये कर रहा है । मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि महन्त के परिवार के ट्रस्ट में कितने मेम्बर है । माननीय मन्त्री जी यह तो आपकी अन्तरआत्मा भी कह रही होगी कि वहां पर मन्दिर की हालत बहुत खराब है । और वहां पर कीचड़, काली मिट्टी वगैरा पड़ी हुई है, कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है । आज जो इन महन्त का भूत चढ़ा हुआ है पूरे इलाके में, इस महन्त के वर्चस्व को क्यों नहीं हटा देते ? आप सरकार के अण्डर में क्यों नहीं ले लेते, इसमें क्या दिक्कत है ? मन्दिर की अच्छी व्यवस्था होगी । लोग आपको धन्यवाद देंगे । सारी व्यवस्थायें ठीक हो जायेगी । अच्छी इन्कम होगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई प्रश्न करना है तो कर लें भाषण नहीं ।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपसे यह सीधा सवाल है कि इस महन्त को

(श्री परसादीलाल मीणा)

हटाने में आपकी और सरकार की क्या मजबूरी है ?

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय सभापति महोदय, तीन-चार मुद्दे विशेष तौर से उठाये गए हैं। यह सही है कि मन्दिर के सामने वाला जो स्थान है मुख्य द्वार के सामने, दुकानों की ज्यादा भीड़ भड़ाके की वजह से सड़क बहुत सकड़ी हो गई है, और वहां पर कोई गुंजाईश ऐसी नहीं है कि उसको और ज्यादा चौड़ा किया जा सके। इसके लिए प्रस्ताव विभाग की तरफ से भी बनाकर के दिए जा रहे हैं कि बाईपास रोड़ वहां पर होना बहुत जरूरी है क्योंकि करीब दो-तीन घंटे तक, जब आरती का समय होता है उस समय, ट्रैफिक जाम हो जाता है इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस विभाग की तरफ से पी. डब्लू डी. को यह लिखा जा रहा है कि इसके लिए अलग से बाईपास बनाया जाए। जो कमेटी में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने की बात है, इसमें जितने भी ट्रस्टी हैं एक ही परिवार के नहीं हैं और अधिकांशतः प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने स्वयं ने कहा कि अधिकांश वहीं हैं, कुछ लोग दूसरे हैं। आपने स्वयं ने अपने जवाब में कहा कि काफी लोग एक ही परिवार के हैं, आपने अभी कहा।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं लेकिन अधिकांश लोग बाहर के हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं मन्त्रीजी, एक परिवार के कितने लोग हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा : इस परिवार के, मैंने आपको बताया, केवल चार व्यक्ति हैं। स्वयं किशोरपुरी, जो उसके उपाध्यक्ष हैं नरेशपुरी, रामजी लाल गोस्वामी तथा चिरंजी लाल गोस्वामी।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या आप एक परिवार के इतने मेम्बरों को ठीक मानते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या माननीय सदस्य को भी शामिल करेंगे ?

श्री रामकिशोर मीणा : कुल 17 मेम्बर हैं। माननीय सभापति महोदय, चर्चा से ऐसा लगा कि ज्यादातर माननीय सदस्यों का ध्यान बालाजी की तरफ न होकर केवल महन्त की तरफ ज्यादा है। उसका विकास यदि चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्या-क्या अच्छी व्यवस्थायें वहां पर की जाय, इसके बारे में विभाग को सुझाव बहुत कम मिले हैं तथा महन्त की शिकायतें और जिसमें भी विशेष तौर से, क्योंकि यह बहुत पुराना धार्मिक स्थान है और यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है तो इस प्रकार की इसके बारे में पहले जांच भी कराई गई एस. पी. सवाईमाधोपुर के द्वारा कोई भी केस, कोई भी एफ. आई. आर. न तो थाना मानपुर में और न ही थाना टोडाभीम में किसी प्रकार की रजिस्टर नहीं हुई और उसके आधार पर कोई भी घटना

(श्री रामकिशोर मीणा)

प्रकाश में नहीं आई है कि इस प्रकार की कोई अश्लीलता की बातें उसके अन्दर होती हैं। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है ट्रस्टी एक्ट के अन्दर और उसमें जो भी शिकायत आती है उनकी जांच की जाती है और जांच के तहत फिर धारा 38 और 49 की कार्यवाही की जाती है। जो भी ट्रस्टी होता है, प्रमुख ट्रस्टी, उससे उसके सुधार के बारे में व्यवस्था मांगी जाती है कि वह उसमें सुधार करे और विभाग के द्वारा उसका इन्सपेक्शन कराया जाता है। जो पहले शिकायतें आई थी इसके बारे में उनकी जांच हुई और इन्सपेक्टर के द्वारा बताया गया कि यहां पर यह-यह अनियमितताएं हैं और इसके बाबत उसको नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद में एक सब कमेटी महन्त की तरफ से बना दी गई है और उसमें जो 21-5-90 को हमारे देवस्थान विभाग से इन्सपेक्टर गया है उसने सारी अनियमितताओं, जो भी पहले पाई गई थी, उनको दूर माना है। इस नाते से जितने भी बातें आप लोगों ने उठाई हैं, उनकी वर्तमान में सारे ट्रस्ट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है और वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मन्त्री महोदय, मेरी बात का जवाब तो आया नहीं। मैंने तीन मुद्दे उठाए हैं। क्या राजस्थान सरकार इसकी आयकर विभाग से जांच कराने को तैयार है? दूसरा मैंने यह कहा कि आपने जब पूर्व में जांच कर ली उसके बाद अब इसमें कोई रिसीवर नियुक्त करने की नीयत रखते हैं क्या आप?

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय सदस्य, आयकर विभाग में देने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारा विभाग उनको लिख कर दे। कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे सकता है और गुप्त रूप से सूचना देने वालों को अलग से, उनको सीक्रेट बुक में किया जाता है और उनको परसेंटेज भी दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को, जो प्रोपर सूचना देते हैं। उसमें उसके हिसाब से उनका एक व्यक्ति होता है।

श्री रामनारायण वर्मा : आप मान ही क्यों नहीं लेते लिख कर देने के लिए?

श्री हरीसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक बात पूछना चाहूंगा कि इस युग में, इस साइंटिफिक युग में विचहंटिंग एण्ड सोर्सरी, जो प्रेक्टिस की जाती है मेहन्दीपुर के बालाजी के मन्दिर के अन्दर, जो कि गैर-कानूनी है, असामाजिक है और सब की नोलेज में है, क्या आप उस विचहंटिंग को, भूत प्रेत की जो यह मिथ्या चीज है और इसको आप चालू रखने देंगे उनको या बन्द कराने की कानूनी कार्यवाही करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गैरकानूनी है तो निश्चित रूप से बन्द कराऊंगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के तहत....

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, यह स्थान ग्राम पंचायत सागवाड़ा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में आता है बालाजी का और जिला सवाई माधोपुर में आता है। मेरा यह निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके पिताजी ट्रस्टी हैं, ऐसी क्या बात है।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री सम्पत सिंह, सदस्य विधान सभा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से जान-माल की क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप ऐसा करें, मंत्रीजी का स्टेटमेंट सुन कर प्रश्न कर लें।

श्री सम्पत सिंह : यही मैं कह रहा हूं कि सभापतिजी, मैं उनका इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय यातायात मंत्री जी।

श्री रमाकांत शर्मा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : किस नियम से ?

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो आप सुनोगे, तब मालूम पड़ेगा।

श्री रमाकांत शर्मा । व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : किस नियम से यहां कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है ?

श्री रमाकांत शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि सरकार के रूल्स और बिजनेस के तहत सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने का कार्य क्या यातायात विभाग का है ? मेरे विचार से रूल्स और बिजनेस के तहत सड़क दुर्घटनाएं रोकने का काम गृह विभाग का है। यदि कोई वक्तव्य हो तो गृह विभाग दे। यातायात विभाग का तो यदि कोई स्टेटस है तो वह यह है कि वह जिस प्रकार के लोगों को लाइसेंस देता है, जिस प्रकार का फिटनेस करता है, जिस प्रकार से ओवरलोडेड बसें चलाता है उससे और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जो सड़क दुर्घटनाओं के अन्दर योगदान देता हो वह सड़क दुर्घटनाएं कैसे रोक पाएगें ?

श्री सभापति : जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, ज्वाइंट रिसपोन्सिलिटी के अन्तर्गत कोई भी मंत्री किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : His point is valid. Any Minister can make a statement.

डा. चन्द्रभान (यातायात मंत्री) : सभापति महोदय, मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने यातायात मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, वह मंत्री मण्डल के बिहाफ पर इसका रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यातायात मंत्री गुड रिफ्यूज्ड कि मेरा ध्यान क्या आकर्षित करोगे इसमें दुर्घटनाओं का तो......

एक माननीय सदस्य : फिटनेस सर्टिफिकेट यातायात विभाग ही देता है।

डा. चन्द्रभान : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में जरा स्थिति स्पष्ट कर दूं। वैसे सडक की सुरक्षा से सम्बन्धित सवाल है और दुर्घटनाओं....

श्री रामकिशन : व्यवस्था का क्या हुआ ?

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी न।

श्री हेतराम बेनीवाल : डिसाइड तो करो व्यवस्था।

श्री रमाकान्त शर्मा : आदमियों की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप व्यवस्था दें इस पर।

श्री रामकिशन : यह व्यवस्था का सवाल है, इस पर व्यवस्था दीजिए। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह सही है।

श्री सभापति : यातायात से सम्बन्धित समस्याओं को माननीय सदस्य ने उठाया है और यातायात मंत्रीजी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकिशन : नहीं-नहीं, यह मतलब नहीं, जवाब तो कोई दे सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यातायात सम्बन्धी नहीं है। जवाब कोई भी दे, जवाब तो माननीय मंत्रीजी दें लेकिन It has to be discussed in the name of Home Minister. यह है।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। राज्य में ही नहीं, देश भर में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इनको रोकने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद बनी हुई है। आल इण्डिया लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। जहां तक स्टेट का सवाल है, उसका अध्यक्ष यातायात मंत्री होता है और इस तरह की सड़क सुरक्षा परिषद राजस्थान में भी बनी हुई है। जो नया मोटर वाहन अधिनियम है उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है। बड़े अफसोस की बात है, पौने दो साल हो गए इस सड़क सुरक्षा परिषद को बने हुए और माननीय सदस्यों को भी खैर इसके बारे में जानकारी नहीं है और होती भी कैसे। पूर्व सरकार के समय में यह बनी थी और डेढ़ साल के उनके समय काल में केवल एक बार मीटिंग हुई। नई सरकार ने इसकी दूसरी मीटिंग बुलाई, 15 मई, 1990 को।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह सवाल पूछने पर बता दीजिए; यह ध्यान आकर्षित किया है तभी आपको पता लगा है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : डा. साहब, आपके बाद की बात है यह।

डा. चन्द्रभान : देखिए, मैं इस बारे में पहले ही निवेदन कर चुका हूं। सड़क सुरक्षा परिषद की मीटिंग भी हो चुकी है, सड़क

(डा. चन्द्रभान)

सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा चुका है। यह आपकी जानकारी में भी है। माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है वह समस्या केवल राजस्थान और हिन्दुस्तान की नहीं, यह विश्वव्यापी समस्या है और केवल विश्वव्यापी नहीं, बल्कि एक माननीय समस्या है। इस सवाल पर पूरे सदन का चिन्तित होना स्वभाविक है। मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से भी सहमत हूं कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उन में घायल होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और मौतों की भी संख्या बढ़ रही है। परन्तु एक बात से मैं जरूर संतुष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश इस देश में दृष्टि से भी जहां अन्य क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, इसमें भी पिछड़ा है।

10 राज्यों की सूची है मेरे पास। उन में दुर्घटनाओं की संख्या यदि देखी जाय तो राजस्थान में सबसे कम है····

श्री रामकिशन : वाहन कितने हैं ?

डा. चन्द्रभान : केरल में भी 10451 हैं।

श्री रामकिशन : और राजस्थान में केवल 10 लाख वाहन हैं, केरल में कितने हैं ?

डा. चन्द्रभान : इसको भी बता देता हूं। सड़कों और वाहनों का भी बता देता हूं। केरल में 254 हजार वाहन थे और यहां पर 323 हजार वाहन थे इस प्रकार बिहार, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं कम हैं।

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है और 1981 में जहां 4098 दुर्घटनाएं हुई, 1274 लोगों की जानें गयीं और 5404 लोग घायल हुए और 1989 में इन की संख्या बढ़कर के 9593 हो गयी। मृतकों की संख्या 3023 हो गयी और घायलों की संख्या 10681 हो गयी। कहने का मतलब यह है कि जहां 1274 लोगों की जानें 1981 में गयीं थीं 1989 में 3023 लोगों की जान गयी। यह ढाई गुने के आस-पास हो गयी। लेकिन यह भी तथ्य है कि वाहनों की संख्या बहुत बढ़ी है। राजस्थान की जनसंख्या जहां आजादी के बाद में ढाई गुना बढ़ी है वहां वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। वाहनों की संख्या जहां आजादी के बाद 1950 में 8 हजार थी आज उन की संख्या 9 लाख 60 हजार के आस-पास है। 100 गुने से भी ज्यादा वाहनों की संख्या बढ़ी है।

सभापति महोदय, दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चालक, वाहन, सड़क और उस पर चलने वाले लोग या यों कहिए यातायात।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम भी बने हुए हैं। कानून भी बने हुए हैं उपाय भी हैं और जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो सभी लोगों का ध्यान सरकार की ओर जाता है सरकार उसमें प्रयास भी करती है और प्रयास करती है कि दुर्घटनाएं बहुत कम हों

डा. चन्द्रभान)

लेकिन इसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है । अफसोस इस बात का है कि जिस यातायात नियम की हम बात करते हैं जो ट्रैफिक एजूकेशन प्राइमरी स्कूल से शुरू की जानी चाहिए, आज हमारे में से भी बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं । केवल इतना जानते हैं कि सड़क पर बांयी ओर चलना चाहिएं । इसके अलावा बहुत सारे नियम बने हुए हैं । इनके बारे में जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए थी नियमों की जानकारी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पायी है । इसके साथ-साथ यह भी सही है मैंने तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में, मांगों पर भी कहा था कि ड्राइवर भी अच्छे नहीं हैं । जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस पहले मिलते रहे हैं वह प्रक्रिया बहुत गलत रही है । ऐसे-ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिये गये जो कि लाइट व्हिकल को चलाने की योग्यता भी नहीं रखता था उनको हैवी व्हीकल का लाइसेंस मिल गया । इसके साथ-साथ कहना चाहता हूं वाहनों की फिटनेस भी वजह रही है । बहुत सी गाड़ियां हैं जो तकनीकी दृष्टि से फिट नहीं होती हैं फिर भी जिनको सड़कों पर दौड़ाते हैं । जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं ।

राजस्थान के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब बिहार की चर्चा कर रहा था, बिहार में रोड़ एक्सीडेण्ट तो कम हैं लेकिन रेलवे के एक्सीडेण्ट ज्यादा हो रहे हैं लेकिन राजस्थान में रेलवे का विकास नहीं हुआ है इसलिए जो परिवहन का भार है वह मुख्य रूप से सड़कों के ऊपर है । इसलिए यहां पर सड़क एक्सीडेण्ट ज्यादा होते हैं और रेल एक्सीडेण्ट बहुत कम होते हैं ।

जिस तरह की सड़कें बनी हुई हैं । जैसा आपसे निवेदन किया कि वाहनों की संख्या 1990 में 9 लाख 60 हजार के आसपास है पर उसके साथ वाहनों के साथ सड़कों का विस्तार नहीं हो पाया है । सड़क उतनी अच्छी और चौड़ी भी नहीं है । इसकी वजह से भी एक्सीडेण्ट बहुत होते हैं राजस्थान में जितने एक्सीडेण्ट होते हैं मैं कहना चाहता हूं कि उन में से आधे एक्सीडेण्ट तो दिल्ली से लेकर अजमेर के बीच में होते हैं । यह जो दिल्ली जयपुर अजमेर की सड़क है इसमें ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है सड़क तो खैर चौड़ी है लेकिन इस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है । इसको फोर लेन करने का सरकार का प्रस्ताव है । आने वाले समय में इसको फोर लेन करेंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेण्ट पर रोक लगेगी ।

एक चालक की लापरवाही से बहुत सारे एक्सीडेण्ट होते हैं । शराब पीकर बहुत सारे लोग वाहन चलाते हैं इससे भी एक्सीडेण्ट होते हैं । इसके साथ वाहन तकनीकी दृष्टि से खराब होते हैं, उसके कारण भी यह होता है ।

माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कुछ स्पेसिफिक सवाल किये कि पिछले 6 महीने में कितनी दुर्घटनाएं हुई ? मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

डा. हरिसिंह : सबसे बड़ी दुर्घटना तो आप लोग राज में आ गये यह हुई है ।

डा. चन्द्रभान : यह दुर्घटना तो आपके लिए हुई है । पिछले 6 महीने में कुल 5262 दुर्घटनाएं हुई, 1806 लोगों की जानें गयीं

(डा. चन्द्रभान)

5929 लोग घायल हुए । इन 6 महीनों में जो आपने पूछा था कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी दुर्घटनाएं हुई । 390 हुई उनमें 121 यात्रियों की मृत्यु हुई, 293 व्यक्ति घायल हुए निगम को 12 लाख 67 हजार का नुकसान हुआ।

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, आपने पूछा था कि क्षति पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था है ? निगम में थर्ड पार्टी जोखिम फण्ड की स्थापना की हुई है । जिसके अन्तर्गत पिछले 10 साल में 6 करोड़ 9 लाख का भुगतान किया है और पिछले 6 महिने में 61 लाख 76 हजार का भुगतान किया है । मोटर एक्सीडेण्ट ट्रिब्यूनल बना हुआ है । उसमें केसेज चल रहे हैं।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट में भी अनुग्रह राशि की एक स्कीम है । उसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे 15 हजार रुपये देने का प्रावधान है जो घायल हो जाता है उसको साढ़े सात हजार देने का प्रावधान है । 1981 से लेकर 1990 तक 66 लोगों को 9 लाख 69 हजार रुपये दिये गये हैं। इस तरह एक योजना है हीट एण्ड रन यह भारत सरकार की योजना है अगर कोई अज्ञात वाहन है वह टक्कर मारकर चला जाता है उससे जो घायल हो जाता है उसको दो हजार और मृतक के लिए 8500 रुपए का प्रावधान है इसमें भी कुल मिलाकर 1982 से लेकर 1990 तक 8 लाख 5 हजार रुपए दिये गये।

इसके साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से कई प्रयास किये गये हैं । विशेष तौर से नयी सरकार आयी है उसके बाद जो प्रयास किये गये हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर दूं । पिछली सरकार ने अप्रेल, 89 से लेकर मार्च, 90 तक कुल मिलाकर 89 हजार 578 वाहन चैक किये हैं और इस सरकार ने पिछले तीन महीनों मे 46 हजार 467 वाहनों की चैकिंग की । 23 हजार 695 का चालान किया गया और 2729 वाहनों को सीज किया है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष चैकिंग अभियान भी चालू किया गया है । सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया 11 जून से 17 जून तक । यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए भी बराबर अभियान चलाया गया । अफसोस इस बात का है कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी है। इस पुरानी सरकार ने उसमें तो 2400 लोगों को सरप्लस कर दिया और ट्रैफिक पुलिस, जहां ट्रैफिक बढ़ गया पिछले 10 सालों में चार गुना 2 लाख 27 हजार वाहन थे अब वह बढ़कर 9 लाख 60 हजार हो गये हैं पर 1979 में जयपुर में जितने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही थे 1990 में भी उतने ही हैं। जयपुर में कितना यातायात बढ़ा है उससे आप सब लोग परिचित हैं।

यातायात नियमों के बारे में अभी चर्चा चल रही थी आप मजाक उड़ा रहे थे । मजाक यहां पर यातायात नियमों का उड़ रहा है । मैं दुपहिया वाहनों का उदाहरण देता हूं हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है लेकिन शिक्षित लोग, समझदार लोग भी हेलमेट नहीं लगाते हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एम. एल. ए. भी नहीं लगाते हैं।

डा. चन्द्रभान : हेलमेट हाथ में लेकर चलते हैं और ट्रैफिक पुलिस का सिपाही दिख जायेगा तो वह लगा लेंगे और नहीं दिखेगा तो हेलमेट उतारकर चल देंगे। इसको अपनी शान-शौकत के खिलाफ मानते हैं। ट्रैफिक रूल को ओबे नहीं किया जाता है। इसके चलते भी दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में सजग है, प्रयत्नशील है। मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि, चूंकि यह सवाल उठेगा....

श्री सभापति : मेरे ख्याल से अब प्रश्नों के जवाब दे देना। काफी रिप्लाई दे दी है।

श्री रतनाराम चौधरी : संतुष्ट हैं, लेकिन इस बात का खुलासा कर दीजिए कि कोई भी ड्राइवर दारू पीता हुआ पाया गया, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

डा. चन्द्रभान : मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक सरकार के पास में ब्रीद एनलाइजर नाम का इन्स्ट्रूमेण्ट नहीं है। उसको यातायात विभाग मंगवा रहा है। जब तक वह नहीं होगा, तब तक हम चैक ही नहीं कर पायेंगे कि कौन पिये हुए है, कौन नहीं पिये हुए है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कितने साल में आ जायेगा ? तीन दिन में ला सकते हैं।

डा. चन्द्रभान : नये बजट में इसका भी प्रावधान है। मैं यह भी कहना चाहूंगा स्पीड चैक करने की मशीन का भी प्रावधान है और बहरोड़, दूदू में एम्बुलेन्स का इन्तजाम भी नये बजट के अन्दर होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पतसिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य ने कॉलिंग अटेंन्शन मोशन दिया है, उनको मौका मिलेगा। माननीय श्री सम्पतसिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बोलिये क्या पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है कि कल अनूपगढ़ के पास कुछ हथियार बन्द पाकिस्तानी टैरेरिस्ट पकड़े गये। यह मामला देश और प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह जो गंभीर मामला हुआ, जो हथियार बन्द टैरेरिस्ट पाकिस्तान से हमारे इस प्रदेश की भूमि पर पकड़े गये हैं, उसके बारे में सरकार की तरफ से वक्तव्य आना आवश्यक है।

श्री सभापति : कल जो समाचार पत्रों में आया है, कृपया नियमों के अन्तर्गत 295 में उठा सकते थे। अभी कॉलिंग अटेंन्शन मोशन है। माननीय सम्पतसिंहजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का मामला है ।

श्री सभापति : आपने जो इन्फोर्मेशन दी है, वह सदन के रिकार्ड में आ गई है । लेकिन इस तरह से मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा (व्यवधान) माननीय श्री सम्पतसिंह जी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु यह जो मामला है, बहुत गंभीर है । यह इतना गंभीर मामला है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप नियमों को पढ़े । कल जो समाचार पढ़ा । आप सूचना देते, नियमों के अनुसार कार्यवाही करके सदन में समय लेते तो अच्छा रहता ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, आप इसको लाइटली मत लीजिए ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह देश और प्रदेश की बातों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है । सरकार की तरफ से स्टेटमेण्ट आना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस सदन का समय समाप्त होने से पहले-पहले, सूचना एकत्रित करके आपको जानकारी दे दूंगा ।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पतसिंह जी ।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिस वक्त मंत्री महोदय अपना स्टेटमेण्ट फरमा रहे थे, पूरे समय वह इस कदर मुस्करा रहे थे, मुझे यह अच्छा नहीं लगा, पूरे सदन को अच्छा नहीं लगा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सो रहे थे ।

श्री सम्पतसिंह : अगर आप किसी के कंडोलेंस में जाकर मुस्करायें तो मेरी समझ में ऐसी स्थिति हो जायेगी जैसी ...सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो आंकड़े दिये इनसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्यों के आंकड़े नहीं होकर कीड़े-मकोड़े के आंकड़े हों । मैं इतनी तो इनकी तारीफ करता हूं कि वे कोई चीज छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ब्यौरेवार सूचना सदन को देने की हिम्मत की है । लेकिन सभापति महोदय, यह प्रश्न सिर्फ आंकड़ों से नहीं सुलझ सकता । आपने पिछले 5 साल के भी आंकड़े बताये, और 6 महीने के, जब हमारी सरकार आई, वह आंकड़े भी बताये । सभापति महोदय, अगर सरसरी तौर पर इनको देखा जाये, एक वर्ष, एक महीना, एक दिन भी ऐसा नहीं है, जिसमें कहीं भी तकनीकी तौर पर हमने । अपनी स्थिति में सुधार करने की बात सोची हो । सभापति महोदय, इसी पवित्र सदन में कोई साल, डेढ़ साल पहले माननीय विपक्ष के नेता, जो सौभाग्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, हमारे सदन के नेता हैं, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न हुई स्थिति पर अपना क्षोभ और दर्द व्यक्त किया था और उन्होंने स्वयं ने, मैं सिर्फ एक पंक्ति कोड करता

(श्री सम्पत सिंह)

चाहूंगा, उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि सन् 1981 से लेकर इस साल के अप्रैल माह के अन्त तक राजस्थान में 40 हजार 24 दुर्घटनाएं हुई हैं। 15 हजार 327 आदमी मर गये, 50 हजार 388 आदमी घायल हुए, 15 हजार 327 आदमी मरे और 50 हजार के लगभग घायल हुए। सभापति महोदय, यह ऐसे आंकड़े लगते हैं, स्वयं उन्हीं के भाषण से, जैसे बंगलादेश में जनरल नियाजी ने इतने हजार आदमियों को सरेन्डर किया हो। मुझे सभापति महोदय, उम्मीद बंधी थी, जब हमारी सरकार राजस्थान में आयी थी कि कम से कम इस मानवीय प्रकरण पर हम मुस्तैदी से काम करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल की यह विकास की प्रक्रिया शनैः शनैः चलती है। लेकिन जहां मानव जीवन और मनुष्य के अलावा पशु और राजकीय सम्पत्ति, यह सारी चीजें, रोज रोज खुर्द-बुर्द होती रहीं, इस नकारात्मक अध्याय पर तो हमें सबसे पहले चोट करनी चाहिये थी। सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह दर्शाने की कोशिश की है कि और प्रान्तों से हमारे प्रान्त में दुर्घटनाएं कम हुई हैं। अब किस भावना से हम यह पूछें आप इस चीज को स्वयं तुलनात्मक अध्ययन, और एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपको मुझसे भी ज्यादा पीड़ा रही होगी लेकिन एक सरकारी तंत्र के हिसाब से आपका यह कहना जैसे कोई आप दुर्घटनाओं को उचित ठहरा रहे हों। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक प्रान्त का उदाहरण देना चाहूंगा। आपने केरल का बड़े जोर-शोर से नाम लिया। आपको मालूम नहीं है कि यह पूरा प्रान्त सड़कों पर बसा हुआ है और इसके बावजूद कितनी वहां की जनसंख्या है, कितने वाहन हैं, आपने तो अपनी कमियों और खामियों पर एक बार भी आत्मावलोकन करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आपने पिछली सरकार को तो कोसा लेकिन हमारी सरकार का आम जनता के सामने दिन-ब-दिन जो इम्प्रेशन आ रहा है, इसके बारे में कल क्या सवाल देंगे, अपनी जनता के लिए। सभापति महोदय, इसी पवित्र सदन में माननीय भैरोंसिंहजी ने आज विपक्ष के नेता नहीं है, सदन के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अपने अपने आदमी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर चलते हैं, और बत्ती ही नही, बड़े-बड़े हूंटे लगाकर चलते हैं। जिस दिन आप मुख्य मंत्री बने थे, हमने जाने-अनजाने में अपने वाहनों पर जो लालबत्ती लगा रखी थी, मैं ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूं, मैंने उसी पल हटा दी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम हमारे मंत्रिमण्डल को उन कानूनों का आज तक पता लगा है या नहीं लगा है। सब लाल बत्तियां लगा रहे हैं, मैं इसलिए मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि कोई तो कानून कायदे अपने हाथ से लागू करें। न लाल बत्ती हटी, न राजकीय मार्गों, और राजमार्गों पर जहां स्पीड ब्रेकर लगे हैं, कहीं तो विभाग ने लगाये हैं, कहीं गांव वालों ने स्वयं लगा लिये हैं, न तो वहां कोई सफेद जेबरा क्रोस, और कोई सांकेतिक निशान लगाये। आज पूरे राजमार्गों पर जैसे चाय पानी की दुकानों से ज्यादा शराब, अफीम, गांजे व भांग की व्यवस्था आपने कर रखी है। आज एक से एक अनियमितता हमारे वाहनों में हो रही हैं। पांच साल क्या हुआ, 20 साल क्या हुआ, यह हमारी

(श्री सम्पत सिंह)

समझ में आता है, लेकिन हम जो संवेदनशील सरकार का जजबा लेकर इस राजस्थान की जनता के सामने प्रस्तुत हुए हैं, 6 महीने हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे।

खास तौर से ऐसे विभाग के बारे में जिसके मंत्री एक नौजवान हैं, जो कुछ कर गुजरने की नीयत से राजस्थान की सरकार में आये हैं। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वह भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। वह कह सकते हैं, जैसे थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी एक आपत्ति जतायी कि यह पुलिस विभाग का मामला है। मैं भी मानता हूं इस बात को कि पुलिस और यातायात विभाग, दोनों में इसकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जितनी भी अनियमितताएं हो रही हैं उनको उस तरीके से आप देखें। सभापति महोदय, मैं राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रहा था। कोई दो साल, तीन साल पहले का वाकया है। एक ड्राइवर ने कम से कम 10 जगह अपनी गाड़ी को टकराया होता, और आखिर में बस्ती के पास तो टक्कर दे ही दी। जैसे-तैसे सवारियों के प्राण बचे। वह ड्राइवर फरार हो गया। सुबह को बहुत बढ़िया रोडवेज के अधिकारी, जिनका ट्रेड यूनियन से भी वास्ता है, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, कम्युनिष्ट पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, गिरीश शर्मा, बहुत नेक इन्सान, आये कि ड्राइवर को माफ कर दो और इसके लिए कुछ पंक्तियां लिखो सिफारिश की नहीं तो इसका रोजगार छिन जायेगा। मैंने कहा, आप सच-सच बताओ, इसकी कितने दिन की नौकरी है? उन्होंने कहा, सच बात तो यह है कि तीन दिन पहले ही यह विभाग में आया है। सभापति महोदय, हम अनजाने में या जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो आपको सबको नहीं पता कि कितनी बेशकीमती जानें राजस्थान प्रान्त में महज इन सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जा रही हैं। और बड़े फख्र के साथ हमारे मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने यह किया हमने वह किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने गैरकानूनी वाहन चल रहे हैं आपने इनके बारे में क्या किया? एक बड़ी तगड़ी लाइट लगायी जाती है जिसमें सामने वाले को कुछ दिखता ही नहीं। आपने ऐसी-ऐसी चीजों को नहीं रोका। आपका यातायात विभाग क्या कर रहा है? आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा है ऐसी चकाचौंध के लिए? सभापति महोदय, पढ़े-लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। आज उपाध्यक्ष महोदय की जान बाल-बाल बची है। इनसे भी खतरनाक दुर्घटनाएं रोज-रोज हमारे यहां हो रही हैं। हमारी सड़कों को एक तरह से मरघट जैसा बना दिया गया है। दिन छिपा हो, सवेरे का वक्त हो, दोपहरी हो, कोई समय आज ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई आदमी यह सोच सकता हो कि दुर्घटना के कोई चांस नहीं हैं। सभापति महोदय, जहां गांव होंगे, जहां चौराहे क्रास होंगे, हमारी सड़कों पर, हमारे राज मार्गों पर कहीं निशान आज की तारीख में आपको नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : अब आप प्रश्न कर लें।

श्री सम्पत सिंह : यह प्रश्न समझ लीजिए चाहे मेरी पीड़ा समझ लीजिए, चाहे

(श्री सम्पत सिंह)

इसे सभी माननीय सदस्यों की पीड़ा समझ लीजिए।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण आपने कर दिया, प्रश्न कर लें।

श्री सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब को तो पूछ लीजिए बेशक आप।

सभापति महोदय, आपने कर क्या रखा है ? 1988 में केन्द्र का कानून बना। उस दिन हम बीकानेर के इलाके में से ही निकल रहे थे। हमारी कमेटी का टूयर था। जीपों में ऊपर-नीचे आदमी चढ़े हुए थे। हमने सोचा, आज यह आखरी दिन है, कल से तो सब अमन-चैन हो जयेगा। बराबर की सवारियां बैठेंगी या यह अवैध वाहन ही नहीं चलेंगे। यह एक्ट भी लागू हो गया, हमारी नयी सरकार भी आ गयी, उसके बावजूद सड़कों पर वही कीड़े-मकोड़े जैसे वाहनों पर चढ़े हुए होते हैं। विदेशी लोग जाते हुए, देखते हुए हंसते हैं। कोई-कोई तो कैमरों में कैद करके ले जा रहे हैं भीड़ को। इस पर फख्र कर रहा है हमारा विभाग कि हमने इतना सप्ताह मनाया, हमने इतने कैसेज पकड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपका ढर्रा क्या प्रशासनिक तौर पर भी बदल गया ? राजधानी के शहर में ही आपके जितने आर. टी. ओ. और बड़े-बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आज क्या वह उन्हीं रिवाजों के तहत नहीं तैनात हो रहे राजधानी में या दूसरे बड़े-बड़े शहरों में ? मुझे शर्म आती है कहते हुए, पिछली सरकार में जो रिवाज चल रहे थे, आज वही नकद-नारायण देकर आपकी बड़ी-बड़ी, की-पोस्टों पर लोग तैनात हो रहे हैं। फिर आप उम्मीद करते हो कि राजस्थान में दुर्घटनाएं कम होंगी ? राजस्थान के इस प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन करने का आप रत्ती भर सोच पैदा नहीं कर रहे। सभापति महोदय, एक कानून नहीं जिसकी धज्जियां हम नहीं उड़ा रहे हों। आज बेहतरीन से बेहतरीन कानून हमारे पास हैं, फिर भी नित नये कानून बनायेंगे, नित नई कमेटियां बनायेंगे। सभापति महोदय, बहुत अचरज की बात है कि एक तो कोढ़ और उसमें भी खाज। ऐसे टण्डीरे आपने सड़कों पर छोड़ रखे हैं जिनमें सिवाय हार्न के सारी चीजें बजती हैं। जाड़े की रातें हैं और पूरी की पूरी खिड़की टूटी पड़ी हैं। उस पर तुर्रा यह कि बस में चढ़ते ही ड्राइवर और कण्डक्टर के ताने सहने पड़ते हैं। आपके खुद के कार्पोरेशन की बसों में अगर कोई दुर्घटना होगी, उसमें आप मुआवजा देते हैं 15 हजार रुपये। अभी रेल के लिए आप कह रहे थे। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिये, रेल हमारे प्रशासन में नहीं हैं। आप अपने अण्डर में ले लीजिए एक साल के लिए रेल प्रशासन को, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान के रिकार्ड को अगर आप नहीं तोड़ देओ दुर्घटनाओं में, तो हम आपके सामने मुंह नहीं दिखायेंगे। रेल की दुर्घटनायें भी इसीलिए बची हुई हैं कि वह आपके प्रभाव के अन्दर नहीं हैं। मैं इसलिए आपसे दृढ़ता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कौनसी चीज हमें नहीं दे रहे हैं। आप विकास की चीज देते हो, नहीं देओ। वह देते रहेंगे धीरे-धीरे जैसी आपकी कुव्वत होगी। लेकिन इन चीजों पर तो करिये। आज एक इन्सपेक्टर से लेकर पूरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक, सभापति महोदय, मुझे शर्म

(श्री सम्पत सिंह)

आती है। अगर किसी बात के लिए कहो तो, यह यातायात विभाग है, यहां इस टेबल से उस टेबल पर फाइल सरकाने के ही पैसे होते हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा वैज्ञानिक सोच है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बात कर रहे हो, यह स्कोप नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : क्या यह स्कोप में नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह स्कोप में है कॉलिंग अटेंशन के ? आप क्या चर्चा कर रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : मैं यह चर्चा कर रहा हूं, अगर यातायात विभाग में.... (व्यवधान)

आपके सर्टिफिकेट से सारी चीजे ओके हो जायेंगी क्या ?

आप समय की बात कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समय की नहीं कह रहा।

श्री सम्पत सिंह : आपके यातायात विभाग में मैं नहीं समझता....

श्री समापति : अब आप प्रश्न कर लें, पहले कह चुके हैं यह।

श्री सम्पत सिंह : अगर वहां बिना तजुर्बे के लोग महज सिफारिशों पर, पैसे के बल पर रोज-रोज कानून की धज्जियां उड़ायेंगे तो चाहे मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को पीड़ा हो, लेकिन पूरे राजस्थान को सबसे ज्यादा दर्दनाक और भयावह स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उससे असहमत नहीं हैं हम, लेकिन कॉलिंग अटेंशन का स्कोप नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : स्कोप कैसे नहीं है, मुझे आप यह बता देओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ लो आप।

श्री सम्पत सिंह : क्या पढ़ लें ? मैं इसमें पूरी बातें तो लिख नहीं सकता था। मुझे बड़ा अचम्भा हो रहा है कि आप मुझे स्कोप के बारे में अपना फतवा दे रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं। सभी माननीय सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि रोज-रोज दुर्घटनायें होती हैं। आपने आखिर विभाग में किया क्या ? आपने पुलिस विभाग में क्या किया ? आज कोई भी अवैध वाहन हो, सरकार की आप बात छोड़ दीजिए, चाहे 15-20 साल का तजुर्बेकार आपका ड्राइवर है, आपने करोड़ों-करोड़ों रुपये कम्पनसेशन के दिये हैं। इस पर आप बंदिश लगाना नहीं चाहेंगे ? आपने वाहनों की संख्या बढ़ाने की बात की। आप छोड़ दीजिए दूसरे सभी प्रान्तों को, आप तो कम से कम नियम बनाइये। आज एवरी टॉम, डिक एण्ड हेरी कोई काण्टेसा क्लासिक खरीदकर ला रहा है, कोई मारुति खरीदकर ला रहा है। आप लगाइये बंदिश कि जब तक आपकी सड़कें छोटी हैं, जब तक आपकी सड़कें पूरी नहीं हैं, आप वाहनों की संख्या क्यों बढ़ने देते हैं ? आप सिर्फ इंजी-

(204)

(श्री सम्पत सिंह)

नियर को अलाउ करिये, डाक्टर को अलाउ करिये, लायर को अलाउ करिये, जर्नलिस्ट को अलाउ करिये, आप विधायक को अलाउ करिये, सांसद को अलाउ करिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : लेकिन एवरी टॉक, डिक एण्ड हैरी, ब्लैक मार्केटियर, आतंकवादी जब सड़कों पर डालेंगे बेहिसाब स्पीड से तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : आप नियम बनाइये। आपने क्यों यह वाहन बढ़ने दिये? आप दूसरे प्रान्तों की बात कर रहे हैं, आप दूसरे देशों को भी देखिये। वहां गवर्नर, वहां राष्ट्रपति की हैसियत के लोग बसों में बैठकर स्वीमिंग पुल जाते थे और आते थे आज जाते और आते हैं। आपको नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं, सभापति महोदय। इसलिए आप अपने सिस्टम पर कण्ट्रोल करिये। कैसे हर कोई आदमी बढ़िया-घटिया कैसा भी व्हीकल लेकर चल रहा है? आप लाइसेंस क्यों देते हैं? ऐसे आदमियों को मत बढ़ने दीजिये।

सभापति महोदय, ऐसे ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि घर से असेम्बली तक आते हैं तो एक किलो के बराबर कार्बन और दूसरी चीजें हमारी आंखों में चली जाती हैं। आपने उस व्यवस्था में क्या किया? मेहरबानी करके इसको अपनी व्यक्तिगत आलोचना न समझें, आप इसको सारे प्रान्त की समस्या समझें। कोई भी राज आ जाय, यही दुर्घटनाएं रहेंगी, यही पाल्यूशन रहेगा, यही करप्शन रहेगा, यही लॉलैसनैस रहेगी, इस तरह की बातें अगर हम भगवान के भरोसे छोड़ते चले जायेंगे तो हमारा जो प्रेजेण्ट लॉ है, चाहे यातायात के बाबत हो चाहे पुलिस के बाबत, उसको हम लैटर और स्पिरिट में लागू क्यों नहीं करते। आप नये कानून बनायेंगे, आम आदमी उनको समझ ही नहीं सकता। आपने नम्बर प्लेटों का ही लहजा बदल दिया। जब तक दुर्घटना वाला आदमी पढ़ेगा या उसका कोई साथी पढ़ेगा आर जे चौदह जीरो पांच, उसके बाद फिर नम्बर, तब तक तो वह व्हीकल पहुंचेगा सिकन्दरा। सभापति महोदय, यह सारी चीजें साधारण आदमी के मुंह से तो बड़ी अटपटी-सी लगती हैं, लेकिन इन्हीं बातों को अगर सदन में चाहे विपक्ष के नेता कहें, चाहे सदन के माननीय नेता कहें, तो वह निश्चित रूप से गम्भीर बातें बन जाती हैं।

लेकिन हम तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारा टोटल सफाया न हो जाए। आपके टेलेंटेड आदमी मर रहे है रोज-रोज, मजदूर मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, मवेशी मर रही हैं। आपके पूरे राज के मालो-सामान की, बसों की, कारों की सबकी, करोड़ों-करोड़ों में डेटा में भी आपको दे सकता हूं। आप से पहले मैं भी चूरा लाया इन डेटाओं को आपके विभाग से। लेकिन इन डेटाओं से मतलब क्या है? आई साल इन डेटा को क्रेम कर लो, मैं क्रेम कर लूं, सदन के सामने प्रस्तुत कर दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं। मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री सम्पतसिंह : जिस भावना से हमने यह पीड़ा व्यक्त की है माननीय मंत्री महोदय उसी भावना से अपने नियमों को लागू करें और हमको तसल्ली है, हमको भरोसा है इसी बात से हमने आपका ध्यानाकर्षण किया है। वरना हम आपको कुछ नहीं समझते, आपकी सरकार को कुछ नहीं समझते तो हम आपके सामने यह याचिका प्रस्तुत क्यों करते, हम आपके सामने यह गुहार क्यों करते। इसलिए हम चाहते हैं जो वर्तमान कानून आपका है उसको कड़ाई से लागू करिये और यातायात के अधिकार हैं, चाहे पुलिस के अधिकार हैं उनको बता दीजिए यह आपका निजी व्यवसाय नहीं है। आप एक वेलफेयर स्टेट के नौकरशाह हैं। उस कानून को अक्षरशः पालन किया जाए। देखिये आमूल चूल परिवर्तन और एकतरफ से अचरजभरा परिवर्तन इन दुर्घटनाओं में होता है या नहीं होता। मैं इन्हीं शब्दो के साथ में यह दुबारा आशा करूंगा की माननीय मंत्री जी जो स्वयं युवा हैं अपने विभाग में, अपनी सरकार में अपने स्वयं का प्रभाव लगाकर और इन दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से अंकुश लगाएंगे वरना आगे से हम यह ध्यानाकर्षण नहीं करेंगे कोई और ही चीज करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री रमाकान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि आबादी के हिसाब से वाहनों का सड़क दुर्घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं से संबंध है वाहन प्रति किलोमीटर। क्या मंत्री महोदय, की जानकारी में हैं केरला से राजस्थान के अंदर जो वाहन प्रति किलोमीटर है वो 1/3 है। दूसरा क्या राजस्थान के अंदर कभी कोई ओवर स्पीडिंग पर चालान हुए हैं और नहीं हुए हैं तो क्या मंत्री महोदय कोई व्यवस्था करेंगे कि ये हाइवेज पर जो ओवर स्पीडिंग होता है उसके बारे में कोई चालान की व्यवस्था करेंगे? मंत्री महोदय ने बताया कि नियमों की लोगों को जानकारी नहीं है। क्या ऐसा इन्तजाम करने जा रहे हैं जिससे लोगों को नियमों की जानकारी हो जाए? मंत्री महोदय ने बताया कि शराब की जो गैस निकलती है उसका एनलाइजर तो उन्होंने नहीं मंगाया लेकिन उससे भी ज्यादा जो परेशानी की चीज है वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साईड निकलती है उससे कितनी दुर्घटनाएं होती है, और कितने लोग मर जाते हैं उसके लिए क्या मंत्री महोदय कोई एग्जास्ट गैस एनलाइजर मंगाएंगे और फिटनेस देते वक्त उस बारे में ध्यान रखेंगे कि जो गैसें निकलती हैं उसके अन्दर किस प्रकार का एनालेसिस है? दुर्घटनाग्रस्त जो गाड़ियां सड़क पर पड़ी रहती हैं जिससे 5-5 घंटे यातायात अवरूद्ध हो जाता है और यह परेशानी आजकल तो रोजाना बनी रहती है। क्या माननीय मंत्री महोदय कोई ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे कोई क्रेन पहुंच सके और तत्काल उनको हटा दिया जाए और जो सारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है घंटों तक जिसकी वजह से बहुत ज्यादा देश का और लोगों का नुकसान होता है, उसके बारे में कुछ चिन्ता करेंगे? क्या जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में कई दफा इंतजार करते रहते हैं, कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सामने से कोई गाड़ी आएगी तब इस आदमी को उठाकर अस्पताल में ले जाएंगे और इतनी देर के अन्दर वो प्राण छोड़ देता है, क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि तुरन्त वहां एम्बुलेंसे पहुंचायी जाए ? इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा नम्बर ऑफ एक्सीडेंट्स बहरोड़ के पास में 25 किलोमीटर में होते हैं । यह टाइम मैगजीन के अंदर छपा हुआ है । वहां पर एक ट्रोमा अस्पताल राज्य सरकार की स्वीकृति से बना हुआ है जिसके अंदर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल उपचार दिया जा सके । 3 वर्ष से उसके अन्दर कोई स्टॉफ नहीं है कुछ भी नहीं है उसके बारे में कुछ ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : एक निवेदन मंत्रीजी से करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न करलें ।

श्री जुबेर खान : जब आजकल नेशनल हाइवे पर चलते हैं तो सभी लोगों ने देखा होगा कि ट्रक इस तरह की लाइट लगाकर चलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि नोट फोर यूज इन यूरोप, लेकिन यहां चलाकर जलाते हैं ताकि सामने वालों को कुछ दिखाई न दे सके । क्या सरकार ऐसी लाइटों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाएगी कि हमारे प्रान्त की सड़कों पर जो वाहन चलेंगे उनको नहीं चलाने दिया जाएगा ? मेरा दूसरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार, यातायात विभाग कब तक, जहां भी स्पीड ब्रेकर्स तक हुए हैं या क्रोसिंग है वहां जेबरा या सफेद पटिटया लगा देंगे ताकि दूर से आने वाला जो नया व्यक्ति सामने से जा रहा हो उसको पता लग जाए कि सामने स्पीड ब्रेकर्स या क्रोसिंग है ? तीसरा मेरा निवेदन है कि कुछ प्रान्तों में यह व्यवस्था है कि मोबाइल ट्रेफिक वैन्स होती हैं जो देखती हैं कि सड़क पर कोई गलत पार्किंग कर रखी है जिससे यातायात में अवरोध होता है या क्रेन मोबाइल होती हैं जो वह देखती है कि कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया है तो जल्दी ही उसको सड़क से हटा दिया जाए ताकि ट्रेफिक नहीं रुके । इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री सभापति : माननीय श्री सिंघल ।

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : मैं कुछ निवेदन माननीय मंत्री महोदय के सामने करना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि राजस्थान परिवहन निगम की बसों में जो फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होती है और कम्पलेंट बुक होती है तो प्रायः बस में फर्स्ट एड बोक्स होता है, कम्प्लेंट बाक्स भी होता है लेकिन वहां न शिकायत पुस्तिका मिलती है और न यात्री के लिए फर्स्ट एड बोक्स मिलता है ।

श्री सभापति : यह कालिंग अटेंशन मोशन की परिधि में नहीं आता है ।

श्री मदन मोहन सिंघल : दूसरी बात यह है कि यातायात सड़क सप्ताह मनाया जाता है उसकी व्यवस्था शहरों तक ही होती है । ना तो यह सप्ताह गांवों में या कस्बों में मनाया जाता है ना ट्रेफिक पुलिस कस्बों में या गांवों में या यातायात की व्यवस्था को

(श्री मदन मोहन सिंघल)

संचालित करने की व्यवस्था उस दिन रखती हैं और एक तीसरी बात यह है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो अवैध वाहनों से होती हैं क्योंकि अवैध वाहन ओवर लोड होकर ज्यादा सवारी लेकर चलते हैं और तेजी से चलते है उनको रोकने के लिए मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) आप लोगों ने कोई कॉलिंग अटेन्शन नहीं दिया।

श्री मदन मोहन सिंघल : ड्राइवर के पास बराबर की सीट पर स्टाफ के लोग बैठते हैं हम सब लोग यात्रा करते समय देखते हैं क्या उनको रोकने के बारे में कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री सभापति : बिराजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, अधिकतर दुर्घटनाएं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि शराब पीने से भी होती हैं। मेरा यह प्रश्न है कि जो हाइवे मार्गों पर ढाबे खुले हुए हैं और अवैध शराब की जो बिक्री होती है उसको रोकने के कुछ उपाय करेंगे ? दूसरा, ट्रकों में ओवर लोडिंग होने से उनका बेलेंस खराब हो जाता है और उसका कोई तोल का कांटा जगह-जगह नहीं होने से एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या सरकार धर्मकांटों की व्यवस्था करेगी ? तीसरा मेरा सवाल है, अधिकतर वाहनों में बैक लाइट नहीं होती इस कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो बैक लाइट की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था होगी ? एक सवाल और है, कई वाहनों में केवल एक ही बत्ती होती है और सामने वाला गुमराह हो जाता है कि स्कूटर आ रहा है और ट्रक से भिड़ जाता है और इस प्रकार से कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये चार सवाल हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपसे दो सवाल ही पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के लोगों ने इसके बारे में काफी सवाल पूछ लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी खुद की आजीविका का धंधा इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात पुलिस को इन्होंने छोड़ रखा है यातायात के नियमों का कड़ाई से पालना हो इसलिए। परन्तु यातायात पुलिस इतनी चौथ वसूली करती है कि वो अपने आप में इतिहास है।

श्री सभापति : एक मिनट। मैं व्यवस्था दे रहा हूं ऐसा है माननीय सदस्य, नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि जिसका जो व्यवसाय होगा उसके बारे में बोल नहीं सकता। इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप बिराजिए। माननीय मंत्री जी। आप नियमों को पढ़कर आएं। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी आप जल्दी अपना रिप्लाई दें।

डा. चन्द्रभान : सभापति जी इस माननीय समस्या के समाधान के लिए माननीय सदस्यों ने कई रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं और कई प्रश्न भी खड़े

(डा. चन्द्रभान)

किए हैं। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़ों के बारे में कहा। क्योंकि यह इन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किया था तभी इनको आंकड़ों की जानकारी दी। और दुर्घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं इसके लिए आंकड़ों की जानकारी देना आवश्यक था। सरकार ने प्रयास किए हैं। यही वजह है कि मई, 1990 में जहां 372 लोगों की राजस्थान में जाने गई जून के महीने में वो घटकर 315 हो गई और

(6·50 सायं)

(श्री हरिशंकर मामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

यातायात विभाग की सफलता भी इसी पर निर्भर करेगी कि आने वाले महीनों में दुर्घटनाएं कम हों और मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हों। जहां तक यह दुर्घटनाओं को बंद करने का सवाल है, मेरी राय में यह कही भी सम्भव नहीं होगा। दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है उनकी ग्रेविटी को कम किया जा सकता है। दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास का सवाल है इसके लिए विभाग ने भी अपनी ओर से प्रयास किए हैं। आपने लाल बत्तियों की चर्चा की है। लाल बत्तियां हटी हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि सब लोगों की हट गई लेकिन बहुत लाल बत्तियां हटी हैं। (व्यवधान) यह सवाल भी है। मंत्रियों के लगी हैं। वो केवल चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, कमिश्नर और होम कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी तथा कलक्टर एवं सेक्रेटरीज में कुछ लोगों के लगी हैं। इसी के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि लाइटस के बारे में सवाल उठा हैलोजिन लाइट्स के बारे में हेलोजिन लाइटस को सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान में और उसके बाद में भी हटाने का कार्यक्रम जारी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ओर हमारी हरियाणा तक सीमा है और एक ओर गुजरात तक हमारी सीमा है, यहां पर केवल हमारे ही ट्रक और वाहन नहीं चलते हैं अन्य राज्यों के ट्रक्स और अन्य दूसरे वाहन भी चलते है उन पर नियम लागू नहीं होते हैं। इसी के साथ में काली बत्ती का जहां तक सवाल है....

श्री सम्पतसिंह : हमारे प्रान्त में घुसते ही उस समय लागू हो सकते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक साथ क्यों बोल रहे हैं आप? आप उनको बोलने दीजिए, समाप्त करने दीजिए उनको।

डा. चन्द्रभान : अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह हमने मनाया और इसके अलावा विशेष चैकिंग अभियान हमने चलाए और इस अभियान के दौरान काली बत्तियां भी की गई...

श्री अध्यक्ष : आप तो उधर देखो ही मत मेरी तरफ देखते हुए बोलो। वह आपको देखकर उत्तेजित होते हैं।

डा. चन्द्रभान : हजारों वाहनों की काली बत्तियां की गई, बैक लाइट देखी गई और केवल वहां वाहनों को ही नहीं यह जो ऊंट लड्डे होते हैं, इनसे भी एक्सिडेन्ट्स होते हैं इनके पीछे भी हमारे विभाग की ओर से बैक लाइट्स लगाई गई। स्पीड ब्रेकर की बात यहां पर उठी, यह बात ठीक है कि सड़क दुर्घटनाओं का सीधा सम्बन्ध यातायात विभाग से है लेकिन इसके लिये दूसरे विभाग

(डा. चन्द्रभान)

भी काफी जिम्मेदार हैं। चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, मेडिकल एण्ड हैल्थ हो और होम डिपार्टमेण्ट हो, स्पीड ब्रेकर्स को ठीक कराने का अभियान अभी जारी है। लोगों में एक धारणा बन गई है कि, गांवों में विशेष रूप से कि जहां कहीं एक्सिडेन्ट्स होते हैं स्पीड ब्रेकर्स बना दो। स्पीड ब्रेकर कैसा बने, उस पर साइन होते हैं उसके कारण से भी कई बार एक्सिडेन्ट्स होते हैं तो हम इसमें सिमेट्रिकल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

अभी यहां पर अवैध वाहनों की चर्चा चली और अवैध निर्माण की भी; यह भी एक्सिडेन्ट्स के मुख्य कारण हैं। जहां कहीं भी बाई पास बनता है उस पर पहले बस्ती जाकर बस जाती है। अब इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मैं आपको भी कोई दोष नहीं देना चाहूंगा। जहां कहीं भी बाई पास होगा, सरकार की यह कोशिश होगी कि आस-पास कोई निर्माण नहीं होने दिया जायेगा।

अवैध वाहनों की आपने चर्चा की, अवैध वाहनों को रोकने के लिए, थोड़ी देर बाद में फाइनेन्स बिल आयेगा, उसमें भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। अवैध वाहनों के लिए लोग कहते थे कि वीडीयो कोच नहीं रुक सकते....

श्री सम्पतसिंह : अब तक कोई नियम नहीं थे अवैध वाहनों को रोकने के लिए?

डा. चन्द्रभान : वह तो बता रहे हैं आपको।

श्री सम्पतसिंह : अब "मोर लाज मोर वायोलेशन" आपके इस नियम की भी धज्जियां उडेंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंहजी अब आप उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री सम्पतसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि इस लच्चर पच्चर मशीनरी से।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये ना-लेट हिम कम्पलीट, प्लीज।

डा. चन्द्रभान : अब आप कहेंगे कि लच्चर-पच्चर मशीनरी हमको तो जैसी मिली है उसी से अभी काम लेना है....

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी से समाप्त कीजिए। मंत्रीजी। आप बैठिए, प्लीज। श्री सम्पतसिंहजी कृपया।

श्री सम्पतसिंह : मैं यों कह रहा हूं कि जैसी मिली है उसी से काम चलाना है यह कोई धर्मपत्नी थोड़े ही है, इनको तो तनख्वाहें देते हैं, इनसे आप काम लेओ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। इनको कम्पलीट करने दीजिए।

श्री सम्पतसिंह : सुधार करिए। आपके बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे नियम हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, इनमें सुधार कर रहे हैं। आप थोड़ा इन्तजार तो कीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप भी इन्तजार नही कर रहे हैं।

डा चन्द्रभान : अवैध वाहनों को रोकने का जहां तक सवाल है सरकार की ओर से प्रयास किए गए है, चैकिंग्स की गई हैं, चालान किए गए हैं, सीज किए गए हैं, कम्पाउण्ड उन पर फाइन किया गया है

(डा. चन्द्रभान)

इससे विभाग की आमदनी भी बढ़ी है । और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 4 महिनों में अवैध वाहनों का संचालन कम हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हू इस सदन को कि आने वाले 2–3 महीनों में परिणाम दिखेंगे कि अवैध वाहन राजस्थान की सड़कों पर नहीं चलने दिए जायेंगे ।

आपने भ्रष्टाचार का सवाल किया, जो एक्टिव पोस्ट हैं उन पर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं । श्री सम्पतसिंहजी, हमारे माननीय सदस्य हैं या अन्य माननीय सदस्यों से मैं आमंत्रण करता हूं, निमंत्रण करता हूं आप किसी के भी खिलाफ स्पेसिपिक शिकायत कीजिए मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा । जिस एक्टिव पोस्ट की बात करते हैं, मैं यह नहीं कहता कि यातायात विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है मैं तो इसको स्वीकार करता हूं। अन्य विभागो में भी भ्रष्टाचार है आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे लेकिन यातायात विभाग में जो "की पोस्ट हैं"....

श्री सम्पतसिंह : अन्य विभागों के मंत्री बूढ़े-बूढ़े हैं आप तो नौजवान हैं आप तो अपने विभाग का आदर्श प्रस्तुत करिए ।

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे कहना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप जल्दी कीजिए, शार्ट कीजिए...

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष जी, मैं इसको शार्ट कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल शार्ट कर दीजिए- There will be no end to it.

डा. चन्द्रभान : सवाल ही कुछ ऐसे उठा दिए थे. ..

श्री अध्यक्ष : देखिए, 7 बज रहे हैं अभी बहुत काम बाकी है।

डा. चन्द्रभान : अच्छा, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

डा. चन्द्रभान : इतना ही विश्वास दिलाना चाहाता हूं कि जो एक्टिव पोस्टिंग मेरे डिपार्टमेण्ट में की गई है उनमें जो हार्ड ओनेस्ट डी. टी. ओ. अधिकारी थे उनको पोस्ट करने का काम किया है आप कल मेरे पास आकर बैठ सकते हैं और उनकी लिस्ट देख सकते हैं। जैसा स्टॉफ था, उन्हीं में से मैंने सैलेक्ट किया हैं ।

इसी के साथ में थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं ओवर स्पीडिंग के लिए कोई चालान नहीं किया गया है, इन्स्ट्रूमेन्ट्स हमारे पास नहीं थे । इसी के साथ में आपने पोल्यूशन का सवाल उठाया । नये मोटर वाहन अधिनियम में पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने की समुचित व्यवस्था है । लेकिन इसके लिए पहले जन चेतना जागृत करनी होगी । केन्द्रीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं कि पहले जन-जागृति पैदा करे अन्यथा हम जो यह छोटे-मोटे वाहन हैं इन पर भी फाइन लगाने

डा. चन्द्रभान)

लग जायेंगे तो स्कूटर पर भी । हजार रुपया फाइन हो जायेगा । इसलिए पहले जनजागृति लायेंगे, पोल्यूशन कन्ट्रोल करेंगे ।

इसी के साथ में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को उठाने के सम्बन्ध में इसी बजट में व्यवस्था हो रही है–हम एक क्रेन खरीदेंगे और एक क्रेन हम किराए पर लेंगे । दो एम्बूलेन्स का इन्तजाम कर रहे हैं। इसी के साथ में एक ट्रांसपोर्ट पार्क बनायेंगे, जो हमारे नेशनल हाइवेज वगैराह हैं, फर्स्ट-एड-बाक्स की शिकायतें मिली हैं इसे दुरुस्त किया जायेगा।

मैं समझता हूं कि इतने जवाब से आप लोग सतुष्ट हो जायेंगे । इसके अलावा आप जो भी सुझाव देंगे ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । आप विराजिए ।

नेक्स्ट । श्री महावीर प्रसादजी ।

राजस्थान के आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में अव्यवस्था

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान, यह जो नर्सिंग आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं उनमें भयकर अनियमितताएं हैं, एफिलिएशन है ...

श्री अध्यक्ष : आप तो ध्यान आकर्षित कर दीजिए फिर आ जायेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजो । माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आयुर्वेद विभाग द्वारा नर्स-कम्पाउण्डर्स के प्रशिक्षण हेतु केवल 3 केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में स्थित हैं ।

इसके अतिरिक्त निजी संस्थाओं द्वारा भी कुछ केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, पंचकुण्ड, धौलपुर

2. भगवती विद्या मन्दिर आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर केन्द्र, भांकरोटा, जयपुर

3. रामचन्द्र आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण संस्थान, बापू नगर, जयपुर ।

भगवती विद्या मन्दिर एवं रामचन्द्र प्रशिक्षण संस्थान बापू नगर, जयपुर, को प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा 20 जून, 1987 को इस शर्त के साथ दी गई थी कि उन्हें केन्द्र को राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी एवं प्रवेश एवं न्यूनतम मापदण्ड के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा । प्रकरण पर पुनर्विचार किये जाने पर राज्य सरकार

212

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ने अपने पत्र दिनांक 14-9-87 द्वारा 20-6-87 को प्रसारित स्वीकृति इसलिए वापस ले ली चूंकि राज्य के अन्दर आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों की पर्याप्त सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध है और अधिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ने की सम्भावना है।

शासकीय स्वीकृति वापस लेने के कारण उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा चुनौती दी जिसका निर्णय 15 दिसम्बर, 1987 को हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के उस आदेश को जिसके द्वारा स्वीकृति वापस ली गई थी, निरस्त कर दिया गया।

यह सही नहीं है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा इन केन्द्रों को केवल एक वर्ष चलाने की अनुमति दी थी। मा. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा था कि यदि विश्वविद्यालय वाजिब कारणों से इन केन्द्रों को सम्बद्धता प्रदान नहीं करता है तो राज्य सरकार उचित कार्यवाही पक्षकारों को अवसर देने के उपरान्त कर सकती है। जिसकी स्थिति अभी तक नहीं आई है। चूंकि इन केन्द्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की हुई है अतः यह केन्द्र संचालित हैं। प्रवेश आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इन केन्द्रों द्वारा अनियमितताएं बरती जाती हैं तथा ये केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं। इस पर इन संस्थाओं का एक समिति द्वारा निरीक्षण करवाया गया। उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया है।

विश्वविद्यालय का कहना था कि सम्बद्धता विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल के परीक्षण के उपरान्त ही की जाती है एवं परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय के माध्यम से ली जाती हैं। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जिन क्षेत्रों में ये संस्थाएं निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों की पूर्ति नहीं करती हैं इसके लिए इन पर दबाव डलवायेंगे और यदि एक साथ नहीं तो चरणों में उसकी पूर्ति हो सकती है।

सभी संस्थाओं में प्रवेश नियमित एवं मैरिट के आधार पर हो सके इस बारे में राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करने के बारे में, नियम बनाने के बारे में विचार रखती है। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित इन 3 संस्थानों में से किसी को भी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः इन केन्द्रों पर राज्य सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है तथापि अपने प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग में इस बारे में जो कुछ भी सम्भव हो सकेगा, राज्य सरकार करने को कृतसंकल्प है।

राज्य सरकार विधि विभाग से इस बात का परीक्षण करवा रही है कि विकट परिस्थितियों में सरकार निजी संस्थाओं के कार्यकलापों में किस सीमा तक हस्तक्षेप

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कर सकती है । श्री भगवती आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र मांकरोटा, जयपुर एवम् रामचन्द्र आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र बापू नगर, जयपुर के विरूद्ध राज्य सरकार को राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के क्रम में एक समिति का गठन दिनांक 4–5–90 को आदेश द्वारा किया जाकर उपरोक्त दोनों केन्द्रों का निरीक्षण करवाया गया । निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 1–6–90 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई जिसके आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 14-6-90 द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों को देखते हुए विश्वविद्यालय को इन केन्द्रों की सम्बद्धता समाप्त करने के बारे में विचार कर निर्णय लेने हेतु लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी । सवाल पूछिए आप, भाषण बिल्कुल नहीं । आप विराजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य से यह अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में अनियमितताएं हुई है । जिन शर्तों के आधार पर इन प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने की अनुमति दी गई थी उन शर्तों की पालना नहीं हो रही है, क्या यह सही है ? क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जो एफिलिएशन दिया हुआ है और जिस प्रकार उनके नियम और शर्तें हैं उनकी पालना नहीं की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि लोगों से 15–15, 20–20, 25–25 हजार रुपए लेकर अनियमित तरीके से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है और उनकी जिन्दगी खराब की जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि पिछले साल जहां एक ओर शिकायतें प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने स्वयं ने माना है, स्वीकृति वापस ली है और माननीय उच्च न्यायालय से जो स्थगन मिला है वह भी कुछ कण्डीशन के आधार पर ही मिला है ? क्या यह भी सही है कि वह इस आधार पर मिला था कि उन्होंने याचिका दी थी कि हमारे यहां पर प्रवेश हमने लोगों को दिया है और क्योंकि हमने प्रवेश दे दिया है इसलिए अब उन छात्रों का भविष्य खतरे में हो जाएगा इसलिए अब इसको रोका जाए । इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने इन शर्तों के साथ कि आप यदि वह नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं तो उनको रोका जाना जरूरी है लेकिन इस कण्डीशन के साथ उन्होंने स्टे दिया था उसके बावजूद भी यह संस्थाएं चलती रही और जो इनमें नियम और आवश्यक बातें जो हैं इन केन्द्रों में, इन बातों की पूर्ति की जानी चाहिए । पचास बैड्स के मरीजों के भर्ती होने की जो सुविधा है वह उसमें होनी चाहिए, वह वहां पर नहीं है क्या यह सही है ? लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग होस्टल होने चाहिए, क्या यह सही है कि उसमें जो कण्डीशन है और वह वहां पर नहीं है ? जड़ी–बूटियों की पहचान करने के लिए बाटनिक गार्डन और प्रदर्शनियां होना जरूरी है और वहां पर यह सुविधाएं नहीं है । वाचनालय और पुस्तकालय वहां पर होने चाहिए, वह सुविधाएं वहां पर नहीं हैं, क्या यह भी सही है ? तीनों वर्ष की अलग-अलग

(219)

(श्रीमहावीर प्रसाद जैन)

कक्षाएं लगनी चाहिए वह अलग-अलग नहीं लगकर के एक जगह लग रही है क्या यह सही है ? यूनिविसिटी द्वारा निर्धारित योग्यता वाले डिमान्सट्रेटर, लैक्चररर्स और प्रिंसिपल्स वहां पर होने चाहिए, वह नहीं है और वहां पर जो इन्सट्रूमेंट होने चाहिए वह नहीं है ? वहां पर सब प्रकार की अनियमितताएं हो रही है और प्रवेश के समय जिन नियमों का पालन करना चाहिए और समिति के सामने आना चाहिए उस समिति के सामने भी किसी प्रकार की मेरिट लिस्ट नहीं आती है। क्या यह सही है कि केवल ये पैसा कलेक्शन करने का और नाजायज केन्द्रों का अड्डा बने हुए हैं और इनको बन्द किया जाना बहुत जरूरी है ? राज्य सरकार ने कई बार इस प्रकार का निर्णय लिया लेकिन राजनैतिक प्रभाव के कारण इसको जारी किया हुआ है। यह एक संवेदनशील सरकार के लिए बिल्कुल अनुचित है। जो यह दावा करते हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार हैं। क्या यह भी सही है कि इनके जो रिजल्ट आए वह जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं उनके विद्यार्थी तो पास हुए हैं और इनमें जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वह ज्यादातर विद्यार्थी फेल हुए हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भर्ती के समय अनियमितताएं हुई हैं उसकी राज्य सरकार को जानकारी मिली है। जो दिनांक 1-6-90 को आपको जांच रिपोर्ट मिली है उस जांच रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमितताएं सामने आई हैं और क्या राज्य सरकार इस पर तुरन्त एक्शन लेने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए मेरे दो-तीन सवाल हैं। निजी क्षेत्र में जो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं उनके बारे में यहां जो प्रश्न किए गए हैं इसके बारे में मेरा एक प्रश्न यह है कि राज्य सरकार को स्थगन आदेश उच्च न्यायालय से दिया गया था तो क्या हमने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को मेटीरियली जो इस तरह का इफेक्ट नहीं होता है और उसमें इस तरह की टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स है कि वहां भर्ती कर ली गई है। इस दृष्टि से कि बच्चों और बच्चियों का भविष्य खराब न हो, स्थगन आदेश दिया गया था तो क्या हमने उच्च न्यायालय में उसको निरस्त कराने के लिए प्रयास किए ? उसके साथ-साथ जिस ढंग का स्थगन आदेश मिला है उसको नाकारा करने की दृष्टि से हम राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उनको भर्ती देकर के उसको नाकारा कर सकते थे क्या सरकार इस तरह से करेगी ? इस तरह के एलोपेथिक साइड में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए तीन सैण्टर्स की इजाजत दे दी गई, उनका भी फ्यूचर खराब हुआ। इस तरह की करप्ट प्रेक्टिस से 20–20, 25–25 हजार लेकर के जो भर्ती किए जाते हैं, क्या इस सम्बन्ध में हम सरकार की ओर से कार्यवाही करेंगे। क्योंकि ये नाजायज केन्द्र चल रहे हैं और क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों में जो पाठ्यक्रम है और जो राजकीय उच्च प्रशिक्षण केन्द्र हैं, उनके पाठ्यक्रमों में कोई अन्तर है ? यदि अन्तर है तो आखिर में हमने किस टर्म्स कण्डीशन्स के आधार पर उनको

(श्री बंशीलाल पटवा)

स्वीकार किया है ? जो हमारी टर्म्स कण्डीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या हम इन केन्द्रों को किसी भी तरह से रास्ता निकालकर के जो ठगी के अड्डे हैं उनको बन्द करेंगे ? यह मेरे तीन–चार प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल धाकड़ (अनुपस्थित)

आप पूछ रहे हैं ? पूछ लीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि इसी से सम्बन्धित आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए 216 पदों के लिए एक विज्ञप्ति राज्य सरकार ने निकाली थी, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 15 जुलाई थी लेकिन चूंकि बाढ़ आ जाने के कारण कुछ लोगों ने निवेदन किया कि इसकी तिथि बढ़ा दी जाए। अब बढ़ाकर वह एक अगस्त कर दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि अब तक जो नियुक्तियां होती रही हैं वरीयता और मेरिट के हिसाब से होती रही हैं। अब इन 15 दिन के बीच में दूसरा बैच भी इन्टर्नशिप करके मैदान में आ गया है (व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है कि अब क्योंकि नया जो बैच आ रहा है उसके पर्सेण्टेज भी हाई हैं क्योंकि हर साल पर्सेण्टेज एग्जाम में बढ़ रहे हैं। पहले बैच के 64 पर्सेन्ट हाइएस्ट थे उस बैच में 50 पर्सेन्ट लोएस्ट थे, अब वाले 74 पर्सेन्ट हाइएस्ट हैं 58 पर्सेन्ट लोएस्ट हैं। तो यह दो-ढ़ाई सौ लोग और जो आ गए हैं उनको भी अब मौका मिल जाएगा और उनमें से भी आधों को मिलेगा जो एक तारीख तक अपनी इन्टर्नशिप पूरी करेंगे तो जो पुराने बैच के लड़के हैं, जो दो साल से बेरोजगार हैं उनके साथ अन्याय होगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो मूल विज्ञापन था तब तक जिन लोगों ने इन्टर्नशिप की थी उन्हीं को आप नौकरी के लिए इसमें कन्सीडर करेंगे या यह 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जो नया आधा बैच आ रहा है और आधा 1 अगस्त के बाद आयेगा उनको भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सहाय : इस वर्ष भी 22 हजार रुपया प्रति छात्र के हिसाब से उप वैद्यों की ट्रेनिंग के लिए दिया गया। क्या इसको रोकने के लिए मंत्री महोदय कुछ निर्णय ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य का प्रश्न है कि दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी हम से मिले। आज आयुर्वेद मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, यह बात उनके विचारार्थ है। उस पर विचार चल रहा है। मैं समझता हूं एक आध–दिन में उसका निर्णय हो जायेगा। जहां तक माननीय सदस्यों का प्रश्न है मैंने पहले निवेदन किया कि जो स्वीकृति दी गई थी। उसको सरकार ने विदड्रा किया तो दोनों ही संस्थायें हाई कोर्ट चली गई और वहां जाने के बाद विदड्रा का आदेश निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के सामने दुबारा जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं

(216)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होता है और जो सरकार अधिकाधिक कर सकती थी, जैसी यह सूचनायें, शिकायतें प्राप्त हुई उसके आधार पर एक समिति का गठन किया। जैसा मैंने निवेदन किया 4–5 को एक समिति बनाई और 1–6 को उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट से हम सन्तुष्ट नहीं थे और यह मानते थे कि यह संस्थायें चलनी नहीं चाहिए, इसलिए 14-6 को विश्वविद्यालय को हमने लिख दिया कि इनकी सम्बद्धता खत्म कर दी जाये। इसके अलावा जो मैंने निवेदन किया इस संस्था पर कोई हमारा प्रशासनिक अधिकार नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, विश्वविद्यालय इनको असम्बद्ध कर देगा तभी इनका उपचार हो सकता है। बाकी सलाह या सुझाव जो आप देवें सरकार नियमों के अन्तर्गत करने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : आप इतना बताइये कि क्या विश्वविद्यालय को डाइरेक्शन देंगे ? विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट डाइरेक्शन देगी कि इस प्रकार की संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी जाये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नियमों में डाइरेक्शन देने का अधिकार होगा तो जरूर देगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तीन साल से अनियमिततायें चल रही हैं एफीलियेशन की भी शर्तें हैं विश्वविद्यालय के लिए। केवल राजनैतिक संरक्षण के कारण यह संस्थायें चल रही है तो इसलिए यह सब कुछ आ जाने के बाद सरकार यह कहे कि हमसे सम्बन्धित नहीं है और हम इसमें डाइरेक्शन दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, ये विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। सरकार ने आपकी पूरी बात मान ली। जितना सरकार के अधिकार में है उसका पूरा प्रयोग करेगी। बिराजिये बात हो गई। सुमित्रा सिंह जी, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन देने हेतु।

(4) भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, भरतपुर को मान्यता

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा निवेदन है कि लिस्ट आफ बिजनैस के हिसाब से जोगेश्वर गर्ग आयुर्वेद राज्य मंत्री, वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा अपने प्रभावों का दुरुपयोग कर भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर को मान्यता दिलाये जाने का प्रयास किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : हो गया पहले वक्तव्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब हो गया ? नहीं हुआ यह अधूरा है साहब।

श्री डूंगरराम पंवार : हो गया अब ज्यादा मत करो।

श्री अध्यक्ष : तीन नम्बर पर है यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पहले नम्बर, साहब।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकश्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा नियम 50 के अन्तर्गत भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मेरा जवाब निम्न प्रकार है :—

माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत भारतीय मेडिकल कालेज भरतपुर के संबंध में, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के वर्तमान में चार कालेज, जयपुर, भरतपुर, अलवर एवं अजमेर में संचालित हैं। जयपुर कालेज में डाइरेक्ट डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम चालू है जबकि भरतपुर एवं अलवर कालेज में ग्रेडेड डिग्री कोर्स तथा डाइरेक्ट डिग्री कोर्स संचालित है। इसके अलावा भरतपुर एवं अलवर कालेज में पूर्व के सत्र में भर्ती किये कुछ डिप्लोमा छात्र भी अध्ययनरत हैं। डिप्लोमा कोर्स में नये छात्रों का प्रवेश राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार बन्द है। अजमेर कालेज में केवल वे कुछ छात्र अध्ययनरत हैं जिन्हें पूर्व में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश दे दिया गया था। इस कालेज में नये प्रवेश नहीं दिये जा रहे हैं। होम्योपैथिक के उक्त चारों कालेज निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, भारतीय होम्योपैथिक मेडीकल कालेज भरतपुर का संचालन भारतीय बाल मन्दिर समिति भरतपुर द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था का पंजीयन दिनांक 7 नवम्बर, सन् 1962 से है। भारतीय मेडिकल कालेज भरतपुर की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। प्रारंभ में यह कालेज होम्योपैथिक का बी.एम.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता था जिसके लिए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड लखनऊ से सम्बद्ध प्राप्त था। संस्था द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस कालेज की प्रबन्ध समिति के जो सदस्य हैं वह इस प्रकार हैं :—

श्री महेश भारती अध्यक्ष, श्रीमती राजमती भारती उपाध्यक्ष, डा. दिनेश भारती सचिव श्री वेद प्रकाश शर्मा कोषाध्यक्ष, श्री बी. के. भटनागर सदस्य, डा. श्रीमती रमा मारोना, सदस्य, डा. मुकेश भारती सदस्य, डा. एस. श्रीवास्तव सदस्य, सी.एम.एच.ओ. भरतपुर सदस्य, डा. वी.के. मिश्रा सदस्य, डा. रमेश चन्द्र सदस्य, सरदार गुरमीत सिंह सदस्य, श्रीमती गीता शर्मा सदस्य, डा. वी. डबल्यू. पाठक सदस्य।

जहां तक माननीय राजस्व मन्त्री श्री नत्थी सिंह का सवाल है, संस्था से उनके सम्बन्ध का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने अवगत कराया कि वे उक्त संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य तक नहीं हैं तथा उनका उक्त संस्था के प्रबन्ध से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास एवं विस्तार के उद्देश्य से एवं इस चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सक आदि का पंजीयन नियमितीकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में एक कानून बनाया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गया जिसे राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल एक्ट 1969 के नाम से जाना जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत 1970 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। भारतीय मेडिकल कालेज भरतपुर द्वारा आवेदन किये जाने पर राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त कालेज को उक्त अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत डी.एच.एम.एस. अर्थात् डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिकल एण्ड सर्जरी कोर्स के लिए दिनांक 18–4–77 से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई। कालान्तर में दिनांक 3-9-81 द्वारा उक्त डी एच.एम.एस. कोर्स के लिए स्थाई सम्बद्धता प्रदान कर दी गई। जैसाकि मैं समझता हूं कि सदन को जानकारी होगी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भारतीय संविधान की करंट लिस्ट में सम्मिलित है, इसके बारे में केन्द्रीय सरकार भी कानून बनाने में सक्षम है। वर्ष 1973 में केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाया जिसको होम्योपैथिक सैन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को राजस्थान में दिनांक 15 सितम्बर 1978 से लागू किया गया परन्तु इसके पूर्व ही दिनांक 29 जुलाई 1974 को राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल एक्ट 1969 में संशोधन किया जाकर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई कि रिकोगनाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन अर्थात् होम्योपैथिक चिकित्सा की मान्य योग्यतायें केवल वही मानी जायेगी जो होम्योपैथिक सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 की द्वितीय तथा तृतीय शिड्यूल्ड में शामिल हैं। राजस्थान बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडीशन का डिप्लोमा अर्थात् डी एच. एम एस. केन्द्रीय एक्ट की द्वितीय सूची में सम्मिलित है। अतः मान्य योग्यता है जबकि ग्रेडेड डिग्री कोर्स तथा डाइरेक्ट डिग्री कोर्स जोकि केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप यह राजस्थान में चलाये जा रहे हैं। अभी तक होम्योपैथिक सैन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं। जबकि इस बारे में यथा सम्भव प्रयास बोर्ड आफ मेडीशन राजस्थान द्वारा किये जा रहे हैं। इस प्रकार ग्रेडेड डिग्री कोर्स एवं डाइरेक्ट डिग्री कोर्स जो कि केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप राजस्थान में चलाये जा रहे हैं, केन्द्रीय और राज्य के अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता योग्य नहीं है। केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत विनियोजित होम्योपैथी मिनिमम स्टेन्डर्ड आफ एजूकेशन रेगूलेशन 1983 दिनांक 11-5-83 से प्रभाव में आये। उसमें यह प्रावधान था कि उन रेगूलेशन्स के लागू होने से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर प्रत्येक होम्योपैथिक कालेज को रेगूलेशन में वर्णित न्यूनतम आवश्यकताओं यानि मिनिमम स्टेण्डर्ड की पूर्ति करनी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त रेगूलेशंस लागू होने के बाद दिनांक 4–7–84 को राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड की एक सामान्य बैठक हुई जिसमें बोर्ड की जानकारी में यह लाया गया कि केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली ने भरतपुर स्थित भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का स्तर कम बताते हुए, उक्त कालेज की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि होम्योपैथी मिनिमम स्टेण्डर्ड ऑफ एज्यूकेशन रेग्यूलेशन, 1983 में यह प्रावधान था कि इन रेग्युलेशन्स के लागू होने के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर-अन्दर कालेजों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। अतः मैं समझता हूं कि केन्द्रीय परिषद द्वारा वर्ष 1984 में ही इस प्रकार की कोई सिफारिश करना उचित नहीं था। अन्ततोगत्वा बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ने केन्द्रीय परिषद की सिफारिश पर दिनांक 4-7-84 को हुई बैठक में विचार किया और विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि—

. भारतीय होम्योपैथिक मेडीकल कालेज भरतपुर का बोर्ड के सदस्य निरीक्षण करें तथा अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

2. राज्य के होम्योपैथिक मेडीकल कालेजों को मान्यता देने अथवा इनकी मान्यता को विदड्रा करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत बोर्ड की है, अन्य किसी को नहीं।

3. केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, दिल्ली द्वारा इस बोर्ड की बिना टिप्पणी के इस सम्बन्ध में एक तरफा निर्णय लिया जाकर भारत सरकार को सलाह देने की निन्दा की। भारतीय होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, भरतपुर जो गत 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और जिसने बिना राज्य सरकार की सहायता से अपना पर्याप्त विकास कर लिया है, की मान्यता विदड्रा करने की सिफारिश आश्चर्यजनक है एवं इसके पीछे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की चाल है। भारतीय होम्योपैथिक मेडीकल कालेज की मान्यता इस बोर्ड से तब तक यथावत रहेगी, जब तक कि बोर्ड इस सम्बन्ध में अन्यथा निर्णय न ले।

तीन निर्णय बोर्ड के मैंने आपको सुनाये। उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में बोर्ड के नौ सदस्यों की एक टोली ने भरतपुर कालेज का उसी दिन यानि दिनांक 4-7-84 को निरीक्षण किया और पाया कि कालेज में बोर्ड के आदेशानुसार प्रति वर्ष प्रवेश दिया जाता है एकाउन्ट्स ठीक प्रकार से रखे जाते हैं, और विद्यार्थियों को पढ़ाने की उचित व्यवस्था है।

मेडीकल बोर्ड के प्रशासक द्वारा उक्त कालेज के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित 4 व्यक्तियों का एक पैनल गठित किया गया :

1. डा. जी. बी. सिंह, प्रिन्सिपल कानपुर होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, कानपुर।

2. डा. करणसिंह, विभागाध्यक्ष, एनाटोमी विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेडीकल कालेज, अजमेर।

3. डा. बी. एस. माथुर, वाइस प्रिन्सिपल, नेहरू होम्योपैथिक मेडीकल कालेज, दिल्ली।

4. डा. एस. आर. डब्ल्यू. निरीक्षक केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस पैनल ने भरतपुर कालेज का निरीक्षण 10–1–86 को किया तथा इस बात की सिफारिश की कि इस कालेज को बी. सी. एच. एम. एस. डाइरेक्ट डिग्री कोर्स संचालित करने के लिए डेड वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी जावे। कुछ ही समय उपरान्त इस संस्था का बोर्ड के प्रशासन एवं रजिस्ट्रार द्वारा भी दिनांक 10–5–86 को निरीक्षण किया गया।

पैनल की सिफारिश पर उक्त कालेज को वर्ष 1986–87 से डाइरेक्ट डिग्री कोर्स संचालित करने हेतु बोर्ड द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि होम्योपैथी शिक्षा में एकरूपता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय परिषद द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1986–87 में यह निर्णय लिया कि राज्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद किया जाकर भविष्य में केवल डिग्री कोर्स में ही प्रवेश दिए जाएं।

वर्ष 1986–87 में ही राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि। इसकी परीक्षाएं बजाय राजस्थान होम्योपैथिक मेडीसिन बोर्ड के, राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित कराई जाए–जिसके लिए दोनों कालेजों को निर्देश दिए गए कि वे विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करें।

चूंकि विगत 18 वर्ष से चली आ रही संस्था को एकाएक बन्द करना एक व्यवहारिक कदम नहीं होता अतः इन कालेजों की परीक्षाएं अभी तक बोर्ड द्वारा ही पूर्ववत् ली जा रही हैं।

यूनिवर्सिटी द्वारा सम्बद्धता न प्रदान करने का मामला भारतीय मेडीकल कालेज ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका द्वारा उठाया, जिस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 21–12–89 को यूनिवर्सिटी को यह आदेश दिए है कि बी. सी. एच. एम. एस. डायरेक्ट डिग्री कोर्स हेतु प्रोविजनल एफिलियेशन दिया जाय।

इसी बीच राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा उनकी सलाहकार समिति के परामर्श पर यह निर्णय लिया गया है कि भरतपुर एवं अलवर कालेजों में भविष्य में डिग्री कोर्स में प्रवेश बन्द किया जाकर, जो छात्र वर्तमान में डिग्री कोर्स में अध्ययन कर रहें, उन्हें डिप्लोमा कोर्स में स्विच ओवर करने के लिए प्रेरित किया जाए। छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। अतः राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को कहा गया है कि व्यवहारिक पहलुओं को देखते हुए तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राज्य सरकार ने भविष्य में नियुक्तियों हेतु केवल डिग्री कोर्स को ही मान्यता दी है, वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री नत्थी सिंह जी पर इस प्रस्ताव में जो आरोप लगाए गए हैं वे सर्वथा मिथ्या एवं निराधार हैं। उनका भारतीय मेडिकल कालेज भरतपुर से कोई लेना देना नहीं है और इस संस्था के पक्ष में अपने प्रभाव के दुरुपयोग किए जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और माननीय सदस्य, मैं

(श्री भंवर लाल शर्मा)

आपको यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने जो जानकारी प्राप्त की उसमें कालेज का झगड़ा कम है यह राजनीतिक झगड़ा ज्यादा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I talk on merits only.

श्री भंवर लाल शर्मा : Why you have come over here that I know. मैं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति चाहता हूं जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसमें मेरिट और डिमेरिट के आधार पर कालेज को चलाने या न चलाने की हो सकती है मैं चर्चा करूंगा नहीं क्योंकि हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है यहां किसी बात को कहने का औचित्य या अनौचित्य को इंगित करने मात्र से केस प्रभावित हो सकता है और वैसी भी....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : हाईकोर्ट में इयूज क्या हैं ?

श्री भंवर लाल शर्मा : केवल यही कि इस को मान्यता दी जाये। इसमें यही एक इस्यू है। वे विश्वविद्यालय से मान्यता मांग रहे हैं। विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं दी इसलिए हाईकोर्ट जाकर उन्होंने यह आदेश लिया है। मामला वहां विचाराधीन है उसके बीच में कोई बात पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यहां से शुरू कर रहा हूं कि मिनिस्टर सेंटेन्स में कन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेण्ट कह रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला पेण्डिंग है और पहले कह रहे थे कि हाईकोर्ट से डाईरेक्शन इश्यू हो गये। एनिपे मैं मिनट्स पढ़ता हूं। मार्च, 84 के अन्दर सेन्ट्रल कोन्सिल ऑफ होम्योपैथिक : "The Council discussed in depth. The report of the Medical Inspector. observations of the Chairman of the Bhartiya Homeopathic Medical College and the report of the visiters was not saftisied with prevailing substandard conditions and inadequate pre-clinical and clinical fac·lities having inadequate staff, equipment & accomodation. In the circumstances the Courcil decided to withdraw recognisation of diploma qualification in regard to the students of the Bhartiya Homeeopathic Medical college, Bharatpur, from the session 1983-84. It was, therefore, decided that under Section 19 of the Homoeopathic Central Council Act, 1973, action should be instituted" यह अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बोर्ड को इन्टिमेट किया है।

श्री रामनारायण विश्नोई (ओसियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 131 (ए) के सब क्लाज 5 में यह मेन्शन किया गया हैं।

"(v) it shall not relate to a matter which has been previously.

(vii) it shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having

(श्री रामनारायण विश्नोई)

jurisdiction in any part of India" यह नोटिस ऑफ कालिंग अटेंशन के अन्दर यह क्वेश्चन जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं वह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, no, it is not pending.

श्री रामनारायण विश्नोई : अगर हाई-कोर्ट के अन्दर मामला पेण्डिंग चल रहा है तो उस हालात के अन्दर यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is not pending. The minister say that the writ has been...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आपने पाईंट आफ आर्डर उठाया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : नियम (3) (ए) सब रूल (7)....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है। मैं समझता हूं कि दोनों प्रकरणों को समझने के बाद जो मेरी समझ में बात आई है वह यह है कि सेन्ट्रल बोर्ड ने डिप्लोमा कोर्स बन्द करने का आदेश दिया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह बन्द करने का आदेश दिया इस लिये डिग्री कोर्स के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एफीलियेशन चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete. The Minister has made the full statement. I have referred to only one decision.

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि आप जो डिप्लोमा की बात कह रहे हैं वह हाई कोर्ट में पेन्डिंग नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिसीजन राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड को कम्युनिकेट हुआ। मैं उस आस्पैक्ट को बाद में टच करूंगा किस के प्रभाव से क्या किया लेकिन राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड ने उस पर कार्यवाही नहीं की। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च 1988 को दुबारा मीटिंग होती है, मीटिंग तो होती रहती है लेकिन यह मसला दुबारा आता है

"The Executive Committee was surprised to know how the State Board has allowed the Bhartiya Homeopathy Medical College to impart education, graded and direct degree courses in addition to diploma i. e., DHMS course, when the Council earlier recommended withdrawal of BHMS qualification in respect of that College. Instead of impressing upon the Bhartiya Homeopathic Medical College to improve its standards, norms and other requirements for imparting training for Diploma courses, the Board has allowed the College to start graded and direct degree courses.

Further, the State Board has not been furnishing the information asked for in the matter. It is, therefore, decided not to recommend inclusion of DHMS Diplema

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

and BHMS graded and direct degree qualifications of the State Board in the IInd Schedule- However, if the Board furnishes information asked for and improves the College upto the minimum standards as laid down by the Council. the State Board may take up the matter again for consideration as per provisions of the Act"

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया कि डिप्लोमा कोर्सेस तो बन्द करना दूर रहा, भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर ने डिग्री कोर्सेस और चालू कर दिये । इस बात का संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान बोर्ड से जितने कालेज एफीलियेटेड हैं...

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मिनट्स पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि जब सेन्ट्रल बोर्ड ने मना कर दिया कि डिप्लोमा कोर्सेस नहीं चलना चाहिये और डिग्री कोर्स के लिए मान्यता होगी इसलिये उन्होंने डाइरेक्शन दिया कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स के लिये एफीलियेशन लीजिये उसका मुकदमा चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड से पढ़ रहा हूं । मिनिस्टर जो कह देगा आप मान लेगें आप रिकार्ड के आधार पर उनसे भी बहस कराओ, मैं भी करुंगा। Either the Minister must say कि मैं फर्जी रिकार्ड पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं वह उन्होंने मान लिया। इसीलिये डिग्री कोर्स के डाईरेक्शन दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं उल्टा उन्होंने डिग्री कोर्स चालू कर दिया । इस में आगे क्या लिखा है साहब, "It is, therefore, decided not to recommend inclusion of DHMS Diplema and BHMS graded and direct degree qualifications of the State Board in the IInd Schebule" सैकण्ड शिड्यूल में पूरे स्टेट बोर्ड से एफीलियेटेड सब कालेजेज के डिस्एफिलियेटेड करने का तय कर लिया उन्होंने । सैकण्ड शिड्यूल में नहीं लेगें। यह 17 मार्च, 1988 की बात है अध्यक्ष महोदय । बामुश्किल आकर के 12 जनवरी, 1990 को बोर्ड ने इस प्रेशर के अन्दर कि अब तो यह स्थिति हो गई है आखिर चार कालेज हैं अध्यक्ष महोदय, कुछ कालेज अपटू दी मर्क भी हैं। सब लड़के डिग्री लेकर घूमाते रहेगें तो मजबूरन होम्योपैथिक बोर्ड ने 12 जनवरी 1990 को तय करके कि आप स्टूडेंट को भर्ती नहीं करेंगे, 1991 में हम एक्जामीनेशन कन्डक्ट नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी को रेफरेन्स हैं:

The University Inspecties, who had inspected Colleges on 28th Acgust, 1989 and 29th August, 1989 have not recommended the affiliation of both the colleges for

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

BHMS course because the Colleges do not fulfil the norms laid down by Central Council of Homeopathy with regard to building, staff and equipment etc-- It has also been pointed out is the report that there is no ex stence of real running indoor hospital which is a must for clinical teaching of students"

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको मान्यता मिले या न मिले, इस मेरिट पर मैं समझता हूं यह हाई कोर्ट में विचाराधीन है

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am coming to that. Let me clarify before the House

श्री भंवरलाल शर्मा : Why do you come ? You canrot come.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Kindly take your seat.

श्री भंवरलाल शर्मा : You cannot come.

श्री जुबेर खान : यह सरकार भी तो नहीं आ सकती है। सरकार कैसे आई ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। Mr. Zuber Khan, plcase, sit down. आप अपनी जगह जाईये। या फिर मत बोलिये वहां से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बड़ा सीरियस डिस्कशन है। मंत्री महोदय को भी थोड़ा तसल्ली रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक बात बताइये। जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या विचाराधीन है, मैं बता रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष : बता दीजिये ताकि यह मालूम पड़ जायेगा कि यह मामला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनके लैटर से प्रमाणित कर दूंगा अभी।

श्री अध्यक्ष : वह बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It has also been pointed out is the report that there is no existence of a real running indoor hospital which is a must for clinical teahing of students The clesure of the Central Council of University has not been received in both the same Resort to recommend that the request of the above college for granting affiliation for DHMS course could not be accepted as they do nor fulfil the norms laid down by the Central Council of Homeopathy and the necessary clearance of the said Council for the purpose has also not been received so far." अब अध्यक्ष महोदय, इनको टेलिग्राम दिया है कि आप स्टूडेन्ट्स को एडमिट मत कीजिये। अब आपका पत्र पढ़ता हूं। राज्य सरकार का पत्र पढ़ रहा हूं। मैं राज्य सरकार का पत्र पढ़ने की अनुमति चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से रूलिंग चाहते हैं मैं समझ तो लूं मामला क्या है

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकारी चिट्ठी तो पढ़ लूं साहब।

श्री अध्यक्ष : देखिये जो मैं समझ पाया हूं वह यह है आपका कहना यह है कि वहां पर सबस्टेन्डर्ड व्यवस्था है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं साहब। अपना कोई लेना देना नहीं है। अपना तो फैक्ट्स रखने का काम है।

श्री अध्यक्ष : तो आप सवाल करिये। **Then you come directly to the question. What is your question ? You ask the question. You frame the question. What is your question ?** आप क्वेश्चन कीजिये। मालूम पड़ जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने जब राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड ने पहले तो दिनांक 12 जनवरी, 1990 को यह निर्णय लिया कि होम्योपैथिक बोर्ड के 17 मार्च 1988 के निर्णय की अनुपालना में भारतीय मेडिकल कालेज भरतपुर को मान्यता नहीं दी जायेगी और आगामी एकेडेमिक ईयर 1990–91 के अन्दर उनका इम्तहान नहीं लिया जाएगा ? क्या यह सही है कि इसके बाद यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान ने भी इस एफीलियेशन के लिए रिक्वेस्ट टर्न डाउन की। क्या यह सही है कि इसी क्रम के अन्दर राज्य सरकार ने एक तार द्वारा भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर को यह सूचित किया कि स्टूडेंट्स को वह एडमिट नहीं करे ? क्या यह सही है कि दिनांक 10-5-90 को राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पत्र रजिस्ट्रार बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसन को लिखा गया।

महोदय, भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर ने राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र देते हुए सूचित किया है कि उक्त कालेज सन् 1972 से चल रहा है तथा सन् 1976 से इसको राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में होम्योपैथिक परीक्षायें राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जायें। उक्त कालेज में सम्बद्धता प्रदान हेतु प्रार्थना-पत्र राजस्थान विश्वविद्यालल को प्रस्तुत कर रखा है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अभी इस कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि प्रार्थी को बी. एच. एम. एस. डाइरेक्टर की डिग्री कोर्स हेतु प्रोवीजनल रिकगोनीशन प्रदान करें। विश्वविद्यालय ने राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि उक्त कालेज को अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा इस कारण सम्बद्धता नहीं दी गई है कि वह सैन्ट्रल काउंसिल एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डों की पूर्ति नहीं कर पाये। सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए बोर्ड को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त कालेज को बी. एच. एम. एस. डाईरेक्ट्रेट डिग्री कोर्स हेतु सन् 90–91 में मान्यता जारी रहे कालेज को निर्देश दिये जा रहे हैं कि जो कमियां हैं, उन्हें अविलम्ब

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ही पूरा करे ताकि विश्वविद्यालय द्वारा इसे सम्बद्धता प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं हो। क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाफ जो रिट की, उसका राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड से कोई सम्पन्ध नहीं है ? क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देना और एफीलियेशन देना अपने आप में एक अलग विषय है और राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड जो कि राजस्थान सेन्ट्रल कांसिल आफ होम्योपैथिक से सम्बन्ध रखता है। उससे सीधा सम्बन्ध है ? क्या यह सही है कि राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड से वापस टेलीग्राम किया कि आप इसमें स्टूडेन्ट एडमिट नहीं करेंगे ? क्या यह सही है कि 8 जुलाई 1988 को एक पत्र फिर लिखा गया....

"I am directed to say that till decision of the application of Bharatpur and Alwar colleges for their affiliation is taken by the University, status-quo may be maintained and affiliation of the Homoeopathy Colleges Bharatpur and Alwar may be continued with the Board. It will also not be proper to stop admission in these colleges till the matter regarding affiliation is finally decided by the University".

क्या यह सही है कि माननीय नत्थी सिंह जी राजस्व मन्त्री इसकी मैनेजिंग कमेटी में निश्चित रूप से मेम्बर थे। एक प्रोस्पेक्टस के अन्दर इनका नाम है। हो सकता है इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया दिया हो यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इनका नाम है आपने जो पढ़ा कि श्री नेत्रपाल शर्मा, डाक्टर वी. के. भटनागर। 5 वे नम्बर पर इनका नाम था। श्री नत्थी सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य वर्तमान सदस्य विधान सभा। या यह सही है कि यह सब कार्यवाही सेन्ट्रल कौन्सिल आफ होम्योपैथिक के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार बोर्ड के ऊपर अनुचित दबाव डाल रही है ? क्या यह सही है कि दिनांक 6 अप्रेल 1990 को "राष्ट्रदूत" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। आपकी अनुमति हो तो समाचार को रेफर करना चाहूंगा कि आप मन्त्री जी वहां पर फंक्शन में गये और आप वहां कहते हैं कि राजस्थान के इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री नत्थी सिंह ने भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भरतपुर का विस्तृत अवलोकन किया तथा कालेज के छात्रों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने स्वयं के प्रयासों से कालेज की प्रगति की सराहना की और शीघ्र ही कालेज को विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के राज्यपाल से भेंट कर विश्वविद्यालय में कार्य करने के तरीकों पर असहमति व्यक्त की तथा शीघ्र ही इसकी कार्य पद्धति को परिवर्तित करने पर बल दिया। आगे उन्होंने कहा कि ये विगत में भी विधानसभा विधायक की हैसियत से भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अब सरकार से राज्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

स्तर पर आगे जो भी प्रयास होंगे यह करूंगा। परन्तु छात्रों के लिए ये सेल्फ एडमिशन है अध्यक्ष महोदय। अब मैंने क्या चार्ज लगाया है अध्यक्ष महोदय जो इन्फेरेन्स है। ये आप जो है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया। अब आप बिराजिये। नहीं। बिल्कुल अलाऊ नहीं करूंगा। नो, नो। आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये, उनका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें आ गये। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए आगे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपने माननीय नत्थीसिंह जी पर आरोप लगाया है। ये आरोप जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल मिथ्या और निराधार है। केवल कोई मन्त्री किसी फंक्शन में चला गया (व्यवधान)

मेरी बात तो सुनिये आप। आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी पर आरोप लगाये उस आरोप के सम्बन्ध में यही आकार बने कि कोई मन्त्री किसी फंक्शन में चला गया। कई बार सब मन्त्रियों की ऐसी स्थिति होती है कि फंक्शन के लिए जनता के ही लोग आते हैं वो कहते हैं कि इस फंक्शन में आओ। जानकारी करने के बाद कई बार फंक्शन में चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारी संस्था को माननीय राजस्व मन्त्री जी से संरक्षण दिया। राजस्व मन्त्री जी के कहने से मान्यता मिली। मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रसंग नहीं आये तो ज्यादा अच्छा है। आपने कोई नई बात नहीं कही है जो वक्तव्य से बाहर है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, विशेष बात करने की आवश्यता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मन्त्री जी आप आप पाइण्ट का जवाब ही नहीं देते हैं। मेरा प्रश्न पाइण्टेड है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके पाइण्ट का ही जवाब दिया। आप कुछ लीजिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं ये। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह चाहते हैं कि हाईकोर्ट में जो मामला है उसके लिए हम डिटेल दें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। मुझे अपनी रूलिंग देने दीजिए। आपने जो पाइण्ट आफ आर्डर दिया, मैंने वो सुना। आपने जो वक्तव्य दिया, वो भी सुन लिया। आपकी बात भी सुन ली।

Now I am in a position to give ruling.

सुन लीजिए आप। मैं मेरी रूलिंग में हूं, मैं कह रहा हूं।

228

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मन्त्री जी ने कहा है .... मैं अपनी तरफ से सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं । नहीं, यह कोई तरीका नहीं है । .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बैठ जाइए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । अब आप मेरी रूलिंग सुन लीजिए । बैठिये अब आप । प्लीज । पहले मेरी रूलिंग सुन तो लो आप । बैठिये एक मिनिट ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वन सबमिशन । रूलिंग के पहले मेरा एक निवेदन सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये पहले । एक मिनट सुनिये । आप विषयान्तर मत होइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आदेश दे रहे हैं कि ये रूलिंग नहीं देंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा है आप अनावश्यक क्रोध मत कीजिए । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । अध्यक्ष महोदय, ये बहुमत से दबा नहीं सकते । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मन्त्रीजी का उत्तर आ गया है । अब शेष कुछ बाकी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये । (व्यवधान)

माननीय विश्नोई जी ने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है । अब आप बिराजिये । मैं खड़ा हूं, अब आप बैठिये । पहले सुन लीजिये । आई विल हियर यू । मैं भूल जाऊंगा सारी बातें ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये । पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, उसको डिस्पोज आफ करना जरूरी है । अब आप जिद्द मत कीजिए । सुन लीजिए पहले आप । आपका मेटर सबजुडिस है या नहीं है । यदि मैटर सबजुडिस है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले । नहीं है, मैं जो कह रहा हूं सुन तो लें । हियर मी फर्स्ट । मैटर सबजुडिस है या नहीं है । यह तथ्यों पर डिपेण्ड करता है । तथ्य जो आये हैं । तथ्य यह आये हैं कि भरतपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की एफिलियेशन का सवाल है राजस्थान यूनिवर्सिटी से ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, साहब मेरा सवाल बोर्ड से है ।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए पहले आप यह बात सही है कि स्थानीय बोर्ड में एक्ट में संशोधन करके और यह स्वीकार कर लिया कि सेण्ट्रल होम्योपैथिक बोर्ड जो बने है वो रूल्स हमारे यहां लागू होंगे मगर जैसा कि मन्त्री जी ने दिया कि इन्स्टीट्यूशनें और दूसरी तीन इन्स्टीट्यूशन्स बहुत पुराने समय से चल रही हैं और इसलिए उनको एकदम समाप्त करना उचित नहीं होगा । सुनिये पहले । हियर मी । मैं जो कह रहा

(श्री अध्यक्ष)

हूं। इसलिए उन्होंने उस कालेज को डाईरेक्शन दिया कि आपके यहां पर डिग्री कालेज होंगे। इसका एफीलियेशन आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से कराइये। यानि राजस्थान यूनिवर्सिटी जब आपका एफीलियेशन कर देगी तब आपको डिग्री कोर्स करने का मौका दिया जावेगा। यह व्यू हुआ गवर्नमेन्ट का। इस व्यू के अनुसार यह डाइरेक्शन दिया गया है। इस डाइरेक्शन में आपने जैसा कि बताया कि यूनिवर्सिटी के इन्सपेक्टर्स गये और उन्होंने यह माना कि वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए में एफिलिवेट करने को तैयार नहीं हूं। इस प्रश्न को लेकर कालेज हाईकोर्ट में गया है कि हमारा एफीलियेशन होना जरूरी है। इसलिए So far as the question of affiliation is concerned....

श्री सुरेन्द्र व्यास : With the University.

श्री अध्यक्ष : राजस्थान गवर्नमेन्ट ने डाइरेक्शन दे दिया है

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट आप विराजें साहब।

श्री अध्यक्ष : अब सुन लीजिये आप। पहले हियर मी। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर यू.... मैं तो बहुत पेशेन्सली सुन रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सर, अलग-अलग इश्यूज हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी सुन तो लीजिये। कोई अलग इश्यु नहीं है। पहले सुन लीजिये। राजस्थान यूनिवर्सिटी एफीलियेट कर देगी। उन्होंने सेन्ट्रल बोर्ड को भी अनुशंषा दे दी है। सेन्ट्रल बोर्ड को भी भेजी है। इनका रिकग्नेशन देना चाहिये। इसका एफीलियेशन हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं और वे अब ये प्रश्न सबजुडिस है। अब सवाल यह है। अब आप बैठिये। मामला यह है कि The matter of affiliation with the Rajasthan University is subjudice. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो डिफरेन्ट इश्यूज हैं, उसको मिक्स अप कर रही है गवर्नमेन्ट।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान यूनिवर्सिटी में एफीलेशन का मामला सबजुडिस है। जिस पर यह डिपेण्ड करता है कि यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको एफीलियेशन देती है तो Board will request the Central Board कि इसका रिकग्नेशन लागू रखा जाय। क्योंकि मैटर सबजुडिस है So the matter is subjudice. I won't allow. Now I don't allow any question on this point.

नैक्स्ट। आप विराजिये। श्रीमती सुमित्रा सिंह। श्रीमती सुमित्रा सिंह। (व्यवधान)

विराजिये आप। अब आप विराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप कैसे नहीं देंगे। यह पत्र लिखा है माननीय नत्थीसिंहजी ने।

(230)

श्री अध्यक्ष : वह कुछ बोले ही नहीं। वह कुछ नहीं बोले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपको लिखा है पत्र, मुझे भी नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह तो बोले ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा। आपने यह पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष : हां तो मंत्रीजी बोले ही नहीं हाउस में। मंत्रीजी हाउस में बोले नहीं। मंत्रीजी हाउस में एक अक्षर नहीं बोले। एक अक्षर नहीं बोले। नहीं। नो सुमित्राजी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष ने लोगों को बिजली कनेक्शन देने के बारे में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठिये, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : बाहर जाइये। बाहर जाइये।

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। माननीय रामकिशनजी, एक मिनट। आप बिराजिये। बैठिये। प्लीज सिट डाउन। अब मेरी सुनेंगे। पर्सनल एक्सप्लेनेशन (व्यवधान)

अब आप बैठिये। डाक्टर हरिसिंह, कृपया बैठिये। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात कहता हूं। आप बैठिये। आप सुनेंगे नहीं। आप सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

सुनिये, सुनिये। अब मैं जो कह रहा हूं सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको सुनना पड़ेगा हमको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं जो कह रहा हूं, सुनिये। आप बैठिये। आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनिये। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बारे में बोल रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बारे में बोल रहा हूं। आप बिराजिये। बैठिये मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गुरु गोविन्द सिंहजी, बैठिये। जमाना बदल गया है, बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : पर्सनल एक्सप्लेनेशन अराइज होता है रूल 273 से। 273 में यदि कोई एलीगेशन इस हाउस में लगायें जायें, जिस मैंबर के खिलाफ एलीगेशन लगाये जाते हैं, पहली बात तो उसमें मनाही है, लगाये जाने नहीं चाहिये, लेकिन प्रोविजो उसमें यह है कि यदि लगाये जायें तो मैम्बर को पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है। माननीय मंत्रीजी ने कोई एलीगेशन माननीय

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य के खिलाफ इस हाउस में नहीं लगाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी सुनेंगे नहीं। This is not the way, Mr. Vyas, I don't think. You have crossed everything. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज प्रजातन्त्र को...

श्री अध्यक्ष : Will you hear me first. Have patience. I am dealing with the law. अब मैं आपको 273 पढ़ कर सुना दूं।

"Procedure regarding allegation against a person–No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

इसीकंटीन्यूशन में आता है 276 पर्सनल एक्सप्लेनेशन। वह कहता है

"Personal explanation—A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise."

Because the Minister has made no allegation against you in this House. Had the Minister made any allegation, I would have allowed you I would have allowed. This is not the allegation. This is a letter given to you by the Minister. Not to the House. He has made no allegation in the House.

Therefore, you may write a a similar letter in reply to that letter of the Minister. But because he has stated nothing in this House, you have got no right to give any personal explanation. Therefore, I don't. allow you.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आपने इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये जो डेफिनेशन दी है, बहुत ठीक है। लेकिन यह लैटर आया है स्थगन प्रस्ताव जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया था उस स्थगन प्रस्ताव पर आपने राज्य सरकार से जवाब तलब किया, वह जवाब आपको भी गया और वह जवाब माननीय सदस्य को मिला, तो यह एक तरह से स्थगन प्रस्ताव पर आया है। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हाउस के अन्दर मैटर एजिटेट नहीं किया गया। May it be It may not have been spoken in the House but now it is the property of the House. It has come in the House.

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां तक पर्सनल एक्सप्लेनेशन का सवाल है, जो तहसीलदार के तबादले के मामले में आज माननीय सदस्य के खिलाफ लाया गया है, उसके लिये माननीय सदस्य को तो, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, अधिकार दिया जाना चाहिये जिससे कि यह अपना जवाब दे सकें कि मैंने ऐसी बात कहीं क्यों।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं ऐसा करूं, आप विराजिये, मैं समझ गया तो फिर I will ask the Minister to charge you. मिनिस्टर ने किया नहीं। क्या बात हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : यानी then I should start a debate which has been prohibited in this House. No debatable question will be brought in this House.

श्री हीरालाल देवपुरा : I have gone through the letter. लैटर में जवाब में आपने लिखा है कि मेरे खिलाफ इसलिये चार्ज लगाया है उन्होंने कि इन्होंने एक तबादले के लिये कहा और वह तबादला नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : This may be your interpretation.

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने आखिर एक प्रस्ताव रखा उसका जवाब सरकार ने दिया जो कुछ हमने लिखित में दिया है उसमें कोई डीफेमेटरी है या आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। मंत्री महोदय ने प्राइवेटली कुछ भी किया तो--It is not the matter of the House.

श्री अध्यक्ष : You have been the Speaker You have honoured this Chair. I just draw your attention to this last sentence of this rule:

"In this case, no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise." अब सवाल यह है कि इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने कोई एलिगेशन लगाया नहीं, वह एज्यूम करते हैं, the debate will start. As soon as he starts his explanation, then the Minister will say that I owe a personal explanation against him. The debate will start and this debate has been prohibited under this

(श्री अध्यक्ष)

rule 276. No such matter should be brought मैं समझता हूं इट इज वैरी क्लियर, और माननीय देवपुराजी, आपका व्यू हो सकता है। मैंने अपना व्यू रख दिया अब आप समझते हैं इस हाउस में आपका व्यू चलना चाहिए, चलाइये। मैंने अपना व्यू रख दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मेरा व्यू चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने आपका व्यू सुन लिया। सुन कर मैंने आपके व्यू का जवाब दिया है....यह डिबेटेबल नहीं होना चाहिए ना–You will agree that no debate should start from the personal explantion.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, या तो आपकी बात को मैं नहीं समझा या मैं नहीं समझा पा रहा हूं या तो मेरी बात को आप नही समझ पाये हैं या मैं उसको एक्स्प्लेन नहीं कर पाया हूं। आपने यह फरमाया कि सदन में यह मैटर उठाया नहीं गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है और स्थगन प्रस्ताव सदन में जो प्रस्तुत हुआ है उसके रेफरेन्स में ही यह जवाब दिया है और यह जवाब जो स्थगन प्रस्ताव के रेफरेन्स में है लेकिन इसको रेफर किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। यदि राजस्व मंत्री महोदय ने यह लैटर लिखा है कि मैं इसमें इण्टर फियरेंस करूंगा–and I will lay ceatain charges against the member. आप मेरी बात सुन लें। राजस्व मंत्री इसमें प्रभारी मंत्री नहीं हैं। वह इसको डील नहीं करते। एज ए थर्ड पर्सन उन्होंने मुझे लिखा कि मुझे कुछ कहना है। इसमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जो मुझे सदस्य है खिलाफ चार्ज के रूप में लगानी पड़ेगी। मैं लगाऊंगा और ही शॉट माई परमोशन। मैंने उनको कहा कि इसकी काप आप मेम्बर को दे दीजिए। यदि आप बोलेंगे तो मैं उनको पर्सनल एक्स्प्लेशन का मौका दूंगा परन्तु राजस्व मंत्री तो बोले ही नहीं। उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। जब वह बोले ही नहीं तो why did you invite everything? और नियम 276 में डिबेटेबल प्रश्न उठाने की मनाही है। डिबेट स्टार्ट हो नहीं सकती इसलिए मैं समझता हूं दी मैटर शुड एण्ड। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने एक पत्र आपको लिख करके सुरेन्द्र व्यास जी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके बारे में एक डाउट क्रिएट कर दिया। इस वास्ते उनको हक है इस बात का कि राजस्व मंत्री जी ने जो डाउट क्रिएट किया है उसके बारे में वह सफाई दें मुझे याद है इसी तरीके से एक बार सदन के नेता, जिस समय वह विरोधी दल के नेता थे, मेरे बारे में अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा था कि मैं इनके बारे में एक सवाल उठाऊंगा कि चन्दनमल जी के भाई इण्डस्ट्री का कोटा लेकर के चन्दनमल जी जो उद्योग मंत्री हैं, का नाजायज फायदा उठा रहें हैं। सदन के नेता जो उस समय विरोधी दल के नेता थे, बोले नहीं। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने यह लैटर

(श्री चन्दनमल बैद)

लिखा है तो इनको बात उठानी चाहिए थी । नहीं तो इनको मेरे बारे में डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने आपको यह पत्र लिख करके माननीय सुरेन्द्र व्यास के बारे में जो डाउट क्रियेट किया है। माननीय सुरेन्द्र जी व्यास को इस बात का पूरा हक है कि वह इसका पूरा जवाब दे चाहे राजस्व मंत्री जी ने इस बारे में कोई बात कही हो या न कही हो ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन है कि चूंकि आपने सब-ज्युडिस कह कर इस मामले को समाप्त कर दिया । मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाये, अपने मोशन में भी लगाये और उसके बाद बोले तब भी लगाये लेकिन सारी बात मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दी और आपने सबज्युडिस कह कर इस मामले को समाप्त कर दिया इसलिए मैं बोला नहीं । अब अगर इस पर डिबेट हो तो पहले मुझे बोलने का समय दिया जाय । पहले मैं पर्सनल एक्सटलेनेशन दूंगा उसके बाद आप बोलें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I won't allow. I do not allow. Under rule 276, I will not allow. The rule is a bar; Mr. Vyas. Now I say, sit down. (Interruption) Again you are taking the Hous to ransom. Don't hold the House to ransom. I say, sit down. I won't allow. This is flagrant violation of law. You are challenging the authority of the Speaker. You are challenging the court of the Speaker. Do whatever you like.

एक माननीय सदस्य : Mr. Vyas is wasting the time of the Hous. He should go out, (व्यवधान)

(विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल, उद्योग मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. जयपुर का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1990-91 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं । (व्यवधान)

विधायी कार्य

राजस्थान वित्त विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । राजस्थान वित्त विधेयक, 1999, श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक सं. 10) को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थिति), श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित), श्रीमती उजला अरोड़ा, राजेन्द्र राठौड़, राजेन्द्र पारीक, श्री प्रेमसिंह दहिया अनुपस्थित) (व्यवधान) प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ? जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ? प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले खण्डशः विचार होगा। खण्ड 2 से 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5, श्री परसराम मदेरणा, सदस्य, विधान सभा संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 8 कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 8 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 8 स्वीकार किये गये।

अधिनियम, सूत्र, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड । अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड । अधिनियम, सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत प्रभार मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1990 पारित किया गया।

राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, श्री भैरोंसिंह शेखावत ।

राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया (अनुपस्थित), श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित) श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे बिक्री कर के सम्बन्ध में कुछ निवेदन सरकार से करना है जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है बिक्री कर और इस कर के मामले में जितनी चोरियां हो रही हैं मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस के ऊपर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए । आज छोटे-मोटे लोगों को, छोटे व्यापारियों को तो हम कभी-कभी पकड़ भी लेते हैं लेकिन जो बड़े उद्योग पति हैं जो बड़े काम करते हैं, उनको निरन्तर हम छोड़ते चले जा रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की नजर में जे के. सिन्थेटिक्स का मामला लाना चाहता हूं । गोटन में एक सीमेंट की यूनिट है जो जे के. सिन्थेटिक्स की यूनिट है । 86– 87 और 85—86 में इस कम्पनी ने सीमेंट बेचा और बेचने के लिए ब्रांच ट्रांसफर के नाम पर करोड़ों रूपयों का घपला किया है । करोड़ों रुपयों का । उसका केस बना । केस बनने के बाद उस केस को अध्यक्ष महोदय, कोटा भेज दिया गया । एक साल का असेसमेंट भी हो गया । करोड़ों रूपयों की चोरी हो गई लेकिन राज्य सरकार आज तक इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है । इसी प्रकार से दूसरा मामला है मोड़क में मंगलम् सीमेंट से भी ब्रांच ट्रांसफर सैट-ऑफ के नाम से करोड़ों रूपयों की गड़बड़ की गई है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की भी आप जांच करवायें और जांच करवाने के साथ ये मामले जिस तरह से दबाये जा रहे हैं, बड़े उद्योगों को जिस तरह से छूट दी जा रही है, सीमेंट की बिक्री जिस तरह से अन्तर्राज्यीय करके टैक्स की चोरी की जा रही है, इस मामले को राज्य सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए । इसी प्रकार से राज्य सरकार ने कुछ अच्छे संशोधन भी किये हैं । जैसे ट्रिब्यूनल के लिए एक समय दिया है । पहले एक साल का समय था वह दो साल का कर दिया । लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये की अपील के दो साल में फैसले नहीं हुये । ट्रिब्यूनल तारीख देते चले गये । आपने केवल दो साल का रखा है टाईम । अगर आपने उस टाईम को नहीं बढ़ाया और इस बीच में स्टे समाप्त हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है । कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए । टैक्सों की चोरी, सैट ऑफ का मामला, इन सैट ऑफ से सरकार क्या फायदा उठाना चाहती है ? मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि आज जो सरसों मिल मालिक खरीदेगा वह रजिस्टर्ड डीलर से खरीदेगा । उसको देना पड़ेगा तीन परसेन्ट टैक्स और रजिस्टर्ड डीलर से कोई दूसरा व्यापारी सरसों खरीदेगा तो उसे देना पड़ेगा चार परसेन्ट टैक्स । अब उस चार परसेन्ट टैक्स लेने के बाद मान लीजिए उसने एक लाख रूपये की सरसों खरीदी अब की साल में और उसकी कीमत हो गई

(श्री रामकिशन)

ड्योढी तो वह डेढ़ लाख रुपये में बिकेगी। तो सैट ऑफ के नाम पर ये मिल मालिक जितना सरकार को टैक्स नहीं देते उतना उससे वापिस ले लेते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार कुछ करने की स्थिति में है? इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, कई इस तरह के विरोधाभास हैं, जो इस कानून के अन्दर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चावल का भूसा, यह पशु आहार में आता है लेकिन कई आपके सरकारी अधिकारी उस पर टैक्स वसूल कर लेते हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है। इसी प्रकार के दूसरे कई मामले हैं। मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश मेरे नजदीक है उत्तर प्रदेश में यह नियम है कि कोई माल राज से बाहर जायेगा या कोई माल राज्य के बाहर से आयेगा तो उसके फार्म नम्बर 31 और 32 दी हैं। उसका लाभ यह होता है कि जब वे नाके से निकलते हैं तो पर्ची को दे जाते हैं और वह उस व्यापारी की फाईल में लग जाती है। राजस्थान में केवल 20-21 वस्तु ऐसी हैं जिन की हमें फार्म के मार्फत भेजने की इजाजत है, बाकी चीजों को चोरी से लाया जाता है। मेरी जहां तक जानकारी है इस प्रकार से करोड़ों रुपयों के टैक्स की चोरी होती है। जिस प्रकार से उत्तरप्रदेश में व्यवस्था है कि जो माल बाहर जायेगा उसके लिए भी फार्म भरा जायेगा और जो माल बाहर से आयेगा उसके लिए 32 नम्बर का फार्म होगा। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी हर माल की प्रविष्टि, जाने वाले एवं आने वाले माल की, अगर कर देगी तो वह व्यापारी की फाईल में लग जायेगा, इससे टैक्स की चोरी नहीं होगी। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सभी मामलों पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करे और खास तौर से ये सीमेंट की यूनिट चाहे वह गोटन की हो, चाहे वह मोड़क की हो। ये बड़े उद्योगों की यूनिट हैं और ये जिस प्रकार की चोरी करती हैं। हमारे राजकीय कोष में पैसों की जरूरत है। हमारा विकास रूका हुआ है। हम स्कूल नहीं खोल सकते। हम सड़क नहीं बना सकते। हम लोगों को पानी नहीं पिला सकते। लेकिन बड़े उद्योग एक-एक साल में 20-20, 30-30 करोड़ रुपये की चोरी कर रहे हैं और आपका विभाग इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने जा रहा है। एक-एकाध मामला पकड़ा भी गया है, जैसे गोटन का मामला पकड़ा भी गया और केस भी चल गया लेकिन उसका असेसमेन्ट हो गया एक साल का जहां तक मुझे जानकारी मिली है। जब फाईनल असेसमेन्ट हो जायेगा तो आप वसूल क्या करेंगे? मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि आज विवाद इस तरह का चल गया कि मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन जिस तरह से आप हाउस चला रहे हैं, उस संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा खास-तौर से माननीय मुख्यमन्त्री जी से कि हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, मर्यादाओं के भीतर रहना पड़ेगा और विरोधी पक्ष के लोग अगर गलत भी कहेंगे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज इसी वजह से मैं कम बोल रहा हूं अन्यथा मैं इसके लिए इतना मैटर लाया था कि करोड़ों रुपयों की वसूला

(श्री रामकिशन)

आप कर सकते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप गोटन के मामले में उत्तर देते वक्त खास तौर से बतायें कि उस मामले को अब तक क्यों दबाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिक्री कर के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये और कुछ आलोचना भी की। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री कर के सम्बन्ध में कानून में भी खामियां हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी खामियां हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि हमने जो कुछ संशोधन किये हैं उससे सारा सिस्टम फूल-प्रूफ हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि सारे सिस्टम को खास तौर से इस कानून के नियमों को और उसकी प्रक्रिया को, उसका पूरा अध्ययन कर यदि इसमें किसी प्रकार के लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को प्लक किया जाए।

मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि आपने इसका अध्ययन किया है तो आपके इस अध्ययन का राज्य सरकार निश्चित रूप से लाभ उठायेगी और इसके साथ ही आपके जो और सुझाव हैं, जो आप आज नहीं बोल पाये हैं, मैं समझता हूं कि आपसे मैं इस सम्बन्ध में सम्पर्क कर जो भी आपके सुझाव हैं, उनको लूंगा और उन सुझावों के आधार पर कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है ? वह निश्चित रूप से संशोधन करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। दूसरा प्रश्न आया गोटन का। इस सम्बन्ध में आप यह कहें कि इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह सकूंगा, यह सम्भव नहीं है। मुझे उसकी डिटेल्स मालूम नहीं है कि किस आधार पर आप बोले हैं और वास्तविकता क्या है ? लेकिन चाहे गोटन हो और आपने मंगलम् सीमेन्ट का जो नाम लिया, चाहे वह हो। इनके लिए सरकार का निश्चित रूप से यह प्रयास होगा कि जिन्होंने गड़बड़ की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा और भविष्य में कोई गड़बड़ करे, वह किसी भी प्रकार से सरकार के हाथ से, कानून के दायरे से बच नहीं सके। इन दोनों मामलों पर मैं आज तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इनको देखकर आपको व्यक्तिशः जानकारी देऊंगा कि इन मामलों में इस प्रकार की स्थिति है। इससे ज्यादा मैं इस समय कहना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न, आपने कहा कि सरकार को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज 11 बजे से विधान सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई और 8 बजे के करीब जीरो ऑवर खत्म हुआ, इससे ज्यादा हमारी पेशेन्स का क्या टेस्ट होगा ? जो प्रश्न 10-10, 15-15 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिये, उनके ऊपर डिबेट हो रही है, उसको भी हमने सहन किया। लेकिन डिबेट के बाद में जब अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को चुनौती करने लग गये तो अध्यक्ष महोदय मेरे तो अकेले के नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को कोई चैलेंज करे और चैलेंज करने के बाद में भी लगातार उसका प्रोटेस्ट ही करता रहे तो सदन के नेता के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, सदन के माननीय सदस्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है। मेरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रतिष्ठा पर आघात हो जाए, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन चैयर को चुनौती देकर उनकी प्रतिष्ठा पर आघात किया जाए तो गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी। एक बार नहीं दूसरी बार व्यवस्था दे दी, तीसरी बार व्यवस्था दे दी और उस व्यवस्था के बाद में भी लगातार खड़े होते जाए तो इस चीज को कौन सहन करेगा? आप स्वयं ही अंदाज लगा लें। जब से हाउस चला है, उस समय से लेकर यदि आप पुराना इतिहास उठाकर देखें तो पुराने इतिहास के अन्दर सरकार ही भागी है और आज यह इतिहास बदला है जिसमें विपक्ष भागा है। मैं भी विधान सभा का कई दिनों तक सदस्य रहा हूं, आखिर के दिनों में विपक्ष से घबरा कर सरकार भागती थी लेकिन यह इन्होंने इतिहास बनाया है इसके लिए तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि सरकार नहीं भागी अपनी पुरानी आदत को इन्होंने फिर पुर्नजीवित किया है इसमें कोई संदेह नहीं है और मैं यह मानता हूं कि सदन में खुली डिबेट हो। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं आप मुझे इस सदन का कोई भी सत्र ऐसा बता दीजिए कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बोलने की कितनी छूट दी है, पूरी छूट दी है। आज भी अध्यक्ष महोदय मैं मोटर वाहनों पर जो टैक्स लगाया था, उस टैक्स में कुछ रियायत करना चाहता था लेकिन वे भाग गये। उसमें उनका विरोध होगा उनसे मैं कह नहीं सकता। अब मै वे घोषणायें नोटिफिकेशन से करूंगा। आप यह विश्वास रखिये मैं नोटिफिकेशन इस सम्बन्ध में इश्यू कर के यह कर देऊंगा। लेकिन कोई यह आरोप लगाये कि सदन में हमने मर्यादाओं को भंग किया, अपोजिशन ने मर्यादाओं को भंग किया वह तो मैंने सहन कर लिया लेकिन कोई ईमानदारी से मन में यह सोचे कि पिछले एक महीने में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बोलने की कितनी छूट दी है?

कितनी बार इन्होंने वाक-आउट किया और वाक-आउट करने का एटमास्फियर नहीं बने, यह तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार एटमास्फियर नहीं बना फिर भी वाक-आउट कर गये। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा, माननीय सदस्यों के बोलने के अधिकार, इसके ऊपर यह राजस्थान के इतिहास में पहली विधान सभा होगी जिसमें सत्ता पक्ष ने किसी भी प्रकार से बहुमत का उपयोग करके उस पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की है। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ गए हैं, उनकी मर्जी से गये हैं। यह तो आपने भी देखा होगा कि जब तक माननीय सदस्य बोल रहे थे। आज आरोप था, नत्थी सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया। मैंने नत्थी सिंह जी की तरफ से और माननीय मंत्री महोदय ने, दोनों ने कह दिया। हमने इनको रोका कि आपको कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इस चीज को भी, पर्सनल एक्सप्लेनेशन वह तो दे सकते हैं जहां आरोप ही नहीं और जिनके ऊपर सीधा आरोप लगाया वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो भाग कर जाएं। अब वह भागने का काम तो उनका है, रोकने का काम मेरी समझ में मेरा नहीं है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से विश्वास रखिए कि सदन के

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ट्रेडिशन्स को, मैं भी आखिर इस सदन की पैदाइश हूं, मैं सदन के बाहर का नहीं हूं, 1952 से लेकर आज तक कुछ समय को छोड़ कर मैं इस सदन में रहा हूं। इस सदन में जिस प्रकार की परम्पराएं, स्वस्थ परम्पराएं पड़ी हैं, उसमें आपका और हमारा भी कान्ट्रीब्यूशन है, और लोगों का भी कान्ट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि वह परम्पराएं उसी प्रकार की बनी रहें लेकिन आपने कभी भी ऐसा मौका देखा है कि मैंने या आपने या सम्पत सिंह जी ने, जगत सिंह जी ने, जो पुराने सदस्य हैं, कभी अध्यक्ष की रूलिंग को इस प्रकार की चुनौती दी कि अध्यक्ष को बोलने ही नहीं दें ? अध्यक्ष खड़े हों तो दस-दस खड़े हो जाएं ? यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो सदन के नेता के नाते इस सदन को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनको जाने के लिए नहीं कहा लेकिन यह अध्यक्ष को चुनौती देकर अध्यक्ष को बार-बार बैठाने की वह कोशिश करें और भाग गए, यह मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे सत्र में मैंने जितनी मर्यादा का और इस सदन में सत्ता पक्ष ने जितनी मर्यादा का ध्यान रखा है, आज तक किसी ने भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। मेला टैक्स के बारे में भी मैंने दो-तीन दिन पहले घोषणा कर दी थी, मैं आज उस पर पुनः घोषणा करना चाहता था लेकिन मैं इतना ही आश्वस्त करता हूं कि उसमें नोटिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया जायेगा और मेरी घोषणाओं को पूरी तरह से उसमें शामिल किया जायेगा। इस आधार पर, अब तो विक्रय कर का मामला है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, विचारार्थ का प्रस्ताव आ गया क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। अभी नहीं, विराजिए आ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय–कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय–कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया गया।

(3) राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित) डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोलूंगी। मैं एक-दो सुझाव देकर मेरी बात खत्म करती हूं कि आपने इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही है, इसका लाइसेंस लेने की बात कही है लेकिन जो किराये पर देगा उसकी बात आपने इसमें शामिल नहीं की, उसको आपको शामिल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लू फिल्म किराये पर देते हैं और दिखलाते हैं उनके लिए आपको सजा का प्रावधान इसमें शामिल करना चाहिए था। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो वीडियो फिल्म दिखाते हैं, वह बच्चों के स्कूल के समय में न दिखलाई जाए। आप देखेंगे कि जो लाइसेंसधारी है या बिना लाइसेंसधारी है वह कोई भी एक कमरा लेकर स्कूल के सामने खोलकर बैठ जाते हैं और जो बच्चे खाने का पैसा लेकर जाते हैं वह वहां जाकर इन फिल्मों को देखते हैं जिससे उनके संस्कार बिगड़ते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इन पर इतना प्रतिबन्ध और लगाया जाए कि बच्चो के स्कूल के समय यह पिक्चरें न दिखाई जाएं। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन (माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश नहीं किया) माननीय श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित) माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया (अनुपस्थित) प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। दूसरा संशोधन पेश ही नहीं हुआ है इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 4—कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किए गए।

खण्ड-5

माननीय श्री रमाकान्त शर्मा, सदस्य विधान सभा संशोधन पेश करेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : छोटा सा है, एक मिनट में, कोई बात नहीं। (व्यवधान) सुन तो लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रावधान है.....

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्षजी, यह भैरोंसिंह जी मुख्यमंत्री हैं या हैड मास्टर है ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री हैं या हैड मास्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ही हूं।

श्री रामकिशन : तो फिर अगर हैड मास्टर हैं तो इनको जरा बाहर करिए। जो बोलते हैं उससे कह देते हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आप हैड मास्टर तो हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस दृष्टि से नहीं हूं पण्डितजी, मैंने किसी को कहा नहीं है। मैंने, जो यह बोल रहे थे....

श्री रामकिशन : आप मंत्रियों को कह रहे हो कि बैठ जाओ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिए, जो बोलना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी, मैंने देखा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने देखा हो लेकिन मैं बता दूं कि यह जब बोल रहे थे तो दूसरे सदस्य आपत्ति कर रहे थे; उनको मैंने इशारा करके कहा कि बैठ जाएं।

श्री सम्पत सिंह : आप हैड मास्टर के लिए हां कह रहे हो तो इधर भी रिंग मास्टर हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रावधान किया गया है कि "The licence shall be non-transferable and shall be deemed to have expired on the death of the licensee." पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लाइसेंस सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए है और लाइसेंस लेने वाले ज्यादातर आदमी गांव के, गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं। वह गरीब आदमी करीब-करीब तीस हजार, चालीस हजार रूपये इसमें लगायेंगे और यदि उस गरीब आदमी की ग्यारह महीने बाद में या दस महीने बाद में मृत्यु हो गई तो वह जो मकान किराये पर लिया हुआ होगा, जिसने इक्यूपमेंट खरीदा हुआ होगा, वह सारा का सारा एक तरीके से उसे बहुत वित्तीय नुकसान हो जाएगा। ऐसे मामले, मुश्किल से कोई दस हजार में एक मामला होगा। राज्य सरकार को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पर वह एक आदमी बिल्कुल बरबाद हो जायेगा। इसलिए मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यहां से लेकर के "shall be deemed to have expired on the death of the licensee" इसको विलोपित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इस उप खण्ड में यह प्रावधान है कि लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होगा अर्थात् लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद सम्बन्धित लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को नया लाइसेंस लेकर ही वीडियो फिल्म को प्रदर्शित करने का अधिकार होगा। अतः विधेयक में दिया गया प्रावधान उचित ही है।

श्री अध्यक्ष : आप इनसिस्ट कर रहे हैं?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं जरा निवेदन कर दूं, अब यदि उसके दो महीने बच गए, दो महीने में तो उसको लाइसेंस दुबारा मिल ही नहीं सकेगा, कलक्टर के चक्कर लगाता रहेगा और बरबाद हो जायेगा वह आदमी। परन्तु राज्य सरकार की ऐसी मंशा है तो मैं खण्ड-5 में दिए गए मेरे संशोधन प्रस्ताव को विदड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रमाकान्त शर्मा, सदस्य विधान सभा को संशोधन प्रस्ताव विदड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 से 14

खण्ड 6 से 14-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 14 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 14 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह : मैं तो वीडियो फिल्म के बारे में निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : और क्या, वीडियो पर ही था यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ब्लू फिल्म पर मत बोलना।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्यों, आज सुबह से ही सदन के नेता महोदय नाराज थे, मुझे खुशी है, अब हंसने लगे हैं तो हमें ज्यादा प्रसन्नता हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बस इतना पर्याप्त है आपका भाषण? बहुत अच्छा है।

श्री सम्पत सिंह : भाषण की बात नहीं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने भी खबर सुनी होगी-एक छोटी बच्ची ने अपने मां-बाप से कहा था, वीडियो पर पति-पत्नी, परिवार के लोग फिल्म देख रहे थे और गलती से उस पर ब्लू फिल्म आ गई। एक

(244)

(श्री सम्पत सिंह)

छोटी सी बच्ची ने कौतूहल जाहिर किया और उस पर सारा सन्नाटा छाया था। दिल्ली में यह खबर छपी थी। अगर हो सके तो मेहरबानी करके, अब नहीं, भविष्य में इस पर बन्दिश लगाने की कोशिश करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मेरा है कि यह जो वयस्कों के लिए फिल्में हैं। उनको कौन सर्टिफाई करेगा इसका प्रावधान करें। अगर वयस्क फिल्में बच्चों को दिखायी जायेंगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सम्पतसिंहजी को ब्लू फिल्म की बड़ी चिन्ता है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें। एक मिनिट बिराजें। आप मेरी उम्र को देखते हुए शायद गलत समझ रहे हैं। इसी सदन में एक माननीय सदस्य बिराजे हैं जो उस समय सदस्य नहीं थे, ने मुझे प्रेरित किया कि आप विडियो फिल्म देखिए। ब्लू फिल्म की बात छोड़िए मैं विडियो फिल्म ही नहीं देखता। विडियो फिल्म की बात छोड़िए मैं बड़े पर्दे पर भी नहीं देखता। आप की बात दूसरी है। अपने पास तो टिकट के पैसे ही नहीं होते। इसलिए इसको बंद ही करें वर्ना युवा पीढ़ी खत्म हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में पहले भी चर्चा हुई है और आज भी माननीय सदस्य ने चर्चा उठायी है। माननीय पंडितजी को भी ब्लू फिल्म से बड़ा विरोध है और इस दृष्टि से कानून के अन्तर्गत इस चीज को रोकने के लिए जो कार्यवाही हो सकती है, निश्चित रूप से की जायेगी। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक 1990 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान (होटलों और बारों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990

प्रभारी मंत्री, विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान (होटलों और बारों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला,.. (अनुपस्थित) श्रीमती उजला अरोड़ा आप जनमत जानने का प्रस्ताव पेश कर रही हैं? बोलना है तो बाद में बोल सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो बात बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : यह बोलने का नहीं है। आप यह प्रस्ताव मूव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। मैं यह पूछ रहा हूं। प्रस्ताव मूव करने का सवाल है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मूव कर रही हूं। नहीं कर सकती हूं, क्या? आपकी आज्ञा हो तो नहीं करूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा कुछ नहीं है। आप मूव करना चाहें तो कर सकती हैं। नहीं करना चाहें और केवल बोलना हो तो आपको तीसरे वाचन पर बोलने का मौका मिल जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है उस समय बोल लूंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कर लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं बाद में कर लूंगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा द्वारा प्रस्ताव पेश नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड व श्री रामकिशन (माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया) श्री प्रेमसिंह दहिया, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे" अनुपस्थित।

प्रश्न यह है कि राजस्थान होटलों और वासों में विलासों पर कर विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार :

खण्ड–दो। श्री रमाकांत शर्मा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें लग्जरी की डेफीनेशन दी है Luxuries provided in a hotel means accommodation and other services such as air-conditioning, coolers, heaters, geyzers, telephones, televisions etc. etc. यह तो सच है कि टेलीफोन, एयर कण्डीशनर, हीटर, सब लग्जरी हैं लेकिन मेनली अकूमडेशन लग्जरी नहीं हो सकती है। यदि इस प्रकार की चीज हो गयी और यह पच गयी तो वह समय आयेगा 10–20 साल के बाद जब सरायों, ढाबों, धर्मशालाओं की जो अकोमडेशन है उसको भी यह समझा जा सकता है कि यह लग्जरी है। मेरा केवल मात्र छोटा सा संशोधन है कि कोस्टली अकूमडेशन होनी चाहिए तो कानून के अन्तर्गत अच्छा रहेगा। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी में अकूमडेशन को स्थान लिखा है जबकि स्थान तो प्लेस होता है। इसमें आवास होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में कीमती शब्द जोड़ने का आपका प्रस्ताव है। कीमती होटल या कीमती स्थान इस प्रकार का संशोधन कर दिया तो कौन सा कीमती होगा और कौन सा नहीं होगा यह विवाद का विषय हो जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस शब्द को जोड़ना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें किराया दिया हुआ है।

श्री रामकिशन : इसमें हिन्दी गलत है, इसका ड्राफ्ट गलत है। यह तो विलासिता होना चाहिए। "विलास" गलत है।

(श्री रामकिशन)

मैं आपकी भावना की वजह से नहीं कह रहा हूं पर विलास होटल कर यह क्या शब्द है ? न कोई व्याकरण है न कुछ है। यह कैसी हिन्दी है।

श्री नत्थीसिंह : लग्जरी की हिन्दी है।

श्री रामकिशन : यह बतायें तो सही। मैं भी कहना चाहता था। हालांकि रमाकान्त जी ने इस बात को दूसरे ढंग से कहा। आपका हिन्दी अनुवाद बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी से इसका अनुवाद किया गया है। मेहरबानी करके शब्दों को दुरुस्त कर लीजिए। विलासिता होती है। विलास पर क्या कर होगा ? विलास की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री रमाकान्त शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड–दो स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

खण्ड–3–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 स्वीकार किया गया।

खण्ड–4

खण्ड–4—श्री सुरेन्द्र व्यास, संशोधन प्रस्तुत करेंगे.... (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–4 स्वीकार किया गया।

खण्ड–5 से 44

खण्ड–5 से 44–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 से 44 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 से 44 स्वीकार किये गये।

खण्ड–एक, अधिनियम सूत्र, नाम आदि–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–एक, अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(होटलों और बासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसकी गलतियां यदि गिनाऊं तो बहुत समय लग जायेगा "विद इन वन ईयर" की जगह धोन ईयर लिखा है और वायलेशन का विलिएशन लिखा है। पेज 13 पेरा 22 इसको तो करेक्ट कर लीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानूनी राय लेकर राष्ट्रपति की अनुमति लेकर बिल पेश किया जाता है। इसमें कोई राष्ट्रपति की अनुमति नहीं दिखलायी गयी है कि अनुमति लेकर इसको पेश किया गया है। मनी बिल में यह आवश्यक होता है इसको आप देख लें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चारपाई, लान या जो कुछ भी होता उसमें 100 रुपए होगा। पर मान लीजिए कोई आदमी ऐसी होटल में ठहरा जिसका किराया 50 रुपए है और उसकी माताजी बीमार हो गयीं और उसने मद्रास टेलीफोन कर दिया, उसको उसका बिल भी जोड़ कर दिया जाय। इस तरह से उस बिल में जोड़े जाने पर भी टैक्स लग जायेगा। मैं इस बिल में पता नहीं किस प्रकार से यह लाया गया है। 100 रुपये तक के निवास को विलास कहा गया है, यह समझ में नहीं आता है। चार सौ, पांच सौ रुपए के कमरे की करते तो मेरे ख्याल से ठीक रहता। सर्किट हाउस में मेरा मेहमान ठहर जाय तो 235 रुपए किराया है उस पर भी टैक्स लग जायेगा। यह कहां से टैक्स आ गया और इसमें तो साधारण जन भी आ जायेंगे। साधारण जन के लिए ही हम सुविधा करने बैठे है तो फिर ऐसा करना चाहिए कि इसमें जो छोटी छोटी सरायें टाईप हैं, जिनको कहना चाहिए धर्मशालाएं हैं उन को भी शामिल करना चाहिए था। अपने लिए पैसा कमाना अर्थ नहीं है। पैसा कमाने के लिए हमारा मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूं कि इसमें आपको सही राय नहीं दी गयी है। इसको माननीय मुख्यमंत्रीजी पुनः देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक हिन्दी में है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है। यदि माननीय सदस्या दोनों को पढ़ने का कष्ट करतीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने दोनों पढ़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दी में तो गलती नहीं है ना ? अंग्रेजी में अनुवाद है उसमें यदि माननीय सदस्या कोई गलती बता रही हैं तो उसको दुरुस्त कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है और कोई बात ऐसी नहीं है जिस का मुझे जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगला बिजनेस लें उससे पहले मुझे सुन लीजिए। यह बिल तो पास हो गया आपका।

(248)

श्री अध्यक्ष : मामला ले रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : इससे पहले...

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं ? पहले बिजनेस तो आने दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : सारे पास हो जायेंगे तो मैं क्या बोलूंगा ? इसलिए पहले मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बोल किस पर रहे हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : पाईंट आफ आॅर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पाॅईंट आफ आॅर्डर पर जरूर बोलिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पक्ष की तरफ से × × × हो रहा था तो उर्जा मंत्रीजी का वक्तव्य आना था। बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने कोई प्रायोरिटी तय की है उस पर एक स्टेटमेण्ट आना था और वह बहुत महत्वपूर्ण था। मंत्री महोदय ने क्या कहा वह हम को सुनाई नहीं दिया। या तो वह दुबारा सुना दिया जाय तो सदन की शंका दूर हो जायेगी और उस पर कुछ कहने की स्थिति होगी तो हम कह भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं यह विधेयक पारित करा लूं। उसके बाद सदन की इच्छा जान लूंगा। आप सब की इच्छा होगी तो विचार कर लेंगे (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह कोई नया विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां हो गया। व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा सेपरेट मामला है, अध्यक्ष महोदय। मैंने सदन के अन्दर अनुपगढ़ में जो पाकिस्तानी आतंककारी पकड़े गये थे, जिनके बारे में वक्तव्य देने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी से प्रार्थना की थी। आपने यह भी कहा था कि आप इस बात के लिए सदन का समय समाप्त होने से पहले ही वक्तव्य दे देंगे। आपका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त गंभीर मामला है, इसलिए इस पर ध्यान दें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आपके सामने जो बिजनेस पैंडिंग है....

श्री अध्यक्ष : बिजनेस नहीं बिल है। यह प्रश्न जो आ रहे हैं, बिल पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे सामान्यता पाईंट आॅफ... क्या पढ़ रहे हैं, आप।

श्री सम्पतराम : मैं स्टेटमेण्ट दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आतंककारी पकड़े गये हैं, इस बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल पास करने के बाद में ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां यही, तो मैं कह रहा हूं। फिर बिजली वाला मामला है, आपका स्टेटमेण्ट है, तीनों मामले आप बैठकर तय कर लीजिए। मैं बिल पास होने के बाद आप लोगों की इच्छा जान लूंगा (व्यवधान) मैं बिल पास होने के बाद सदन की इच्छा जान लूंगा। आप चाहेंगे तो तीनों आ जायेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990

प्रभारी मंत्री।

श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, उपनिवेशन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी, श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा, विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपने कहा है केवल एक थोड़ी सी बात यह है कि आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि बिना मन्जूरी के जो जमीनें बेची जाती हैं उनके ऊपर बड़ी भारी पैनल्टी लग रही है। तो उसमें तो माननीय मंत्री महोदय अमेण्डमेंट ला ही रहे हैं जैसा सभी चाहते हैं लेकिन उसके साथ एक और गड़बड़ यह हो रही है कि जिस वक्त यह कानून बना था उसके पहले यानि 55 के लोग भी जब जमीनें बेच रहे हैं बिना मन्जूरी के, उन लोगों को भी नोटिस दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है तो इसमें निवेदन करूंगा कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि यह कानून बनने से पहले जो लोग अपनी खातेदारी जमीन बेच रहे थे उनको परेशान न किया जाए, यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव तो नहीं रख रहे हैं ना।

(श्री लालचन्द डूडी, श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया गया। श्री जी पारण के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, उपनिवेशन): अध्यक्ष महोदय मैं, प्रस्ताव करता

250

(श्री देवीसिंह भाटी)

हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा अपना प्रस्ताव रख रही हैं ?

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहना चाहती हूं। मेरा कहना यह है कि 1894 का अपना कानून है और सब स्टेटों में यह लागू हो गया है। जब यह केन्द्र का कानून आ गया, तो राज्य का कानून समाप्त हो गया। मेरा कहना है कि 1982 में यह कानून लाया गया था, और इसमें प्रेसीडेण्ट की सहमति, या मैं गलत कह रही हूं, नहीं ली गई थी। तो यह है, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990, तो मान्यवर इस प्रकार से यह केस कोर्ट में चेलेन्ज किया गया और इसको दुबारा लाने की जरूरत पड़ी, बात तो इतनी है। लेकिन अवाप्ति के बारे में एक बार सोचना चाहिये। अगर आप यह दोनों बिल एक साथ ले लेते, तो बहुत आसान हो जाता मेरे लिए भी, और सब के लिए भी। आप जयपुर वाला भी लाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों पर एक साथ ही विचार हो जाता। तो मंत्री महोदय बतायें कि आप इस बारे में जो पिछली गल्तियां हुई हैं, उनको सुधारने के लिए क्या करेंगे मैं यही निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित) मन्त्री जी बोलिए।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट तो पहले पास हुआ था। यह हिन्दुस्तान का कानून आया उसके अन्तर्गत यहां भी संशोधन हुए लेकिन राष्ट्रपति की उसमें इजाजत नहीं ली गई। फिर ये गये हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उसको स्टे डाउन कर दिया। हम केवल इतना चाह रहे हैं कि वह जो गलती रह गई उसको रेक्टिफाई करके दुबारा से पढ़ा जाए।

श्री सम्पत सिंह : अब तो विपक्ष की चिन्ता छोड़ो, अब तो आराम से बोलो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने आलस्य के वशीभूत होकर या जानकारी प्राप्त होते हुए भी कार्य नहीं किया उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। जिन्होंने राज्य सरकार को इस पोजीशन में लाकर रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पारित किया गया ।

विधेयक पर विचार

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन दोनों ही बिलों में यह गलती हुई है । जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में मेरी यह राय रही है, जो उन्होंने क्रिया-कलाप किये हैं उसके कारण उसको भंग कर देना चाहिये, वह वास्तव में अस्तित्व में रखने के काबिल नहीं है । उन्होंने यह राय देकर कि अमुक जमीन को अवाप्ति से मुक्त किया जाये, यहां तक कहकर पिछली सरकार से अनेकों ऐसी जमीनें जो राजकीय कार्यों के लिए अवाप्त की गई थी, उनको मुक्त कराया है । मैं समझती हूं, वह प्रकरण अभी जीवित जागृत है । इसी प्रकार आप किसी की जमीन एक्वायर करने के लिए धारा 17 की उपधारा 3 (ए) के अन्तर्गत यह संशोधन ला रहे हैं । इस संशोधन में आपने यह रखा है कि तीन महीने के अन्दर आप उसका पैसा चुका देंगे, लेकिन यह कहीं नहीं रखा कि 1985–87 से मय ब्याज के पैसा चुकायेंगे क्योंकि मूल्य बढे हैं, या अवाप्त करने के बाद उनको पिछली रेट से पैसा चुकायेंगे । मैं यह नहीं समझ पा रही हूं । इस अवाप्ति की सारी गड़बड़ के बीच में जब लोगों को मालूम पड़ गया कि यह कानून अभी अस्तित्व में नहीं है तो उन्होंने उस जमीन पर मकान बना लिये या कोई और स्ट्रक्चर उड़ा कर लिया, तो क्या आप उन्हें तोड़ेंगे ? मान्यवर, आप अपना उत्तर देते वक्त यह बतायें । इसी के साथ मैं प्रस्ताव करती हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

252

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारण के लिए मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 पारित किया गया।

सवाल यह है कि जो दो वक्तव्य माननीय मंत्रीजी और एक माननीय सम्पत राम जो दे रहे हैं उनको लिया जाय, आपकी सहमति है ?

(स्वीकृत)

माननीय श्री सम्पत राम।

शासकीय वक्तव्य

पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी मुकदमा नं. 229/90 तारीख 23-7-1990, धारा 2,4, व 5 टाडा एक्ट व धारा 25 इण्डियन आर्म्स एक्ट, थाना अनूपगढ़ जिला गंगानगर की तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:—

दिनांक 23-7-1990 को पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी का एक मामला गंगानगर पुलिस ने सूत्र की सूचना पर पकड़ा, जिसमें पंजाब के तीन आतंकवादी गिरफ्तार किये गये व तस्करी कर लाया गया निम्न माल बरामद किया गया:—तीन ए. के 47 राइफल, 12 मैगजीन, 1484 कारतूस, एक टैंक को उड़ा देनी वाली सुरंग (एण्टी टैंक माइन), दस किलो प्लास्टिक विस्फोटक, दस पैकेट डिटोनेटर तथा 12 मीटर विस्फोटक तार।

जिस समय इन्हें भारत-पाक सीमा पर से लगभग चार किलोमीटर दूर गांव अट्ठाइस-ए के पास गिरफ्तार किया गया उस समय जसविन्दर सिंह के पास लोड की हुई एक ए. के. 47 राइफल मय मैगजीन व रू. 4900/–, गुरजट सिंह के पास दो कारतूसों से भरे मैगजीन व रू. 508 नकद तथा अजीत मसीह के पास एक कारतूसों का मैगजीन व रू. 204/– थे।

थाना अनूपगढ़ पर मुकदमा दर्ज करने के बाद इनसे गहन पूछताछ की गयी तो इन्होंने बताया कि दिनांक 17-7-1990 को

(श्री सम्पत राम)

ये सीमा लांघ कर पाकिस्तान गये थे व पाक रेंजर पोस्ट 241-एल पर इन्हें इनके गैंग लीडर सुखविन्दर सिंह ने ये हथियार दिलवाये, जिन्हें लेकर ये दिनांक 22-7-90 की रात को भारत की ओर रवाना हुए। बी. एस. एफ. पोस्ट कैलाश व मजनू के बीच से गांव 33-ए. पी. डी. में एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के पास रुके। यह क्षेत्र घग्घर नाली का है व कई मीलों तक घुटने व कमर तक पानी भरा हुआ था। उपरोक्त हथियार एक किसान के फार्म से गुड़ बनाने के कढ़ाव में रखकर पानी में तैरा कर पाकिस्तान से गांव 33-ए. पी. डी. तक लाये थे। कुछ हथियार अपने साथ लिये व शेष हथियारों को एक पेड़ के ऊपर बांध कर गांव 28-ए पहुंचे, जहां पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। गांव 28-ए पहुंचने से पहले गैंग लीडर सुखबिन्दर सिंह इन्हें छोड़कर अलग ही चला गया था व हथियार पंजाब ले जाने की व्यवस्था करने को कह कर गया था। पुलिस ने सुखबिन्दर सिंह की तलाश के लिए अलग व्यवस्था की है व गिरफ्तार किये गये मुलजिमान की निशानदेही से बकाया हथियार व विस्फोटक पदार्थ बरामद किये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है उनको प्रोत्साहन दिया जाय या प्रमोशन दिया जाय।

श्री सम्पत राम : वैसे तो सभापति महोदय, यह पुलिस का अपना कर्त्तव्य है। फिर भी जो अच्छा कर्त्तव्य करता है उनको गवर्नमैण्ट कोई न कोई इनाम देगी।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, पिछली बार बस के पास घूमते हुए एक तमंचा पकड़ लिया गया और एस. पी. को इनाम दे दिया कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी। यह तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसमें तो अच्छी इनाम देनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह सुनने में आया है कि एक गैंग है जो भारत-पाक सीमा पर हथियारों की तस्करी और कुछ अवैध हथियार पंजाब में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए एक विशेष दस्ते का गठन किया जाना चाहिए जो पूरे मामले की पूरी तरह से तहकीकात करे, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सफेदपोश लोगों का भी हाथ पाये जाने की वहां चर्चा है। पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए विशेष दस्ते का गठन करके मामले की जांच करायी जाय।

श्री सम्पत सिंह : और इस कमेटी में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : क्यों? यह सफेदपोश नहीं हैं इसलिए? सभापति महोदय, पुलिस ने जो हथियार जब्त किये या कुछ टैररिस्ट्स को पकड़ा है और उसकी सदन ने प्रशंसा की, उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूं। मैं निवेदन चाहता हूं कि यह पहली घटना नहीं है, इस प्रकार का तीन घटनाएं और हो चुकी हैं। मैं

(८५५)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मन्त्री बना था उसके कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया था। तुरन्त मैं गंगानगर गया और गंगानगर जाकर उन सब को पब्लिक सामने पारितोषिक दिया, उनकी पीठ थपथपायी। एक घटना उसके बाद हुई, जिसमें इसी प्रकार हथियार पकड़े गये। आज जो हथियार पकड़े हैं, निश्चित रूप से आपकी भावना के आधार पर उनको जो भी उचित पारितोषिक दिया जा सकता है, वह दे दूंगा।

माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इस तरह तस्करी का माल लाने-ले जाने में कुछ लोग सक्रिय हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पुलिस भी सक्रिय है। यह उनकी सक्रियता का ही परिणाम है जिसके आधार पर यह सब लोग गिरफ्तार किये गये।

मैं इसके साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि माननीय प्रोफेसर केदार आये थे सुबह। इसके साथ कुछ मान गुट के लोग और बाकी के लोग एक प्रतिनिधि-मण्डल के रूप में मेरे पास आये थे। समाचार पत्रों में और बाकी की गोपनीय रिपोर्ट्स के आधार पर जो चर्चा चल रही है कि वहां पर पंचायतें बैठकर मुकदमों का निर्णय करा रही हैं, उन्होंने, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बातचीत में पूरी तरह आश्वस्त किया है कि अब इस प्रकार की पंचायतों की बैठकें नहीं होंगी। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार हम इस समस्या का समाधान भी कर लेंगे।

श्री सम्पत सिंह : नेवर महोदय, वित्त विधेयक पास होते ही एक परम्परा और चली आ रही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भोजन के लिए निमन्त्रित कर देता, लेकिन मुझे मालूम है, वह भागते।

श्री सम्पत सिंह : तब तो ज्यादा ही आनन्द आता उनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैं उस परम्परा का निर्वहन करूंगा।

श्री सम्पत सिंह : औरों पर तो डाके डाल लेओ, पण्डित जी के तो डकैती डलवा देओ और खुद कंजूसी करो।

श्रीमती सुमित्रा आर्य : घेवर तो खिला देते। वह भी नहीं किया आपने। त्यौहार का दिन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तरफ से वित्त विधेयक पास होने के बाद निश्चित रूप से परम्परा का निर्वहन करूंगा।

बिजली कनेक्शन के बारे में घोषित नीति

श्रीमती सुमित्रा सिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन देने के बारे में जो नीति घोषित की गयी है उसके बारे में मुझे निवेदन यह करना है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति अत्यधिक कमजोर है। इस विकट स्थिति से मण्डल को निकालने हेतु

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

काफी प्रयत्न आवश्यक हैं। मण्डल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कुछ ऐसे आदेश प्रसारित किये हैं जो बिलकुल व्यावसायिक तथा प्रशासनिक हैं। इन व्यावसायिक एवं प्रशासनिक मामलों में आदेश प्रसारित करने हेतु मण्डल अथवा अध्यक्ष सक्षम हैं। लेकिन कृषि कनेक्शन रिलीज करने हेतु मण्डल की वित्तीय स्थिति पर तथा मीगर रिसोर्सेज पर कुप्रभाव नहीं पड़े, इस दृष्टि से बोर्ड द्वारा कुछ निर्णय लिये गये हैं। लेकिन यह सरकार यह मानती है कि विद्युत मण्डल राज्य की जनता के सेवक के रूप में काम कर रहा है। यदि प्रचलित आदेशों में कोई भी ऐसा बिन्दु होगा जिसमें जन साधारण पर कुप्रभाव पड़ता हो या राज्य सरकार की नीति से विरोधाभास प्रतीत होता हो तो राज्य सरकार ऐसे आदेशों का निश्चित रूप से पुनरावलोकन करके उसमें जन भावनाओं के अनुकूल उचित संशोधन करेगी। जन भावनाओं को समझने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से उचित विचार-विमर्श भी किया जाएगा। फिलहाल पुनर्विचार तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

श्री सभापति : दूसरा वक्तव्य पूर्व मुख्य अभियंता के बारे में।

(3) पूर्व मुख्य अभियन्ता, रा. रा. विद्युत मण्डल का कथित भ्रष्ट आचरण

श्री सुमित्रा सिंह : सदन के माननीय सदस्यों ने एक पूर्व मुख्य अभियंता पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में उसके कथित भ्रष्ट आचरण के बारे में एक वक्तव्य राज्य सरकार से चाहा है। उसके बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगी कि श्री मोजीराम गर्ग विद्युत मण्डल में मुख्य अभियंता पद पर सन् 1984 से कार्यरत थे। सन् 1989 में तत्कालीन अध्यक्ष श्री आर. सी. दवे के सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् श्री एस. एस. व्यास को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री एस. एस. व्यास की पदोन्नति के पश्चात् तकनीकी सदस्य (वितरण एवं प्रसारण) के रिक्त हुए पद का कार्य श्री व्यास अपने पद के साथ अतिरिक्त चार्ज के रूप में संपादित करते रहे। श्री मोजीराम गर्ग, श्री के. एम. सिन्हा मुख्य अभियंता को छोड़कर वरिष्ठतम थे। श्री सिन्हा एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। जिससे उनकी कार्य संपादन क्षमता के बारे में राज्य स्तर पर कुछ संशय उत्पन्न हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23-1-90 द्वारा श्री मोजीराम गर्ग को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अधिनियम 1984 की धारा 5 के तहत तकनीकी सदस्य (वितरण एवं प्रसारण) के पद पर नियुक्त किया। उक्त आदेशों में श्री गर्ग की नियुक्ति की अवधि इसलिए निश्चित नहीं की गई क्योंकि उस वक्त श्री गर्ग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही थी। समय-समय पर विद्युत मण्डल की अन्य शिकायतों के साथ-साथ श्री गर्ग के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। उक्त शिकायतें कई बिन्दुओं पर आधारित थी। उक्त शिकायतों पर तथ्यात्मक टिप्पणी विद्युत मण्डल से प्राप्त की जा रही हैं।

258

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मैं समझता हूं ऐसा नहीं है जिसमें विद्युत मण्डल से तथ्य प्राप्त करने की जरूरत हो और आपको तथ्य नहीं मिले हों। एक तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही चल रही थी 3086 की । उसकी सारी रिपोर्ट आपके पास है और उसमें मेजर पैनल्टी का प्रावधान भी किया गया था । इसके अलावा सभापति महोदय, श्री गर्ग ने इतने प्लाट अपने नाम से खरीद रखे हैं । नियमों के अनुसार खरीदने से पहले उन्हें बोर्ड को इत्तला देनी चाहिए, लेकिन इत्तला नहीं दी। फिलहाल और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ देते हैं लेकिन जो प्लाट उन्होंने खरीद रखे हैं। देखिए एक राजस्थान हाउसिंह बोर्ड में सन् 78 में प्लाट खरीदा 60 × 40 का । दूसरा मालवीय नगर में प्लाट नं. 60 जो कि 311 वर्ग गज का है, खरीदा। मीजगढ़ हाउस में एक प्लाट 350 वर्ग गज का खरीदा । विद्युत नगर (बी) अजमेर रोड पर 333 वर्ग गज का प्लाट खरीदा। बासनी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में 600 वर्ग गज का प्लाट खरीदा । विद्युत नगर, जयपुर में 300 वर्ग गज का प्लाट खरीदा। रघुनाथपुरी, सांगानेर हवाई अड्डे के पास 433 वर्ग गज का प्लाट खरीदा और एक कमल अपार्टमेंट में उनका बड़ा फ्लेट है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले उनके खिलाफ बड़े गंभीर चार्ज थे और आपने यह कहकर कि उनसे सीनियर आफिसर उपलब्ध नहीं था, उन्हें चोट लग गई थी। तो उनको छोड़कर किसी तीसरे को कर सकते थे । क्योंकि ये तकनीकी रूप से सभी क्वालिफाइड लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी नियुक्ति जब कांग्रेस सरकार जाने लगी थी, तब की गई थी और इनको विशेष फेवर देने के लिए ये सारी कार्यवाही की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार के बिलकुल स्पष्ट प्रमाण होने के बाद इतनी सम्पत्ति कोई अर्जित कर ले। यह तो देखी हुई सम्पत्ति है पता नहीं सम्पत्ति कितनी है, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। उसके बाद भी आप यह कह रही हैं कि बोर्ड से तथ्यों की जानकारी करूंगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप इन तथ्यों को वेरीफाई कर लें और मेहरबानी करके एक काम तो आप कर ही सकते हैं जब आप कहते हैं कि उनकी नियुक्ति का कोई टाइम नहीं है उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया। वह रिटायर हो गए हैं इसलिए उनको नोमिनेट नहीं किया जाए और जो कोई सीनियर एवं सीनियर के साथ साथ योग्यतम व्यक्ति हो उसको आप नियुक्त कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार से मामलों को यह सरकार भी दबायेगी तो मैं समझता हूं कि इस सरकार पर इससे बड़ा कोई कलंक नहीं लगेगा। अब तक हम अपनी यह छवि बना रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन आज हालत यह है कि भ्रष्टतम अधिकारी को हम ऐसी जगह बैठा रहे हैं जो बोर्ड के लिए भी नुकसान कर सकता है और हमारे समाज और हमारी सरकार के लिए भी कलंक है।

श्री सभापति : एक सदस्य और हैं । मो. माहिर आजाद । आपका नाम है यदि बोलना चाहे तो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने की इस सरकार की कोई मंशा, कोई इरादा नहीं है, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं। आपने जिन प्लाटों का इसमें जिक्र किया है 7–8 अलग-अलग जगह इनके प्लाट बताए हैं और कल की सूचना दी है। कल-कल में यह संभव नहीं था कि आठों जगह पर जाकर हम वेरीफाई कर लेते। (व्यवधान)

श्री रामकिशन : यह तो केस रजिस्टर्ड है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुन तो लीजिए आप। इतने इम्सेमेंट क्यों हो रहे हैं आप। मैं कह रही हूं कि इतनी जल्दी यह संभव नहीं था कि 8 जगह जाकर यह वेरीफाई कर लेते कि प्लाट उन्हीं के हैं या किसी और के हैं। इसलिए वेरिफिकेशन के बाद में हम कतई नहीं हिचकिचाएंगे पर जिस बात की पहले कह रही थी ए. सी. डी. में इनके खिलाफ केस था उस केस में तो माननीय सदस्य वह अग्जोनरेट कर दिए गए हैं इसलिए यदि यह वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेने में और उन्हें हटाने में कतई नहीं हिचकिचाएंगे।

श्री रामकिशन : मैं पहले केस में एक निवेदन करना चाहता हूं उससे वह मुक्त नहीं हुए हैं बल्कि उसमें हुआ यह है आप तो कहती हैं कि उनको दोषमुक्त कर दिया गया। है ऐसा नहीं है बल्कि 30-6-87 में हुआ यह है कि अन-आॅफिशियल उनको सारे चार्ज दे दिए गए और उनकी नियुक्ति करने से पहले उनका जवाब ले लिया गया है। आप उस तथ्य की जानकारी कर लें। उनको दोषमुक्त नहीं किया गया है बल्कि पहली सरकार के मंत्री ने, खैर मैं उनका नाम इसलिए लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे सब मिलने-जुलने वाले लोग रहे हैं उन्होंने घर बुलाकर चार्टशीट बतलाई उसको हाथों हाथ जवाब दिया। यह नियुक्ति देने के लिए उनको कोई दोषमुक्त नहीं किया गया है और जहां तक इन प्लाट्स का सवाल है कि हम वेरीफाई करेंगे आप वेरीफाई करलें लेकिन इस मामले पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो चुका है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.09 पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची

ट्राइसम योजनान्तर्गत वर्ष 88–89 एवं 89–90 में प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यय की गई राशि का विवरण

क. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षितों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 1988–89					
1.	आई. टी. आई., बूंदी	हाऊस वायरिंग	15	6 माह	25333/–
2.	आई. टी. आई, बूंदी	हिन्दी स्टेनो	12	6 माह	30600/–
3.	जि.ग्रा.व्या. प्रशिक्षण एवं उद्यमकर्ता विकास केन्द्र, कोटा	हाऊस वायरिंग	2	6 माह	5500/–
4.	,, ,, ,,	हैण्डपम्प	37	3 माह	45154/–
5.	,, ,, ,,	मोटर मेकेनिक	1	6 माह	2750/–
6.	,, ,, ,,	वैल्डर	7	6 माह	16500/–
7.	,, ,, ,,	मोटरवायण्डिग	2	6 माह	5500/–
8.	म. पा. वि. अ., बूंदी	मत्स्यपालन	7	1 माह	4167/–
9.	धनावा पं. सं, हिंडोली	सिलाई कार्य	3	3 माह	1350/–
10.	तालेडा पं.सं., तालेडा	केनिंग कार्य	3	2 माह	1350/–
11.	बडूंदा पं.सं., तालेडा	पापड़ा मगोड़ी	3	1 माह	659/–
12.	लक्ष्मीपुरा ,,	साइकिल रिपेयर	3	3 माह	1985/–
13.	भटेंडा पं.सं, नैनवा	सिलाई कार्य	3	6 माह	2655/–
14.	पी.एच.ई.डी. हिंडोली,	हैण्डपम्प	13	1 माह	3018/–
15	,, ,, तालेड़ा	,,	6	1 माह	1306/–
16.	,, ,, नैनवां	,,	8	1 माह	1386/–
17.	,, ,, के. पाटन	,,	2	1 माह	1741/–
18.	गुडली पं. सं. के, पाटन	सुथारी कार्य	3	3 माह	455/–
19.	मोहनपुरा पं.सं., के. पाटन	,,	3	3 माह	1575/–
20.	बलवा पं.सं., के. पाटन	दरी पटटी	3	3 माह	1575/–
21.	बड़ाखेड़ा ,, ,,	,,	3	3 माह	1540/–

1	2	3	4	5	6
वर्ष 1989–90					
1.	ओ. प्र. स. बूंदी	जनरल मैकेनिक	11	6 माह	25721/–
2.	,, ,,	हाऊस वायरिंग	25	6 माह	64174/–
8.	,, ,,	मोटर वाईडिंग	11	6 माह	27248/–
4.	,, ,,	हिन्दी स्टेनो	11	6 माह	24479/–
5.	जि. ग्रा.व्या. प्र. एवं उद्यमकर्ता वि. केन्द्र, कोटा	हैण्ड पम्प	20	3 माह	28777/–
6.	म.पा.वि, ग्र. बूंदी,	मत्स्य पालक	11	1 माह	2902/–
7.	रायथल पं.स., तालेडा	कुर्सी केनिंग	5	3 माह	2897/–
8.	,, ,,	कारपेन्टरी	5	3 माह	2970/–
9.	तालेड़ां पं.सं., तालेड़ा	कुर्सी केनिंग	4	3 माह	2972/–
10.	सहण पं. सं. नैनवा	साइकिल रिपेयर	3	3 माह	1359/–
11.	करवर ,, ,,	गोटाकारी	3	3 माह	1330/–
12.	धानगांव ,, ,,	गोटाकारी	3	2 माह	600/–
13.	लाखेरी खुर्द पं.सं. के.पाटन	कारपेन्टरी	3	4 माह	1704/–
14.	इन्द्रपुरिया ,, ,,	,,	2	4 माह	उपस्थिति प्राप्त नहीं होने से भुगतान नहीं किया गया ।

स्काइट योजनान्तर्गत वर्ष 88–89 एवं 89–90 में प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि एवं व्यय की गई राशि का विवरण ।

क्र. सं.	नाम संस्था/मास्टरक्राफ्टमैन	प्रशिक्षण का प्रकार	अवधि माह	छात्रों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 1988–89					
1.	साड़ी प्रिंटिंग एवं छपाई सैंटर बूंदी	साड़ी प्रिंटिंग	3	5	3242/–
2.	रेखा नोटिंग वर्क्स बूंदी	बुनाई कार्य	6	7	8942/–

(260)

1	2	3	4	5	6
3.	श्रीमती सुमति सक्सैना, बूंदी	पापड़मुंगेड़ी	1	10	1151/–
4.	,, ,,	केनिंग कार्य	2	10	4700/–
5.	मीनू इलेक्ट्रिकल वर्क्स, लाखेरी	मो.बा.वइले.फिटिंग	3	5	3430/–
6.	सी.एन.वाई. वर्क्स, लाखेरी	साइकिल कार्य	3	3	2056/–
7.	जे. के. टाइपिंग सैन्टर. लाखेरी	टाइपिंग	6	5	5760/–
8.	वोम्बे रेडियो सर्विस, लाखेरी	रेडियो सर्विस	3	5	3384/–
9.	रेखा बील्या मोची बाजार, बूंदी	प्लास्टिक कार्य	3	10	6571/–
10	हरि कॉम. टाइपिंग, बूंदी	टाइपिंग	6	6	8340/–
11.	ओ. प्र. संस्थान, बूंदी	टाइपिंग	6	6	5760/–
12.	रामप्रसाद सेदादत्त सवा. लाखेरी	चित्रकला	6	6	7783/–

वर्ष 1989–90

1.	हरि काम.टाइ.इंस्टी. बूंदी	टाइपिंग	6	4	5640/–
2.	अमृत बेकरी गुरुनानक कॉलोना बूंदी	बेकरी कार्य	4	8	6821/–
3.	केनिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी	केनिंग कार्य	2	4	1876/–
4.	आदर्श सरस्वती म.प्र.सं. बूंदी	बूंदी बंधेजवरंगाई	6	16	8856/–
5.	श्रीमती शीलादेवी जैन, बूंदी	अगरबत्ती कार्य	1	5	1175/–
6.	बोम्बे रेडियोज, लाखेरी	रेडियो कार्य	2	3	1183/–
7.	अलका बोल्या बूंदी	प्लास्टिक खिलौना	3	5	2350/–
8.	श्रीमती धनकंवर रजतगृह बूंदी	आरी तारी	2	4	1678/–
9.	सीमा अग्रवाल चेनरायजा कटला बूंदी	कशीदाकारी	डेढ़माह	3	850/–
10.	ओमप्रकाश जिल्दसाज बूंदी	बुकबाइंडिंग	,,	4	1259/–

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 510 का विवरण

जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का योजनावार मदवार विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	मद	आवंटन	व्यय
1.	भूमि विकास/भू-संरक्षण	71.53	62.85
2.	जल संसाधन विकास	117.60	77.2
3.	वन विकास	196.72	210.98
4.	अन्य विविध कार्य	74.57	190.97
5.	परियोजना व्यय	32.40	31.48
	योग	492.82	492.48

मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में अधूरे रहे कार्यों का विवरण

क्र. सं.	मद	अधूरे कार्यों की संख्या	कार्य पूर्ण हेतु वांछित राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	कृषि (भू-संरक्षण)	25 खडीन	10.44
2.	सिंचाई	18 खडीन	24.15
3.	पंचायतों के माध्यम से नाडी जीर्णोद्धार	1 नाडी 31 नाडी टांका	4.52

(262)

1 2	3	4
4. वन विकास		
1. वन विभाग द्वारा	430 हैक्ट टिब्बा स्थिरीकरण 5 जल बिन्दु वृक्षारोपण	3.81
2. इ. ग्रा. न. प., फलौदी	500 हैक्ट टिब्बा स्थितीकरण	4.34
3. पंचायत द्वारा जल बिन्दु वृक्षारोपण	5 जल बिन्दु वृक्षारोपण	0.77
4. सामन्वित चारा विकास	253 कुआं/टांका	18.81
5. शैल्टर बैल्ट प्लास्टेशन	28 नं.	4 56
6. पशु पेयजल (पीएचईडी के माध्यम से)	22 जी. एल. आर.	6.98
2. पशु पेयजल (पंचायत के माध्यम से)	48 टांका 13 कोठा खेली	8.11
6. आर. सी. डी. एफ. द्वारा चारागाह विकास	लाभान्वितकों की संख्या 25 काश्तकार	0.60
		87.09

राशि रुपये 87.09 लाख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जैसलमेर के पास पिछले वर्षों की बचत से उपलब्ध है। इस राशि से ही यह कार्य वर्ष 1990–91 में शुरू किये जाने हैं।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 551 की सूची

वर्तमान में कार्यरत विधि अधिकारियों की सूची :—

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति दिनांक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर :—		
1.	श्री कान्ती लाल जसमतिया, राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
2.	श्री आर. पी. दवे, अपर राजकीय अधिवक्ता	9-12-85
3.	,, एस. एस. मण्डावत, राजकीय अपर अधिवक्ता	-9-84

1	2	3
4.	श्री यू. सी. एस. सिंघवी, अपर राजकीय अधिवक्ता	15-7-86
	,, विशालराज मेहता, अपर राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
6.	,, हिम्मतराज पंवार अपर राजकीय अधिवक्ता	9-6-90
7.	श्रीमती चन्द्रलेखा, उप राजकीय अधिवक्ता	31-8-88
8.	श्री देवराज बोहरा, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
9.	,, शंकर मल सिंघवी, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
10.	,, कान्ती लाल ठाकुर, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
11.	,, मूरलीधर बूब, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
12.	,, मधुसूदन व्यास, राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
13.	,, हेमन्त कुमार चौधरी, सहायक राजकीय अधिवक्ता	31-8-88

राज. उच्च न्यायालय, जयपुर:—

1.	श्री ओम प्रकाश गर्ग, राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
2.	,, नाथूलाल पारीक, अपर राजकीय अधिवक्ता	12-7-85
3.	,, अशोक परिहार, अपर राजकीय अधिवक्ता	24-2-88
4.	,, के. एस. राठौड़, अपर राजकीय अधिवक्ता	25-2-88
5.	,, श्याम आर्य, अपर राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
6.	,, नरेश गोयल, अपर राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
7.	,, के. एन. गर्ग, अपर राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
8.	,, जगमोहन सक्सेना, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
9.	,, बनवारी लाल, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
10.	,, सुश्री सुमित्रा गोयल, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
11.	,, बी. के. शर्मा उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
12.	,, मुनेन्द्र कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
13.	,, पैकर फारूक, उप राजकीय अधिवक्ता	29-6-90
14.	,, वेद विश्नोई, सहायक राजकीय अधिवक्ता	29-6-90

(264)

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 जुलाई, 19'0)

रानीवाड़ा जालौर में डी. डी. पी. एवं जीवन-धारा योजनान्तर्गत कार्य

201. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रानीवाड़ा, जिला जालौर में वर्ष 1986 से 31 मार्च, 1990 तक किन-किन ग्राम पंचायतों को किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी राशि दी गई ? क्या उक्त राशि से कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में डी. डी. पी. व जीवन-धारा स्कीम के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने नये कुएं बनाये गये हैं? उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य वर्ग के कितने कुएं बनवाये गये हैं तथा क्या चयनित कृषकों को पूर्ण राशि वितरण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? जिन काश्तकारों को उपरोक्त स्कीम द्वारा लाभावित किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पंचायत समिति में डी. डी. पी. व जीवनधारा स्कीम के तहत अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति रानीवाड़ा में वर्ष 1986 से 31 मार्च, 90 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को दी गई राशि एवं पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने के लिये साथ सलंग्न है (परिशिष्ठ-1)

(2) उक्त पंचायत समिति में डी.डी.पी. व जीवनधारा स्कीम के तहत 311 नये कुएं बनाये गये उनमें से अनुसूचित जाति व जन जाति व अन्य वर्ग के क्रमशः 91, 59 तथा 161 कुएं बनाये गये है।

डी. डी. पी. तथा जीवनधारा के अन्तर्गत क्रमशः 32 तथा 33 चयनित कृषकों ने कुओं के पास पेड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया है तथा उन्हें पूर्ण राशि का वितरण कर दिया गया है। ग्राम पंचायतवार जिन-जिन काश्तकारों को उपरोक्त स्कीम द्वारा लाभान्वित किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने के लिये सलंग्न है (परिशिष्ठ-2)

(3) उक्त पंचायत समिति में डी. डी. पी. व जीवनधारा स्कीम के तहत किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 जुलाई, 1990)

वृद्धावस्था, अपाहिज, असहाय एवं विकलांग पेंशन

257. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्यासमाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वृद्धावस्था, अपाहिज, असहाय एवं विकलांगों को किस आधार पर पेन्शन दी जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1985 से 31 मई, 1990 तक राज्य में कुल कितने व्यक्तियों को पेन्शन का भुगतान कर लाभान्वित किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेंज पर रखें।

(3) उक्त वर्षों में जिन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र खारिज किये गये क्या उनके कारणों से संबंधित व्यक्तियों को अवगत कराया गया ?

(4) जयपुर जिले में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं असहाय पेंशन के कितने आवेदन विचाराधीन हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) विचाराधीन आवेदन-पत्रों की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; अब कब तक निर्णय लिया जाकर स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान वार्धक्य पेंशन नियम 1974 एवं राजस्थान अपाहिज, अपंग अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत पेंशन दी जाती है। दोनों नियमों के संबंधित प्रावधानों के उद्धरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" सलग्न हैं।

(2) वर्ष 1985 से 31 मई, 1990 तक राज्य में कुल 90410 व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान कर लाभांवित किया गया। जिलेवार सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यथासंभव सम्बन्धित व्यक्तियों को अवगत कराया गया है।

(4) जयपुर जिले में वृद्धावस्था एवं असहाय पेंशन के 709 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) विचाराधीन आवेदन पत्रों की स्वीकृति में विलम्ब का मुख्य कारण आवेदनकर्ता के द्वारा नियमों के अन्तर्गत वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करना रहा है। आवेदकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत औपचारिकताएं पूर्ण करने पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाकर स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

(266)

परिशिष्ट "अ"

वृद्धावस्था पेंशन, राजस्थान वार्धक्य पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत निम्न आधारों पर दी जाती है:—

यह पेन्शन निराश्रित व्यक्तियों को दी जाती है। निराश्रित व्यक्ति से तात्पर्य "58 वर्ष की आयु का पुरुष या 55 वर्ष की आयु की महिला से अभिप्रेत है" और जो-

(क) राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और उसके प्रार्थना पत्र देने की तारीख को कम से कम 3 वर्ष से अधिक राजस्थान में रह रहा हो।

(ख) जिसके निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नही हो या उसकी कोई आय नहीं हो।

(ग) उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का नहीं हो।

(घ) पेशेवर भिक्षुक इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।

परिशिष्ट "ब"

अपाहिज, अपंग एव अन्धे व्यक्तियों को पेन्शन राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेन्शन नियम 1965 के अन्तर्गत निम्न आधारों पर दी जाती है। यह पेन्शन उन व्यक्तियों को दी जाती है जो—

(क) राजस्थान का निवासी हो और स्थाई रूप से राजस्थान में निवास करते हैं व जिनकी आयु 8 वर्ष या इससे अधिक है तथा जो अपाहिज या अपंग या अन्धे हैं और जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका के कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो।

(ख) परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जिनका पुत्र, पौत्र, पति, पत्नि, पिता, माता, भाई और पितामह इनमें से एक अथवा अधिक संबंधी 20 वर्ष अथवा अधिक आयु के हों और वे संबंधी स्वयं आजीविका कमाने योग्य हों या उसके पास आय का कोई साधन हो तो पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(ग) भिखारी अथवा ऐसे व्यक्ति जो भीख मांग कर जीवन निर्वाह करते हैं वे पेन्शन पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(घ) जो व्यक्ति राजस्थान सरकार, भारत सरकार या अन्य राज्य अथवा प्राइवेट संस्थाओं से 20 रुपये तक मासिक पेन्शन अथवा फालतू भत्ता प्राप्त करते हैं एवं जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है उनको भी यह पेंशन देय होगी।

परिशिष्ट "स"

क्र. सं. नाम जिला	संख्या	क्र. सं. नाम जिला	संख्या
1. अजमेर	3501	15. जैसलमेर	2869
2. अलवर	3161	16. जालौर	2651
3. बांसवाड़ा	2157	17. झालावाड़	1389
4. बाड़मेर	2324	18. झुन्झूनू	3395
5. भरतपुर	3710	19. जोधपुर	4593
6. भीलवाड़ा	4368	20. कोटा	7702
7. बीकानेर	1219	21. नागौर	4518
8. बूंदी	1413	22. पाली	3735
9. चित्तौड़गढ़	2027	23. सवाई माधोपुर	4925
10. चूरू	1889	24. सीकर	2954
11. धौलपुर	1237	25. सिरोही	1893
12. डूंगरपुर	2978	26. टौंक	6089
13. श्री गंगानगर	3232	27. उदयपुर	5598
14. जयपुर	5892		
			90,410

परिशिष्ट "ब"

जयपुर जिले में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं असहाय पेन्शन के आवेदन पत्र जो विचाराधीन हैं, उनकी तहसीलवार सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	शून्य
2.	सांगानेर	26
3.	बस्सी	6
4.	चाकसू	18

1	2	3
5.	आमेर	9
6.	जमवा रामगढ़	33
7.	चौमूं	शून्य
8.	दौसा	शून्य
9.	लालसोट	108
10.	बसवा	136
11.	सिकराय	14
12.	कोटपुतली	99
13.	विराटनगर	78
14.	शाहपुरा	शून्य
15.	सांभर	13
16.	फागी	116
17.	दूदू (मु. मौजमाबाद)	53
	कुल योग—	709

तहसील मालपुरा में सैटलमेन्ट

514. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील मालपुरा में सैटलमेन्ट कब हुआ था ?

(2) क्या राज्य सरकार अब तुरन्त सैटलमेन्ट कराना आवश्यक समझती है यदि हां, तो कब तक ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) तहसील मालपुरा जिला टौंक का सैटलमेन्ट सम्वत 2010 में हुआ था जिसकी भू-प्रबन्ध अवधि सम्वत 2010 से 2029 थी ।

(2) राज्य की सभी अवधि पार तहसीलों में शीघ्र सैटलमेन्ट कार्य कराना वांछित है, किन्तु राज्य में 41 तहसीलें मालपुरा से पहिले पुनः सैटलमेन्ट कार्य हेतु ड्यू हैं । भू-प्रबन्ध विभाग के पास समिति भू-प्रबन्ध पार्टिज उपलब्ध होने के कारण ड्यू वर्षों में पुनः भू-प्रबन्ध कराना सम्भव नहीं हो सका है । यह कार्य यथा सम्भव शीघ्र करवाया जावेगा ।

(3) प्रश्न के भाग–2 में उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सवाई माधोपुर जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम

515. चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ? स्वीकृत राशि में से किस-किस माह में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र खण्डार एवं सपोटरा में किन-किन स्थानों पर पुस्ता कार्य कराये गये ?

(3) क्या अधिशाषी अभियन्ता बीहड़ सुधार सवाई माधोपुर द्वारा खण्डार सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों में भी सहायक अभियन्ता सपोटरा द्वारा कार्य करवाया गया है अथवा करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष 1989-90 में अब तक बीहड़ सुधार कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों पर भुगतान की गई मस्टररोल्स में कोई अनियमितता पायी गई ? क्या इस लेखे की अधिशाषी अभियन्ता बीहड़ सुधार एवं विभागीय स्तर पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या उक्त मामलों की जांच का इरादा है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 88-89 व 89-90 में बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत राशि रुपये 75 लाख एवं 24 लाख, क्रमशः स्वीकृत हुई। स्वीकृत राशि में से माहवार हुआ व्यय निम्न है :—

वर्ष 88-89	लाख रुपये	वर्ष 89-90	राशि (लाख रुपये)
अप्रेल, 88	1.65	अप्रेल, 89	4.94
मई, 88	1.15	मई, 89	1.82
जून, 88	1.00	जून, 89	4.13
जुलाई, 88	0.40	जुलाई, 89	2.70
अगस्त, 88	0.05	अगस्त, 89	2.83
सितम्बर, 88	0.25	सितम्बर, 89	4.38
अक्टूबर, 88	0.25	अक्टूबर, 89	2.58
नवम्बर, 88	0.01	नवम्बर, 89	4.85
दिसम्बर, 88	2.94	दिसम्बर, 89	11.50
जनवरी, 89	2.80	जनवरी, 90	14.56
फरवरी, 89	1.58	फरवरी, 90	13.79
मार्च, 89	8.70	मार्च, 90	12.48
योग	20.78		80.56

(270)

(कृषि मन्त्री)

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र खण्डार एवं सपोटरा में निम्न जलग्रहण क्षेत्रों में पुख्ता (पक्के) कार्य करवाये गये।

1. विधान सभा क्षेत्र खण्डार–करोरा प्रथम एवं द्वितीय, कवालजी, रामनगर प्रथम एवं द्वितीय।

2. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा–हाड़ोती प्रथम से चतुर्थ, गढवाल, खण्डारा, तरसलपुर, पांचोली दर्रा, घतुरियापुरा, खिरखिखन, गोपालपुरा, करनपुर, प्रथम, द्वितीय, गढवाल, नयागांव।

(3) जी हां, सहायक अभियन्ता खण्डार के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों में सहायक अभियन्ता सपोटरा द्वारा कार्य करवाया गया है, करवाया जा रहा है। वर्ष 90-91 में सहायक अभियन्ता वार कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। प्रारम्भ में यह तय: किया गया कि सवाई माधोपुर के समीप क्षेत्र में ही कार्य लिये जाये। दिनांक 26-6-88 को जिला परियोजना क्रियान्वयन समिति की बैठक में कुछ जलग्रहण क्षेत्रों का चयन कर अनुमोदन किये गये, इसके उपरान्त उपलब्ध स्टाफ एवं सुविधाओं को देखते हुए सहायक अभियन्ता, सपोटरा व खण्डार को कार्य जलग्रहण क्षेत्र वार आवंटित किये गये। इसलिये सहायक अभियन्ता, सपोटरा द्वारा वर्ष 88 में जो कार्य खण्डर क्षेत्र में शुरू करवाये थे, को ही अब पूर्ण करने के लिये उस क्षेत्र में कार्य कराये जा रहे हैं।

वर्ष 89-90 से अब तक बीहड़ सुधार कार्यक्रम के स्वीकृत कार्यों पर भुगतान की गई मस्टररोल में अनियमितताओं को दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से एक की जांच कृषि अभियन्ता बीहड़ सुधार कार्यक्रम राजस्थान जयपुर द्वारा 2-6-90 को पूर्ण की गई वह कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई दूसरी शिकायत की जांच खण्डीय स्तर पर सहायक अभियन्ता मुख्यालय बीहड़ सुधार कार्यक्रम, सवाई माधोपुर पर कर रहे हैं। भुगतान से पूर्व लेखों की जांच नियमानुसार खण्डीय स्तर पर की जाती है। विभागीय स्तर पर जांच का कार्य आन्तरिक जांच दल द्वारा निर्धारित जांच कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। अभी तक उक्त लेखों की जांच इस दल द्वारा नहीं हुई है, जो नियमानुसार की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-7-90)

जोधपुर लिफ्ट नहर बाप गांव के कृषकों की भूमि से निकालना

345. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) :** क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बाप तहसील फलौदी की सरहद में से होकर जोधपुर लिफ्ट नहर निकाली जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाप गांव के काफी कृषकों के खेतों में से नहर निकाली जा रही है पर न तो नियमानुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है और न ही मुआवजा देने की ? यदि नहीं, तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

केसूराम पुत्र पदमा राम एवं पदमा राम पुत्र केसूराम जटिया को इस तरह के नोटिस क्यों नहीं दिए गए ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन दोनों कृषकों के खेत नहर के नीचे नहीं आते ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों के खेतों में मिट्टी खुदाई का कार्य तुरन्त बन्द करेगी और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध खेतों पर अतिक्रमण के अपराध में मुकदमा चलाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भूमि अवाप्ति व मुआवजा देने की कार्यवाही में विलम्ब अवश्य हुआ है अब यह कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है तथा राज्य सरकार सबको नियमानुसार शीघ्र मुआवजा देने के लिए कटिबद्ध है। सन्दर्भित कृषकों को अब नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(3) इन कृषकों के खेतों का कुछ भाग नहर के नीचे आता है।

(4) अवाप्ति व मुआवजे की कार्यवाही नियमानुसार प्रगति में है। इस सम्बन्ध में विलम्ब न करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

जन-जाति क्षेत्र के प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को पुस्तकें और पोशाकें

516. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन जाति बहुल पंचायत समितियों के अधीन जन जाति समुदाय के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पोशाकें एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो उक्त सामग्री किनके द्वारा, किस प्रक्रिया से क्रय की जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जो पोशाके बच्चों को दी जाती हैं वे घटिया किस्म की होती हैं और नाम मात्र की पोशाकें होती हैं और बच्चों के पहिनने के काम नहीं आती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पठन सामग्री सत्र प्रारम्भ होने के चार पांच महीने बाद दी जाती है जिससे उसका कोई उपयोग नहीं होता है ? यदि नहीं, तो जिला उदयपुर की पंचायत समिति खैरवाड़ा, सलूम्बर, कोटड़ा व सराड़ा द्वारा वर्ष 1989–90 में पोशाकों व पठन सामग्री का वितरण कब-कब किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद् उदयपुर को विगत पांच वर्षों में एक रुपये मूल्य की पुस्तक पांच रुपए में खरीद कर पंचायत समितियों द्वारा वितरण करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ,

(272)

(श्री दयाराम परमार)

तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां तक मुफ्त पौशाकों का सम्बन्ध है, राज्य स्तर पर संस्थाओं द्वारा सप्लाई की जाने वाली पोशाकों की दरें निर्धारित कर दी जाती हैं एवं कपड़े की क्वालिटी एवं माप आदि की सूचना जिला परिषदों को भेज दी जाती है, जिसके आधार पर जिला परिषद क्रय आदेश देती हैं। पाठ्य पुस्तकों के लिए व्यवस्था यह है कि जिला परिषद राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को क्रय आदेश देकर उनके स्थानीय डिपो से क्रय करेगी।

(2) जिला परिषद, उदयपुर ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा सप्लाई की गई पौशाकों की क्वालिटी व माप आदि स्तर की नहीं होने के कारण सारा माल अस्वीकृत करके लौटा दिया था। जिले की पंचायत समितियों को अपने स्तर से पौशाकें खरीदने के लिए अधिकृत किया गया। पौशाकों की गुणवत्ता नाप आदि की जांच हेतु विकास अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार की कमेटी का गठन किया गया था। पौशाकें बच्चों के पहनने के काम नहीं आने बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) यह सही है कि पठन सामग्री क्रय करने में कई बार विलम्ब होता है। जिसका मुख्य कारण यह है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल विभिन्न कारणों से समय पर पुस्तकें आदि उपलब्ध नहीं करवा पाता है। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा पंचायत समिति नवम्बर, 1989 में सलूम्बर में दिसम्बर, 89, कोटड़ा में सितम्बर, 89 में एवं सराड़ा में सितम्बर, 89 में पुस्तकें वितरित की गई हैं।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 13-7-90)

जैसलमेर जिले में ग्रामीणों को रोजगार

348. **श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)** : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार सुविधा देने के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

(2 उक्त योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य किन-किन गांवों में करवाये जाने की योजना है ?

(3) इन कार्यों पर मदवार कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार सुविधा देने के लिए इस वर्ष (1990–91) रुपये 169.16 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कौन कौन से कार्य किन किन गांवों में कराये जाने की योजना है, सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(3) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के होने वाले खर्चे का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	मद का नाम	राशि (लाखों में)
1.	जिला स्तर पर अधूरे कार्य पूर्ण करने हेतु	30.76
2.	ग्राम पंचायत मद कार्य	123.06
3.	जीवनधारा योजना	10.75
4.	इन्दिरा आवास योजना	4.59

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

झालावाड़ जिले में कृषि उपज मण्डी की सड़कें

517. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन पंचायत केन्द्रों को कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कों से जोड़ा गया। पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें। आगामी वर्षों में कितनी सड़कें कहां से कहां तक बनाने की योजना है ?

(2) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य चल रहा है ? क्या कार्य ठेकेदारों से करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन ठेकेदार हैं और कितना कार्य हो चुका है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में निम्न पंचायत केन्द्र कृषि उपज मण्डी समितियां के माध्यम से सड़कों से जोड़े गये हैं:—

(1) समराई

(2) डोन्डा

(3) गुराडियामाना

आगामी वर्ष में (1) सम्पर्क सड़क रलायता से कलमण्डा (2) सेमला से सरपोई (3) हेमड़ा से मंगेजपुर बनाने की योजना है।

(2) ठेकेदारों द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया हैं, सूचना परिशिष्ट "क" पर हैं।

क्र. सं.	सड़क का नाम	कार्य चालू अथवा नहीं	विवरण
1.	सम्पर्क सड़क रलायता से कलमण्डा	कार्य प्रारम्भ नहीं	--
2.	सम्पर्क सड़क सेमला से सरपोई	कार्य प्रारम्भ	अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा हैं। - ठेकेदारों द्वारा नहीं।
3.	सम्पर्क सड़क हेमड़ा से मंगेजपुर	कार्य प्रारम्भ	,, ,,

उदयपुर का अन्ध विद्यालय छात्रावास

518. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर के अन्ध विद्यालय के छात्रावास में कुल कितने छात्र इस समय रह रहे हैं और विभाग द्वारा कितनी मदद प्रति छात्र प्रति माह दी जाती है ?

(2) क्या यह अनुदान अन्य छात्रावासों के छात्रों को दिये जा रहे अनुदान के बराबर है ? यदि नहीं, तो अन्तर के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उदयपुर के अन्ध विद्यालय के छात्रों को जो मासिक अनुदान दिया जाता है उससे उनका खर्च चल सकता है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनुदान को बढ़ाने का विचार है ?

(4) क्या यह सही है कि अन्ध विद्यालय, उदयपुर के छात्रों ने अपनी मांगों और छात्रावासों की अनियमितताओं को लेकर गत माह अप्रेल में धरना दिया था । और इस संबंध में प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

(5) क्या अन्ध विद्यालय उदयपुर की अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने कोई जांच कराई थी ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अंध विद्यालय उदयपुर के छात्रावास में इस समय 24 छात्र रह रहे हैं । विभाग द्वारा प्रति छात्र प्रति माह 95/रु. का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों के छात्रों को दिये जा रहे अनुदान की दरों में अन्तर उनसे सम्बन्धित नियमों में निर्धारित बजट पैटर्न के कारण है।

(3) जी नहीं। परन्तु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अनुदान को बढाने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(4) जी हाँ, परन्तु आश्वासन के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(5) अंध विद्यालय उदयपुर की अनियमितताओं की जांच शिक्षा विभाग द्वारा करायी गयी थी जिसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचायत धरियावद में निः शुल्क भू-आबंटन

519. **श्री नारायणलाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1980 से अब तक धरियावद ग्राम पंचायत में किन-किन व्यक्तियों को निःशुल्क-भूखण्ड आवंटित किये गये ?

(2) इन भू-खण्डों पर कितने लोगों ने मकान बना लिये हैं तथा कितने निःशुल्क आवंटित भू-खण्ड बेचान हो गये हैं ? यदि बेचान हुए तो किस नियमान्तर्गत ? यदि अवैध बेचान हुए तो भू-खण्ड-धारियों एवं पंजीयन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या भू-खण्ड आवंटन पात्रता के आधार पर हुआ ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत धरियावद द्वारा वर्ष 1980 में अब तक कुल 101 व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन भूखण्डों पर 18 व्यक्तियों ने मकान बना लिये हैं। एवं आवंटित भूखण्डों में से 80 भूखण्डों का बेचान हो चुका है। उक्त बेचान अनियमित है। उक्त अनियमित बेचान होने पर पंचायत द्वारा जिला कलक्टर, उप जिलाधीश एवं तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन नहीं दिये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु दिनांक 24-9-88 से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई लगती है।

(3) जी हां। अधिकांश आवटन पात्रता के आधार पर हुई है। लेकिन 25 मामलों में पात्रता संदिग्ध है।

(276)

भाग (1) से सम्बन्धित सूचना

क. सं.	नाम व्यक्ति	जाति	निवासी	वि. वि.
1.	डालू/लामा	कौर	धरियावद	
2.	गठु/लाबा	,,	,,	
3.	बगदी राम/देवा कुमार	,,	,,	
4.	जगदीश/मगुजी	,,	,,	
5.	भेरा/मजा	,,	,,	
6.	लकमा/पन	आदिवासी	,,	
7.	गौतम/घना	,,	,,	
8.	सदली बाईबेवा/रामा मीणा	,,	,,	
9.	कालु/सभु	लौहार	,,	
10.	बलराम/लक्ष्मीलाल/देवचन्द	दर्जी	,,	
11.	रामचन्द्र/नानुराम	नायक	,,	
12.	मानाराम/चुनीलाल	तेली	,,	
13.	गोडूराम/गुलाब	माली	,,	
14.	लक्ष्मीलाल/सुखलाल	सुथार	,,	
15.	जयप्रकाश/लक्ष्मीलाल	ब्राह्मण	,,	
16.	ओमप्रकाश/शिवशंकर	,,	,,	
17.	चन्द्रदास/रणछोड़ दास	वैष्णव	,,	
18.	रमी लक्ष्मी/नानालाल	,,	,,	
19.	जगदीश/मंशालालजी	नाई	,,	
20.	राजेन्द्र/सोहनलाल	सोनी	,,	
21.	गोपाल/कन्हैयालास	,,	,,	
22.	बलराम/कन्हैयालाल	,,	,,	
23.	लेहरूलाल/लांमाजी	कौर	,,	
24.	मांगीलाल/केशरीलाल	सोनी	,,	
25.	भोपालसिंह/सरदारसिंह	राज.	,,	
26.	नसिरखां/अनवरखा	मुसलमान	,,	
27.	चांद खां/भैराज खां	,,	,,	
28.	जबार खां/समन्दर खां	,,	,,	
29.	गफार खां/लाल खां	,,	,,	
30.	मुर्तजा/रहमान खां	,,	,,	
31.	अहमद खां/दिलावर खां	,,	,,	

1	2	3	4	5
32.	सहजाद खां/अमिर खां	मुसलमान	चरियावद	
33.	मुंशी खां/अनवर खां/निशा खां	"	"	
34.	अब्दुल खां/याकुब खां	"	"	
35.	रामचन्द्र/शंकरलाल	ढोली	"	
36.	मांगीलाल/चम्पालाल	रैगर	"	
37.	मोहम्मद अनिफ/अमोद मोहम्मद		"	
38.	गोपीदास/भेरूदास	गोस्वामी	"	
39.	निइस्ताक मोहम्मद/जहीर मोहम्मद		"	
40.	गोविन्द/बाबरू	मेघवाल	"	
41.	भेरा/नारायण	"	"	
42.	शंकर/मगना	"	"	
43.	शम्भूलाल/मगनीराम	दर्जी	"	
44.	रतनलाल/हीरालाल	कुम्मावत	"	
45.	रमेशचन्द्र/भगवतसिंह	राज.	"	
46.	मोहन/मोठा	कोर	"	
47.	रतनसिंह/सरदारसिंह	राज.	"	
48.	प्रेमनारायण/छकारलाल	ब्राह्मण	"	
49.	हिम्मतसिंह/दोलतसिंह	दरोगा	"	
50.	डालु/गौतम	लोहार	"	
51.	मति बक्ततबेगम/दिलावर खां	मुसलमान	"	
52.	अब्दुल हनिफ/बाबरू खां	"	"	
53.	पुर्नशंकर/गोरीशंकर	"	"	
54.	सैलेन्द्र कुमार/शान्तीलाल	महाजन	"	
55.	हेमा/किशु	मेघवाल	"	
56.	अमृतलाल/जेटाजी	"	"	
57.	रामा/हुरजी	"	"	
58.	छगनलाल/रुगनाथजी	दर्जी	"	
59.	रमेशचन्द्र/गोर्धनजी	लुहार	"	
60.	मोती/देवा	कोरे	"	
61.	भवरसिंह/लक्ष्मणसिंह	दरोगा	"	
62.	मति नर्बदा बाई/कालुजी	"	"	
63.	अर्जना/रणसिंह दास	वैष्णव	"	
64.	उकार/कालुजी	कुम्हार	"	

1	2	3	4	5
65.	अमीर मोहम्मद/अमीरखां	मुसलमान	धरियावद	
66.	अलाबगस/कासम जी	,,	,,	
67.	भागवन्ती/मोहनलालजी	ब्राह्मण	,,	
68.	जगदीशचन्द्र/शान्तीलालजी	दमामी	,,	
69.	रामनिवास/बंशीलालजी	,,	,,	
70.	नारायणलाल/प्यारचन्द	जैन	,,	
71.	माणिकलाल/कमलाजी	मीणा	,,	
72.	मति वन्दनदेवी/भवरलाल	जैन	,,	
73.	रतलाम खां/अनवर खां	मुसलमान	,,	
74.	गोतमजी/बनजी	मीणा	,,	
75.	नाथु/रामाजी	,,	,,	
76.	सरस्वती/मदनजी	,,	,,	
77.	अलजी/रामा	,,	,,	
78.	गौतम/कालु मीणा		,,	
79.	मति सोहन बाई/छगनलाल	चौधरी	,,	
80.	निर्मला कुमारी/भारतसिह	राज.	,,	
81.	दिलावर/गफुर खां	मुसलमान	,,	
82.	किशनलाल/हीरालाल	सुथार	,,	
83.	नारायण/देवचन्द	टेलर	,,	
84.	दिनदयाल/रामा	नाई	,,	
85.	मोहम्मद रफिक/गुलमोहम्मद	मुसलमान	,,	
86.	मति प्रेमकुमारी/राजमल जी	चौधरी	,,	
87.	जसवन्तसिह/भवरलाल	कोठारी	,,	
88.	मुराद खां/असवर खां	मुसलमान	,,	
89.	जोगेन्द्रसिह/बूटासिह	सिख	,,	
90.	स्वर्णकुमार/हनुमान	श्रीवास्तव	,,	
91.	मोडीराम/केशरी मल	सोनी	,,	
92.	मति अंजनाकुमारी/प्रकाश चन्द्र	कोठारी	,,	
93.	मीनाकुमारी/रामलाल	लाहोटी	,,	
94.	खातुन बानु/मुंशी खां	मुसलमान	,,	
95.	नुरबानू/अब्दुल सलीम	,,	,,	
96.	गिरीराज/प्रतापमल	सोनी	,,	
97.	नंगजी/मोडाजी	मीणा	,,	

1	2	3	4	5
98.	लक्ष्मण/लख्मा	मीणा	धरियावद	
99.	हीरा/कचरा	,,	,,	
100.	गौतम/धनजी	,,	,,	
101.	पन्ना/नाथू	,,	,,	

विकास अधिकारी
पंचायत समिति धरियावद
(उदयपुर)

भाग (2) से सम्बन्धित सूचना

कार्यालय ग्राम पंचायत धरियावद द्वारा सन् 1980 से अब तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये गये उनमें से निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा मकान बना लिये हैं।

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	जाति	निवासी
1.	श्री मानाराम S/o चुन्नीलालजी	तेली	धरियावद
2.	,, चन्दुदास S/o रणछोड़दासजी	वैष्णव	,,
3.	,, नशीर मोहम्मद S/o अनवर खाँ	मुसलमान	,,
4.	,, रामचन्द्र S/o शंकरलाल	ढोली	,,
5.	,, गोपीदास S/o भेरूदास	रंगासामी	,,
6.	,, गोविन्द S/o कावड़	मेगवास	,,
7.	,, रतनलाल S/o हीरालाल	कुमावत	,,
8.	,, रतनसिंह S/o सरदारसिंह	राजपूत	,,
9.	,, पूर्णशंकर S/o गोरीशंकर	ब्राह्मण	,,
10.	,, शैलेन्द्र कुमार S/o शान्तीलाल	जैन	,,
11.	,, श्रीमति वन्दनादेवी S/o भंवरलाल	मीणा	,,
12.	,, सोहनीबाई w/o छगनलालजी	चौधरी	,,
13.	,, नूरबानो w/o अब्दुल सलीम	मुसलमान	,,
14.	श्री नगा S/o मेगाजी	मीणा	,,
15.	,, लक्ष्मण S/o सरवण	,,	,,
16.	,, हीरा S/o कचहा	,,	,,
17.	,, गौतम S/o धनजी	,,	,,
18.	,, पन्ना S/o नत्थु	,,	,,

280

कृषि ऊपज मण्डी हिण्डौन द्वारा सड़क निर्माण

520. **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन द्वारा अब तक किन-किन गावों को सड़कों से जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी सड़कों के टेण्डर स्वीकृत हुए हैं ? उनमें से कितनी सड़कें किन कारणों से आज तक अधूरी पड़ी हैं।

(3) किन-किन सड़कों के मिट्टी एवं मिट्टी के कार्य का भुगतान कर दिया गया है ?

(4) उक्त कृषि उपज मण्डी हिण्डौन द्वारा किन-किन नवीन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन द्वारा अब तक निम्न गावों को जोड़ा गया है :—

(1) श्री महावीरजी उर्फ नोरंगाबाद, (2) परिता (3) हुक्मीखेड़ा, (4) सिकरोदा (5) जटवाड़ा (6) खेड़ली गुर्जर (7) खरेटा (8) मण्डावरा (9) रोड़कलां (10) बहादुरपुर (11) एकोरासी [12] ढिढोरा [13] भिरणा [14] फतेहसिंहपुरा [15] घुरसी

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) निम्न सम्पर्क सड़कों पर मिटट्टी व मिट्टी का भुगतान कर दिया गया है :—

(1) हिण्डौन करोली रोड से तेली की फन्सेरी (2) हिण्डौन करौली रोड टोडपुर करवाड़ वाया मीना का सगला [3] करमोली गांव [4] सूरोठ से फतेहसिंहपुरा [5] सूरोठ से मुरसी [विस्तार] [6] सूरोठ से जटवाड़ा [विस्तार] [7] खरेटा से भिरना [8] करौली रोड से रोड़कलां।

[4] वर्तमान में मण्डी समिति से सही प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	सड़क का नाम	टेण्डर स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	हिण्डौन करोली रोड़ से टोडपुर करवाड़ वाया मीना का नगला	स्वीकृत	कार्य प्रगति पर	—
2.	सम्पर्क सड़क करसोली	,,	कार्य प्रगति पर	—
3.	महु ब्रिज से खेड़ली गुर्जर (विस्तार)	,,	,, ,,	—
4.	सूरोठ से धुरसी (विस्तार)	,,	,, ,,	—
5.	सूरोठ से जटवाड़ा (विस्तार)	,,	,, ,,	—
6.	सूरोठ से फतेहसिंहपुरा	,,	,, ,,	—
7.	हिण्डौन करोली रोड़ से तेली की फन्सेरी	,,	,, ,,	—
8.	खरेटा से भिरना	,,	,, लगभग कार्य पूर्ण होने की स्थिति	—
9.	हिण्डौन करोली से रोड़कलां	,,	,, ,,	—
10.	बाजना (अधूरी)	,,	,, कार्य शुरू नहीं	कार्यादेश 16 जुलाई को जारी किया गया।
11.	हिण्डौन रोड़ से कटकड़ गांव	,,	,, ,,	,, ,,
12.	हिण्डौन करोली रोड़ से काचरोली मालीकापुरा	,,	मिट्टी का कार्य पूर्ण	फसल खड़ी होने के कारण निर्माण कार्य बन्द।

(281)

(अजमेर) गोदियाना-टिकावडा सड़क

521. **श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ जिला अजमेर में गोदियाना-टिकावडा डामर की सड़क का निर्माण कृषि उपज मण्डी द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में व कितनी राशि लगाकर ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कब से है व इसे दुरुस्त कराने की क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में हो रही भारी असुविधा की दृष्टि से सरकार का इस सड़क का शीघ्र मरम्मत कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1982 में 4,36,181.00 रूपये लगाकर निर्माण कराया गया है ।

(2) जी हां । वर्ष 1983 से क्षतिग्रस्त है । मण्डी समिति के अन्तर्गत परियोजना कार्यों के कारण मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इस सड़क पर मरम्मत हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) मण्डी की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण फिलहाल सड़क की मरम्मत हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 522 [स्थगित]

मूंगसका में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी द्वारा भूमि का क्रय

523. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में दिल्ली रोड़ पर ग्राम मूंगसका में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सोसायटी द्वारा 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन बाजार भाव से पांच गुना ऊंची कीमत पर करीद करने का इकरारनामा किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री सोसायटी के पक्ष में हुये बिना ही लगभग 8 लाख का भुगतान कर दिया गया ?

(3) कौन अधिकारी इस सौदे के लिये जिम्मेदार है एवं सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) अलवर में दिल्ली रोड़ पर ग्राम मूंगसका में राजस्थान हाऊसिंग फाईनेंस को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन 16 5 लाख रूपयों में खरी-दने का इकरारनामा किया गया ।

(2) जी, हां । अनुबन्ध दिनांक 13-7-1989 वास्ते राशि 16.5 लाख के पेटे 8.00 लाख का भुगतान विक्रेताओं को किया गया ।

[सहकारिता मंत्री]

(3) इस सौदे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यात्मक जांच कराई गई थी और उसके पश्चात राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत विस्तृत जांच कराई गई। जांच में भूमि की क्रय कार्यवाही एवं भूमि के मूल्य निर्धारण को गलत पाया गया और उसके लिये निम्न अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया :—

1. श्री फतेह सिंह चारण, तत्कालीन प्रशासक, राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर।
2. श्री पी. सी. डूडी, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक, राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर।
3. श्री जी. आर. थवानी, उपप्रबन्धक, राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर.
4. श्री वी. वी. माथुर, ए. ई. एन. राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर।

इस मामले में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही विचाराधीन है।

भीनमाल में उद्योग हेतु भू आवंटन

524. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरिनारायण पुत्र श्री केसरमल अग्रवाल को भीनमाल में उद्योग लगाने हेतु जमीन आवंटन की गई ? यदि हां, तो कब एवं किस दर से ?

(2) क्या उक्त आवंटन शर्त सहित था ? यदि हां, तो शर्त क्या थी ?

(3) क्या पूर्व में जिलाधीश जालोर ने आवंटन को निरस्त किया था ? यदि हां, तो कब व किस कारण से ?

(4) क्या वर्तमान में हरिनारायण ने अमेरीकी नागरिकता प्राप्त कर ली है ?

(5) क्या उक्त जमीन का बेचान/विक्रय हुआ है ? यदि हां, तो कब व किसको एवं किन शर्तों पर ?

(6) क्या जिस स्थान पर उद्योग हेतु भू-आवंटन हुआ है वहां पर अभी तक उद्योग नहीं लगा है या लगाया गया है ?

(7) क्या सरकार उक्त आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री हरिनारायण अग्रवाल को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2 (129) राज/बी/69 दिनांक 19-6-69 के द्वारा उद्योग लगाने हेतु आवंटन की स्वीकृति दी गई थी जिसके तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 12 [3] [17] राज/779 दिनांक 11-8-69 जारी किये गये। आवंटन 50 पैसा प्रति वर्गगज की दर पर किया गया था।

(2) जी, हां। राज्य सरकार की स्वीकृति एवं जिला कलक्टर के आवंटन आदेश

284

(राजस्व मंत्री)

जिसमें शर्तों का उल्लेख है, की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं। जिला कलक्टर जालोर द्वारा आवंटन निरस्त नहीं किया गया बल्कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2 [129] राज/बी/69 दिनांक 16-12-71 के द्वारा आवंटन हेतु जारी स्वीकृति दिनांक 19-6-69 वापस ले ली गई थी क्योंकि आवंटित भूमि आवासीय क्षेत्र के अधिक नजदीक थी एवं भीनमाल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुका था। इसके अलावा श्री हरिनारायण अग्रवाल भारत छोड़कर अमेरिका चले गये और उन्होंने प्रस्तावित उद्योग स्थापित नहीं किया। यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-7-78 द्वारा निरस्त किया गया।

(4) जी, हां।

(5) इसके बाबत राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(6) जी, हां। उक्त आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

(7) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

REVENUE (B) DEPARTMENT

To

The Collector,
Jalore.

No F. 2 (129) Rev/B/69 Jaipur, dated 19th June, 69

Sub:– Allotment of land to Shri Hari Narain Agarwal for setting of Industry in Khasra No. 2386 in Bhinmal town, Distt. Jalore.

Ref:– Your No. F. 12 (3) (13) Raj./202 dated 28-3-69.

I am directed to convey sanction of the Government U/s 102 of the Land Revenue Act, 1956 for the allotment of 5,000sq. Yards of land for Industrial purposes in Khasra No. 2386 in Bhinmal to Shri Hari Narain Agarwal on the following terms and conditions :—

1. The applicant shall not transfer or sub–let it.

2. The applicant shall pay the prevailing market price of the land for the nearet abadi land. The market rate will be ascertained by the Correectorate and on payment of the full price, possession of the land shall be given to be allottee.

3. The applicant will be required to execute agreement incorporating all the above conditions and get it stamped registered at his own cost.

-Sd-
Dy. Secretary to Govt.
(Revenue)

Sub:— Allotment of land to Shri Hari Narain Agarwal for setting of Industry in Khasra No. 2386 in Bhinmal District Jalore.

In compliance with the order received from the Govt. in Revenue 'B' Department vide its No. F.2 (129) B/69 dated 19-6-69 sanction is hereby accorded for the allotment of 5000 Sq. yards of land for industrial peeposes in Kh, No. 2386 in Bhinmal town to Shri Hari Narain Agarwal on the following terms and conditions :-

1. The applicant shall not transfer or sub-let the allotted land.

2 The applicant shall pay 0.50 (Fifty) paisa per Sq. Yard and on payment of the full price, posseesion of land will be given to the allottee.

3. The land will be given to the allottee on Bhinmal Ramseen road in the east of the Govt. residential house at present under the occupation of Dy. Supt. of Police, Bhinmal after leaving land for road between them.

(286)

4. The applicant will be required to execute agreement incorporating all the above conditions and get it stamped registered at his own cost.

Sd
(Mahendra Singh)
Collector, Jalore.

No. F. 12 (3) (17) Rev/ Dated Aug. 69

Copy forwarded to the :—

1. Tehsildar Bhinmal for information and necessary action.
2. Shri Hari Narain Agarwal of Bhinmal.

-Sd-
Collector Jalore.

गंगानगर कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत चुनावढ़ से सागरवाला सड़क

525. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत चुनावढ़ से सागरवाला ग्राम तक चार किलोमीटर सड़क के टेण्डर कब हुये और एक किलोमीटर सड़क पर रोड़ी की सीलिंग होने के बाद भी यह सड़क अधूरी क्यों पड़ी है ?

(2) अब इस सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क चुनावढ़ से सागरवाला के टेण्डर दिनांक 28-8-80 को हुए। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बीच में छोड़ देने एवं शेष कार्य अनुबन्ध के हर्जे खर्चे पर पूरा करवाने हेतु प्राप्त निविदाओं की दरें अधिक आने पर निरस्त किये जाने के कारण कार्य अधूरा है।

(2) कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनः निविदा दिनांक 20-8-90 को प्राप्त की जानी है। तत्पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा।

बस्सी क्षेत्र के थानों में दर्ज प्रकरण

526. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किन-किन थानों में 1980 से अब तक के किस-किस प्रकार के कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए ? उनमें हत्या, चोरी एवं डकैती के कितने मामले थे ? उनमें से कितने मुकदमों का कोर्ट में चालान हुआ और कितने मामलों से एफ. आर. लगी ?

(2) उक्त क्षेत्र के थानों में उक्त अवधि में कितने चोरी एवं डकैती के मुकदमों में माल बरामद हुआ और शेष मामलों में बरामदगी नहीं होने का क्या कारण रहा ? क्या सरकार चोरी एवं डकैती का माल बरामद करावेगी ? यदि हां, तो कितने समय में ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के बस्सी एवं चाकसू थानों में वर्ष 80 से अब तक जो प्रकरण दर्ज हुए और हत्या, डकैती एवं चोरी से सम्बन्धित प्रकरणों की अपेक्षित सूचना तालिका "अ" में सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) चोरी और डकैती के क्रमशः 302 एवं 14 अभियोगों का माल बरामद किया गया। चोरी एवं डकैती के माल की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किये जाते रहते हैं और प्राय: किसी एक चोरी का राज खुलने पर अनेक चोरियों का माल बरामद हो जाता है। बरामदगी के प्रयास लगातार जारी रहेंगें।

भाग "क"

क्र. सं.	नाम थाना विधान सभा [illegible] बस्सी	शीर्षक	कुल रिर्पोट	चालान	फाईनल रिर्पोट	पैन्डिग पुलिस	चालान 299 जा.फो.	157 बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्सी	डकैती	12	11	1	—	—	—
		लूट	26	11	15	—	—	—
		हत्या	33	20	10	3	—	—
		तकबजनी	204	60	143	1	—	—
		चोरी	474	104	357	9	—	4
		बलवा	667	372	291	3	—	1
		अन्य ता. हि.	1466	1037	415	13	1	—
		योग	2882	1615	1232	29	1	5

भाग "ब"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	चाकसू	डकैती	3	3	—	—	—	—
		लूट	29	14	15	—	—	—
		हत्या	34	23	9	2	—	—
		नकबजनी	231	75	153	2	1	—
		चोरी	505	123	377	5	—	—
		बलवा	665	398	266	1	—	—
		अन्य ता.हि.	1354	880	458	15	1	—
		योग	2821	1516	1278	25	2	—

(290)

कोटा, बीकानेर व गंगानगर सिंचित क्षेत्र में पक्के खाले

527. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिंचित क्षेत्र विकास द्वारा कोटा बीकानेर और गंगानगर जिलों में बनाये गये पक्के खालों में कहां-कहां इनका खर्च विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है और कहां-कहां काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार सब काश्तकारों को समान मानते हुए खालों का खर्च माफ करने या व्यय सरकार द्वारा वहन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा एवं गंगानगर जिलों में तो काश्तकारों से वसूली की जानी है लेकिन वर्तमान में राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों की वसूली स्थगित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के स्टेज–11 के क्षेत्र के (बीकानेर क्षेत्र) में खाले राजकीय कीमत पर केन्द्रीय परावर्तित योजना के तहत अनुदान उपलब्ध करा बनाये जा रहे है, अतः खालों की कोई कीमत वसूल नहीं की जा रही है।

(2) भारत सरकार को इन कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये ऋणों को माफ करने हेतु निवेदन किया गया है जैसे ही भारत सरकार की सहमति प्राप्त होगी इस पर कार्यवाही की जायेगी।

पूर्व मंत्री को कृषि भूमि का आवंटन

528. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्व मंत्री श्री रतन लाल ताम्बी को सन् 1960 से 1989 तक कितनी-कितनी कृषि भूमि आवंटित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्री ताम्बी के पुत्रों के नाम से भी राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी एवं किस-किस नाम से ?

(3) इस समय जिला भीलवाड़ा में श्री ताम्बी एवं उनके परिवार के सदस्यों के पास कितनी भूमि है ? प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उनको आवंटित भूमि में से ग्राम पंचायत ऊंचा में आवंटित भूमि का नामान्तरकरण राजस्व बोर्ड द्वारा खारिज किया गया है ? यदि हां, तो क्या उस भूमि को किसी गरीब किसान के पक्ष में आवंटन करने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पूर्व मंत्री श्री रतनलाल ताम्बी को सन्, 1960 से 1989 तक कुल 47 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी, हां । श्री ताम्बी के पुत्रों को आवंटित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम पुत्र	ग्राम	ख.नं.	रकबा
1.	श्री राजेन्द्रप्रसाद	पण्डेर	4851	1/2भी 6.05बी.
2.	श्री गजेन्द्रप्रसाद	,,	,,	6.05बी.

(3) इस समय जिला भीलवाड़ा में श्री रतनलाल ताम्बी व उनके परिवार के नाम 152 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) जी, हां । इस भूमि का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में लम्बित है निर्णय होने के बाद तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट "क"

ग्राम का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	वर्ष
ऊंचा	779/2	14.15 बीघा	--
तसवारिया	572/3	14.09 बीघा	1960
	588/2	7.00 बीघा	1961
	546	9.08 बीघा	1963
टीटोडी	1071/1	1.10 बीघा	1970 से पूर्व में ।
		47.02 बीघा	

परिशिष्ट "ख"

नाम सदस्य मय संबंध	नाम ग्राम	खातेदारी की कुल भूमि	गैर खातेदारी की कुल भूमि
श्री रतनलाल ताम्बी स्वयं	पण्डेर	18.00 बीघा	--निल--
	तसवारिया	38.07 बीघा	,,
	टीटोड़ी	1.10 बीघा	,,
	ऊंचा	14.15 बीघा	,,

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4
श्री धन्नालाल ताम्बी (पिता)	पण्डेर	17.03 बीघा	—निल—
श्री जगदीश प्रसाद (भाई)	,,	20.00 बीघा	,,
श्री चान्दमल (भाई)	,,	19.13 बीघा	,,
श्री राजेन्द्रप्रसाद (पुत्र)	,,	10.10 बीघा	,,
श्री गजेन्द्रप्रसाद (पुत्र) श्री बबिलायत वाल्दा नन्दकंवर पत्नि रतनलाल	सामलाती खाता		
श्री गजेन्द्रप्रसाद (पुत्र)	पण्डेर	—निल—	6.05 बीघा
श्री राजेन्द्रप्रसाद (पुत्र)	पण्डेर	—निल—	6.05 बीघा
		139.18 बीघा	12.10 बीघा= 152.80 बीघा

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लघु भू-पट्टी आवंटन

529. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की प्रथम चरण की उपनिवेशन तहसील रावतसर, नोरंगदेसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, नं. एक दो व तीन रायसिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना में लघु भू-पट्टी का आवंटन निर्धारित कीमत रु. 2300/–प्रति बीघा की दर पर किया गया है एवं किया जा रहा है।

(2) क्या तत्संदर्भ में आवंटियों के नाम आवंटन आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

(3) क्या लघु भू-पट्टी निर्धारित रु. 2300/– की दर से आवंटन आदेश जारी करने के पश्चात् आवंटी से नौ हजार छह सौ प्रति बीघा की दर से राशि वसूल की जा रही है यदि हां, तो क्यों व किस प्रावधान के तहत ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 4 (27) राज/उप/76 दिनांक 8-10-76 के अनुसार आरक्षित कीमत के दुगनी राशि पर भूमि के वर्गीकरण के आधार पर लघु भू-पट्टी का आवंटन किया जाता है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

293

पटवारियों की रोस्टर से पदोन्नति

530. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 19 मई, 1990 को इस आशय के आदेश दिये थे कि अनुसूचित जाति व जन जाति के पटवारियों को रोस्टर पद्धति के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया जाय ?

(2) यदि हां, तो आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन.ज.ति के कितने पटवारियों को पदोन्नत किया जाना था और वास्तव में पदोन्नति कितनों को दी गई ?

(3) यदि पदोन्नति तदनुसार नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल को दिनांक 19-5-90 का केवल पदोन्नति करके नियुक्ति करने के लिए आवंटन का आदेश है। अनुसूचित जाति/जनजाति के पटवारियों की भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आरक्षण से सम्बन्धित नियमों/अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

(2) अनुसूचित जाति के लिए कुल 66 पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 पद पदोन्नति के लिए उपलब्ध थे। अनुसूचित जाति के 24 पटवारियों को तथा अनुसूचित जनजाति के 3 पटवारियों को पदोन्नति दी गई।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पटवारियों की वास्तविक पदोन्नति आरक्षित पदों के मुकाबले इसलिए कम हुई क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति के अनुसार जोन ऑफ कन्सीडरेशन में अनुसूचित जनजाति के 32 तथा अनुसूचित जनजाति के 4 पटवारी ही पदोन्नति के लिए उपलब्ध थे। लेकिन प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि जोन ऑफ कन्सीडरेशन सही प्रकार से निर्धारित नहीं हुआ। इसलिए जोन ऑफ कन्सीडरेशन पर पुनर्विचार करके पुनरीक्षण के आदेश किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 334 की प्रति

सुखेलाल सैंगोचा,
विधायक, रायपुर क्षेत्र।

बी.–5 एम. एल. ए. क्वार्टर्स, जयपुर
दिनांक 18 अगस्त 1982

—: महत्वपूर्ण/गोपनीय :–

आदरणीय श्रीयुत मदेरणा साहब

मैं भारी अफसोस के साथ आपको इस वर्ष पाली जिले के, रायपुर व जैतारण तहसीलों में अकाल राहत कार्यों में भारी गोल—माल व जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सूचना श्रीमान को दे रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल, आर. ए. एस. विधायकों पर प्रभाव डालकर पाली जिले के सिचाई एवं पी. डब्लू. डी. विभाग में प्रशासनिक अधिकारी लगवा दिए गऐ हैं एवं अकाल राहत के कार्यों के जो ठेके दिये गये है उनमें सरकार को भारी धोखा देने की कोशिश की गई है जहां तक क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया, उससे आपकी सेवा में अर्ज कर रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बिराटियां खुर्द में श्री मीठालाल पुत्र दूलेराज जैन को देखरेख में श्रमिक ठेका सहकारी समिति, किराटियां खुर्द, त. रायपुर मारवाड़ (पाली) का फर्जी नामों से सहकारी समिति बनाकर श्री उमराव सिंह चारण सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां पाली से अपने प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवाकर रायपुर व जैतारण तहसीलों में सिचाई विभाग की रीपटों व पी. डब्लू. डी. विभाग की सड़कों में लाखों रूपयों के ठेके लिए जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से श्री सी. डी. देवल हैं।

उक्त ठेके के सिचाई विभाग व पी. डब्लू. डी. के निर्माण कार्यों में फेमिन के मजदूरों से कार्य करवाया गया है और भुगतान उठा रहे है तथा जो नियमानुसार नहीं और मामूली काम कर भारी मात्रा में भुगतान उठाये जाने की व्यवस्था की गई है एवं की जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि आप सारा मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से अविलम्ब सारे रिकार्ड सीज कर अविलम्ब जांच की व्यवस्था गोपनीय कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री सी. डी. देवल नगरपालिका श्री भंवरलाल भाटी, अध्यक्ष, जैतारण से मिलकर स्थानीय विधायक के प्रभाव से जो ठेके फेमिन में सामान डालने के लिए ट्रके किराये पर ली गई हैं। उक्त मजदूरों व ट्रकों द्वारा जैतारण में एक सिनेमा हाल का निर्माण करवाया जा रहा है। मौके पर सारे माल की आने जाने पर जांच होने पर जनता में सारी बात सामने आ सकेगी। इस प्रकार सी.डी. देवल द्वारा अधिकारियों को धमका कर फेमिन ट्रकों से जिसका खर्चा सरकार को करना पड़ रहा है, अपने गांव बासनी (रायपुर तह.) में भारी मात्रा में पत्थर पहुंचाया है जो मौके पर मौजूद है जिले के प्रशासनिक अधिकारी विधायकों के भय से चुप हैं। जनता में भारी आतंक की स्थिति है, लोग स्थिति से अवगत कराते हुए डर रहे हैं कि यह खतरनाक आदमी कल उन्हें जिन्दा ही रहने नहीं देगा। मुझे उक्त सारे प्रकरण में हजारों लाखों रूपये का घोटाला नजर आता है। आप अविलम्ब उक्त सहकारी समिति एवं जैतारण में जांच कर पता लगाया जावें कि उक्त भारी घोटाला किस प्रकार किया गया है एवं अविलम्ब सारा रिकार्ड सीज कर श्री ओई. पी. सक्सैना, आ. पी. एस., सी.आई.डी. सी.बी. कोटा से अगर उक्त जांच हेतु 24 घन्टों में भेजने की व्यवस्था की जा सकें तो क्षेत्र में एवं पाली जिले में सरकार का नाम ऊंचा हो सकता है व भ्रष्टाचार जनता की नजरों के सामने

(295)

लाया जा सकता है । लोग यह सोच रहे हैं कि राज्य सरकार के अन्दर इतनी भारी गड़बड़ी को कोई देखने वाला भी है या नहीं।

मैं अपना कर्तव्य समझकर आपको उक्त जानकारी भेज रहा हूं एवं ऐसा सोचता हूं कि मेरे इस पत्र के मिलते ही उक्त सहकारी समिति एवं विभाग से भुगतान होना है उसे आज ही रोकने की व्यवस्था करते हुए जांच के आदेश फरमायेंगे।

आदर सहित

आपका विश्वसनीय
ह./—
(सुखलाल सेणचा)

श्रीयुत परसराम जी मदेरणा साहब,
अकाल राहत मन्त्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 898 की सूचना

छात्रावासी छात्रवृति (अनुसूचित जाति/जनजाति) की वर्षवार सूचना

वर्ष	छात्र संख्या	राशि
1980-81	567	1,61,720
1981-82	611	1,68,450
1982-83	783	2,28,390
1983-84	997	3,30,570
1984-85	1067	3,67,330
1985-86	1499	5,69,891
1986-87	1577	8,40,667
1987-88	233	1,32,385
1988-89	183	1,28,699
1989-90	210	1,37,515

भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना 1988–89 तथा आगे छात्रवृत्ति देने को शासित करने वाले विनियम 1–7–81 एवं तत्पश्चात् 1–7–89 से लागू नियम 5–(4).

सामान्यतः "छात्रावास" शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों के लिये एक साझा आवासीय भवन तथा साझा भोजनालय जो शैक्षणिक संस्था के प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन चलाया जा रहा हो। कालेज छात्रावास में आवास प्रदान करने में कालेज प्राधिकारियों के असमर्थ होने की स्थिति में आवास के लिये अनुमोदित स्थान को भी इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास माना जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों अथवा विनियमों यदि कोई हो, को ध्यान रखते हुए तथा विधिवत निरीक्षण के पश्चात् संस्था के प्रमुख द्वारा स्थान का अनुमोदन किया जायेगा। ऐसे मामले इस आशय का प्रमाण पत्र, कि "विद्यार्थी आवास के लिये अनुमोदन स्थान में रह रहा हैं। क्योंकि उसे कालेज छात्रावास में जगह नहीं मिली", संस्था के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 903 की प्रति:—

कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी. बी.) कोटा रेन्ज, कोटा

क्रमांक 87 दिनांक 21-3-90

सेवामें,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, (प्रथम),
सी. आई. डी. (सी. बी.) राजस्थान,
जयपुर।

विषय:—तथ्यात्मक रिपोर्ट मु. नं. 45/88 धारा 457,380 भा.दं.सं. थाना गेण्डोली जिला बूंदी।

महोदय,

वाकयात मुकदमा इस प्रकार है कि श्री रामनाथ पुत्र शम्भूनाथ गुरु जी निवासी खड़कड़ ने दिनांक 10-7-88 को हाजिर थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस

अमर की पेश की कि मैं धुन्धलेश्वर मूर्ति की पूजा सेवा करता हूं आज तारीख 10-7-88 रविवार को सदैव की तरह पूजा करने गया करीब दिन के 10 बजे थे मुझे वहां कोई मूर्ति नहीं मिली मैं वहां से खरकड की ओर चला खरकड में आकर मैने कहा कि आज रात को धुन्धलेश्वर की मूर्ति चोरी हो गई है। मैं मोटर स्टेण्ड पर आ गया वहां लोग इक्कटे हो गये वहां से खटकड के निवासी लोग धुन्धलेश्वर के मंदिर में देखने गये उसके बाद मैं गेण्डोली आया। मूर्ति का हुलिया इस प्रकार है बैठी हुई अवस्था में सांवले रंग की मूर्ति किस धातु की है मालुम नहीं आदि मैं वहां पर रात को नहीं सोता ना ही मैं ताला लगाता हूं क्योंकि मेरे साथ पहले मारपीट हो चुकी, रात को यात्री लोग जागरण करने आते है। इसलिये ताला नहीं लगता आदि पेश की जिस पर उक्त मुकदमा दर्ज होकर तकमील तफतीश की गई। दौराने तफतीश गवाहान सर्व श्री रामनाथ, गोपाल, लाला, प्रेम, दुर्गा लाल, हुसेन खां, श्रवण, रामगोपाल, शम्भू लाल, बचनसिंह, श्याम नारायण व्यास, जगदीश चौधरी, नैना राम, गंगा राम, महावीर प्रसाद प्रेम शंकर आदि के बयानात लिये गये। नक्शा मौका मूर्तिब किया गया तो तफ्तीश पर पाया गया कि श्री धुन्धलेश्वर महादेव की मूर्ति बूंदी नैनवा मार्ग पर खटकड गांव से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर मुख्य मार्ग पर मेज नदी के किनारे पहाड़ी पर नाथो का एक मंदिर बना हुआ है इस मंदिर के एक तिवारे में एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जो काले पत्थर की 2½ फुट ऊंची 1½ फुट चौड़ी थी वह मूर्ति करीब एक इन्च गड़ी हुई थी इस स्थान के आस पास इस मंदिर के खाते की जमीन भी है इस मंदिर की देख रेख का कार्य नाथ सम्प्रदाय से किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था और मरने के पश्चात उसे वहीं समाधि में दफन किया जाकर समाधि बनाई जाती थी। यह समाधियां वहां मौजूद है। सन् 1988 में इस मन्दिर की देखभाल श्री रामनाथ जो इसी सम्प्रदाय से संबंधित है, करता था! पहाड़ी पर जाने के लिए सिढियां बनी हुई है। एक जगह जुमा स्थान पर शटर लगा हुआ है। यह स्थान ज्यादातर गोठों के काम में आता है। अन्यथा विरानगी हालात में रहता है। पुजारी रामनाथ सेवा पूजा करता था इस स्थान पर शिवरात्री के रोज मेला लगता है। इस मूर्ति का वजन डेढ़ क्विंटल होगा। यह मूर्ति निश्चित ही नीलम की नहीं थी इस मूर्ति को 9 व 10 जुलाई 88 की रात्रि को कोई बदमाशान चोर आकर ले गये। इस मूर्ति की स्थापना संवत 1716 सं. सुदी ग्यारस सोमवार को हुई थी इसकी स्थापना श्री छतर लाल जी के समय में की गई थी। इस मूर्ति के हाथ माला गले में माला व कान में कुण्डल है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में थी इस स्थान पर 3–4 तिबारे व 2–3 कमरे हैं। इस मूर्ति के बारे में जिला बून्दी के समस्त थानेजात एवं अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तोड़, मन्दसौर, मुरैना भीलवाड़ा आदि की मुश्तेदी दी जाकर मूर्ति के बारे में मालूमात की गई मगर किसी तरह की कोई माफिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं मुस्तबा व्यक्तियों से इस मुकदमें के सम्बन्ध में तफतीश की गई उनसे भी इस मुकदमें के सम्बन्ध में कोई माफिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(298)

मुकदमा काफी देरीना हो चुका है। अब इस मुकदमे की और ज्यादा पैण्डिंग तफतीश रखना बेसुध है। अतः मुकदमा हाजा में पतारसी जारी रखते हुए एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान दिये जाने की स्वीकृति फरमाई जावे आइन्दा पता चलने पर पुनः एफ. आर. खोली जाकर तफतीश की जावेगी।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

ह/—
अपर पुलिस अधीक्षक,
सी.आई डी. (अपराध शाखा),
कोटा रेंज, कोटा।

श्री धुलेश्वर महादेव के पास आश्रम में दिनांक 10-7-88 को जो व्यक्ति रुके हुए थे, के नाम, पद, पते निम्न प्रकार हैं —

1. श्री श्याम नारायण व्यास, राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर व उनके साथ—
2. श्री जगदीश सिंह,
3. श्री नैना राम,
4. श्री बच्चन सिंह,
5. श्री भंवर लाल

मय टैक्सी आर. एस. टी. 4805 में पन्ने चन्द सिंघवी, यूआईटी सेक्रेटरी, श्री भगवती लाल ओझा, रिटायर्ड अध्यापक, श्री एस. पी.सी भण्डारी भूतपूर्व प्रिंसिपल का खटकड़ नदी के किनारे श्री व्यास ने आश्रम बना रखा है। वहां आना पाया गया था व रात्रि को जागरण करना तथा दूसरे दिन वहां से चले जाना पाया गया। जिनसे तफतीश की गई परन्तु मूर्ति का कोई पता नहीं चला।

इसके अलावा मोती लाल, राम गोपाल, मोडू निवासी खटकड़ से भी तफतीश की गई तो मूर्ति का कोई पता नहीं चला।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 904 की सूची

पंचायत समिति आमेर एवं झोटवाड़ा क्षेत्र में संचालित अनुदानित संस्थाओं की सूची :—

1. प्रौढ़ महिलाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम वर्ष 1990-91

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता
1.	भूमिजा मेमोरियल एकेडमी शिक्षा समिति, शिल्प कॉलोनी, झोटवाड़ा
2.	श्री कमला बाल मन्दिर समिति, ई-113, प्रेमनगर, झोटवाड़ा
3.	गणपति बाल मन्दिर संचालन समिति, रैगरों का मोहल्ला, झोटवाड़ा
4.	अंशु एकेडमी शिक्षा समिति, 44, जगन्नाथ पुरी, झोटवाड़ा
5.	विवेक चिल्ड्रन एकेडमी शिक्षा समिति, कालवाड़ा, झोटवाड़ा, जयपुर
6.	वन्दना चिल्ड्रन स्कूल शिक्षा समिति, ग्राम-बिन्दायका (झोटवाड़ा)

नोटः—प्रौढ़ महिलाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति आमेर में कोई संस्था अनुदानित नहीं है।

2. बाल अवकाश शिविर कार्यक्रम वर्ष 1990-91

1. ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल महिला एवं बाल कल्याण समिति, ग्राम-खोरा बीसल, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर
2. श्री ओम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, प्लाट नं. 26, गुलाब बाडी झोटवाड़ा, जयपुर।

3. वार्षिक अनुदान कार्यक्रम वर्ष 1990-91

1. कौशल बाल निकेतन समिति, पंचायत समिति के पास, झोटवाड़ा, जयपुर

नोटः—वार्षिक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत आमेर पंचायत समिति में कोई संस्था अनुदानित नहीं है।

4. पोषाहार कार्यक्रम वर्ष 1990-91

1. संचालन समिति ब्रज बाल मन्दिर, कलावती भवन, राणा प्रताप नगर, झोटवाड़ा, जयपुर
2. लक्ष्मी आदर्श बाल विद्यालय समिति, प्लाट नं. 94, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।

3. श्री कमला बाल मन्दिर समिति, ई–113, झोटवाड़ा, जयपुर

नोटः—पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत आमेर पंचायत समिति में कोई संस्था अनुदानित नहीं हैं। केन्द्रीय बोर्ड से विलम्ब से धनराशि प्राप्त होने के कारण संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान राशि निर्गत की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. शिशु पालना गृह कार्यक्रम वर्ष 1990-91

1. दी नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, गाँधी चौक, आमेर (जयपुर)।
2. शिक्षा निकेतन आमेर, जयपुर।

पंचायत समिति, झोटवाड़ाः—

1. कुसुम विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, बी–27, रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. नवोदय विद्या मन्दिर समिति, बरकत कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर।
3. गणपति बाल मन्दिर संचालन समिति, रेगर बस्ती, झोटवाड़ा, जयपुर।
4. अल्पना शिक्षा समिति खुडिया भवन, शिल्प कॉलोनी, झोटवाड़ा।
5. विवेक चिल्ड्रन एकेडमी शिक्षा समिति, कालवाड़ा, झोटवाड़, जयपुर।
6. अंशु एकेडमी शिक्षा समिति, 84, जगन्नाथ पुरी कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।
7. भूमिजा मेमोरियल एकेडमी शिक्षा समिति, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाड़ा, जयपुर।
8. नेशनल एजूकेशन सैन्टर स्कूल शिक्षा समिति, 55, शिल्प कॉलोनी, झोटवाड़ा।
9. लक्ष्मी आदर्श बाल विद्यालय समिति, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।
10. मदरलैण्ड स्कूल शिक्षा समिति, हाथोज, झोटवाड़ा, जयपुर।
11. राजस्थान आदर्श विद्या पीठ सोसायटी, राणाप्रताप नगर, झोटवाड़ा।
12. नेहरू पब्लिक शिक्षा समिति, 228, मानसरोवर कॉलोनी, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
13. अरविन्द भारती विद्यालय समिति, 42, पटेल नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा।
14. भारतीय आदर्श विद्यापीठ सोसायटी, 5–गणेश कॉलोनी, झोटवाड़ा जयपुर
15. श्री कमला बाल मन्दिर समिति, ई–113, प्रेम नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।

16. नव भारत हैप्पी स्कूल समिति, बिस्मिला कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।
17. अर्चना चिल्ड्रन एकेडमी शिक्षा समिति, सिरसी, झोटवाड़ा, जयपुर।
18. सावित्री बाल शिक्षा समिति, निमेड़ा, पो. भूडिया रामसर, झोटवाड़ा, जयपुर।
19. सरोज चिल्ड्रन एकेडमी समिति, हाथोज, झोटवाड़ा, जयपुर।
20. आदर्श शिक्षा समिति, गोकुलपुरा, पो. मीनावाला, झोटवाड़ा, जयपुर।
21. वन्दना चिल्ड्रन स्कूल शिक्षा समिति, बिदायका, झोटवाड़ा जयपुर।
22. जय हिन्द शिक्षा समिति; शिवनगर, सीकर रोड, जयपुर।

नोटः—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली से अभी धनराशि प्राप्त न होने के कारण संस्थाओं को अनुदान राशि निर्गत नहीं की गई है।

6. सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन इकाई एवं डेयरी योजना वर्ष 1990-91

1. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. जयेश पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय समिति, 13, जय अम्बे कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर।
3. श्री तिलक बाल विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, कमला नेहरू नगर जयपुर।
4. संचालन समिति ब्रज बाल मन्दिर, झोटवाड़ा, जयपुर।
5. कुसुम विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, बी-27, रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर।
6. संचालन समिति ब्रज बाल मन्दिर, झोटवाड़ा जयपुर।

7. निर्धन एवं ग्रामीण महिला जागरूकता प्रसार योजना वर्ष 1990-91

1. जयपुर ग्रामीण स्वास्थ्य विकास ट्रस्ट 10, गणेश कॉलोनी, मोती डूंगरी, जयपुर।
2. कौशल बाल निकेतन समिति, झोटवाड़ा।
3. वोमैन्स इरा सोसायटी, एम. एस. बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।
4. जनहित बाल कल्याण समिति, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।
5. नव भारत हैप्पी स्कूल, 17 बिस्मिला कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।

(302)

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 919 की सूची

मार्च 1990 के बाद जयपुर जिले में निलम्बित किये गये प्रधान, सरपंच व पंचों का विवरण

निलम्बन का दिनांक	प्रधान का नाम व पं स.	पंच का नाम व ग्राम पंचायत/पं. स.	सरपंच का नाम व ग्राम पंचायत व पं स.	सरपंचों के विरूद्ध आरोपों का विवरण
1	2	3	4	5
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 3/एजे/38/जय/89/3316–21 दिनांक 21–5–90	—	—	श्री रघुनाथ मौर्य, सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल पं स. झोटवाड़ा	सिवाय चक, चारागाह एव वन विभाग की भूमि में पट्टे देकर अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने एवं पंचायत अधिनियम के सामान्य नियम 1961 की अवहेलना कर पट्टे जारी करने के गम्भीर आरोप पाये गये।
,, 3322–27 दि. 21.5.90	—	श्री राजेन्द्र सिंह उप-सरपंच, ग्राम पंचायत सुमेल, पं स. झोटवाड़ा	—	भूमि विक्रय पत्रावलियों में बगैर मौका देखे ही भूमि पर कब्जा बताकर अवैधानिक भूमि विक्रय में सरपंच का सहयोग किया गया।
,, 3334–39 दि. 21.5.90	—	श्री प्रहलादसहाय, पंच ग्रा. पं. सुमेल, पं. स. झोटवाड़ा	—	,, ,,

303

1	2	3	4	5
,, 3340–45 दि. 21.5.90	—	श्री भगवान सहाय, पंच ग्रा. पं. सुमेल, पं. स. झोटवाड़ा	—	,, ,,
,, 3346–51 दि. 21.5.90	—	श्री कल्याण, पंच पं. स. सुमेल, पं. स. झोटवाड़ा	—	,, ,,
,, 3328–33 दि. 21.5.90	—	श्री नन्दराम, पंच ग्रा. पं. सुमेल पं. स. झोटवाड़ा	—	,, ,,
एफ. 3/एजे 2/जांच/जय/90 3845–52 दिनांक 8.6.90	—	—	श्री ग्यारसीलाल, सरपंच ग्रा. प. जयसिंहपुरा खोर पं. स. झोटवाड़ा	सिवाय चक, ग्राम रास्ता, चारागाह भूमि के आवासीय पट्टे जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने, कच्चे से पुख्ता निर्माण की स्वीकृति के 51/– रुपये की राशि नियमों के विरुद्ध प्राप्त कर पद का दुरुपयोग करना आदि ।

304

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 926 की सूची

पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस की जिलेवार संख्या माह मई 1990

क्र. सं.	नाम जिला	उप-निरीक्षक			सहायक उप-निरीक्षक			हैड कानि.			कानि		
		स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त/अ.	स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त/अ.	स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त/अ.	स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जयपुर शहर	225	219	6	178	165	13	544	531	13	3907	3855	52
2.	जयपुर ग्रामीण	69	67	2	58	56	2	158	153	5	1086	1086	—
3.	सीकर	29	28	1	30	31	+1	102	101	1	709	705	4
4.	झुन्झुनूं	21	22	+1	24	21	3	83	74	9	567	543	24
5.	टौंक	28	28	—	32	32	—	96	96	—	679	677	2
	योग	372	364	8	322	305	17	983	955	28	6948	6866	82
6.	अजमेर	69	64	5	82	81	1	182	182	—	1607	1598	9
7.	नागौर	44	44	—	44	44	—	124	115	8	952	931	21
8.	भीलवाड़ा	41	41	—	68	68	—	146	141	5	1081	1081	—
	योग	154	149	5	194	193	1	452	439	13	3640	3610	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	भरतपुर	50	52	+2	70	69	1	147	150	+3	1070	1067	3
10.	अलवर	48	44	4	67	63	4	149	143	6	1138	1132	6
11.	सवाई माधोपुर	42	36	6	56	56	—	128	127	1	916	914	2
12.	धौलपुर	18	18	—	29	29	—	74	74	—	501	501	—
	योग	158	150	8	222	217	5	498	494	4	3625	3614	11
13.	जोधपुर	71	68	3	85	85	+2	188	186	2	1575	1570	5
14.	बाड़मेर	29	29	—	20	20	—	98	98	—	680	632	48
15.	जैसलमेर	18	17	1	8	7	1	64	62	2	450	444	6
16.	पाली	36	35	1	36	34	2	129	129	—	908	908	—
17.	सिरोही	19	21	+2	18	18	—	76	73	3	512	486	26
18.	जालौर	22	22	—	15	15	—	71	71	—	488	488	—
	योग	195	192	3	182	181	1	626	619	7	4613	4528	85
19.	उदयपुर	96	90	6	117	110	7	270	257	13	2177	2098	79
20.	चित्तौड़गढ़	49	48	1	66	63	3	155	129	26	1142	1112	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	बांसवाड़ा	22	22	—	26	26	—	76	65	11	521	499	22
22.	डूंगरपुर	17	15	2	23	20	3	64	57	7	417	408	9
	योग	184	175	9	232	219	13	565	508	57	4257	4117	140
23.	बीकानेर	47	45	2	54	49	5	128	122	6	1085	1053	32
24.	चूरू	24	22	2	34	34	—	88	81	7	644	607	37
25.	गंगानगर	61	64	+3	99	95	4	198	188	10	1392	1353	39
	योग	132	131	1	187	178	9	4'4	391	23	3121	3013	108
26.	कोटा शहर	55	50	5	70	68	2	144	125	18	1156	1128	28
27.	कोटा ग्रामीण	52	52	—	58	58	—	150	146	4	1100	1068	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	बूंदी	23	21	2	34	34	—	77	69	8	573	539	34
29.	झालावाड	32	29	3	43	39	4	112	112	—	826	791	35
	योग	162	152	10	205	199	6	482	452	30	3655	3526	129
	कुल योग	1357	1313	44	1544	1492	52	4020	3858	162	29859	29274	585

308

पुलिस विभाग में अर्दलियों की स्वीकृत नफरी

क्र. सं.	जिला एवं यूनिट	अधिकारियों के लिये आपली		कार्यालय के लिए अर्दली	
		मु. आ.	आरक्षक	मु. आ.	आरक्षक
1.	जयपुर शहर	4	60	2	32
2.	जयपुर ग्रामीण	—	18	—	11
3.	झुन्झुनूं	—	12	—	2
4.	सीकर	—	12	—	2
5.	टौंक	—	12	—	2
6.	भरतपुर	1	18	—	3
7.	अलवर	—	19	—	3
8.	धौलपुर	—	10	—	3
9.	सवाई माधोपुर	—	16	—	2
10.	बीकानेर	1	21	—	5
11.	चूरू	—	12	—	2
12.	गंगानगर	—	25	—	3
13.	जोधपुर	1	28	—	6
14.	सिरोही	—	11	—	2
15.	बाड़मेर	—	12	—	2
16.	पाली	—	15	—	3
17.	जैसलमेर	—	9	—	2
18.	जालौर	—	10	—	2
19.	उदयपुर	1	34	—	7
20.	चित्तौड़गढ़	—	20	—	3
21.	बांसवाड़ा	—	9	—	2
22.	डूंगरपुर	—	9	—	2
23.	कोटा सिटी	1	20	—	5
24.	कोटा ग्रामीण	—	16	—	6
25.	बून्दी	—	11	—	2
26.	झालावाड़	—	12	—	3
27.	अजमेर	1	23	—	3
28.	भीलवाड़ा	—	19	—	3
29.	नागौर	—	15	—	3
30.	जी. आर. पी.	—	18	—	3
	कुल योग	10	526	2	129

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 927 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 87–88 से 90–91 (जून, 90 तक) की प्रगति विशेष आवंटन

(एकड़ में)

तहसील उपनिवेशन	वर्ष 2	आवंटित सं. 3	कमाण्ड 4	अ क. 5	योग 6
छत्रगढ़–1	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	67	44	951	995
	1989–90	135	984	581	1565
	1990–91 [जून, 90 तक]	5	—	6	6
	योग	207	1028	1538	2566
छत्रगढ़–2	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	234	490	3073	3563
	1989–90	230	534	3308	3842
	1990–91	3	7	41	48
	योग	467	1031	6422	7453
पूंगल	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	343	1616	3804	5420
	1989–90	672	1926	8963	10889
	1990–91	5	44	65	109
	योग	1020	3586	12832	16418

(310)

1	2	3	4	5	6
लूणकरनसर	1987–88	10	44	115	159
	1988–89	17	46	115	161
	1989–90	64	191	414	605
	1990–91	—	—	—	—
	योग	91	281	644	925
बीकानेर	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	5	47	—	47
	1989–90	25	284	53	337
	1990–91	—	—	—	—
	योग	30	331	53	384
कोलायत–1	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	35	79	948	1027
	1989–90	52	189	94	283
	1990–91	—	—	—	—
	योग	87	268	1042	1310
कोलायत–2	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	5	109	18	127
	1989–90	4	109	14	123
	1990–91	—	—	—	—
	योग	9	218	32	250
कोलायत–3	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	4	28	34	62
	1989–90	144	1539	1039	2578
	1990–91	—	—	—	—
	योग	148	1567	1073	2640

1	2	3	4	5	6
कोलायत–4	1987–88	—	—	—	—
	1988–89	45	844	144	988
	1989–90	167	2773	201	2974
	1990–91	—	—	—	—
	योग	212	3617	345	3962

श्री गंगानगर जिले में वर्ष, 89–90 एवं 90–91 [जून, 90 तक] विशेष ग्रावंटन की प्रगति एकड़ों में :—

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम नाम	वर्ष	ग्रावंटित रकबा [एकड़ों में]
1.	श्री गंगानगर	1. हनुमानगढ़	89–90	16.34
			90–91	5.68
		2. टीबी	89–90	23.85
		3. सूरतगढ़	89–90	150.12
		4. पीलीबंगा	89–90	30.28
		5. रावतसर	89–90	21.88
			90–91	55.16
		6. विजयनगर	89–90	129.46
		7. अनूपगढ़	1987–88	132.00
			1988–89	546.45
			1989–90	368.16
			योग :–	1479.38

(312)

परिशिष्ट – 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 933 की सूची

जिला भू-संरक्षण अधिकारी पद पर दो वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत अधिकारियों की सूची :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पद	तिथि
1.	श्री चतरा राम चौधरी	जिला भू-संरक्षण अधि. बिलाड़ा।	जुलाई, 1986
2.	श्री इन्द्रसिंह सांखला	जिला भू-संरक्षण अधि., नागौर।	16-11-85
3.	श्री प्रेमस्वरूप माथुर	जिला भू-संरक्षण अधि., सोजत।	7-4-88
4.	श्री पर्वत सिंह	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, भीनमाल (जालौर)।	7-5-88
5.	श्री दयालसिंह चौधरी	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, बाली (पाली)	7-3-87
6.	श्री अब्दुल अली बोहरा	जिला भू-संरक्षण अधि., गोगुन्दा।	11-11-85
7.	श्री योगनारायण पाण्डया	जिला भू-संरक्षण अधि., कुशलगढ़	16-8-86
8.	श्री राम मोहन गुप्ता	जिला भू-संरक्षण अधि., झुन्झुनूं	16-2-86
9.	श्री राम कुमार ज्ञानी	जिला भू-संरक्षण अधि., बीकानेर	11-1-88
		अभियान्त्रिकी शाखा	
10.	श्री मनोज वर्मा	जिला भू-संरक्षण अधि., अजमेर	9-1-87
11.	श्री एन. के. कोठारी	जिला भू-संरक्षण अधि., सिवाना (बाड़मेर)	22-1-87
12.	श्री एस. के. सचदेवा	जिला भू-संरक्षण अधि., पोकरण (जैसलमेर)	22-1-87
13.	श्री निर्मल चन्द सैनी	जिला भू-संरक्षण अधि., सिवाना (बाड़मेर)	9-1-87
14.	श्री ओंकार लाल माथुर	जिला भू-संरक्षण अधि., जैसलमेर	28-11-85
15.	श्री एच. के. तिवाड़ी	जिला भू-संरक्षण अधि., बालोतरा	15-1-87
16.	श्री जी. डी. वरन्द्रानी	जिला भू-संरक्षण अधि., कोटा	16-12-85
17.	श्री दिनेश व्यास	जिला भू-संरक्षण अधि., सलूम्बर	10-11-86
18	श्री सुरेश देवल	जिला भू-संरक्षण अधि., चित्तौड़गढ़	मई, 86
19.	श्री कमलेश भार्गव	जिला भू-संरक्षण अधि., ब्यावर	जुलाई, 88
20.	श्री आर. सी. सिंह	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, सवाई माधोपुर	13-1-87

1	2	3	4
		प्रसार शाखा	
21.	श्री कैलाश लाल माथुर	जिला भू-संरक्षण अधि., सिरोही	मई, 1990
22.	श्री अर्जुनसिंह राठौड़	जिला भू-संरक्षण-अधिकारी, कुचामनसिटी	जून, 1990
23.	श्री सोमेश्वर सिंह रावत	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, बांगीडोरा	23-6-90
24.	श्री श्याम मनोहर व्यास	जिला भू-संरक्षण अधि., भीलवाड़ा	4-1-90
25.	श्री महेश वर्मा	जिला भू-संरक्षण अधि., सागवाड़ा	मई, 90
26.	श्री देवदत्त शर्मा	जिला भू-संरक्षण अधि., कांकरोली	11-5-89
27.	श्री मदनलाल सालोदिया	जिला भू-संरक्षण अधि., जयपुर	30-6-90
28.	श्री राजमल परिहार	जिला भू-संरक्षण अधि., श्रीमाधोपुर (सीकर)	जून, 1990
29.	श्री दिलीप कुमार बत्रा	जिला भू-संरक्षण अधि., जल उपयोग प्रकोष्ठ जयपुर	9-12-88
30.	श्री राधेश्याम शर्मा	जिला भू-संरक्षण अधि., भरतपुर	6-6-90
31.	श्री राजकुमार सिंह	जिला भू-संरक्षण अधि., धौलपुर	जून, 90
32.	श्री तेज बहादुर गोयल	जिला भू-संरक्षण अधि., अलवर	7-10-89
33.	श्री प्रेम स्वरूप शर्मा	जिला भू-संरक्षण अधि., बीकानेर	दिसम्बर, 88
		अभियान्त्रिकी शाखा	
34.	श्री एन.सी. चतर	जिला भू-संरक्षण अधि., झालावाड़	जून, 90
35.	श्री ए. पी. शुक्ला	जिला भू-संरक्षण अधि., बून्दी	जून, 90
36.	श्री जे. एल. लुहार	जिला भू-संरक्षण अधि., सीकर	23-8-88
37.	श्री बी. डी. गोयल	जिला भू-संरक्षण अधि., हिण्डोन	10-4-89
38.	श्री एम. आर. जी. कुरूप	जिला भू-संरक्षण अधि., बारां	5-7-89

सन् 1985 के बाद जिला भू-संरक्षण अधिकारी, जयपुर के पद पर कार्यरत रहे की अवधि सहित सूची :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	अवधि
1.	श्री श्याम बिहारी उपमन	12–3–86 से जुलाई, 87
2.	श्री प्रेम स्वरूप शर्मा	जुलाई, 87 से दिसम्बर, 88
3.	श्री शीतल प्रसाद शर्मा	दिसम्बर, 88 से 29–6–90
4.	श्री मदनलाल सालोदिया	30–6–90 से निरन्तर

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 939 का विवरण

भू संरक्षण योजना के अन्तर्गत सृजित कृषि पर्यवेक्षक के पदों की सूचना

कार्यालय का नाम		स्वीकृत पद
1	2	3
1–अति. निदेशक कृषि (भू. सं.) जोधपुर		6
2–सहायक निदेशक कृषि(भू.सं.)बांसवाडा		5
3– ,, ,,	डूंगरपुर	5
4– ,, ,,	उदयपुर	5
5– ,, ,,	टोंक	5
6– ,, ,,	पाली	5
7– ,, ,,	जालौर	5
8– ,, ,,	जोधपुर	5
9–जिला भू संरक्षण अधिकारी, कुशलगढ़		5
10– ,, ,,	बागीडोरा	5
11– ,, ,,	सागवाडा	5
12– ,, ,,	कोटा	5
13– ,, ,,	बांरा	5
14– ,, ,,	सवाई माधोपुर	5
15– ,, ,,	हिन्डौन	5
16– ,, ,,	झालावाड़	5
17– ,, ,,	अजमेर	5
18– ,, ,,	ब्यावर	5
19– ,, ,,	अलवर	5
20– ,, ,,	भरतपुर	5
21– ,, ,,	सिरोही	5
22– ,, ,,	जयपुर	5
23– ,, ,,	भीलवाडा	5
24– ,, ,,	चित्तौड़गढ़	5

1	2	3
25–	सहायक अभियन्ता (भू.स.) सलूम्बर	4
26–	,, ,, कांकरोली	4
27–	,, ,, गोगून्दा	4
28–	,, ,, सोजत	4
29–	,, ,, बाली	4
30–	,, ,, भीनमाल	4
31–	,, ,, बिलाडा	4
32–	,, ,, सीकर	4
33–	,, ,, श्री माधोपुर	4
34–	,, ,, नागौर	4
35–	,, ,, कुचामनसिटी	4
36–	,, ,, बीकानेर	4
37–	,, ,, बीकानेर-II	4
38–	,, ,, बाडमेर	4
39–	,, ,, सिवाना	4
40–	,, ,, बालेतरा	4
41–	,, ,, जैसलमेर-I	4
42–	,, ,, जैसलमेर	4
43–	,, ,, पोकरण	4
44–	,, ,, झुन्झुनू	4
45–	,, ,, बून्दी	4
46–	,, ,, धौलपुर	4
47–	,, ,, इटावा	4
48–	,, ,, लाखेरी	4
49–	,, ,, के. पाटन	4
50–	,, ,, खंडार	4
51–	,, ,, करौली	4
52–	,, ,, सपोटरा	4
53–	,, ,, राजाखेडा	4
54–	,, ,, बाडी	4
55–	,, ,, बयाना	4
		245 पद

(316)

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 496 का विवरण

परिशिष्ट "क"

क. सं.	ख. नं.	रकबा	किस्म
1.	1048	56 बीघा 3 बिस्वा	गै. मु. शमशान
2.	1537	6 बीघा 5 बिस्वा	"
3.	1561	0 बीघा 18 बिस्वा	"
4.	1568	13 बीघा 3 बिस्वा	"
5.	2305	1 बीघा 0 बिस्वा	"
6.	2367	8 बीघा 9 बिस्वा	"
7.	2382	3 बीघा 0 बिस्वा	"
8.	3237	1 बीघा 3 बिस्वा	"
योग।—		90 बीघा 1 बिस्वा	

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1.	1048	50 बीघा
2.	1561	0 बीघा 18 बिस्वा
3.	1568	10 बीघा 03 बिस्वा
4.	2367	8 बिस्वा 09 बिस्वा
5.	2382	1 बीघा
6.	3236	1 बीघा 03 बिस्वा
7.	2305	1 बीघा
	योगः—	72 बीघा 13 बिस्वा

परिशिष्ट–15

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव जो सदन में समयाभाव के कारण नहीं पढ़े जा सके

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़)

महोदय,

मैं सुजानगढ़ (चूरू) कस्बे में ड्रेनेज विभाग द्वारा बनाये गये पानी निकासी के नालों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बे में गन्दे एवम् बरसाती पानी की निकासी के लिए नाले बनाये गये थे। हर साल इन नालों की सफाई की जाती रही है मगर पिछले दो साल से इन नालों की कोई सफाई किसी के द्वारा भी नहीं करवायी गयी है। जिससे नालों में गन्दगी एवम् रेत भर चुकी है। ये ड्रेनेज नाले ड्रेनेज विभाग द्वारा बनवाये गये थे जिसकी रख रखाव जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा कई वर्षों तक की जाती रही थी। उसके बाद दो साल नगर पालिका सुजानगढ़ द्वारा सफाई करवायी गयी मगर पिछले दो सालों से न तो ड्रेनेज विभाग द्वारा सफाई करवायी गयी है ना ही नगर पालिका द्वारा सफाई करवायी गयी है जिससे नाले एकदम अवरूद्ध हो गये है। अभी पिछले दिनों आयी भारी वर्षा का पानी इन नालों से बहकर शहर के बाहर नहीं जा सका जिससे पानी मोहल्लों एवम् बाजार में इकट्ठा हो गया था तथा घरों में पानी घुस गया था गन्दगी चारों ओर फैल गयी थी। आज भी पानी एक जगह मोहल्लों में पड़ा रहने के कारण गन्दगी हो गयी है। डी. डी. टी. का छिड़काव पिछले काफी अर्से से नहीं होने की वजह से मच्छर पैदा हो गये हैं। दस वर्ष पूर्व बने इन नालों की मरम्मत भी किसी के द्वारा नहीं करवायी गयी है। ये नाले सफाई नहीं किये जाने की वजह अवरूद्ध तो हो ही गये हैं जगह-जगह से टूट भी गये है। सफाई और मरम्मत के लिए नगर पालिका सुजानगढ़ से सम्पर्क किया गया तो जवाब में कहा गया कि ये नाले हमारे नहीं हैं इनकी रखरखाव का कार्य जलदाय विभाग (ड्रेनेज विभाग) का है तथा जलदाय विभाग से संपर्क किया गया तो जवाब मिला कि हमारे विभाग का काम नाले बनाकर नगर पालिका को सुपर्द करना था सो सुपर्द कर दिया है अतः अब इनकी देख-रेख एवं सफाई का काम सम्बन्धित नगरपालिका का है।

(3/0)

महोदय दस वर्ष पूर्व बने ये नाले रख रखाव के अभाव में जीर्णक्षीण हो चुके हैं इनका कोई धनी धोरी नहीं है। दो विभागों के बीच में ये ड्रेनेज नाले रख-रखाव के अभाव में अधर झुल में पड़े हैं चाहे इन नालों की नगरपालिका देखरेख करें चाहे जलदाय विभाग करें इनकी अब तुरन्त सफाई एवं मरम्मत करानी अत्यावश्यक है।

महोदय मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सुजानगढ़ कस्बे में बने ड्रेनेज नालों की या तो नगरपालिका से सफाई एवं मरम्मत का कार्य करवाया जावे या फिर जलदाय विभाग से अगर धन की कमी हो तो फिर राज्य सरकार विशेष अनुदान राशि देकर कार्यवाही करवायें अन्यथा कस्बे में पानी के पड़े रहने से मच्छर एवं रोग के जिवाणु पैदा हो जायेंगे जिससे महामारी फैलने की आशंका हो जावेगी। समय रहते इस लोक महत्व के कार्य को करने की महति कृपा करावेंगे।

धन्यवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

महोदय,

मैं आपका ध्यान चूरू शहर में डेडराज भरतीया अस्पताल व (रतननगर) में रैफरल अस्पताल तथा चूरू के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के काफी लम्बे समय से पद रिक्त पड़े होने के कारण जन-जीवन में आई बाधा तथा मैं आपको परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, चूरू जिला मुख्यालय में दानदाताश्री द्वारा भरतीया अस्पताल की विशाल इमारत इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि चूरू जिले के लोगों को चिकित्सा सुविधा हेतु एक अच्छा अस्पताल उपलब्ध होगा। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अस्पताल में काफी लम्बे समय से चिकित्सक विशेषज्ञों व चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ चिकित्सक विशेषज्ञ, पैरामेडिकल स्टाफ के काफी स्थान रिक्त पड़े हैं।

स्वीकृत पदों के अनुसार 18 स्थान रिक्त हैं। तथा राज्य सरकार द्वारा सन् 986-87 में स्टाफ पद्रेन निर्धारित करने के लिए मनोनीत बी. सिंह कमेटी के अनुसार करीब 181 पद रिक्त है। मैंने कई बार रिक्त पदों को भरने के लिए चिकित्सा निर्देशक व चिकित्सा मंत्रीजी को लिखित में व व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था तथा विधान-सभा में तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने भी यह विश्वास भी दिलाया था कि रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियों कर दी जायेंगी। परन्तु 4 माह के पश्चात् भी किसी भी तरह से नियुक्तियों नहीं होने से अस्पताल का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण जिले की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि चूरू जिला मुख्यालय में स्थित डेडराज भरतीया अस्पताल में रिक्त पदों को तुरन्त भर कर जनता को सुविधा दी जाय।

अध्यक्ष महोदय भरतीया अस्पताल में दानदाताओं ने 5 लाख रुपये की लागत की नवीनतम् तकनीकी के आधार पर बनाये गये एक्सरे मशीन अस्पताल को दान में दी गई है। परन्तु बड़े खेद की बात है कि इस मशीनरी का उपयोग अब तक मात्र स्टालमेण्ट् की धन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो सकता है।

मेरे क्षेत्र के रतन नगर कस्बे में 3 माह पूर्व एक रेफरल अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया था परन्तु आज तक मात्र कागजों में स्वीकृति के अलावा इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ तथा चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाय। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि चूरू में रतन नगर रेफल अस्पताल में तुरन्त चिकित्सा व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जाए, तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम बिनासर व सिरसला में जनवरी माह से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्वीकृत हुआ था। इसमें भी अब तक स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा चूरू तहसील के ग्रामीण अंचलों में अधिकांश स्वास्थ्य उपकेन्द्र में लम्बे समय से स्टाफ की कमी के कारण रिक्त पद पड़े हैं।

अत. मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में शीघ्र ही स्टाफ की नियुक्ति की जाय।

अध्यक्ष महोदय, चूरू में 20 रोगियों शैयायुक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को दानदाताओं द्वारा बनाकर प्रारम्भ किया गया है। परन्तु इस शिशु कल्याण केन्द्र में भी एक चिकित्सा अधिकारी व स्टाफ नर्स के स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं। अतः मैं आपके माध्यम मांग करता हूं कि शीघ्र ही इन रिक्त पदों के भरने के आदेश जारी करें।

मुझे पूर्ण उम्मीद है कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के द्वारा चूरू तहसील में विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर रिक्त पड़े चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर नियुक्ति के आदेश प्रदान कर जनता को राहत पहुंचायेंगे ।

सधन्यवाद !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम मैत्रीवाड़ा, पुरण, सेवाड़ा, मोरवालरा, रानीवाड़ा कलां, चीमनगढ़, पंचेरी, तातोस बासड़ा धनजी वगैरा कई गांव आयी हुई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुऐ हैं और आबादी में पानी की नदीयों से एवं बांध टूटने से भारी नुकसान हुआ परन्तु इन गांवों को बाढ़-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया और इन गांवों को किसी प्रकार की राहत (सहायता) नहीं दी गई जिससे लोगों में बड़ा भारी आक्रोष है और गरीब तबके के लोगों के वेर वेरे नष्ट हो गये है और घर बार नष्ट हो गये हैं ।

कृपया इन गांवों को भी बाढ़ग्रस्त घोषित कर शीघ्र राहत सहायता दिलवाने की व्यवस्था करावें ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन)

मान्यवर,

राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में विशेषकर अनुसूचित जाति के अत्यन्त गरीब एवं उपेक्षित लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सरकारी सहयोग के माध्यम से आर्थिक उत्थान हेतु वर्ष 1980 में विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई थी।

1. विगत 9 वर्षों में 7701.75 करोड़ केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र व प्रदेश से 397.84 लाख अनुदान देकर चालू वर्ष में 10 करोड़ रुपया इस प्रकार 91 करोड़ की विशाल राशि में से 5334.89 लाख रुपये विभिन्न जिलों में डी. आर. डी. ए. के पी. डी. खातों में जमा करवाई गई है। आज वर्ष 88–89 तक 2406.90 रुपया बिना किसी उपयोग के पड़ा है। कैसी विडम्बना है गरीब लोग ऋण के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और यह विशाल राशि बिना किसी उपयोग के पड़ी है। जो राशि जिलों को दी गई उसके भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र मात्र 26 करोड़ के ही प्राप्त हुये हैं। जयपुर की विभिन्न बैंकों में 1881.59 करोड़ रुपया जमा है जिसके माध्यम से अधिकारियों के रिश्तेदार ऋण प्राप्त कर मौजमस्ती कर रहे हैं।

2. निगम अधिकारियों द्वारा कागजी योजनाओं पर धन का खुलकर दुरुपयोग किया जैसे की पेड़ लगाने की योजना पर राजस्थान विकास सम्मेलन घोटाला व दुबारा निगम अधिकारियों ने इसका रूप बदलकर सामाजिक वानिकी योजना पर 2.50 लाख रुपया खर्च दिखाया। यह घोटाला जयपुर जिले में प्रकाश में आ चुका है, कठपुतली प्रशिक्षण, सुलभ इन्टरनेशनल, हैण्डलूम प्रशिक्षण, गलीचा प्रशिक्षण. अर्द्ध स्वचालित एवं स्वचालित लूम योजना, उन्नत कृषि यंत्र, सामूहिक पम्प सेट योजना, ब्लास्टिंग एवं बोरिंग आदि और अब ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर, स्काइट प्रशिक्षण पर धन का दुरुपयोग।

3. विकास की योजनायें वास्तव में ठप्प करके राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता के निर्देश देने के बाद भी राज्य में अकाल की भयानक

स्थिति में निगम के प्रबन्ध निदेशक ने 10 नई जीपें और 2 कारें अनावश्यक खरीदी, 53 नई नियुक्तियां की, फर्नीचर आदि कीमती सामान खरीदने में विकास के धन का खुलकर दुरुपयोग किया ।

4. स्वीकृत राशियों को बिना उपयोग के पटक रखा है । उनका उपयोग किया जावे ।

(क) 45 लाख रुपया 31-3-82 मे अवरूद्ध पड़ा हुआ है ।

(ख) 150 लाख रुपया दुकानें बनाने के नाम से खर्च नहीं किया जाकर 41.75 लाख बिना उपयोग के पड़ा है ।

(ग) 15 लाख रुपया लघु उद्योगों को शेयर्स खरीदने के लिए पड़ा है वह जिसका कोई उपयोग नही हो रहा है ।

(घ) 1983 से विभिन्न 6 बैंकों को 7,19,993 रुपया अग्रिम दिया है जो पड़ा है ।

(ङ) 14-8-80 को 20 लाख रुपया राजस्थान वित्त निगम को दिया है जिसका ब्याज 1,82,833/– रुपया होता है । इसका कोई उपयोग नहीं है ।

(च) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 23,40,000 रुपया दिया गया है जिसका कोई उपयोग नही हो रहा है ।

अतः इस प्रकार भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । पिछले 9 वर्षों से बरती जा रही अनियमितताओं को वर्ष 88 में महालेखाकार द्वारा आडिट में भी गम्भीरता से लिया है जिसको ब्याज सहित वसूल करने की हिदायत दी गई है ।

अतः मैं अपने इस 295 के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि निगम की अवरूद्ध राशियों का सदुपयोग हो जिस तरह से छात्रावास निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपया दिया गया उसी तरह उसी क्रम में 5 करोड़ रुपया सामान खरीदने हेतु दिया जाये । आडिट ओब्जेक्शन की पूर्ति कर पैसे का सही उपयोग किया जाये । मनमाने तौर पर कमीशन एवं निजी लाभ की योजना में हुए भ्रष्टाचार

की जांच करवाई जाये नई, नियुक्तियों की जांच कराई जाये। बिना किसी काम के लगे प्रतिनियुक्तियों पर भार रूपी अधिकारियों को अपने विभाग में भेजा जावे। सरकार द्वारा संचालित मण्डल का पुनर्गठन कर जनप्रतिनिधियों को संचालक मण्डल में लिया जावे समय समय पर निगम के कार्यों की समीक्षा की जावे, ताकि निगम का पैसा अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु ही लगाया जाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग कर सके।

श्री हीरालाल इन्दौरा

महोदय,

मैं आपके माध्यम से आर. सी. डी. एफ. में स्टेनोग्राफर के पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के एक भी सदस्य को नियुक्ति नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

(1) आर. सी. डी. एफ. जयपुर द्वारा स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4.1,1990 को टैस्ट लिया गया था।

(2) उक्त टैस्ट में लगभग 60 प्रतियोगी सफल हुए थे।

(3) विभाग द्वारा क्र. सं. 1 से 23 तक के ही सफल प्रतियोगियों को साक्षात्कार हेतु अप्रेल, 90 में बुलाया गया।

(4) साक्षात्कार हेतु बुलाये गये प्रतियोगी क्र. सं. 1 से 23 तक सभी जनरल श्रेणी के ही थे।

(5) साक्षात्कार हेतु एक भी अनुसूचित जाति/जनजाति के सफल प्रतियोगी को नहीं बुलवाया गया अर्थात क्रम संख्या 24 से आगे तक एक को भी नहीं बुलवाया गया।

(6) साक्षात्कार के बाद 29.4.90 को 5 प्रतियोगियों को नियुक्ति दे दी गई है जो सभी जनरल श्रेणी के हैं। (इनमें से 3 जयपुर मुख्यालय में। बीकानेर व । जोधपुर में नियुक्त किये गये हैं।)

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को जानबूझकर टाला गया है जबकि सरकार द्वारा आरक्षण कोष भी निर्धारित है लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार की आरक्षण नीति की अवहेलना की गई है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के साथ अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किये गये अन्याय की जांच करवाई जाये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को नियुक्ति दिलवा कर न्याय दिलवाया जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

जांच के तथ्यों को माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा जाय तथा मुझे भी सूचित किया जाय।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

महोदय,

नीम का थाना उपखण्ड क्षेत्र में मापदण्ड विपरित तथा अवैधानिक तरीके से आबादी क्षेत्र में कली भट्टे, सीमेन्ट व पाउडर बनाने के उद्योग व ब्लास्टिंग द्वारा सुराख लगाने आदि के काम हो रहे है जिससे उक्त क्षेत्र में भयंकर रूप से प्रदुषण फैलने से बड़ी जान माल की हानि हो रही है।

नीम का थाना नगर के आबादी के मध्य चूना कली के भट्टे चलते हैं जिससे दुषित गैस निकलने से बड़ी हानि हो रही है इसके अलावा उक्त क्षेत्र में मोडी मील से पाउडर पूरे नगर में फैलता है इससे श्वास लेने में भी कठिनाई होती है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जन प्रिय लघु सीमेन्ट उद्योग दलतपुरा से तो उक्त सीमेन्ट उद्योग से हवा के द्वारा सीमेन्ट पाउडर आस पास में फैलता है जिससे उक्त उद्योग के मजदूरों व आस पास की जनता में टी. बी. जैसी बिमारियां हो गई है तथा फसल को भी भारी हानि हो रही है उक्त उद्योग में ट्रिटमेन्ट प्लान्ट न होने से बड़ी संख्या में जनता व फसल बिमारियों से ग्रस्त हो गई है।

इसके अलावा उक्त क्षेत्र की आो. टी. पी. लक्की मेनी मेन्ट चूना पत्थर खानों में जब भी ब्लास्टिंग व सुरंग लगती है तो पास के गांव कामावास, बल्लुपुरा, बेगा की नांगल आदि गांव उक्त दुषित गैस से बड़ी हानि होती है इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी सीमेन्ट व खान उद्योगों से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

अतः मैं नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र में फैले भयंकर प्रदूषण पर रोक लगाने की कार्यवाही करें।

1. आबादी क्षेत्र में सभी कली भट्टों को बन्द करवायें तथा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले भट्टों को तुरन्त बन्द करें।

2. जन प्रिया लघु सीमेन्ट उद्योग दलपतपुरा में ट्रिटमेन्ट प्लांट लगवाये तथा उक्त उद्योग में मजदूरों आसपास की जनता के स्वास्थ्य सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे।

326

3. आबादी क्षेत्र भामावास बल्लुपुरा व कैंगा की नांगल के आस पास की खानों में लगवाने वाली सुरंग व ब्लासटिंग कार्यों को तुरन्त रोका जावे।

अतः यह अति लोक महत्व का सवाल है नियम 295 में विचार रखने की स्वीकृति दी जावे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान में आंगनबाडी केन्द्रों की हालात बहुत खराब हैं। जो भी गुड़ एवं अन्य पोषाहार सामग्री दी जाती है वह घटिया किस्म की होती है और उस की वितरण व्यवस्था भी इतनी खराब है कि माल समय पर नहीं पहुंचता है बल्कि जो सामान देकर आता है उसका कुछ हिस्सा तो पहले ही बंट जाता है और अन्य बचा सामान ग्रामों में महिलाओं के लिए एवं बच्चों के लिए पोषाहार जाता है उसे भी सही वितरण नहीं किया जा रहा है।

सामग्री की मुख्यतया कार्यकर्ता द्वारा अपनी भैंसों को खिलाया जाता है न कि बच्चों को बांटा जाता है। यह विभाग के पास सिवाय भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। सारा सामान एवं दवाई वगैरह बजाय बंटने के बेच दी जाती है। इसी का परिणाम है कि आज आंगनबाडी के कार्यकर्त्ता (वर्कर) को 200/— रूपये तनख्वाह मिलती है पर 400/— रूपयें की साडी पहनती है। इस लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि **वारे आंगनबाडी, दौ सौ रूपईया की नौकरी 400 की साडी**"

इस प्रकार की हालात है और पोषाहार की जानवरों को खिलाया जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी सारे केन्द्रों पर इस प्रकार की शिकायत है।

उनको समय पर सामग्री नहीं मिलती और जो मिलती भी है उसे सही नहीं बंटवाया जाता।

अतः माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को मिटायेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवायेंगे।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

मान्यवर,

तत्कालीन सचिव कृषि उपज मण्डी कोटा व श्री मुरलीधर शर्मा कनिष्ठ लिपिक कृषि उपज मण्डी द्वारा 188 तौल पर्चियां गबन के आरोप एवं जांच के पश्चात सचिव मण्डी समिति ने आदेश क्रमाक 5112–17/85 दिनांक 1–7–85 के तहत निलम्बित कर दिया था। आरोप पत्रों पर विचार करने के पश्चात अभियुक्त की एक वेतन वृद्धि बिन संचयी प्रभाव डाले रोकी गई थी तथा श्री मुरलीधर को 188 तौल पर्चियों पुस्तक की राशि 770–80 रू. जमा कराने हेतु लिखा गया था। तथा प्रशासक ने आदेश क्रमांक 5440–45/85 दिनांक 17–8–85 के द्वारा बहाल कर श्री मुरलीधर शर्मा को निलम्बन काल का पूर्ण वेतन भत्तो आदि सहित दे दिया गया

जबकि राजस्थान सेवानियमों में यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी दोषी कर्मचारी दण्ड प्रावधानों के साथ ही निर्धारित निलम्बलन काल निवहि भत्ते की राशि से अधिक राशि पाने का हकदार नहीं हैं।

इन सबके विपरीत नियमों की सीधी अवहेलना करते हुए श्री मुरलीधर शर्मा की एक वेतन वृद्धि रोककर 770 –80 रूपये वसूल किए तथा बाद में उसे पूर्ण वेतन का भुगतान (निलम्बन अवधिका) करने के साथ ही बहाल भी कर दिया गया।

अतः ऐसे भ्रष्ट मामले की जांच करवायी जावे तथा दोषी पाये जाने पर श्री मुरलीधर शर्मा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाते हुए 599–000 रु. की राशि वसूल की जावे।

328

मण्डी समिति के नियमों 5 (डी) के अनुसार निलम्बन अवधि का पूर्ण भुगतान किया गया है जबकि राज्य सरकार के नियमों में इस प्रकार के भुगतान का प्रावधान नहीं है "ए" एकरूपता लाने के लिए निदेशक कृषि विपणन स्पष्ट नये सिरे से नीति निर्धारण करें।

श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा उक्त गबन की गई तोल पर्चियां किन-किन व्यापारियों को कितनी-कितनी राशि में बेची गई कृपया स्पष्ट करें। उक्त उक्त तौल पर्चियों के नम्बर क्या-क्या हैं तथा बेची गई तौल पर्चियों से कितना मण्डी टेक्स वसूल पाया गया। एवं कितने मण्डी कर की चोरी हुई इनमें से किसी मरबात पर मण्डी प्रशासक द्वारा दोषी कर्मचारी को बहाल करते एवं दण्डित करते समय ध्यान नहीं दिया गया है।

दोषी कर्मचारी मुरलीधर शर्मा क. लि. के निलम्बन की अवधि एव सम्बन्धा पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रशासक महोदय ने किसी दबाव अथवा प्रलोभन में कार कर्मचारियों को मात्र सूक्ष्म रूप से ही दण्डित कर छोड दिया गया है। जबकि यदि इन तौल पर्चियों की जांच नील पंजिका एवं विक्रय पर्ची तथा गेट पास रजिस्टर से करवाई जावे तो लाखो रूपये मण्डी कर चोरी इन तोल पर्चियों से होने की संभावना बनती है।

अतः इस सम्पूर्ण मामले की जांच की जाय तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दी जावें।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

महोदय,

दिनांक 9-10-89 को पुलिस थाना खातोली में मुकदमा इलजाम 140/89 धारा 376 ता. हि. का दर्ज किया गया है । उक्त मुकदमें के मुताबिक रामेश्वर एवं लटूरलाल नाम के दो व्यक्तियों ने मजदूरी करने वाली दो लडकियो मुसम्मात गीता पुत्री माधोलाल कोली तथा मु. चमेली पुत्री बद्रीलाल कोली निवासी जटवाडी तहसील पीपल्दा जिला कोटा के साथ बलात्कार किया गया है । मुलजिमान प्रभावशाली एव सम्पन्न लोग है जिनके तालुकात बड़े लोगों से होने के कारण ही अभी तक भी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है । बलात्कार से पीड़ित अनुसूचित जाति की लड़कियों को अभी तक भी मुआवजा राशि सरकार या समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं दी गई है, जबकि इस प्रकार की मुआवजा राशि कम से कम 5000/—रूपया दिए जाने की प्रावधान है। जिलाधीश कोटा द्वारा भी इस मामले में अभी तक भी पीड़ित बालिकाओं की मदद के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जिससे पिछडे वर्ग के लोगों में भयकर रोष व्याप्त है।

अतः इस सदन के जरिये सरकार से मांग है कि:—

(1) मुकदमें का चालान शीघ्र ही न्यायालय में पेश किया जावे।

(2) बलात्कार से पीडित अनुसूचित जाति की दोनों बालिकाओं को क्षतिपूर्ति राशि तथा सरकार की ओर से विशेष सहायता राशी बिना किसी देरी के दिलाई जावे ।

330

श्री रतनलाल जाट (सहाड़ा)

महोदय,

राजस्थान की नई सरकार के मुख्य मंत्री जी ने अपने पद का कार्य भार संभालते ही भ्रष्टाचार मिटाने व प्रशासनिक फेर बदल कर सही अधिकारियों को सही स्थान पर लगाने की मुहिम छेडी किन्तु न जाने क्यों वन सचिव श्री महेन्द्र सिंह से वन विभाग के नये सचिव श्री वी. एस. मिन्हास्स को कार्यभार दिला सके ।

वन सचिव के भ्रष्टाचार के काले कारनामों की यदि फहरिस्त बना कर सदन में चर्चा की जावे तो सदन के एक दिवस की कार्यवृत्ति में मात्र एक ही विषय वन सचिव श्री महेन्द्र सिंह के भ्रष्टाचार होगा ।

वन सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कतिपय उदाहरण सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत हैं जो निम्नानुसार है :—

(1) वन सचिव द्वारा वन विभाग में गुटबाजी को प्रशय देकर श्री. एस. के. शर्मा श्री एन. के खुल्लर व वी. डी. शर्मा को अपना चहेता बना कर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को सीधे ही करवा कर काली कमाई करना उनमें स्थानान्तरण अभ्यारण में अवैध खनन, लेई पत्तों की अवैध निकासी आदि प्रमुख है । मुख्य वन्न जीव प्रतिपालक के खिलाफ समाचार पत्रों में काफी कुछ छपने के बाद भी वन सचिव उसके विरूद्ध जांच न करवा सकें । तेंदू पत्तों के ठेके पर नीलाम करने की प्रणाली के मन्त्री जी के आदेशों को दबाये रखा और जब तक सौदे-बाजी श्री एस. के. वर्मा के माध्यम से तय नहीं हुई आदेश पारित नहीं हुए और जब आदेश पारित किये तो श्री एस. के. वर्मा मुख्य संरक्षक को आदेश निकालने हेतु निदेशित किया ।

(2) वन सचिव द्वारा अपनी कुकुट शाला का निर्माण रेनजर के माध्यम से डेलीवेजेज के कर्मचारियों से करवाया ।

(3) वन सचिव का जवाहर नगर में आलीशान मकान उनके भ्रष्टाचार की कहानी अपने आप कह रही है । श्री महेन्द्र सिंह ने जवाहर नगर के पीछे

स्थित शिवजी के मन्दिर की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर अवैध निर्माण करवाया । जे. डी. ए. के अधिकारी व आवासन मण्डल के अधिकारी सारी कार्यवाही को मूक दर्शन बैठे देखते रहे और बाद में अवैध कब्जे को नियमित कर दिया गया ।

(4) वन सचिव के पास अजमेर वृत के वन संरक्षक श्री मोतीलाल दायमा के विरूद्ध 24-9-84 से 15-2-89 तक 83 शिकायतें मय प्रमाण के मुख्य वन संरक्षक जोधपुर ने भेजी किन्तु अभी तक वन सचिव द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । श्री दायमा के द्वारा टोंक जिले की मालपुरा रेन्ज लाम्बा हरिसिंह नर्सरी के वन संरक्षक आबिदनूर की पत्नी के साथ 24 मई, 90 को छेड़छाड़ व बलात्कार करने के मामले में भी वन सचिव द्वारा दायमा को संरक्षक प्रदान किया जा रहा है ।

(5) उप वन संरक्षक जयपुर ही प्रधान के विरूद्ध वर्ष 1977-78, 78-79 में छतरगढ़ वन मण्डल से संबंधित मामलों की सी. सी. ए. रूल्स नियम 10 के तहत चल रही कार्यवाही को बिना विभागीय मंत्री की जानकारी में लाये स्टेण्डिंग आर्डर का उल्लंघन कर सीधे ही कार्मिक विभाग से मामले को रफादफा करने का प्रयास किया व सुना गया कि इस पेटे करीब 35000 रु. प्रधान से प्राप्त किये ।

(6) ओण्ड:—चन्देलीपुरा सड़क निर्माण कार्य में हुई अनियमितताएं व भ्रष्टाचार के मामले के परिक्षण के बाद वन मन्त्री द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाने के कि श्री शफायत हुसैन तत्कालीन मण्डल वन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर एवं अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत कोर्ट में चालान की कार्यवाही करने हेतु विधिवत प्रस्ताव करें, कोई कार्यवाही नहीं की ।

(7) वन क्षेत्र में अवैध खनन पट्टे आवंटित करने के विरूद्ध ए. एम. इ. नीम का थाना के विरूद्ध अदालत में इस्तगासा प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं देना खनिज विभाग के सम्बन्ध में ऐसे कई मामले वन सचिव द्वारा दबा कर रखे गये हैं ।

(8) श्री महेन्द्र सिंह ने कृषि उत्पादन सचिव पद पर कार्य करते हुये कृषि पर्यवेक्षकों की 20,000)–20,000) रु. लेकर अनियमित नियुक्तियां

332

कर 25 लाख रुपये का काला धन अर्जित किया । इस काण्ड का मण्डाफोड तत्कालीन एवं वर्तमान भाजपा विधायक श्री रघुवीर सिंह कौशल ने प्रश्न के जरिये राजस्थान विधान सभा में उठाया । काण्ड की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपी जानी चाहिए ।

(9) रेन्जर ग्रेड प्रथम को राजपत्रित अधिकारी घोषित करवाने में वन विभाग के अधिनस्थ सेवा के कर्मचारियों की 1989 की हड़ताल में रेन्जरों को भी सम्मिलित करा उन्हें राजपत्रित घोषित करवाने की मांग मुड़वा कर पुनः हड़ताल से लौटने का नाटक करवा प्रति रेन्जर 1000 के हिसाब से 3 लाख रुपये एकत्रित कर बिना कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त किये मुख्य सचिव के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग से रेन्जर पद को राजपत्रित घोषित करवा दिया । रिश्वत की अदायगी श्री एस. के. वर्मा मुख्य वन संरक्षक विकास एवं उनके दो चहेते रेन्जरों द्वारा की गयी । इस कांण्ड की जानकारी प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को है । यदि सी. बी. आई. व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से, वन सचिव को पद से मुक्त कर, जांच करवायी जाये तो समस्त सच्चाई सामने आ सकती है ।

(10) वन सचिव महेन्द्र सिंह ने रेन्जर ग्रेड द्वितीय को रेन्जर ग्रेड प्रथम के समकक्ष बनवाने के लिये एडवान्स में 3 लाख रुपये ले रखे हैं और तीन माह में इस कार्यवाही को करने का आश्वासन दिया है ।

(11) वन अधिनस्थ कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति पर एक माह में 50 पद रेन्जर ग्रेड द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत कर वनपालों को उन पदों पर पदोन्नति का समझौता वन कर्मियों के मूल मांग पत्र में नहीं होते हुये भी एजेन्टों के माध्यम से सौदा तय कर प्रत्येक वन पाल से 2000 रु. तय कर एक लाख रुपये राशि लेकर समझौता किया । अब वन सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक पर 50 वन पालों के पदों को पदोन्नत करने पर दबाव डाल रहे हैं और उनके विरूद्ध पूर्व पत्नी के सुपुत्र अनिल सिंह, जो फागी से भाजपा के उम्मीदवार थे, के माध्यम से अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करवा रहे हैं ।

(12) उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर द्वारा अपनी सेवा निवृत्ति दिनांक 28-2-90 के मात्र 6 दिवस पूर्व 13 वन रक्षकों को नियुक्त कर दिया जबकि प्रधान मुख्य संरक्षक के नियुक्ति पर प्रतिबध सीध्र ही जिलाधीश पर सचिवालय से एन ओ. सी. प्राप्त करने पर प्रतिबंध

आदि के निर्देश थे किन्तु वन सचिव श्री महेन्द्र सिंह व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री बी. डी. शर्मा ने अपने आदमी नियुक्त करवाने के साथ-साथ हजारों रुपयों का काला धन कमा कर मृतक आश्रितों के नौकरी पाने के हक को ताक में रख दिया।

उक्त सारे प्रकरणों से अतिरिक्त कई प्रकरण हैं स्थानान्तरण पद स्थापन आदि जिनकी सदन के मा. सदस्यों की जानकारी के साथ ही इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की स्वकृति प्रदान कर अनुग्रहित करें।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विश्व विद्यालय के परीक्षा के टाईम टेबिल के अनुसार एम. ए. (प्रिवियस) के अर्थशास्त्र के "मैथेमेटिकल इकॉनिमिक्स" की परीक्षा हेतु 9 जून, 1990 की तिथि नियत थी लेकिन अलवर के परीक्षा केन्द्र राजकीय कला महाविद्यालय में उक्त तिथि को "प्राईवेट छात्र" परीक्षा में बैठने से वंचित रहे और भी असमंजस की स्थिति में भटक रहे हैं कि अब परीक्षायें कब होगी।

दिनांक 9-6-90 को उक्त परीक्षा में बैठने वाले चार छात्र परीक्षा कक्ष में नियम समय पर उपस्थित हुवे और इन छात्रों को उत्तर पुस्तकायें उपलब्ध करा दी गई। छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं पर अपने रोल नम्बर लिख दिये लेकिन 3-15 बजे पर उनसे उत्तर पुस्तकायें यह कह कर वापिस ले ली गई कि विश्व विद्यालय से प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुये है। अतः अब परीक्षा बाद में होगी। अब एक माह 15 दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् छात्रों की परीक्षा की नई तिथि नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में छात्रों का भविष्य अंधकार मय हो गया है एवं वे अपने भविष्य के बारे में चिन्तित है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो अधिकारी इस अव्यवस्था के लिये दोषी है उनको दण्ड दिया जावे एवं छात्रों की शीघ्र परीक्षा की व्यवस्था करें।

334

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरीया)

महोदय,

राजस्थान राज्य की सम्पत्ति का मालिक बनने को जयपुर घराने का भूतपूर्व महाराजा और आनन्द गृह निर्माण समिति जयपुर के सचिव ने षड़यन्त्र पूर्व साजिश की है उसके खिलाफ उच्चासीन राजनेता चुप्पी साधे बैठे हैं। राजस्थान केनाल के दफ्तर के सामने अमरूदों के बाग के नाम से जानी जाने वाली 48 बीघा भूमि भूतपूर्व महाराजाओं की जायदाद की सूची में नहीं थी। इस दृष्टि से यह भूमि राज्य सरकार की है अरबन सीलिंग या महाराजाओं द्वारा घोषित तथ्यों के आधार पर भी यह भूमि राज्य सरकार की है सरकार व भूतपूर्व महाराजा के मध्य जब तक झगड़ा चलता है यह हस्तान्तरण नहीं की जा सकती थी पर महाराजा ने आनन्द भवन समिति के साथ 3-5-85 को सौदा कर लिया। यह अनुबन्द फर्जी व बाद में बनाया हुआ है 6-8-85 को मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा उसमें इसका जिक्र नहीं है इस खसरे को संघ का होना बताया है जिसे एक महाराजा के मध्य अदालती विवादों में भी इसका आनन्द भवन सहकारी समिति के नाम होना नहीं बताया जाता हैं। इससे लगता है यह फर्जी व बाद में तैयार किया गया है। महाराजा के सचिव ने रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ लेण्डस एक्ट और राजस्थान लेण्ड ओनर एम्बीजिज आफ एस्टेट एक्ट के प्रावधानों के बचाव हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। दोनों ही 120 B व 467 I.P.C. के दोषी है। F.I.R. लिखवा दी गई। तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उसमें पहले के मुख्य मन्त्री के कारण यह लिखवाई महाराजा विरोधी दलों का लाभ हो रहा था सो उससे जमीन छीनने का नाटक किया गया। जब पार्लियामेन्ट चुनाव में तत्कालीन प्रधानमन्त्री जयपुर आये तो मुख्य मन्त्री व महाराजा का सौदा करवा दिया। F.I.R. की जांच रोककर मुकदमें के F.R. लगवा दी गई। इस प्रकार जे.डी.ए. द्वारा काबिज भूमि को वापिस महाराजा को दे दी गई। महाराजा जबरदस्ती 50 करोड़ की भूमि पर कब्जा जमाये बैठे है राज्य सरकार कांग्रेस विरोधी होते हुए भी महाराजा सेठ विरोधी नहीं है सारे सबूत व तथ्य होते हुए भी भूमि पर महाराजा कब्जा किये बैठे हैं। फौरन भूमि सरकारी कब्जे में लेकर कब्जा नादिक वास्ते माल में ली जायें तो करोड़ों की फौरी आमदन है। महाराजा के खिलाफ कदम उठाने में जल्दी करनी चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

मान्यवर,

राज्य में गत दस वर्षों में से 8 वर्ष अकाल की स्थिति रहने के कारण किसानों, बुनकरों व दस्तकारों की ऋण देय क्षमता का ह्रास हो चुका है। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक बैंकों, सहकारी बैंकों के अवधि पार ऋण बढ़ते गये। किसान ऋण भार से दबता गया। किसानों, दस्तकारों व बुनकरों को ऋण में राहत देने के लिए भारत सरकार ने व्यावसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण राहत योजना जारी की है, उसका क्रियान्वयन न होने एवं इसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर न करने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1980 जारी की गई है उसको पढ़ने पर यह जानकारी मिलती है कि चार प्रकार की श्रेणियां ऋण माफी की बनाई गई है।

(1) श्रमिक ओवरड्यूज—जो ऋण किसानों ने 1.10.81 से पूर्व लिए हैं और 2.10.89 तक किसान ऋण चुकता नहीं कर सका है।

(2) खराब फसल वर्ष - जो ऋण 2.10.86 के बाद लिए गए हैं परन्तु 2.10.89 तक बकाया है एवं उनमें से दो वर्ष खराब फसल रही तो ऋण 10,000/– तक का माफ होगा।

(3) जो किसान 2.10.89 तक या इससे पूर्व मृत्यु का शिकार हो गया है।

(4) ऋण लेने वाला 2.10 89 से पूर्व दिवालिया घोषित हो चुका है।

उपरोक्त चार श्रेणियो में आने वाले किसानों का ऋण माफ किया जायेगा ब्याज एव मूलधन मिलाकर सिर्फ 10,000 रुपये तक का। यदि किसान ने व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक इन तीनों से ऋण ले रखा है ऐसी परिस्थिति में तीनों संस्थाओं के मूलधन व ब्याज को जोड़कर 10,000/– रुपये तक का ही कर्जा माफ होगा एवं बाकी बकाया राशि किसानों को जमा करानी होगी। किसान के तीनों संस्थाओं के ऋण व ब्याज यदि 35 हजार रुपये के बकाया हैं तो 3333.33 रुपये प्रत्येक संस्था के खाते में जमा होकर बाकी ऋण बकाया रहेगा। उक्त कार्य हेतु बैंकिंग संस्थाओं लम्बी कागजी कार्यवाही करनी होगी क्या गारन्टी है कि सहकारी समितियों ने फर्जी एवं बेनामी ऋण दिया हो वे इस योजना में covered है क्या ? यदि नहीं तो क्या करते हैं कि ऐसे ऋण माफ नहीं होंगे ?

क्या सरकार ऐसे ऋण माफ करने जा रही हैं जो राजस्थान के अराष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण है। प्रदेश में राजस्थान बैंक की 200 शाखाएं है एक ही गांव में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक व सहकारी ऋण लेने वाले किसान का

कर्जा माफ होगा परन्तु राजस्थान बैंक से ऋण लेने वाले का कर्जा माफ न होने से किसानों में भारी रोष है। क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस प्रकार के ऋणों की कितनी राशि से अवगत कराया ? ऐसे किसानों के लिए क्या अलग से ऋण माफी योजना बनाई जा रही है यदि हां तो इस योजना पर राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

2.10.89 के बाद जो कर्ज विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के बकाया है उसकी वसूली दर कमजोर है। व्यावसायिक बैंकों ने आगे ऋण देने के लिए हाथ खींच लिए हैं चालू मांग की अदायगी में और देने हेतु राज्य सरकार क्या कर रही है ?

जो किसान उपरोक्त चार श्रेणियों में आते हैं कर्जा माफी योजना के अन्तर्गत उन किसानों को राज्य में कहीं पर भी नया फसली ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऋण माफी योजना के तहत आने वाले कितने किसानों ने प्रदेश भर में नया फसली ऋण लिया है उसकी राशि क्या है ?

ऋण माफी योजना में प्रक्रियात्मक देरी एवं अधिकारियों यह मसले निपटाने का दायित्व देने से भ्रष्टाचार फैलने की सम्भावना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि कर्जा माफी योजना में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है एवं इसका निपटारा शीघ्र ही कार्यक्रम बनाकर किया जावे। जिनका ऋण माफ हो गया उन्हें नया फसली ऋण उन काश्तकारों नहीं हो रहा है वह अविलम्ब दिलाया जावे।

राष्ट्रीय मोर्चे की केन्द्रीय सरकार एवं प्रदेश की सरकार के किसानों के कर्जा माफी का वायदा किया था वह अगर मगर किन्तु परन्तु एवं विसंगतियों के कारण राज्य के किसानों को विशेष लाभ नहीं दे पायेगा।

सादर।

शुद्धि पत्र

क. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	36	फोलियो	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
2.	55	11	जूलाई	जुलाई
3.	104	12	सद यों	सदस्यों
4.	159	5	जोशो	जोशी
5.	163	28	वैद	वैद
6.	225	फोलियो	जूलाई	जुलाई
7.	327	28	श्रीमती अजला	श्रीमती उजला
			अरोड़ा	अरोड़ा
8.	365	फोलियो	ध्यानकषण	ध्यानाकर्षण
9.	411	16	मननीय	माननीय
0.	421	18	नसिग	नर्सिंग
1.	421	22	,,	,,
2.	455	फोलियो	जूलाई	जुलाई
	480	18	शैखावत	शेखावत
	521	5	19 0	1990
	544	2	श्री क हैया लाल	श्री कन्हैया लाल